MAA OMWATI DEGREE COLLEGE HASSANPUR (PALWAL)

Notes

B.COM 5th Sem

Taxation Law

1

आय-कर : परिचय
INCOME TAX : INTRODUCTION

परिचय (Introduction)

प्रत्येक देश की सरकार को अपने देश में शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने, देश को विदेशी आक्रमणों से बचाने तथा समाज में कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन एकत्रित करने के लिए सरकार सामान्यतया जनता एवं वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के कर लगाती है। ऐसे कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जैसे—आय-कर, वस्तु एवं सेवा कर आदि।

आय-कर का अर्थ (Meaning of Income Tax)—आय-कर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी व्यक्ति की गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त की गई आय पर आय-कर विभाग द्वारा वसूल किया जाता है। आय-कर विभाग केन्द्रीय सरकार के वित्त मन्त्रालय का पृथक् विभाग है। आयकर विभिन्न खण्डों तथा विभिन्न दरों के आधार पर गणना करके ज्ञात किया जाता है। यह केन्द्रीय सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। इससे कुल केन्द्रीय करों का आधे से अधिक राजस्व सरकार को प्राप्त होता है।

आय-कर कौन चुकाता है? (Who is liable to Pay Income Tax ?)—ऐसे करदाता जिनकी आय गत वर्ष में मुक्त आय की सीमा से अधिक होती है वे अपनी आय के आधिक्य पर निश्चित दरों के आधार पर आय-कर चुकाते हैं। इसके अन्तर्गत आय-कर का भुगतान, व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म, सहकारी समिति, न्यास एवं व्यक्तियों के समूह आदि करदाताओं द्वारा किया जाता है।

आय-कर की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of Income Tax)

आय-कर की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **प्रत्यक्ष कर** (Direct Tax)—ऐसा कर जिस करदाता पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है। ऐसे कर का दायित्व करदाता किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं कर सकता।
2. **केन्द्रीय कर** (Central Government Tax)—केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर लगाये जाने के कारण इस कर को केन्द्रीय कर भी कहते हैं।
3. **प्रत्येक करदाता द्वारा भुगतान करना** (Payable by each and Every Assessee)—व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा आय-कर का भुगतान किया जाता है। सभी करदाताओं को उन पर लागू दरों व विभिन्न खण्डों के आधार पर आय-कर का भुगतान करना होता है।
4. **कर-मुक्त सीमाएँ** (Limits of Exemption)—सभी करदाताओं के लिए आय-कर अधिनियम द्वारा उनकी कर-मुक्त सीमा का उल्लेख रहता है। जैसे—कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए 60 वर्ष से कम आयु की महिला एवं पुरुष तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए कर-मुक्त सीमा ₹ 2,50,000 है। 60 वर्ष या इससे अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम वरिष्ठ नागरिकों (महिला एवं पुरुष) के लिए यह सीमा ₹ 3,00,000 तथा 80 वर्ष या इससे अधिक अति वरिष्ठ नागरिकों (महिला एवं पुरुष) के लिए यह सीमा ₹ 5,00,000 है।

5. **गत वर्ष की कर-योग्य आय पर आय-कर लगाना** (Charging Income Tax on Net Taxable Income of Previous Year)—करदाता की गत वर्ष की आय पर आय-कर लगाया जाता है। गत वर्ष वह वित्तीय वर्ष होता है जो कर-निर्धारण वर्ष से पिछले वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर चालू वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो गया हो। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए गत वर्ष की अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 है।

6. **विभिन्न खण्डों एवं निश्चित दरों से आय-कर की गणना** (Computation of Tax According to Various Slabs and Rates)—आय-कर की गणना विभिन्न खण्डों के आधार पर निश्चित दरों से वित्तीय वर्ष में अर्जित आय पर की जाती है। ऐसी दरें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित होती रहती हैं।

7. **चालू कर-निर्धारण वर्ष में आय-कर का भुगतान** (Payment of Income Tax in Current Assessment Year)—आय-कर का भुगतान प्रत्येक चालू कर-निर्धारण वर्ष में ही किया जाता है जैसे—31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के आय-कर का भुगतान कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत किया जायेगा।

8. **आय को विभिन्न खण्डों में बाँटना** (Grouping of Income in Various Slabs)—आय-कर लगाते समय आय को विभिन्न खण्डों में बाँट दिया जाता है तथा उसके बाद उस आय पर कर लगाया जाता है।

9. **आय-कर की दरें (कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए)** [Rates of Income Tax (For the Assessment Year 2019-20)]—

I. आय-कर की सामान्य दरें (Normal Rates of Income Tax)

1. **व्यक्ति (Individual)**

(i) **प्रत्येक निवासी पुरुष एवं महिला करदाता (जिसकी आयु वित्तीय वर्ष के दौरान 60 वर्ष से कम है) अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार अथवा व्यक्तियों के समूह/व्यक्तियों की संस्था (सहकारी समिति को छोड़कर) के लिए** [For Resident male and female assessee below 60 years of age at any time during the financial year or Hindu Undivided Family or Association of Persons or Body of Individuals (except Co-operative Society)]।

आय के खण्ड	कर की दरें
₹ 2,50,000 तक	शून्य
₹ 2,50,001 से ₹ 5,00,000 तक	5%
₹ 5,00,001 से ₹ 10,00,000 तक	20%
₹ 10,00,000 से अधिक	30%

(ii) **वरिष्ठ नागरिकों (वित्तीय वर्ष के दौरान 60 वर्ष या इससे अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम आयु के पुरुष तथा महिला दोनों के लिए)** (For Senior Citizens Male and Female both above 60 years or more but less than 80 years of age at any time during the financial year)

आय के खण्ड	कर की दरें
₹ 3,00,000 तक	शून्य
₹ 3,00,001 से ₹ 5,00,000 तक	5%
₹ 5,00,001 से ₹ 10,00,000 तक	20%
₹ 10,00,000 से अधिक	30%

(iii) **अति वरिष्ठ नागरिकों (वित्तीय वर्ष के दौरान 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष तथा महिला दोनों के लिए)** [For Super Senior Citizens (Male and Female both of 80 years or more of age at any time during the financial year)]

आय के खण्ड	कर की दरें
₹ 5,00,000 तक	शून्य
₹ 5,00,001 से ₹ 10,00,000 तक	20%
₹ 10,00,000 से अधिक	30%

नोट—(i) आय ₹ 50 लाख से अधिक किन्तु ₹ 1 करोड़ से कम होने पर 10% की दर से अधिभार (सरचार्ज) लगाया जायेगा।
(ii) आय ₹ 1 करोड़ से अधिक होने पर अधिभार (सरचार्ज) 15% लगेगा।
(iii) करदाता द्वारा देय आय-कर की रकम पर 2% की दर से शिक्षा उपकर, 1% की दर से माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर तथा 1% स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा (अर्थात् 4%)।

2. **प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में (In case of every Co-operative Society)**

₹ 10,000 तक आय पर	आय का 10%
₹ 10,000 से अधिक तथा ₹ 20,000 तक	₹ 1,000 + 10,000 से अधिक की आय पर 20%
₹ 20,000 से अधिक	₹ 3,000 + 20,000 से अधिक की आय पर 30%

नोट—(i) आय ₹ 1 करोड़ से अधिक होने पर अधिभार (सरचार्ज) 12% लगेगा।
(ii) करदाता द्वारा देय आय-कर की रकम पर 2% की दर से शिक्षा उपकर, 1% की दर से माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर तथा 1% स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा (अर्थात् 4%)।
(iii) सहकारी समिति द्वारा चुकाया गया कर, समायोजित कुल आय के 18.5% से कम नहीं होगा। (धारा 115JC)

3. **किसी फर्म (सीमित दायित्व साझेदारी सहित) के मामले में (In case of any firm (including limited liability partnership)**

किसी फर्म (समिति दायित्व साझेदारी सहित)	30%

नोट—(i) आय ₹ 1 करोड़ से अधिक होने पर अधिभार (सरचार्ज) 12% लगेगा।
(ii) करदाता द्वारा देय आय-कर की रकम पर 2% की दर से शिक्षा उपकर, 1% की दर से माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर तथा 1% स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा (अर्थात् 4%)।
(iii) फर्म द्वारा चुकाया गया कर, समायोजित कुल आय के 18.5% से कम नहीं होगा। (धारा 115JC)

4. **प्रत्येक स्थानीय निकाय के मामले में (In case of every local authority)**

स्थानीय निकाय	30%

नोट—(i) आय ₹ 1 करोड़ से अधिक होने पर अधिभार (सरचार्ज) 12% लगेगा।
(ii) करदाता द्वारा देय आय-कर की रकम पर 2% की दर से शिक्षा उपकर, 1% की दर से माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर तथा 1% स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा (अर्थात् 4%)।
(iii) स्थानीय निकाय द्वारा चुकाया गया कर, समायोजित कुल आय के 18.5% से कम नहीं होगा। (धारा 115JC)

5. **एक कम्पनी के मामले में (In case of a Company)**

कम्पनी	कर की दरें	अधिभार (सरचाजे) की दरें	
भारतीय (घरेलू) कम्पनी	25% या 30%*	(i) यदि आय ₹ 1 करोड़ से अधिक नहीं है।	0%
		(ii) यदि आय ₹ 1 करोड़ से अधिक है किन्तु ₹ 10 करोड़ से कम है।	7%
		(iii) यदि आय ₹ 10 करोड़ से अधिक हो	12%

* सकल प्राप्ति या आवर्त ₹ 250 करोड़ तक 25% लगेगा।
सकल प्राप्ति या आवर्त ₹ 250 करोड़ से अधिक पर 30% लगेगा।

विदेशी कम्पनी :		(i) यदि आय ₹ 1 करोड़ से अधिक नहीं है।	0%
1.(A) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात, किन्तु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय संस्था के साथ किए गए किसी करार/समझौता के अनुसार/अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय संस्था से प्राप्त स्वामित्व; या	50%	(ii) यदि आय ₹ 1 करोड़ से अधिक है किन्तु ₹ 10 करोड़ से कम है	2%
		(iii) यदि आय ₹ 10 करोड़ से अधिक हो	5%
(B) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय संस्था के साथ किए गए किसी करार/समझौता के अनुसार/अनुसरण में तकनीकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए उस सरकार या किसी भारतीय संस्था से प्राप्त फीस और जहाँ, ऐसा करार/समझौता दोनों में से प्रत्येक दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।	50%		
2. कुल आय के अतिशेष पर यदि कोई हो	40%		

नोट—(i) यदि घरेलू कम्पनी की कुल बिक्री या सकल प्राप्ति गत वर्ष 2016-17 में ₹ 250 करोड़ से अधिक नहीं है, तो कर की दर 25% होगी।
(ii) शिक्षा उपकर (EC) 2%, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर (SHEC) 1% तथा स्वास्थ्य उपकर 1% सभी पर लगाया जाएगा। (अर्थात् 4%)।

II. आयकर की विशिष्ट दरें (Specific Rates of Income Tax)

निम्नलिखित विशिष्ट आयों पर निर्धारित दर से आयकर की गणना की जाती है—

विशिष्ट आय	कर की दरें
1. धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभ पर—	15%
2. धारा 112 में वर्णित दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर—	20%
3. धारा 115 BB में वर्णित लॉटरी, घुड़दौड़, वर्ग पहेली आदि पर	30%

वित्त अधिनियम (Finance Act)—**प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह** में संसद में एक विधेयक (Bill) प्रस्तुत किया जाता है जिसे वित्त विधेयक (Finance Bill) कहते हैं। वित्त विधेयक को जब संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, तब यह वित्त अधिनियम बन जाता है। इसी अधिनियम के आधार पर आय-कर अधिनियम में संशोधन किये जाते हैं।

आय-कर विभाग (Income Tax Department)—एक करदाता की कर-योग्य आय तथा उस पर कर की गणना तथा कर वसूल करना एक अलग विभाग का कार्य है जिसे आय-कर विभाग कहते हैं। यह विभाग प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) के प्रशासन एवं नियन्त्रण में कार्य करता है **जो कि केन्द्रीय सरकार के वित्त मन्त्रालय के अधीन है।**

सरकारी अधिसूचनाएँ (Government Notifications)—आयकर अधिनियम में सरकार को समय-समय पर अधिसूचनाएँ जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी सूचनाएँ वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी की जाती हैं।

आय-कर लगाने के उद्देश्य (Objectives of Charging Income Tax)

1. **सरकार की आय का स्थाई साधन होना** (Permanent Source of Income for the Government)—सरकार को विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यों में कानून व्यवस्था, अन्य देशों से देश की सुरक्षा, जनहित कार्य आदि शामिल हैं। इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सरकार आय-कर लगाती है तथा वसूल करती है। ऐसे आय-कर से सरकार को एक बहुत बड़ा भाग राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।

2. **पूँजी का निर्माण होना** (Formation of Capital)—आय-कर अधिनियम में दी गई धारा 80 की कटौतियों का लाभ प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति अपनी बचतों का निवेश करते हैं तो इससे पूँजी निर्माण में वृद्धि होती है, ऐसे धन को सरकार महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग कर लेती है।
3. **बचतों एवं विनियोगों को प्रोत्साहन देना** (Encourage Savings and Investments)—सरकार जनता को बचत एवं विनियोग में प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से आय-कर अधिनियम में कटौतियों का प्रावधान करती है।
4. **विषमताओं को दूर करना** (Removing Disparities)—सरकार देश की जनता में व्याप्त आर्थिक विषमताएँ दूर करने के उद्देश्य से भी आय-कर लगाती है, जिससे कि अमीरी तथा गरीबी के बीच की खाई को पाटा जा सके। इसके लिए सरकार ने आय-कर के लिए खण्ड प्रणाली (Slab System) को लागू किया है।

भारत में आय-कर का इतिहास
(HISTORY OF INCOME TAX IN INDIA)

हम भारत में आय-कर के इतिहास को संक्षेप में निम्नलिखित भागों में बाँटकर सरलता से समझ सकते हैं—

- आय-कर का प्रारम्भ, 1860
- आय-कर अधिनियम, 1886
- आय-कर अधिनियम, 1918
- आय-कर अधिनियम, 1922
- आय-कर अधिनियम, 1961

◆ **आय-कर का प्रारम्भ, 1860** (Origin of Income Tax, 1860)—भारत में सन् 1860 में सर जेम्स विल्सन (Sir James Wilson) ने आय-कर लगाया। 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम की क्रान्ति के कारण अँग्रेजी सरकार को भारी हानि उठानी पड़ी, जिससे गम्भीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया और इसे पूरा करने के लिए दण्डात्मक रूप में यह कर लगाया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत, वेतन एवं पेंशन, प्रतिभूतियों से आय, भूमि (जिसमें कृषि आय भी शामिल थी) सम्पत्ति से आय तथा व्यापार एवं पेशे की आय पर कर लगाया जाता था।

◆ **आय-कर अधिनियम, 1886** (Income Tax Act, 1886)—आय-कर अधिनियम, 1886 आय-कर अधिनियम, 1860 पर आधारित था। इस अधिनियम में 1863, 1867, 1871, 1873, एवं 1878 में विभिन्न प्रकार के संशोधन किये गये। 1886 के अधिनियम में कृषि आय को कर-मुक्त घोषित कर दिया गया।

◆ **आय-कर अधिनियम, 1918** (Income Tax Act, 1918)—सन् 1918 में एक नया आय-कर अधिनियम पारित किया गया जिसमें आय-कर को स्थायित्व दिया गया तथा आय-कर की दरें ऊँची कर दी गईं।

◆ **आय-कर अधिनियम, 1922** (Income Tax Act, 1922)—सन् 1919 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ जिसमें आय-कर को केन्द्र सरकार का विषय बना दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—

1. 1924 में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की स्थापना।
2. आय-कर के साथ अधिभार लगाने की व्यवस्था।
3. कर की दरों के लिए वित्त अधिनियम में प्रावधान।
4. गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष में कर-निर्धारण के सिद्धान्त का प्रतिपादन।

आय-कर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961)—यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम 298 धाराओं, अनेक उप-धाराओं एवं 14 अनुसूचियों में विभाजित था। इस अधिनियम के लिए आय-कर नियमावली, 1962 बनाई गई। इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन सन् 1987 में किया गया। इस संशोधन के अनुसार करदाताओं को पृथक्-पृथक् गत वर्ष रखने के स्थान पर एक ही गत वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखना अनिवार्य कर दिया गया।

आय-कर को भली-भाँति समझने के लिए नियमों एवं उपनियमों का अध्ययन आवश्यक है।

1. आय-कर अधिनियम, 1961
2. आय-कर नियमावली, 1962
3. वार्षिक वित्त अधिनियम

4. राजकीय सूचनाएँ
5. केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों के बोर्ड के परिपत्र
6. उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के निर्णय

अधिनियम का अधिकार क्षेत्र
(JURISDICTION AREA OF THE ACT)

आय-कर अधिनियम, 1961 सम्पूर्ण भारतवर्ष में (जम्मू और कश्मीर राज्य सहित) लागू है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1990 से सिक्किम में भी लागू हो गया।

आय-कर की गणना की विधि
(METHOD OF COMPUTATION OF INCOME TAX)

आय-कर किसी करदाता की गत वर्ष की कर-योग्य आय पर लगाया जाता है। करदाता की कर-योग्य आय में निम्नलिखित पाँच शीर्षकों की आय को शामिल किया जाता है–

1. वेतन से आय (Income from Salary)
2. मकान सम्पत्ति से आय (Income from House Property)
3. व्यवसाय या पेशे से आय (Income from Business or Profession)
4. पूँजी लाभ से आय (Income from Capital Gains)
5. अन्य साधनों से आय (Income from Other Sources)

आय तथा आयकर की गणना (कर-निर्धारण वर्ष 2019-20) (Calculation of Income and Income Tax) (Assessment Year 2019-20)

सकल कुल आय की गणना (Computation of Gross Total Income) [धारा 80 B (5)]

आयकर की गणना करने के लिए सर्वप्रथम करदाता की सकल कुल आय ज्ञात की जाती है।

आयकर प्रावधानों के अनुसार किसी करदाता की निवासीय स्थिति को ध्यान में रखकर आय के पाँचों शीर्षकों (वेतन से आय, मकान सम्पत्ति से आय, व्यापार एवं पेशे के लाभ, पूँजी लाभ, अन्य साधनों से आय) की आयों का योग करके उसमें से पिछली हानियों का समायोजन करने के पश्चात् जो आय शेष होगी वह सकल कुल आय कहलाती है।

कुल आय या कर-योग्य आय की गणना (Computation of Total Income or Taxable Income)

सकल कुल आय ज्ञात करने के बाद उसमें से धारा 80 की नियमानुसार कटौतियों को घटाने के बाद जो राशि शेष होगी वह कुल आय कहलायेगी।

आयकर ज्ञात करना (Computing the Income Tax)

कुल आय ज्ञात करने के बाद यदि कुल आय ₹ 2,50,000/3,00,000/5,00,000 (जैसी भी स्थिति हो) की न्यूनतम कर-योग्य सीमा से अधिक हो तो उस पर निर्धारित दरों से कर लगाया जाता है। ऐसे कर की राशि सकल आय-कर कहलाती है। सकल आय-कर में शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर की राशियों को जोड़कर शुद्ध देयकर की गणना की जाती है।

यदि करदाता ने अग्रिम में कोई कर चुकाया हो तो ऐसे अग्रिम कर की राशि को शुद्ध देयकर की राशि में से कम कर दिया जाता है।

आय-कर अधिनियम में संशोधन
(AMENDMENTS IN INCOME TAX ACT)

वर्तमान कर निर्धारण वर्ष (2019-20) के लिए वित्त अधिनियम में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन किये गये हैं–

1. आय-कर की कर-मुक्त सीमा (Exemption Limit of Income Tax)—कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए 60 वर्ष से कम आयु के पुरुषों/महिलाओं तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए कर-मुक्त सीमा को ₹ 2,50,000, 60 वर्ष या इससे अधिक परन्तु 80 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹ 3,00,000 तक तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या इससे अधिक) के लिए ₹ 5,00,000 तक रखा गया है।

नोट–(i) ₹ 50 लाख से अधिक किन्तु ₹ 1 करोड़ से कम आय पर 10% अधिभार लगेगा।
(ii) ₹ 1 करोड़ से अधिक आय पर 15% अधिभार लगेगा।

2. एक समान गत-वर्ष (Uniform Previous Year)—गत वर्ष को पहले की भाँति ही समान रखा गया है।

3. राजनैतिक दलों को अंशदान (Contributions to Political Parties)—कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 में राजनैतिक दलों को दिये गये अंशदान के अतिरिक्त धारा 80 GGB तथा 80 GGC के अन्तर्गत 100% कटौती की छूट दी गई है।

> धारा 80 GGB तथा 80 GGC के लिए राजनैतिक दल से आशय ऐसे दल से है जिसका पंजीयन जनता के प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अन्तर्गत किया गया हो।

4. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23D) में संशोधन (Amendment in Section 10(23D) of Income Tax Act, 1961)—सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अन्तर्गत अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का निर्गमन।

5. फ्रिंज लाभ कर को समाप्त करना (Elimination of Fringe Benefit Tax)—धारा 172 के अनुसार फ्रिंज लाभ कर को समाप्त कर दिया गया तथा फ्रिंज लाभ पर कर्मचारियों के हाथों अनुलाभ के रूप में कर लगाया जायेगा।

(कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 से प्रभावी)

6. उच्च शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती (Deduction of Interest on Loan Taken for Higher Education)—धारा 80E के अनुसार इसे संशोधित किया गया है तथा 'सम्बन्धी व्यक्ति' के अर्थ को बढ़ाया गया है। एक व्यक्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धी व्यक्ति का आशय जीवनसाथी तथा बच्चे अथवा छात्र हैं जिनका व्यक्ति कानूनी संरक्षक है।

7. चिकित्सा उपचार के लिए कटौती धारा 80 DD कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए प्रभावी (Deductions for Medical Treatment U/S 80DD Effective for the Assessment year 2019-20)—कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए यह सीमा ₹ 75,000 तथा स्थायी एवं गम्भीर दशा में ₹ 1,25,000 है।

8. धारा 80 U के अन्तर्गत कटौती (Deductions U/S 80 U)—आंशिक असमर्थता के लिए ₹ 75,000 कर दी गयी है तथा गम्भीर दशा के लिए ₹ 1,25,000 कर दी गयी है।

सारांश (Summary)

1. भारत में आय-कर सबसे पहले 1860 में सर जेम्स विल्सन (Sir James Wilson) द्वारा लगाया गया।
2. भारत में आय-कर अधिनियम 1961 में पास हुआ।
3. आय-कर खण्ड प्रणाली के आधार पर लगाया जाता है।
4. पुरुषों/महिलाओं (60 वर्ष से कम) तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए ₹ 2,50,000, वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या इससे अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम) के लिए ₹ 3,00,000 तक तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या अधिक) के लिए ₹ 5,00,000 तक की आय पर आय-कर नहीं चुकाया जाएगा।
5. कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए आय 50 लाख से अधिक किन्तु ₹ 1 करोड़ से कम पर 10% और आय ₹ 1 करोड़ से अधिक होने पर अधिभार (सरचार्ज) 15% लगेगा।

2

प्रमुख परिभाषाएँ

IMPORTANT DEFINITIONS

आय-कर अधिनियम, 1961 तथा आय-कर नियमावली, 1962 के प्रावधानों एवं नियमों को समझने के लिए इनमें दिये गए कुछ विशिष्ट शब्दों की परिभाषा को समझना आवश्यक है। आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 तथा 3 में कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं जो निम्नलिखित हैं–

करदाता
(ASSESSEE) [धारा 2(7)]

करदाता का अभिप्राय, आय-कर अधिनियम की धारा 2(7) के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति से है–

1. जो स्वयं की आय पर कर देने का उत्तरदायी है।

2. जो अन्य राशि (ब्याज, अर्थदण्ड) देने का उत्तरदायी है।

3. जिसकी आय पर आय-कर विभाग ने कर लगाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

4. जिसे करदाता मान लिया हो। 'माना हुआ करदाता' (Deemed Assessee) वह होता है जो कि किसी अन्य व्यक्ति की आय पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी हो, जैसे–मृतक का उत्तराधिकारी, विदेशी, अवयस्क या पागल की आय के सम्बन्ध में उसका प्रतिनिधि।

5. जिसे चूक में करदाता (Assessee in Default) मान लिया गया हो।

6. व्यक्ति जिस पर निम्न में से कोई कार्यवाही चल रही हो–

(i) सुविधाओं या लाभों के कर-निर्धारण की कार्यवाही।

(ii) अन्य व्यक्ति की आय के सम्बन्ध में कार्यवाही।

(iii) हानि निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही।

(iv) कर की वापसी की कार्यवाही।

कर-निर्धारण वर्ष
(ASSESSMENT YEAR) [धारा 2(9)]

कर-निर्धारण वर्ष का आशय 12 महीनों की उस अवधि से है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होती है तथा अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। वर्तमान में कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 है जो 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होकर 31 मार्च, 2020 पर समाप्त होगा। जिसमें गत वर्ष/वित्तीय वर्ष 2018-19 में अर्जित आय पर कर का निर्धारण होगा।

आयकर की औसत दर (Average Rate of Income Tax) [धारा 2(10)]

आयकर की कुल राशि में कुल आय की राशि से भाग लगाकर जो दर आती है उसे आयकर की औसत दर कहते हैं।

$$\text{आयकर की औसत दर} = \frac{\text{आयकर की राशि}}{\text{कुल आय}} \times 100$$

2. श्री सुरेश के कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिये गत वर्ष 12.01.2019 से 31.03.2019 तक होगा (Previous year of Mr. Suresh for the assessment year 2019-20 will be the period from 12.01.2019 to 31.03.2019.)
3. डॉ. एन. के. अग्रवाल के कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिये 01.09.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि गत वर्ष कहलाएगी। (For the assessment year 2019-20 Dr. N. K. Agarwal's previous year will be the period from 1.09.2018 to 31.03.2019.)
4. श्री राजीव कुमार के कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए गत वर्ष की अवधि 10.08.2018 से 31.03.2019 तक होगी। (Previous year of Mr. Rajeev Kumar for the assessment year 2019-20 will be the period from 10.08.2018 to 31.03.2019.)
5. श्री विकास के कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिये गत वर्ष की अवधि 02.03.2019 से 31.03.2019 तक की होगी। (For the assessment year 2019-20 previous year of Mr. Vikas will be the period from 02.03.2019 to 31.03.2019.)

गत वर्ष के अपवाद
(EXCEPTIONS OF THE PREVIOUS YEAR)

1. अनिवासी की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय (Income from Shipping Business of a Non resident)—धारा 172 के अनुसार एक अनिवासी करदाता द्वारा भारतीय बन्दरगाह से समुद्री जहाज द्वारा प्राप्त भाड़े का 7.5% भाग उसकी (जहाज के मालिक की) कर-योग्य आय मानी जाएगी। जिस पर उन्हें आय कमाने वाले वर्ष में ही कर का भुगतान करना होगा।

2. भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय (Income of Persons Leaving India)—धारा 174 के अनुसार यदि आय-कर अधिकारी को यह ज्ञात हो जाए कि व्यक्ति चालू कर-निर्धारण वर्ष में या उसके शीघ्र बाद भारत छोड़कर जाने वाला है और वापस नहीं आएगा तो उस व्यक्ति की आय पर कर उसी वर्ष में लगाया जाएगा जिस वर्ष में वह व्यक्ति आय प्राप्त कर रहा हो।

3. व्यक्तियों के समुदाय (AOP) या व्यक्तियों का समूह (BOI) या कृत्रिम व्यक्ति का बनाया जाना (Formation of Association of Persons (AOP) as Body of Individuals (BOI) or An Artificial Juridical Person)—धारा 174A के अनुसार यदि व्यक्तियों के समुदाय या व्यक्तियों के समूह या कृत्रिम व्यक्ति आदि का निर्माण किया जाता है तथा कार्य या प्रयोजन समाप्त होने पर उसका विघटन कर दिया जाता है तो इनकी आय पर उसी वर्ष में कर चुकाना होता है।

4. व्यापार एवं पेशा बन्द होने पर (Discontinued Business or Profession)—धारा 176 के अनुसार, जिस वर्ष में व्यापार एवं पेशा बन्द किया जाता है उस वर्ष के कर का भुगतान भी उसी वर्ष में तुरन्त करना पड़ता है।

5. कर बचाने के उद्देश्य से सम्पत्तियों का हस्तान्तरण (Transfer of Property for the Purpose of Avoiding Tax)—धारा 175 के अनुसार, कर को बचाने के उद्देश्य से जब कोई व्यक्ति सम्पत्ति का हस्तान्तरण करता है तो चालू वर्ष ही कर-निर्धारण वर्ष होगा।

व्यक्ति
(PERSON)

व्यक्ति शब्द में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है— [धारा 2(31)]

1. एक व्यक्ति (A person) जैसे—सुरेश, गीता, हरिओम, आदि,
2. हिन्दू अविभाजित परिवार (A Hindu Undivided Family),
3. एक कम्पनी (A Company), जैसे—भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ए.सी.सी. कम्पनी, आदि।
4. फर्म (A Firm),

5. व्यक्तियों का समुदाय (Association of Persons), व्यक्तियों का समूह (Body of Individuals) जैसे—सहकारी समिति (Co-operative Society),
6. स्थानीय सत्ता (Local Authority) जैसे—नगरपालिका (Municipality), जिला परिषद्, नगर निगम आदि।
7. कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (Artificial Juridical Person) जैसे—देवी, देवता, विश्वविद्यालय आदि।
8. कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति (Artificial Person Created by Law) जैसे—वैधानिक निगम, सहकारी संस्था, प्राधिकरण आदि।

Example 5.

निम्नलिखित व्यक्तियों की स्थिति निर्धारित कीजिए—
1. मेरठ नगर निगम
2. पंजाब नेशनल बैंक
3. डॉ. बी. आर. ए. विश्वविद्यालय, आगरा
4. एक संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार जिसमें श्री एक्स, उनकी पत्नी तथा पुत्र शामिल हैं।
5. एक साझेदारी फर्म जिसमें एक्स और वाई साझेदार हैं।

Determine the status of the following persons :
1. Meerut Nagar Nigam
2. Punjab National Bank
3. Dr. B.R. Ambedkar University, Agra
4. A Joint Hindu Family consisting of Mr. X, his wife and his son.
5. A partnership concern in which X and Y are partners.

Solution :
1. स्थानीय सत्ता (A Local Authority)
2. एक कम्पनी (A Company)
3. कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (Artificial Juridical Person)
4. हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family)
5. एक फर्म (A Firm)।

सीमान्त लाभ या सुविधाएँ
(FRINGE BENEFITS OR FACILITIES) [धारा 2(23B)]

आय-कर अधिनियम की धारा 2(23B) के अनुसार अन्य लाभ या सुविधाओं से आशय धारा 115WB में वर्णित लाभों या सुविधाओं से है।

धारा 115WB के अन्तर्गत लाभों या सुविधाओं से आशय सेवा कार्य के प्रतिफल के बदले प्रदान किये गये निम्न लाभों या सुविधाओं से है—

1. कोई विशेष लाभ, सुविधा या सेवा जो नियोक्ता ने अपने पूर्व या वर्तमान कर्मचारी को प्रतिपूर्ति के रूप में या किसी अन्य प्रकार से प्रदान की हो।
2. कर्मचारी या उसके परिवार को निजी यात्रा के लिये नियोक्ता द्वारा निःशुल्क अथवा रियायती दर पर टिकट प्रदान करना।
3. कर्मचारी के अनुमोदित सुपर एनुऐशन फण्ड में नियोक्ता द्वारा अंशदान करना।
4. नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को कोई भी विशेष प्रतिभूति या स्वेट अंश रियायती दर पर या लागत रहित आबण्टित करना।

आय
(INCOME)

आय-कर अधिनियम, 1961 में आय शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। केवल इतना स्पष्ट किया गया है कि आ… के अन्तर्गत कौन-कौन सी प्राप्तियों को सम्मिलित किया जायेगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 2(24) के अनुसार आय शब्द में निम्नलिखित को शामिल किया गया है—

1. लाभ की राशि
2. लाभांश (कर-निर्धारण वर्ष 2004-05 से घरेलू कम्पनी का लाभांश कर-मुक्त है)
3. किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा स्वेच्छा पूर्वक प्राप्त किये गये चन्दे जिन्हें पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया ग… है अथवा ऐसे कोष, संस्था धार्मिक या पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए जिन्हें सरकारी बजट में प्रकाशित कर दिया ग… हो, अथवा ऐसे चन्दे किसी अस्पताल अथवा शैक्षणिक संस्था अथवा खेलकूद संघ अथवा वैज्ञानिक शोध संघ… प्राप्त हुए हों।
4. ऐसे अनुलाभ जो वेतन शीर्षक में कर-योग्य हों।
5. भारतीय इकाई प्रन्यास (U.T.I.) की इकाइयों से प्राप्त आय (कर-निर्धारण वर्ष 2004-05 से करमुक्त है)
6. किसी पारस्परिक (म्युच्युएल) फण्ड की इकाइयों से प्राप्त आय (कर-निर्धारण वर्ष 2004-05 से करमुक्त है)
7. अनुलाभों के अलावा कर्मचारी को प्राप्त होने वाला विशेष भत्ता
8. विपणन संघ की आय।
9. करदाता को प्राप्त होने वाला ऐसा भत्ता जो व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए दिया गया हो, जैसे—नगर क्षतिपूर्ति भत्ता (City Compensatory Allowance)।
10. कम्पनी के संचालकों को प्राप्त अनुलाभ।
11. अनुलाभ या प्राप्त लाभ जो प्रतिनिधि करदाता को प्राप्त हुआ हो।
12. सड़क पर पड़ा हुआ धन मिलना।
13. सीमा शुल्क की वापसी।
14. पूँजी लाभ।
15. व्यवसाय एवं पेशे को संचालित करने से प्राप्त लाभ।
16. पिछले वर्षों में डूबे हुए ऋण की वापसी।
17. पिछले वर्षों में हुई हानि के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति की रकम।
18. कर-योग्य सन्तुलित चार्ज।
19. साझेदार को प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन आदि।
20. पारस्परिक बीमा कम्पनी के लाभ।
21. आकस्मिक आय जैसे—लॉटरी आदि।
22. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित किसी कोष में, या श्रम-कल्याण के लिए स्थापि… किसी कोष में, या प्रोविडेन्ट फण्ड या सुपर एनुएशन फण्ड में अंशदान के लिए कर्मचारियों से प्राप्त राशि।
23. रिश्तेदारों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के प्राप्त ₹ 50,000 से अधिक राशि (चल या अचल सम्पत्ति)।
24. मुख्य व्यक्ति बीमा पॉलिसी (Keyman Insurance Policy) के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि जिसमें बोनस भी शामिल है।
25. सहकारी समिति को अपने सदस्यों से उत्पन्न लाभ (कर-निर्धारण वर्ष 2007-2008 से प्रभावी)।
26. धारा 10 (23C) के अन्तर्गत संस्थाओं को प्राप्त चन्दे।
27. धारा 12 AA के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट या संस्था से प्राप्त राशि।

आय की विशेषताएँ
(FEATURES OF INCOME)

आय शब्द को समझने के लिए उसकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है। ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. आय का मौद्रिक एवं अमौद्रिक होना (Monetary or Non-monetary forms of Income)—आय दो रूपों में प्राप्त होती है मौद्रिक तथा अमौद्रिक। मौद्रिक आय वह है जो नकद रूप में प्राप्त होती है तथा अमौद्रिक आय वह होती है जो वस्तु अथवा सुविधा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे—कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त होने वाला नकद वेतन मौद्रिक आय है साथ ही नियोक्ता की ओर से प्रदत्त मकान, वाहन एवं भोजन की सुविधाएँ आदि अमौद्रिक आय हैं।

2. आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए (Income should be received from Outside)—यदि आय बाहर से प्राप्त नहीं होती है तो उसे आय नहीं कहेंगे, जैसे किसी समिति के सदस्य आपस में धन एकत्रित करके समिति चलाते हैं। ऐसी समिति के पास व्यय घटाने के बाद यदि कोई राशि शेष रहती है तो वह आय नहीं कही जायेगी। क्योंकि समिति का उद्देश्य सेवा-भाव का है न कि व्यापारिक।

3. वैधानिक और अवैधानिक आय (Legal or Illegal Income)—आय वैधानिक तथा अवैधानिक दोनों प्रकार की होती है अर्थात् आय-कर अधिनियम कानूनी तथा गैर-कानूनी आयों में कर लगाने के उद्देश्य से अन्तर नहीं करता। इस प्रकार काला बाजारी या तस्करी की आय की प्राप्ति भी आय मानी जाती है।

4. आय का मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक या वार्षिक होना (Income to be Monthly, Quarterly, Half-yearly or Annually)—कुछ आय ऐसी होती हैं जो नियमित रूप से मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक या वार्षिक होती हैं ऐसी आयों को नियमित आय कहते हैं। कुछ आय ऐसी होती हैं जो कभी-कभी प्राप्त होती हैं ऐसी आयों को अनियमित आय कहते हैं।

5. किस्तों में अथवा एक-मुश्त आय प्राप्त होना (Income received in Instalments or in Lump-sum)—कुछ आयें ऐसी होती हैं जो किस्तों में प्राप्त होती हैं तथा कुछ आयें ऐसी होती हैं जो एक-मुश्त प्राप्त होती हैं। दोनों ही प्रकार की आय-कर-योग्य हैं।

6. मुद्रा के अवमूल्यन से लाभ (Gain from devalution of currency)—मुद्रा के अवमूल्यन होने से जो लाभ प्राप्त होता है उसे आय माना जाता है।

7. विवादास्पद सम्पत्ति से प्राप्तकर्ता की आय (Income from any Disputed Property)—यदि कोई सम्पत्ति विवादास्पद है तो इससे होने वाली आय उस व्यक्ति की आय मानी जाती है जो इस आय को प्राप्त कर रहा हो।

8. आय कमाने वाले के अलावा किसी अन्य द्वारा ऐसी आय का प्रयोग (Income used by a person other than the one who has earned)—यदि कोई आय किसी करदाता की है किन्तु वह उसे पूर्णरूप से प्राप्त नहीं होती है और ऐसी आय का अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो उपयोग करने वाले व्यक्ति को ही ऐसी आय पर कर चुकाना पड़ेगा। करदाता को ऐसी आय पर कर चुकाना नहीं होता।

निम्नलिखित को आय में शामिल नहीं किया जाता है—

(i) न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर पति द्वारा पत्नी (तलाक की दशा में) को दिया गया गुजारा भत्ता।
(ii) व्यक्तिगत उपहार को आय नहीं मानते।
(iii) बचत करना आय नहीं माना जाता। (परिवार के सदस्य द्वारा)
(iv) धर्मादा, गौशाला आदि की प्राप्ति, आय नहीं है।
(v) ऋण चुकाने पर दी गई छूट या माफी आय नहीं होती है।
(vi) किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राप्त अग्रिम राशि को तब तक आय नहीं कहा जायेगा जब तक अनुबन्ध पूरा न हो जाए।

सकल कुल आय
(GROSS TOTAL INCOME)

[धारा 80B(5)]

आय विभिन्न साधनों से कमाई जा सकती है। विभिन्न साधनों से प्राप्त आय को पाँच शीर्षकों में रखा जाता है–

1. वेतन से आय (Income from Salaries)
2. मकान सम्पत्ति से आय (Income from House Property)
3. व्यापार अथवा पेशे से आय (Income from Business or Profession)
4. पूँजी लाभ (Capital Gains)
5. अन्य साधनों से आय (Income from Other Sources)

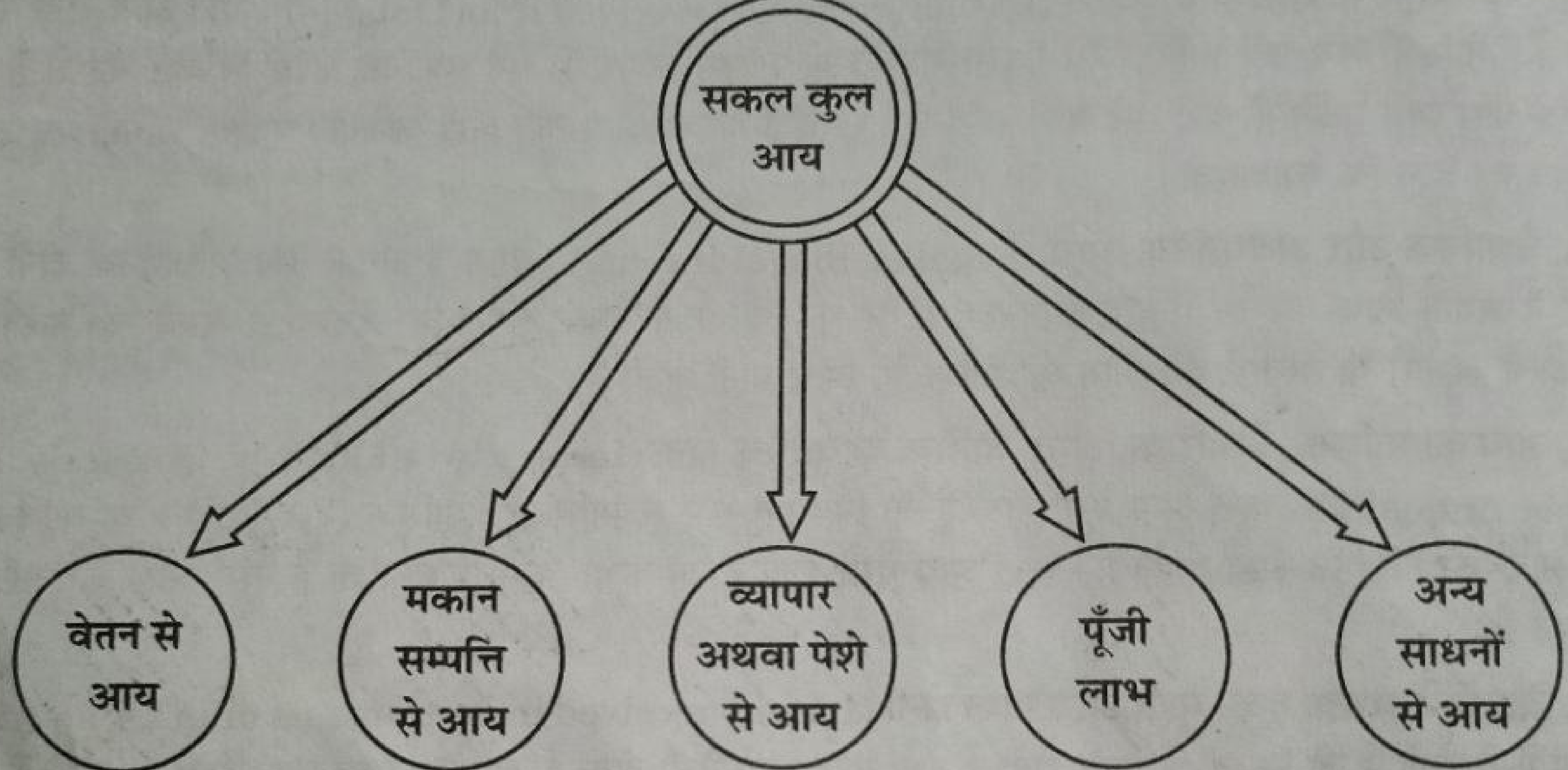

आय-कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शीर्षक की अलग-अलग कर-योग्य आय ज्ञात की जाती है इसके बाद इन आयों को जोड़ दिया जाता है। इनके योग को ही सकल कुल आय (Gross Total Income) कहते हैं।

सकल कुल आय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पाँचों शीर्षकों से आय हो यदि करदाता को केवल एक ही शीर्षक से आय प्राप्त होती है तो उसे भी सकल कुल आय कहा जायेगा।

कुल आय
(TOTAL INCOME)

[धारा 2(45)]

सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ घटाने के पश्चात् जो आय शेष बचती है उसे कुल आय (Total Income) कहते हैं। इसी आय को शुद्ध कर-योग्य आय भी कहा जाता है। आय-कर लगाने के लिये कुल आय को ₹ 10 के गुणांक में पूर्णांकित (Round-off) किया जाता है।

सकल कुल आय एवं कुल आय में अन्तर
(DIFFERENCE BETWEEN GROSS TOTAL INCOME AND TOTAL INCOME)

आधार (*Basis*)	सकल कुल आय (*Gross Total Income*)	कुल आय (*Total Income*)
अर्थ	आय के पाँचों शीर्षकों के योग को ही सकल कुल आय कहते हैं।	सकल कुल आय में से धारा 80 C से 80 तक की कटौतियाँ घटाने के बाद जो शे बचता है उसे कुल आय कहा जाता है।
धारा 80 की कटौतियाँ	यह आय धारा 80 की कटौतियाँ घटाने से पूर्व की आय होती है।	यह आय धारा 80 की कटौतियाँ घटाने बाद की आय होती है।

as it is expected to be received.)

बीमाकर्ता

(INSURER)

[धारा 2(28 BB)]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2(28BB) के अनुसार, बीमाकर्ता से आशय ऐसी भारतीय बीमा कम्पनी से है जसका पंजीकरण बीमा अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत हुआ है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज

(INTEREST ON SECURITIES)

[धारा 2(28 B)]

धारा 2 (28 B) के अनुसार प्रतिभूतियों पर ब्याज से आशय केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर ब्याज अथवा किसी अधिनियम (केन्द्रीय या राज्य सरकार) द्वारा स्थापित किसी कम्पनी अथवा स्थानीय सत्ता के ऋणपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज से है।

सहकारी समिति

(CO-OPERATIVE SOCIETY)

[धारा 2(19)]

1. जिसका पंजीयन सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के अन्तर्गत हुआ हो या
2. किसी राज्य में लागू सहकारी समितियों के पंजीयन के सम्बन्ध में किसी कानून के अन्तर्गत पंजीयन हो।

हिन्दू अविभाजित परिवार

(HINDU UNDIVIDED FAMILY)

[धारा 2(31)]

हिन्दू अविभाजित परिवार का आशय उन सभी व्यक्तियों से है जो एक ही पूर्वज के वंशज हों जिसमें उनकी पत्नियाँ एवं अविवाहित पुत्रियाँ भी शामिल हैं। हिन्दू अविभाजित परिवार को संयुक्त हिन्दू परिवार भी कहते हैं।

कम्पनी से आशय

(MEANING OF COMPANY)

[धारा 2(17)]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(17) के अनुसार—

1. कम्पनी से आशय किसी भी भारतीय कम्पनी से है। या
2. विदेशी कानून के अन्तर्गत समामेलित किसी भी निकाय (Body) से है। या
3. ऐसे किसी भी समुदाय, संस्था या निकाय जिन पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 तक कम्पनी के रूप में कर-निर्धारण हुआ हो। या
4. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की विशेष आज्ञा द्वारा घोषित कोई कम्पनी जो भारतीय या गैर भारतीय हो एवं समामेलित या गैर समामेलित हो।

छूट एवं कटौती में अन्तर
(DIFFERENCES BETWEEN REBATE AND DEDUCTION)

छूट किसी भी दशा में आय से अधिक नहीं हो सकती है जबकि कटौती आय से कम, बराबर या अधिक हो सकती है। यदि कटौती आय से अधिक हो तो आय तथा कटौती के अन्तर को हानि माना जायेगा।

कर नियोजन, कर बचाना तथा कर चोरी
(TAX PLANNING, TAX AVOIDANCE AND TAX EVASION)

कर नियोजन का अर्थ (Meaning of Tax Planning)

कर-नियोजन एक ऐसा प्रबन्ध है जिसके अन्तर्गत करदाता अपनी वित्तीय कार्यवाही को इस प्रकार सुव्यवस्थित करता है जिससे किसी भी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना ही कर-भार को कम करता है। आयकर अधिनियम कुछ विशिष्ट धाराओं को प्रदान करता है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति दर्शाए गए प्रावधानों के अनुसार कानूनी तौर पर कर की राशि में बचत कर सकता है। जब कोई व्यक्ति इन धाराओं, प्रावधानों तथा नियमों का आश्रय लेता है तो इसके परिणामस्वरूप वह अपने कर-दायित्व में कटौती कर सकता है। कर-नियोजन कहलाता है। कर-नियोजन में कर अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कर छूटों, कटौतियों, रियायत, रिबेट तथा अन्य राहतों अथवा फायदों का भरपूर फायदा उठाया जाता है। यह करदाता की विवेकपूर्णता एवं दूरदर्शिता को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप वह कानून की सीमाओं में रहते हुए अपने कर-दायित्व के भार को अधिकतम सीमा तक कटौती कर सकता है।

कर नियोजन की योजनाएँ–

1. कर योग्य आय को परिवार के सदस्यों में बाँट दो।
2. विधि के अनुसार कर से छूटों का लाभ लें।
3. निवेश वहाँ करें जहाँ कर में बचत हो तथा कटौतियों अथवा छूटों का लाभ मिल सके।
4. कर-मुक्त आय को अर्जित करने का प्रयास करें।

कर नियोजन की परिभाषा (Definition of Tax Planning)–**प्रो. डाल्टन** के अनुसार, "कर नियोजन सरकार की नीतियों के अनुरूप ईमानदारी से कार्य करते हुए कर छूटों एवं कर प्रेरणाओं का लाभ उठाते हुए कर के दायित्व को न्यूनतम करने का वैज्ञानिक तरीका है।"

कर नियोजन के आवश्यक तत्व या विशेषताएँ
(ESSENTIAL ELEMENTS OR FEATURES OF TAX PLANNING)

कर नियोजन की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. कर नियोजन वैध है (Tax Planning is Legal)–यदि कर नियोजन कानून का पालन करते हुए किया गया है तो यह पूर्णरूप से वैध होगा। किन्तु यदि कानून का उल्लंघन करके कर नियोजन किया जाता है तो वह वैधानिक नहीं होगा, उसके लिए करदाता को दण्डित किया जा सकता है। कानून का उल्लंघन करके जो कर की बचत की जाती है वह कालाधन कहलाती है।

2. कर नियोजन नैतिक है (Tax Planning is Moral)–यदि कर नियोजन आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किये बिना किया जाता है तो इसे कानून व समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तथा ऐसे कर नियोजन को नैतिक माना जाता है।

3. कर नियोजन से कर भार में कमी (Tax Planning Reduces Tax Liability)–कर नियोजन करने से कर भार में कमी होती है क्योंकि, कर नियोजन कर की बचत करने के लिये ही किया जाता है। इससे करदाता की आय में वृद्धि होती है।

4. कर नियोजन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है (Tax Planning is a Continuous Process)–कर नियोजन एक सतत् प्रक्रिया है। यह प्रत्येक वर्ष चलती रहती है तभी इसका लाभ प्राप्त होता है। करदाता प्रत्येक वर्ष अपनी

कर-योग्य आय पर कर चुकाता है इसलिए प्रत्येक वर्ष ही उसे कर नियोजन करना पड़ता है। अतः कर नियोजन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

5. कर नियोजन से आय में वृद्धि होना (Tax Planning Increases Income)–कर नियोजन से आय में वृद्धि होती है क्योंकि, कोई भी करदाता जब कर की बचत करता है तो वह उसकी आय बन जाती है। इस प्रकार करदाता की आय में वृद्धि हो जाती है।

6. कर नियोजन सरकारी नीतियों के अनुरूप होता है (Tax Planning is in Accordance with the Government Policies)–सरकारी नीतियाँ कर नियोजन को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। अधिनियम में सरकार द्वारा विभिन्न घोषणाएँ समय-समय पर की जाती हैं, जिससे कि, करदाता अपने कर भार में कमी कर सके। इस प्रकार कर नियोजन में सरकारी नीतियों का पालन किया जाता है।

7. कर नियोजन वैज्ञानिक है (Tax Planning is Scientific)–कर नियोजन एक वैज्ञानिक विधि है। कर नियोजन वही करदाता कर सकता है जिसे अधिनियम में दी जाने वाली कटौतियों, छूटों आदि की जानकारी हो। विभिन्न कटौतियों, छूटों के द्वारा करदाता इस प्रकार कर नियोजन करता है जिससे कि उसे इनका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

8. कर नियोजन में आयों, व्ययों तथा विनियोगों का नियोजन किया जाता है (Tax Planning includes Planning of Incomes, Expenditures and Investments)–आयकर अधिनियम में कुछ आयें पूर्णरूप से कर-मुक्त होती हैं कुछ आंशिक रूप से। इसी प्रकार कुछ व्ययों की कटौती प्राप्त होती है, विनियोगों के सम्बन्ध में भी विभिन्न कटौतियाँ हो सकती हैं। इसलिए कर नियोजन में ऐसी आयों, व्ययों तथा विनियोगों का नियोजन किया जाता है जिससे करदाता उनका अधिकतम लाभ-प्राप्त कर सके तथा अपने कर में बचत कर सके।

9. कर नियोजन के स्वरूप (Forms of Tax Planning)–कर नियोजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं जो निम्नलिखित हैं–

(i) बचत करके कर नियोजन करना।
(ii) कर नियोजन निवासीय स्थिति के अनुसार करना।
(iii) आय की अलग-अलग मदों के लिये कर नियोजन करना।
(iv) कुछ योजनाओं में विनियोग करके कर नियोजन करना।
(v) संगठन में परिवर्तन करके कर नियोजन करना।

कर नियोजन के उद्देश्य
(OBJECTIVES OF TAX PLANNING)

कर नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. कर भार को कम करना (Reduce Tax Burden)–कर नियोजन का प्रमुख उद्देश्य करदाता के कर दायित्व में कमी लाना है। कर नियोजन एक बौद्धिक कार्य है। कर नियोजन करके करदाता अपने कर भार में जो कमी करता है उससे उसकी आय में वृद्धि होती है। कर नियोजन एक वैधानिक कार्य है। इसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है।

2. आय में वृद्धि (Increase Income)–कर नियोजन से प्रत्येक करदाता जो अपने द्वारा चुकाये जाने वाले कर की बचत करता है उसी से उसकी आय में वृद्धि होती है। अतः आय में वृद्धि करने के लिए भी कर नियोजन किया जाता है।

3. आर्थिक स्थिरता (Economic Stability)–कर नियोजन का उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता लाना है। कर नियोजन के बाद किसी भी करदाता की निश्चित आय ज्ञात की जा सकती है जिससे कि आर्थिक स्थिरता लाने में सहायता मिलती है।

4. अर्थव्यवस्था का विकास (Growth of Economy)–राष्ट्र के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उस राष्ट्र के निवासी अपनी बचतों को विभिन्न योजनाओं में नियोजित करें, किन्तु, यह तभी सम्भव है जब करदाता को कर में बचत प्राप्त हो। कर नियोजन के द्वारा करदाता अपने कर में बचत करते हैं तथा ऐसी बचतों को विभिन्न योजनाओं में लगाते हैं, जिससे राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है।

5. काले धन में कमी लाना (To Reduce Black Money)—कर नियोजन के द्वारा काले धन में कमी लाई जा सकती है। जो व्यक्ति कर की चोरी करते हैं, वे कर नियोजन अपनाकर अपने धन को काला धन होने से बचा सकते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा कर नियोजन अपनाकर बचाया गया धन वैधानिक तथा मान्यता प्राप्त होगा।

6. अन्य उद्देश्य (Other Objects)—कर नियोजन के अन्य उद्देश्य भी हैं जो निम्नलिखित हैं—

(i) उत्पादक विनियोग

(ii) मुकदमेबाजी को कम करना

(iii) जमाखोरी, रिश्वत आदि में कमी लाना

(iv) राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि

(v) क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना।

कर नियोजन के प्रकार
(TYPES OF TAX PLANNING)

कर नियोजन से जो बचत की जाती है या जो कर में कमी लायी जाती है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के कर नियोजन अपनाये जा सकते हैं जो निम्न प्रकार हैं—

1. अल्पकालीन कर नियोजन (Short-term Tax Planning)—जब करदाता केवल चालू वर्ष के लिये ही कर भार में कमी करना चाहता है तो वह अल्पकालीन कर नियोजन अपनाता है। अल्प आय वर्ग वाले, वेतन पाने वाले आदि करदाता अल्पकालीन कर नियोजन अपनाकर अपने कर भार में कमी लाते हैं।

2. दीर्घकालीन कर नियोजन (Long-term Tax Planning)—जब करदाता यह सोचता है कि अगले वर्षों में भी उसके कर दायित्व में कमी हो तो ऐसा करदाता दीर्घकालीन कर नियोजन अपनाता है। आगामी वर्षों को ध्यान में रखते हुए किया गया कर नियोजन ही दीर्घकालीन कर नियोजन कहलाता है।

3. विनियोग कर नियोजन (Investment Tax Planning)—विनियोग कर नियोजन से आशय विनियोगों से प्राप्त आय, ब्याज, लाभांश आदि पर कर दायित्व को कम करने से है। इसके लिए करदाता ऐसी प्रतिभूतियों में विनियोग करते हैं जो या तो पूर्णरूप से कर-मुक्त हों अथवा उन पर कुछ कटौती प्राप्त हो। ऐसे विनियोजन को ही विनियोग कर नियोजन कहते हैं।

4. सम्पत्ति कर नियोजन (Estate Tax Planning)—ऐसे कर नियोजन को करते समय करदाता को आयकर एवं धनकर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। करदाता अधिक आय देने वाली सम्पत्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करके (जिनकी आय ऐसी सम्पत्ति सहित कर-योग्य न हो) अपने कर दायित्व में कमी कर सकता है।

5. संगठन के सम्बन्ध में कर नियोजन (Tax Planning in Reference of Organisation)—करदाता व्यवसाय के ऐसे स्वरूप का चयन करता है जिससे कि उसे अधिकतम छूटें व कटौतियाँ प्राप्त हो ताकि जिससे उसके कर दायित्व में कमी हो सके। करदाता द्वारा ऐसे स्वरूप का चयन करना ही संगठन कर नियोजन कहलाता है।

कर नियोजन की आवश्यकता
(NEED FOR TAX PLANNING)

सभी करदाता अपने द्वारा चुकाये जाने वाले कर की राशि को कम-से-कम करना चाहते हैं। इसके लिये उन्हें कर नियोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य सोच समझकर करना ही नियोजन कहलाता है। क्योंकि बिना सोच समझकर किये गये कार्य का फल अपेक्षित नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कर चुकाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसा न हो कि उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, छूटों, कटौतियों के बारे में पता चले और उसे पछताना पड़े। कर नियोजन की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में आयकर की दरें अधिक हैं तथा कर के सम्बन्ध में अनेकों कानून हैं। इसलिए करदाता को कर नियोजन की आवश्यकता होती है जिससे वह अपने कर दायित्व को कम कर लेता है।

कर नियोजन का महत्व
(IMPORTANCE OF TAX PLANNING)

कर नियोजन के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है—

1. कर दायित्व कम होना (Reduction in Tax Liability)—कर नियोजन के द्वारा कोई भी करदाता कानून का पालन करते हुए अपने कर दायित्व को कम-से-कम कर सकता है।

2. सरकारी आय में वृद्धि (Increase in Government Income)—कर नियोजन के द्वारा ही सरकारी आय में वृद्धि होती है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष कुछ-न-कुछ नये करदाता कर नियोजन से प्रेरित होकर कर चुकाने लगते हैं। इस प्रकार सरकारी आय में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

3. आर्थिक विकास (Economic Growth)—कर नियोजन से आर्थिक विकास में उन्नति होती है। क्योंकि जो करदाता कर नियोजन करके विभिन्न योजनाओं में विनियोग करते हैं उनसे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है इसलिए कर नियोजन आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।

4. रोजगार के अवसर (Opportunity of Employment)—कर नियोजन एक बौद्धिक कार्य है जिसके लिए परामर्श विशेषज्ञों, वित्त सलाहकारों आदि की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

कर नियोजन का क्षेत्र
(SCOPE OF TAX PLANNING)

कर नियोजन के क्षेत्र को निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है—

1. इकाई के रूप में कर नियोजन का क्षेत्र (Scope of Tax Planning as Unit)—इकाई के रूप में एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय या संघ, कम्पनी आदि शामिल होते हैं। प्रत्येक इकाई को सरकार द्वारा अलग-अलग कर राहतें, कटौतियाँ प्रदान की जाती हैं तथा उपलब्ध छूटों के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार कर दायित्व को कम-से-कम किया जा सकता है।

2. आय के विभिन्न शीर्षकों में कर नियोजन का अर्थ (Scope of Tax Planning as to Various Heads of Income)—आय के पाँच शीर्षक होते हैं जो निम्नलिखित हैं—

(i) वेतन से आय

(ii) मकान सम्पत्ति से आय

(iii) व्यवसाय अथवा पेशे से आय

(iv) पूँजी लाभ

(v) अन्य साधनों से आय

इन सभी के अन्तर्गत कर नियोजन किया जा सकता है। इनके सम्बन्ध में विभिन्न छूटों, कटौतियों का वर्णन पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। करदाता प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कटौतियों एवं छूटों का लाभ उठाकर अपनी आय को न्यूनतम करने का प्रयास करता है जिससे कि उसके कर दायित्व में कमी हो सके।

कर बचाव एवं कर अपवंचन
(TAX AVOIDANCE AND TAX EVASION)

कर बचाव (Tax Avoidance)

जब कोई करदाता कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए कर कानूनों की कमियों एवं कमजोरियों का लाभ उठाकर अपने कर भार में कमी कर लेता है तो उसे कर बचाव कहते हैं। जब सरकार को इन कमियों से होने वाली कर चोरी का पता चलता है तो वह कानून और नियमों में संशोधन करके इसे रोकने का प्रयास करती है।

कर बचाव किसी व्यक्ति के व्यापारिक एवं व्यावसायिक कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करने की विधि है जिससे कि कर दायित्व विभाजित हो जाये। यह विधि न तो अवैधानिक है और न ही प्रतिबन्धित है।

कर बचाव की विशेषताएँ (Features of Tax Avoidance)

कर बचाव की विशेषताएँ या लक्षण निम्नलिखित हैं—

1. कर बचाव में कर कानून सम्बन्धी नियमों एवं प्रावधानों का पालन किया जाता है।
2. इसमें कर कानून की कमियों का लाभ उठाकर कर भार को कम किया जाता है।
3. कर बचाव स्थायी नहीं होता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में कर बचाव अवैधानिक या गैर कानूनी है।
5. कर बचाव व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के हित में नहीं है।

M/s Mc Dowell and Co. Ltd. vs. Commercial Tax Officer (1985) 154 ITR 148 (SC) के मुक… सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धान्तों का खण्डन किया है तथा कर बचाने के दुष्परिणाम निम्न तरीके से व्यक्त किए हैं…

(i) देश के आर्थिक विकास के लिए जो सार्वजनिक आय चाहिए होती है उसकी हानि होती है;

(ii) यह काले धन्धे वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है जिसका परिणाम मुद्रास्फीति (इन्फलेशन) होता है;

(iii) इसके परिणामस्वरूप कई मुकदमे होते हैं जिससे कि बकाया कर, कार्य में निरत कचहरियाँ तथा समय एवं … का नुकसान होता है।

(iv) ये ईमानदार कर भोगियों के साथ अन्याय करता है।

(v) परिणामस्वरूप ये गलत तरीके से कर दायित्व को ईमानदार कर भोगियों पर हस्तान्तरण कर देता है। जिससे … उन्हें उच्च दरों पर कर का भुगतान करना पड़ता है।

कर अपवंचन (Tax Evasion)

जब कोई करदाता कर कानून सम्बन्धी नियमों तथा प्रावधानों का पालन नहीं करता है और अपने कर भार को कम कर ले… है तो इसे कर अपवंचन कहते हैं। यह अवैधानिक है। कर अपवंचन कर की जानबूझकर की गई चोरी है। जो करदाता … अपवंचन के दोषी होते हैं उन्हें आर्थिक दण्ड एवं कारावास की सजा दी जा सकती है। कर अपवंचन को कर वंचना भी कहते हैं।

कर अपवंचन की विशेषताएँ (Features of Tax Evasion)

1. इसमें कर कानून के नियमों एवं प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है।
2. कर अपवंचन अवैधानिक एवं दण्डनीय अपराध है।
3. कर अपवंचन निन्दनीय कार्य है।
4. कर अपवंचन से काली अर्थव्यवस्था का जन्म होता है।
5. कर अपवंचन में वास्तविक तथ्यों को छिपा लिया जाता है।
6. कर अपवंचन में दुर्भावना होती है।
7. कर अपवंचन से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं।
8. कर अपवंचन में झूठी जानकारी दी जाती है।
9. कर अपवंचन में विशेष योग्यता एवं अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है।
10. कर अपवंचन से सरकार व देश को हानि होती है।
11. कर अपवंचन से औद्योगिक विकास कम हो जाता है।
12. कर अपवंचन व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए अहितकर है।
13. कर अपवंचन का उद्देश्य धोखा देना है।

कर चोरी या कर अपवंचन के लिए करदाता द्वारा उठाये जाने वाले कदम (Steps Taken by the Assessee to Avoid Tax or to Evade Tax)

करदाता कर की चोरी करने लिए निम्नलिखित क्रियाएँ करता है—

1. अपनी वास्तविक आय को छिपाना।
2. हिसाब-किताब में बनावटी खर्चे दर्शाना।
3. अपनी वास्तविक बिक्री को छिपाना।
4. काल्पनिक लेन-देनों को दर्शाना।
5. बनावटी हानि को दर्शाना।
6. पूँजी लाभ को न दर्शाना।
7. दान के सम्बन्ध में झूठे तथ्य प्रस्तुत करना।
8. अधिक कटौतियों की माँग करना।

कर अपवंचन को रोकने के सुझाव (Suggestions to Check Tax Evasion)

कर अपवंचन को रोकने हेतु निम्न सुझाव हैं—

1. कर-मुक्त सीमा को महँगाई के अनुसार बढ़ाना।
2. कर-मुक्त सीमा में वृद्धि करना।
3. कर की दरों में कमी करना।
4. कर कानूनों को सरल बनाना।
5. करदाताओं पर विश्वास एवं कर्मचारियों पर नियन्त्रण।
6. करदाताओं द्वारा प्राप्त ब्याज को कर-मुक्त करना।
7. कृषि आय को कर-योग्य बनाना।
8. दण्ड से सम्बन्धित नियमों एवं प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना।
9. शीघ्र निर्णय लेना।
10. कर को चुकाने के लिए किस्तों का प्रावधान बनाना।

कर अपवंचन के परिणाम (Consequences of Tax Evasion)

कर अपवंचन के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं—

1. काले धन में वृद्धि होना।
2. राजस्व में कमी होना।
3. अनैतिकता में वृद्धि होना।
4. राष्ट्रीय विकास में रुकावट।
5. कर चोरी को प्रोत्साहन मिलना।
6. औद्योगिक विकास कम होना।
7. रोजगार के अवसरों में कमी होना।

कर बचाव एवं कर अपवंचन में अन्तर

(Difference Between Tax Avoidance and Tax Evasion)

	कर बचाव	कर अपवंचन
1.	कर बचाव वैधानिक है।	कर अपवंचन अवैधानिक है।
2.	कर बचाव दण्डनीय नहीं है।	कर अपवंचन दण्डनीय है।
3.	इसमें कर कानून की जानकारी एवं योग्यता की आवश्यकता होती है।	इसमें कर बचाने के लिये योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है।
4.	कर बचाव अनैतिक कार्य है।	कर अपवंचन निन्दनीय कार्य है।
5.	कर बचाव कर कानून के नियमों का पालन करके किया जाता है।	कर अपवंचन कर कानून के नियमों का उल्लंघन करके किया जाता है।
6.	कर बचाव में करदाता की सम्पत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता है।	कर अपवंचन में करदाता की सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है।

कर नियोजन एवं कर बचाव में अन्तर

(Difference Between Tax Planning and Tax Avoidance)

	कर नियोजन	कर बचाव
1.	कर नियोजन नैतिक है।	कर बचाव अनैतिक है।
2.	यह व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिये हितकर है।	यह व्यक्ति, समाज एव राष्ट्र के लिये अहितकर है।
3.	यह आर्थिक विकास में सहायता करता है।	यह काली अर्थव्यवस्था को जन्म देता है।
4.	यह वास्तविक तथ्यों पर आधारित है।	यह काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है।
5.	इसमें छूटों, कटौतियों का लाभ लिया जाता है।	इसमें कर कानून की कमियों का लाभ लिया जाता है।

कर नियोजन एवं कर अपवंचन में अन्तर

(Difference Between Tax Planning and Tax Evasion)

	कर नियोजन	कर अपवंचन
1.	इसमें कर कानून के नियमों का पालन किया जाता है।	इसमें कर कानून के नियमों का उल्लंघन किया जाता है
2.	यह नैतिक कार्य है।	यह अनैतिक कार्य है।
3.	यह वैधानिक है।	यह दण्डनीय अपराध है।
4.	इसमें छूटों व कटौतियों का लाभ उठाया जाता है।	इसका उद्देश्य धोखा देना होता है।
5.	इसमें बौद्धिक आवश्यकता होती है।	इसमें विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है।

3

कृषि आय

AGRICULTURAL INCOM

आय-कर अधिनियम की धारा 10 (1) के अनुसार, कृषि आय को आय-कर से मुक्त रखा गया है। वित्त अधि 1973 (कर-निर्धारण वर्ष 1974-75) के अनुसार, एक व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा देय आय-कर की करते समय कुल आय में शुद्ध कृषि आय को शामिल करके एक विशेष तरीके से आय-कर की गणना की जाती है। वि वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

कृषि आय क्या है [धारा 2 (1

(WHAT IS AGRICULTURAL INCOME)

आय-कर अधिनियम की धारा 2 (1A) के अनुसार कृषि आय से आशय है–

1. भारत में स्थित एवं कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान।

2. ऐसी भूमि से प्राप्त आय जो कृषि करने से हो या प्राप्त उपज को बाजार में विक्रय योग्य बनाने के लिए हो या का किराया प्राप्त करने वाले को उसके द्वारा प्राप्त उपज को विक्रय करने से हो।

3. ऐसी भूमि से प्राप्त किराया एवं कृषि भवन से प्राप्त आय जो उसके अधिकार एवं स्वामित्व में हो किन्तु निम्नलि शर्तें पूरी करता हो–

(i) भूमि पर उपजकर्ता का अधिकार हो।

(ii) ऐसा भवन कृषि भूमि पर या उसके बिल्कुल निकट स्थित होना चाहिए।

(iii) ऐसी भूमि पर भारत में लगान लगता हो अथवा कोई अन्य कर लगता हो जिसे सरकारी अधिकारियों द्वारा ल एवं वसूल किया जाता हो। यदि कर नहीं लगता तो ऐसी भूमि शहरी सीमा के बाहर होनी चाहिए **अर्थात् ऐसी भूमि 10,0 से कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हो तथा ऐसी भूमि स्थानीय सीमाओं से 8 किलोमीटर से दूर के क्षेत्र में स्थित है**

निम्न दशाओं में कृषि भूमि पूंजी सम्पत्ति मानी जायेगी–

A. यदि कृषि भूमि 10,000 से अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थित हो या नगर पालिका अथवा कैंटोनमेण्ट सीमा से 8 किमी. दायरे के अन्दर स्थित हो।

B. यदि कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से (Aerially) नापी जाती है तो नगरपालिका या कैण्टोनमेण्ट बोर्ड की सी 2 किमी. दायरे के अन्दर स्थित हो तथा वहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो किन्तु 1 लाख से अधिक न हो।

C. यदि कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से नापी जाती है तो नगरपालिका या कैण्टोनमैण्ट बोर्ड की सीमा से 6 किमी दायरे के अन्दर स्थित हो तथा वहाँ भी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो किन्तु 10 लाख से अधिक नहीं हो।

D. यदि कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से नापी जाती है तो नगर पालिका या कैण्टोनमैण्ट बोर्ड की सीमा से 8 कि दायरे के अन्दर स्थित हो तथा वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो।

व्याख्या–

1. नगरपालिका की सीमाओं के अन्दर भूमि के हस्तान्तरण पर होने वाला पूँजी लाभ कृषि आय नहीं होगा।
2. किसी नर्सरी से उत्पन्न हुई आय कृषि आय मानी जाती है।
3. ऐसे कृषि भवन जो कृषि भूमि से किराया प्राप्त करने वाले के स्वामित्व में हो उन्हें कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लेने पर उनकी आय कृषि आय नहीं होगी।

कृषि आय की विशेषताएँ (Features of Agricultural Income)

1. कृषि आय कृषि भूमि से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होनी चाहिए। कृषि भूमि से अप्रत्यक्ष रूप में उत्पन्न आय कृषि आय नहीं मानी जाती। उदाहरण के लिये कृषि फार्म के प्रबन्धक का वेतन या पारिश्रमिक, कृषि भूमि के साधारण बन्धक पर प्राप्त ब्याज की आय कृषि कार्य में संलग्न कम्पनी के अंशों पर प्राप्त लाभांश आदि।

2. कृषि आय भारत में स्थापित कृषि भूमि से प्राप्त होनी चाहिए। विदेश में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त आय कृषि आय नहीं मानी जायेगी। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त आय।

3. कृषि भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता हो जैसे– भूमि को जोतना, उसमें बीज बोना, खाद डालना, पानी देना आदि। और इन सब कार्यों का उद्देश्य भूमि पर खाद्यान्न और अन्य फसलें उगाना हो। ऐसा होने पर उस भूमि की आय कृषि आय मानी जायेगी।

4. भूमि से आय प्राप्तकर्ता का भूमि में व्यक्तिगत हित होना चाहिए अन्यथा भूमि से प्राप्त आय कृषि आय नहीं मानी जायेगी। भूमि का मालिक या उसका किरायेदार भूमि में व्यक्तिगत हित रखता है। एक व्यक्ति जो खड़ी फसल को खरीदता है और उसे बेचकर लाभ अर्जित करता है, भूमि में व्यक्तिगत हित नहीं रखता अतः ऐसे व्यक्ति द्वारा कमाया गया लाभ कृषि आय नहीं माना जायेगा।

1. **आय प्रत्यक्ष रूप से कृषि भूमि से सम्बन्धित हो।**
2. **कृषि भूमि भारत में स्थित हो।**
3. **कृषि भूमि कृषि कार्यों में प्रयोग हुई हो।**
4. **आय प्राप्तकर्ता का भूमि में व्यक्तिगत हित हो।**

कृषि आय के प्रकार

(KINDS OF AGRICULTURAL INCOME)

आयकर अधिनियम की धारा 2(1A) के अनुसार कृषि आय के निम्न प्रकार हैं–

1. **भूमि से प्राप्त किराया अथवा प्राप्ति** (Rent and Revenue Derived from Land)—कोई भी किराया या प्राप्ति जो कृषि भूमि से उत्पन्न हुई हो वो कृषि भूमि कही जाती है। किराये से आशय कृषि भूमि के मालिक द्वारा कृषि भूमि के उपयोगकर्ता से मुद्रा के रूप में प्राप्त आय से है। अन्य प्राप्ति या आगम का आशय भूमि के मालिक की प्राप्त अन्य आय और प्राप्ति से है जैसे–कृषि उपज में प्राप्त हिस्सा।

2. **कृषि क्रिया करने से आय** (Income from Agricultural Activities)—कोई भी आय जो कृषि क्रिया करने से उत्पन्न हुई हो, कृषि आय समझी जाती है। कृषि क्रियायें जैसे–कृषि भूमि को जोतना, उस पर बीज बोना, उस पर पानी देना, उस पर खाद्य देना एवं अन्य इसी प्रकार की क्रियायें हैं। ऐसी उपज जो ऐसी क्रियाओं के कारण उत्पन्न नहीं हुई हो वरन् स्वतः ही उत्पन्न हुई हो उन्हें बेचने से प्राप्त आय कृषि आय नहीं मानी जाती। जैसे– जंगली घास बेचने से आय, जंगली बाँस बेचने से आय आदि।

3. **कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने से आय** (Income from Making Produce Marketable)—यदि कृषि उपजकर्ता या कृषि भूमि में व्यक्तिगत हित रखने वाला कोई व्यक्ति कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिये कोई क्रिया करता है तो ऐसी क्रिया से उत्पन्न आय कृषि आय समझी जाती है। ये क्रियायें मुख्य रूप से कपास, चाय, तम्बाकू, कॉफी, धान, चना, गेहूँ, दाल आदि की उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिये की जाती हैं। उदाहरण के लिये कपास को ओटकर रुई बनाना, तम्बाकू को सुखाना आदि।

4. **कृषि उपज को बेचने से आय** (Income from Sale of Agricultural Produce)—कृषि उपजकर्ता द्वारा या कृषि भूमि में व्यक्तिगत हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा कृषि उपज को बेचने से उत्पन्न आय कृषि आय मानी जाती है।

5. विदेशी कम्पनियों की ओर से कर का भुगतान (Tax Paid by Government or an Indian Conc on behalf of Foreign Company)— [धारा 10 (6

विदेशी कम्पनियों अथवा संस्थाओं की ओर से भारतीय कम्पनी द्वारा किये गये कर का भुगतान कर-मुक्त होता है कर अनिवासी या विदेशी कम्पनी की आय नहीं माना जा सकता।

6. भारत में सुरक्षा से सम्बन्धित तकनीकी सेवाओं के प्रतिफल में विदेशी कम्पनियों को प्राप्त आय (Income Foreign Companies as a consideration for Providing Defence Related Techni Services)— [धारा 10 (6

ऐसी कम्पनियों को प्राप्त होने वाली आय तभी कर-मुक्त होती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों—

(i) ऐसी सेवाएँ भारत में या भारत के बाहर किसी उपक्रम के सम्बन्ध में हों।

(ii) ऐसी सेवाएँ सरकारी समझौते के अन्तर्गत हों।

(iii) ऐसे उपक्रम सुरक्षा के लिये संचालित हो।

7. भारत के बाहर दिये गये भत्ते (Allowances paid outside India)— [धारा 10 (

भारत के बाहर दिये जाने वाले भत्ते एवं अनुलाभ तभी कर-मुक्त होंगे जब निम्न शर्तें पूरी हो—

(i) भत्ते या अनुलाभ भारत सरकार द्वारा दिये गये हों।

(ii) प्राप्तकर्ता भारतीय नागरिक हो।

(iii) सेवाएँ भारत के बाहर दी गई हों।

8. विदेशी सरकार से प्राप्त पारिश्रमिक (Remuneration Received from a Forei Government)— [धारा 10 (

ऐसी राशि तभी कर-मुक्त होगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों—

(i) कोई व्यक्ति भारत में सरकारी समझौते के अन्तर्गत कार्यरत हो।

(ii) पारिश्रमिक विदेशी सरकार द्वारा दिया जा रहा हो।

9. सलाहकार या परामर्शदाता की आय (Income of an Advisor or Consultant)—[धारा 10 (8

निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर सलाहकार या परामर्शदाता की आय कर-मुक्त होगी—

(i) नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा हो।

(ii) नियुक्ति किसी समझौते के अर्न्तगत हो।

(iii) पारिश्रमिक का भुगतान अनुदान निधि से किया गया हो।

धार्मिक प्रयोजनों के लिए सरकारी ट्रस्ट (Income of a charitable trust is exempt according the provisions of Section 11, 12, and 13)— [धारा 11 से 13

धार्मिक संस्था की कुल आय में निम्नलिखित आय शामिल नहीं की जायेंगी जबकि ऐसी संस्था ने कुछ शर्तें पूरी का हों—

(i) धार्मिक प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के अधीन धारित सम्पत्ति से आय धारा 11(1)(

(ii) ट्रस्ट के अधीन ऐसी सम्पत्ति से आय जिसका कुछ भाग भारत के बाहर धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया धारा 11 (1) (

(iii) ट्रस्ट के अधीन ऐसी सम्पत्ति से आय जिसका उपयोग भारत के बाहर धार्मिक प्रयोजनों के लिये किया हो।

गत वर्ष
(PREVIOUS YEAR)

[धारा 3]

'गत वर्ष' से आशय उस वित्तीय वर्ष से है जो कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पहले समाप्त हो गया हो अर्थात् जो वर्ष पिछले वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होकर चालू वर्ष में 31 मार्च को समाप्त हो गया हो। गत वर्ष को वित्तीय वर्ष (Financial Year) अथवा हिसाबी या लेखांकन वर्ष (Accounting Year) के नाम से भी जाना जाता है। जैसे–कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिये गत वर्ष 2018-19 माना जायेगा।

प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम, 1987 के अनुसार कोई करदाता अलग से किसी भी प्रकार का गत वर्ष जैसे–दीपावली वर्ष, कलैण्डर वर्ष आदि नहीं मान सकता। सबके लिए एक समान गतवर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) को ही अपनाया जाना आवश्यक है। जबकि कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से पहले कोई भी करदाता अपनी सुविधानुसार गत वर्ष रख सकता था जैसे, दीपावली वर्ष, दशहरा वर्ष, कलैण्डर वर्ष आदि।

यदि कोई व्यापार अथवा पेशा वर्ष के बीच में या वर्ष में किसी भी तारीख पर शुरू होता है तो उसके गत वर्ष की अवधि 31 मार्च को समाप्त मानी जाएगी जैसे कोई व्यापार 1 अक्टूबर, 2018 को शुरू हुआ तो इसका गत वर्ष 1 अक्टूबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक ही माना जायेगा। अर्थात् नये व्यापार की दशा में प्रथम गत वर्ष 12 माह की अवधि से कम भी हो सकता है

4

कर-मुक्त आयें
EXEMPTED INCOMES

आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ आयों को कर से मुक्त रखा गया है। कर-मुक्त आयें ऐसी आयें होती हैं जिन्हें ता की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसी आयों पर कर की गणना नहीं होती है। जिन आयों पर हीं लगता है उन्हें कर-मुक्त आयें कहते हैं।

अध्ययन की दृष्टि से कर-मुक्त आयों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है—

I. सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर-मुक्त आयें।

II. वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर-मुक्त आयें।

III. कुछ करदाता, संस्था एवं संघों की कर-मुक्त आयें।

IV. विदेशी नागरिकों एवं अनिवासी करदाताओं के लिये कर-मुक्त आयें।

I. सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर-मुक्त आयें
(EXEMPTED INCOMES FOR ALL TYPES OF ASSESSEES)

1. कृषि आय (Agricultural Income) **[धारा 10 (1)]**

भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली कृषि आय कर-मुक्त होती है। कृषि आय से आशय ऐसी आय से है जो भारत में स्थित भूमि पर कृषि कार्यों से उत्पन्न हो जैसे—नर्सरी के पौधों की बिक्री, कृषि फसल की बिक्री आदि। (इसके अध्ययन के लिये देखिए अध्याय 'कृषि आय')

2. हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय (Income received from Hindu Undivided Family) **[धारा 10 (2)]**

हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के कारण यदि करदाता को परिवार से आय का कोई भाग प्राप्त होता है तो वह कर-मुक्त है क्योंकि आयकर अधिनियम में हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता (KARTA)अलग से करदाता माना जाता है जो अपनी आय पर स्वयं कर चुकता है।

3. साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग (Share of a Partner in a Partnership Firm) **[धारा 10 (2A)]**

साझेदार को फर्म के लाभ से जो भाग प्राप्त होता है वह कर-मुक्त होता है क्योंकि साझेदारी फर्म अपनी आय पर स्वयं कर चुकाती है। इसीलिए यह उसकी व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं होगी जबकि साझेदारी फर्म से साझेदार को प्राप्त वेतन, ब्याज, कमीशन, बोनस कर-मुक्त नहीं होते। ये प्राप्तियाँ उसकी व्यक्तिगत आय में शामिल होंगी।

4. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई के लाभ (Benefits to Units Established in Special Economic Zone)— **[धारा 10 AA)]**

(i) 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2002 की अवधि में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लाभों पर छूट—अग्र शर्तों के पूरा होने पर प्रदान की जाएगी।

(a) उत्पादन 01-04-2000 से 31-03-2002 की अवधि में प्रारम्भ होना चाहिए।
(b) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का हो।
अगले 10 कर-निर्धारण वर्षों में 100% छूट लाभों के सम्बन्ध में मिलेगी।
(ii) 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2005 तक स्थापित उपक्रमों के लाभों पर छूट–
(a) प्रथम पाँच कर-निर्धारण वर्षों तक 100% छूट
(b) अगले दो कर-निर्धारण वर्षों तक लाभों का 50% छूट
(c) अगले तीन कर-निर्धारण वर्षों में निम्नलिखित जो रकम कम होगी उसकी छूट प्रदान की जाएगी–
- लाभ-हानि खाते में डेबिट की गई राशि लाभों के 50% से अधिक नहीं होगी।
- आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र पुनर्विनियोग भत्ता संचय खाते में क्रेडिट की गई रकम।

(iii) 31 मार्च, 2005 के बाद स्थापित उपक्रमों पर छूट–
(a) प्रथम पाँच कर-निर्धारण वर्षों तक 100%
(b) अगले पाँच कर-निर्धारण वर्षों तक 50%
(c) अगले पाँच कर-निर्धारण वर्षों तक 50%

5. भोपाल गैस अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान (Compensation to Victims Bhopal Gas Leak Disaster)– **[धारा 10 (10BB**
इस अधिनियम के अन्तर्गत भोपाल गैस रिसाव के पीड़ितों को प्राप्त क्षतिपूर्ति पूर्ण रूप से कर-मुक्त है। परन्तु ऐसी क्षतिपूर्ति की प्राप्ति के सम्बन्ध में पहले ही कटौती स्वीकृत हो चुकी हो तो क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि कर-मु नहीं होगी।

6. महाविनाश के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त या प्राप्य क्षतिपूर्ति (Compensation received receivable for any other Disaster)– **[धारा 10 (10BC**
आयकर अधिनियम में धारा 10(10BC) को शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार अथवा रा सरकार अथवा स्थानीय संस्था से किसी व्यक्ति को प्राप्त क्षतिपूर्ति कर-मुक्त होगी।

7. जीवन बीमा से प्राप्त रकम (Sum Received from Life Insurance)– **[धारा 10 (10D**
जीवन बीमा निगम से प्राप्त राशि जैसे–परिपक्वता मूल्य, बोनस आदि कर-मुक्त हैं। किन्तु कीमैन (Keyma बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन 1.10.1996 से धारा 80DD(3) के अन्तर्गत कर-मुक्त नहीं होगा।
(i) कीमैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि कर-योग्य होगी।
(ii) यदि बीमा पॉलिसी 31-03-2003 के बाद किन्तु 01-04-2012 से पहले निर्गमित या जारी की गई है त किसी भी एक वर्ष में चुकाये गये प्रीमियम की राशि बीमित पूँजी के 20% से अधिक है तो ऐसी र कर-योग्य होगी।
(iii) यदि बीमा पॉलिसी 31-03-2012 के बाद जारी या निर्गमित की गई है तथा किसी भी एक वर्ष में चुक गये प्रीमियम की राशि बीमित पूँजी के 10% से अधिक है तो ऐसी राशि कर-योग्य होगी।
(iv) यदि बीमा पॉलिसी 31-03-2013 के बाद जारी या निर्गमित की गई है तथा किसी भी एक वर्ष में चुकाये प्रीमियम की राशि बीमित पूँजी के 15% से अधिक है तो ऐसी राशि कर-योग्य होगी।

8. सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त रकम (Amount Received from Public Provident Fund **[धारा 10 (11**
करदाता को सार्वजनिक भविष्य निधि या वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि पूर्णरूप से कर-मुक्त है।

9. सुकन्या समृद्धि खाते में से भुगतान (Payment from Sukanya Samriddhi Account)– सु समृद्धि खाते में से किया गया भुगतान कर-मुक्त होगा। **[धारा 10 (11A**

10. राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम की समाप्ति के समय कुल राशि के 40% तक छूट (कर निर्धारण वर्ष 2017-18 प्रभावी) (While closing the National Pension Scheme, 40% of Total Amount Exempt (w.e.f. A.Y. 2017-18) **[धारा 10 (12**

11. राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम से कर्मचारी द्वारा आंशिक आहरण पर कर छूट (कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से प्रभावी) (Exemption is provided upto 25% of the amount withdrawn by the employee) (w.e.f. A.Y. 2018-19)– **[धारा 10 (12B)]**
कर्मचारी द्वारा किए गए आहरण में 25% तक राशि की कर-मुक्ति प्रदान की जायेगी।

12. अनुमोदित सुपर एनुएशन कोष से भुगतान (Payment Received from Approved Super Annuation Fund)– **[धारा 10 (13)]**
सुपर एनुएशन से प्राप्त भुगतान निम्न दशाओं में पूर्णरूप से कर-मुक्त है–
(i) लाभकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर
(ii) सेवानिवृत्ति से पूर्व असमर्थता होने पर या सेवा से अवकाश ग्रहण करने पर भुगतान
(iii) कर्मचारी (लाभकर्ता) की मृत्यु पर अंशदान की वापसी
(iv) कर्मचारी को धन की वापसी जो सेवा से त्याग देने पर या अवकाश ग्रहण करने पर या एक निश्चित आयु के पूर्ण होने पर प्राप्त हो।

13. अधिसूचित विशेष भत्ता (Notified Special Allowance)– **[धारा 10 (14)]**

14. कुछ सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on some Government Securities)– **[धारा 10 (15)]**
सरकार द्वारा निर्गमित कुछ प्रतिभूतियों , बॉण्ड्स, प्रमाण-पत्रों का ब्याज कर-मुक्त होता है। अर्थात् कुल आय की गणना करते समय इन्हें आय में शामिल नहीं किया जाता।

सभी करदाताओं के लिए (For all Types of Assessees)
(i) 10 वर्षीय ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट
(ii) 5 वर्षीय नेशनल पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट
(iii) 10 वर्षीय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट
(iv) 12 वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्स सर्टिफिकेट
(v) 12 वर्षीय या 7 वर्षीय पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट
(vi) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉण्ड्स, 1980
(vii) विशेष वाहक बॉण्ड्स, 1991
(viii) डाक खाने का बचत खाता (₹ 3,500 तक व्यक्तिगत नाम में; ₹ 7,000 तक संयुक्त नाम में)
(ix) डाक खाना संचयी सावधि जमा खाता
(x) डाक खाने का जन साधारण खाते का ब्याज (₹ 5,000 तक)
(xi) विशेष जमा योजना, 1981
(xii) अनिवासी रुपया जमा योजना।

- **एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता के लिये निम्न प्रतिभूतियों का ब्याज भी कर मुक्त है (In case of Individual or H.U.F. Assessee Received Interest on following Securities is also exempt)–** **[धारा 10 (15) (iib) तथा (iic)]**

(i) 7% पूँजी विनियोग बॉण्ड्स (ये बॉण्ड्स 1-06-2002 से पूर्व जारी हों)
(ii) राहत बॉण्ड्स पर ब्याज

- **कुछ अधिसूचित बाण्ड्स पर ब्याज का कर-मुक्त होना (Exempted Interest of Some Notified Bonds)–** **[धारा 10 (15) (iid)]**

(i) ऐसे बाण्ड्स एक अनिवासी व्यक्ति (भारतीय) के पास हों।
(ii) अनिवासी व्यक्ति के उत्तराधिकारी के पास ऐसे बॉण्ड्स हों।
(iii) अनिवासी व्यक्ति को ऐसे बॉण्ड्स उपहार में दिये गये हों।

- **कर मुक्ति के लिए शर्तें (Conditions for Exemption)–**

(i) विदेशी मुद्रा से बॉण्ड्स क्रय किये हों।
(ii) प्राप्त मूलधन एवं ब्याज भारत के बाहर नहीं ले जाया गया हो।
(iii) बॉण्ड्स परिपक्वता से पूर्व न भुनाये गये हों।

- सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के अधिसूचित बॉण्ड्स तथा ऋणपत्रों पर ब्याज (Interest on Specifi... Bonds or Debentures of Public Sector Companies)—
- राज्य द्वारा एकत्रित वित्त संस्था द्वारा निर्गमित अधिसूचित बॉण्ड्स पर ब्याज की छूट (Interest ... Notified Bonds issued by State Pooled Finance Entities)— [धारा 10 (15) (vi...
- कुछ अन्य प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज कर-मुक्त होता है जो निम्न प्रकार है (Interest on some oth... securities)—

(i) भोपाल गैस रिसाव पीड़ित कल्याण आयुक्त की प्रतिभूतियों पर ब्याज

(ii) भोपाल गैस रिसाव में पीड़ितों के हित के लिए जमाधन पर ब्याज

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा योजना, 1999 के अन्तर्गत स्वर्ण जमा बॉण्ड पर ब्याज

(iv) स्थानीय सत्ता द्वारा जारी किये बॉण्ड्स पर ब्याज

(v) अवकाश के लाभों में से विशिष्ट योजना में जमा किये धन पर ब्याज

[धारा 10 (1...

15. छात्रवृत्तियाँ (Scholarships)—

सरकार द्वारा शिक्षा एवं शोध कार्यों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने वाले के लिए पूर्णरूप से कर-... है। चाहे करदाता ऐसी छात्रवृत्ति को पूर्णरूप से खर्च कर पाये अथवा नहीं।

16. सांसदों एवं विधायकों के भत्ते (Allowances of Members of Parliament and St... Assemblies)— [धारा 10 (...

(i) संसद के दोनों सदनों (लोक-सभा एवं राज्य-सभा) तथा विधान-मण्डल के दोनों सदनों (विधान-सभ... विधान-परिषद्) के सदस्यों को प्राप्त होने वाले दैनिक भत्तों की सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होती है।

(ii) दोनों सदनों की किसी कमेटी के सदस्यों को प्राप्त होने वाले भत्ते की सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होती है।

(iii) दैनिक भत्तों के अलावा किसी अन्य प्रकार के भत्ते की राशि भी पूर्णरूप से कर-मुक्त होगी।

[धारा 10 (17...

17. पुरस्कार (Awards)—

(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पुरस्कार (चाहे मुद्रा में हो अथवा वस्तु के रूप में) दोनों को ही कुल आ... शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था द्वारा दिया गया पुरस्कार भी कर-मुक्त होगा।

18. वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्राप्त पेंशन (Pension to Winner of Gallantry Awards)—

[धारा 10 (...

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी को अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को पेंशन कर-... होगी। यदि उसने **परमवीर चक्र, महावीर चक्र,** अथवा **वीर चक्र** अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त कि... जिसे केन्द्र या राज्य सरकार ने सरकारी बजट में अधिसूचित किया हो।

प्रिवीपर्स के बदले में आय Ex-gratia Payment को कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से समाप्त कर दिया है।

19. परिवार पेंशन (Family Pension)— [धारा 10 (...

भारत सरकार की सशस्त्र सेनाओं, वायु सेना सहित के सदस्य की विधवा, बच्चों अथवा नामांकित उत्तराधिकारि... प्त परिवार पेंशन आयकर से मुक्त होगी। बशर्ते कि सैनिक की मृत्यु सैन्य कार्यवाही करते समय हुई हो।

20. किसी महल का वार्षिक मूल्य (Annual Value of one Palace of the Ex-ruler)—

[धारा 10 (19...

ऐसे महल का वार्षिक मूल्य 1971 से पहले किसी कानून के अन्तर्गत कर-मुक्त होना चाहिए।

21. किसी प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट की प्रतिभूतिकरण गतिविधियों से आय [धारा 10 (23D...

(कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 से लागू)

22. निवेशक संरक्षण कोष की आय जिसे किसी डिपोजिटरी से अंशदानों के रूप में प्राप्त किया हो—

(कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 से लागू) [धारा 10 (23ED)]

23. चाय बोर्ड से प्राप्त सहायता (Subsidy Received from Tea Board)— [धारा 10 (30)]

चाय बोर्ड के माध्यम से निम्न कार्यों के लिए प्राप्त सहायता पूर्ण रूप से कर-मुक्त है। जैसे—चाय के पौधों को लगाने, उन्हें पुनः उगाने, उनके नवीनीकरण के लिए आदि।

24. अन्य अधिसूचित बोर्डों से प्राप्त सहायता (Subsidy Received from Other Notified Boards)—

[धारा 10 (31)]

यदि कोई करदाता रबर, कॉफी अथवा अन्य किसी अधिसूचित वस्तु का उत्पादन करता है तथा बोर्ड से सहायता प्राप्त करता है तो ऐसी सहायता पूर्णरूप से कर-मुक्त होगी। इस सहायता का प्रयोग रबर, कॉफी, इलाइची अथवा अन्य किसी अधिसूचित वस्तु के पौधे को लगाने, उनका प्रतिस्थापन करने अथवा नवीनीकरण करने के लिए किया जाना आवश्यक है।

25. अव्यस्क की आय (Income of a Minor)— [धारा 10 (32)]

करदाता की कुल आय में जोड़ी गई अव्यस्क की आय में से ₹ 1,500 तक प्रति की दर से अव्यस्क की आय कर-मुक्त होने के कारण घटा दी जाती है।

26. धारा-64 के अन्तर्गत यूनिटों के हस्तान्तरण से आय (Income from Transfer of Units of US-64)

[धारा 10 (33)]

यदि ऐसा हस्तान्तरण 31, मार्च, 2002 के बाद किया गया है तो इन पर होने वाला पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा।

27. भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश (Dividend Received from a Domestic/Indian Company)—

[धारा 10 (34)]

भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश कर-निर्धारण वर्ष 2004-05 से कर-मुक्त घोषित किया जा चुका है इसे करदाता की आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।

28. किसी अंशधारी को धारा 115QA के अन्तर्गत निर्दिष्ट कम्पनी द्वारा गैर सूचीकृत अंशों की पुनः खरीद के कारण हुई आय (Exemption to the Shareholder US 115QA on account of buy back of Non Listed Shares by Specified Company)— [धारा 10 (34A)]

(कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 से लागू)

29. विशिष्ट कम्पनियों की यूनिटों से आय (Income from Units of Specified Companies)—

[धारा 10 (35)]

ऐसी आय कर-निर्धारण वर्ष 2004-05 से कर-मुक्त है इसके अन्तर्गत पारस्परिक कोष, विशिष्ट उपक्रम के प्रशासक के यूनिटों से आय आदि शामिल हैं।

30. किसी प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट द्वारा वितरित आय के रूप में धारा 115TA में निर्दिष्ट निवेशक के रूप में किसी व्यक्ति को प्राप्त आय— [धारा 10 (35A)]

(कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 से लागू)

31. पात्र समता अंशों पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ (Long-term Capital Gain on Eligible Listed Equity Shares)— [धारा 10 (36)]

ऐसा दीर्घकालीन पूँजी लाभ तभी कर-मुक्त होगा जब करदाता ने ऐसे अंशों में विनियोग 1 मार्च, 2003 को अथवा इसके बाद तथा 31 मार्च, 2004 तक किया हो। करदाता ने ऐसे अंशों को 12 महीनों या 12 महीनों से अधिक अपने पास रखा हो।

32. कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर उत्पन्न पूँजी लाभ जो पूँजी लाभ शीर्षक में कर-योग्य हो (Capital Gain Arising Out of Transfer of Agricultural Land and Taxable under the head Capital Gains)— [धारा 10 (37)]

यदि कृषि भूमि का हस्तान्तरण अनिवार्य अधिग्रहण के द्वारा होता है तो ...
पर यह कर मुक्त होगा—

(i) ऐसी आय 01-04-2004 को अथवा इसके बाद उत्पन्न हुई हो।

(ii) हस्तान्तरण अनिवार्य अधिग्रहणता के अन्तर्गत हुआ हो।

(iii) हस्तान्तरण की तिथि से पहले 2 वर्षों तक ऐसी भूमि कृषि कार्यों में प्रयोग हो।

(iv) ऐसी भूमि ग्रामीण सीमाओं के अन्तर्गत हो।

कृषि भूमि का हस्तान्तरण 01-04-2004 से पहले किया हो किन्तु क्षतिपूर्ति की राशि 01-04-2004 के बाद प्राप्त हो तो पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा। यदि क्षतिपूर्ति की राशि का कोई भाग 01-04-2004 से पहले प्राप्त हो गया है और 01-04-2004 के बाद प्राप्त हो तो पूँजी लाभ कर-मुक्त नहीं होगा।

33. अंशों एवं इकाइयों की बिक्री पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ (Long-term Capital Gain on Sale Shares and Units)— [धारा 10 (3...

ऐसा दीर्घकालीन पूँजी लाभ तभी कर-मुक्त होगा जब निम्न शर्तें पूरी हो जाएँ—

(i) ऐसे लेन-देन पर प्रतिभूति लेन-देन का (Securities Transaction Tax) लगता हो।

(ii) ऐसे अंशों या इकाइयों का हस्तान्तरण 01-10-2004 को या इसके बाद हुआ हो।

> अंश सम्बद्ध कोष का आशय है कि ऐसे कोष का 65% से अधिक भाग घरेलू कम्पनी में विनियोग हो और ऐसे को... की स्थापना धारा 10(23D) के अन्तर्गत की गई हो।

34. भारत में खेल-कूद अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से आय (Income from an International Sports Event Held in India)— [धारा 10 (3...

ऐसी प्रतियोगिता से हुई आय तभी कर-मुक्त होगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों—

(i) ऐसी प्रतियोगिता में दो देशों से अधिक देश हिस्सा ले रहे हों।

(ii) ऐसी प्रतियोगिता भारत में आयोजित हो।

(iii) प्रतियोगिता केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो।

(iv) ऐसी प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद संस्था द्वारा अनुमोदित हो।

35. सहायक कम्पनी की आय (Grant Received by Subsidiary Company from Holding Company)— [धारा 10 (4...

भारतीय सूत्रधारी कम्पनी से एक सहायक कम्पनी को प्राप्त होने वाले अनुदान कर-मुक्त होंगे बशर्ते—

(i) (a) भारतीय सूत्रधारी कम्पनी विद्युत् उत्पादन या विद्युत् वितरण कार्य में लगी हो।

(b) ऐसी कम्पनी 30-11-2005 से पहले स्थापित की गई हो।

(c) ऐसी कम्पनी के पचास प्रतिशत (50%) से अधिक समता अंश सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के पास हों।

(d) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कम्पनी को 31-12-2005 से पहले अधिसूचित किया गया हो।

(ii) ऐसी राशि व्यवसाय के बकाया के भुगतान के सम्बन्ध में दी गई हो।

36. बिजली उत्पादन में संलग्न पूँजीगत सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से आय (Income from Transfer Capital Assets to Companies Engaged in Power Generation)— [धारा 10 (4...

ऐसे उपक्रम जो बिजली उत्पादन या वितरण में संलग्न हों, इनकी सम्पत्तियों पर होने वाला पूँजी लाभ कर-मुक्त है किन्तु निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए—

(i) ऐसा लाभ 01.04.2006 से पहले हुआ हो।

(ii) ऐसा लाभ भारतीय कम्पनी को हुआ हो।

37. एक व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति को प्रतिवर्ती बन्धक के अन्तर्गत रखकर एक-मुश्त या किस्तों में प्राप्त ऋण की राशि (Loan Amount Received in lumpsum or in Instalments by an Individual under a Reverse Mortgage Scheme)— [धारा 10 (43)]

ऐसी योजना में उधार ऋण देने वाले को उधार लेने वाले के लिये ऋण की राशि किस्तों में या एक-मुश्त देनी पड़ती है तथा उधार लेने वाला अपनी सम्पत्ति को ऋणदाता के पास बन्धक के रूप में रखता है तो ऐसी प्राप्त राशि कर-मुक्त होगी।

38. नई पेंशन योजना न्यास को करमुक्ति (Exemption of Income of New Pension Scheme Trust)— [धारा 10 (44)]

नई पेंशन योजना न्यास की तरफ से अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त कोई राशि आयकर से मुक्त होगी।

39. संघलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को भुगतान (Payment to Chairman or Member of U.P.S.C.)— [धारा 10 (45)]

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भत्ते या अनुलाभ का भुगतान संघलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सेवानिवृत्त अध्यक्ष तथा सदस्य/सेवानिवृत्त सदस्य को किया जाता है। तो यह कर-मुक्त होगा।

40. एक अधिसूचित संस्था/आयोग को उत्पन्न निर्दिष्ट आय (Specified Income arising to a Notified Body/Commission)— [धारा 10 (46)]

किसी संस्था/प्राधिकरण/बोर्ड/न्यास/आयोग को उत्पन्न ऐसी आय जिसे केन्द्रीय सरकार ने सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया हो, निम्न शर्तें पूरी होने पर कर मुक्त होगी—

(i) ऐसी संस्था किसी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं हो।

(ii) ऐसी संस्था केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्रान्तीय अधिनियम के द्वारा सामान्य जनता के लाभ के लिए गठित की गई हो।

41. आधारिक संरचना ऋण निधि की आय (Income of an Infrastructure debt fund)— [धारा 10 (47)]

केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने पर ऐसी आय कर मुक्त होगी।

42. कुछ विदेशी कम्पनियों को प्राप्त आय की करमुक्ति (Exemption from Income received by some foreign Companies)— [धारा 10 (48)]

निम्न शर्तें पूरी होने पर कर-मुक्त होगी—

(i) विदेशी कम्पनियों को प्राप्त आय केन्द्रीय सरकार द्वारा हुई हो अथवा अनुमोदित की गई हो।

(ii) राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो।

(iii) विदेशी कम्पनी द्वारा प्राप्त आय भारत में चलाई जा रही गतिविधि के लिये हो।

भारत में किसी व्यक्ति को किसी विदेशी कम्पनी द्वारा कच्चे तेल के विक्रय (कर निर्धारण वर्ष 2014-15 से लागू कोई अन्य अधिसूचित माल) के कारण भारत में भारतीय मुद्रा में प्राप्त आय।

43. NFHCL (नेशनल फाइनेंसियल होल्डिंग्स कम्पनी लिमिटेड) की कोई आय— [धारा 10 (49)]
(कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 से लागू)

II. वेतनभोगी कर्मचारियों (करदाताओं) के लिए कर मुक्त आयें

[EXEMPTED INCOMES FOR SALARIED EMPLOYEES (ASSESSEES)]

ऐसी आयें पूर्णरूप से या एक सीमा तक कर-मुक्त होती हैं। जिनका उल्लेख '**वेतन से आय**' शीर्षक में किया गया है।

(i) अवकाश यात्रा रियायत [धारा 10 (5)]

(ii) मकान किराया भत्ता [धारा 10 (13A)]

(iii) अनुमोदित सुपरएनुएशन कोष से प्राप्त राशि [धारा 10 (13)]

(iv) कर्तव्य पालन सम्बन्धी व्ययों के लिये विशेष भत्ते [धारा 10 (14)]

(v) विदेश में प्राप्त अनुलाभ एवं भत्ते [धारा 10 (7)]

(vi) अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु होने पर प्राप्त ग्रेच्युटी [धारा 10 (10)]
(vii) पेंशन की एक मुश्त राशि [धारा 10 (10A)]
(viii) अर्जित अवकाश का नकद भुगतान [धारा 10 (10AA)]
(ix) वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि [धारा 10 (11)]
(x) प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि [धारा 10 (12)]
(xi) छँटनी के कारण कर्मचारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि [धारा 10 (10B)]
(xii) अपनी इच्छा से लिये गये अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि [धारा 10 (10C)]
(xiii) नियोक्ता द्वारा चुकाया गया अमौद्रिक अनुलाभों पर कर [धारा 10 (10CC)]

III. कुछ करदाता, संस्था एवं संघों की कर-मुक्त आयें

(EXEMPTED INCOMES OF SOME ASSESSEES, INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS)

1. स्थानीय सत्ता की आय (Income of a Local Authority)— [धारा 10 (20)]

स्थानीय सत्ता के अन्तर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है—

(i) ग्राम पंचायत,
(ii) नगर पालिका,
(iii) नगर समिति, जिला बोर्ड (सरकार द्वारा वैधानिक अधिकार प्राप्त),
(iv) छावनी बोर्ड।

इन संस्थाओं की अपनी आय के विभिन्न स्रोत होते हैं जैसे—गृहकर वसूली, मकान बनवाकर किराये पर उठाना, ... लाभ, अन्य साधनों से आय, अथवा अपने अधिकार क्षेत्र में पानी, बिजली सहित वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में सं... व्यापार से होने वाली आय तथा अधिकार क्षेत्र के बाहर पानी, बिजली की सेवाओं की पूर्ति से प्राप्त होने वाली आय। ये स... आयें कर-मुक्त होती हैं।

2. वैज्ञानिक अनुसन्धान संघ की आय (Income of Association for Scientific Research)— [धारा 10 (21)]

निम्न शर्तों के पूरा होने पर वैज्ञानिक अनुसन्धान संघ की आय कर-मुक्त होगी—

(i) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित
(ii) निर्धारित उद्देश्यों के लिये आय का प्रयोग
(iii) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापार अथवा पेशा चलाना

कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 का प्रावधान (Provision of Assessment Year 2003-04)

यदि वैज्ञानिक अनुसन्धान संघ—(i) अपनी आय का प्रयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए नहीं करता। (ii) संघ ... कार्यवाहियाँ अनुचित व अवास्तविक हैं। (iii) संघ अपने फण्ड का विनियोग निर्धारित तरीके से निर्धारित निक्षेपों में नहीं क... है तो केन्द्रीय सरकार को अधिकार होगा कि वह शोध संघ को उचित अवसर देने के बाद एक आदेश जारी करके अनुम... वापस ले ले।

3. समाचार एजेन्सी की आय (Income of News Agency)— [धारा 10 (22...)]

निम्न शर्तों के पूरा होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समाचार एजेन्सियों की आय कर-मुक्त होगी—

(i) समाचार एजेन्सी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित।
(ii) भारत में स्थापित हो।
(iii) एजेन्सी का कार्य समाचार एकत्र करना, वितरण एवं प्रसारण करना हो।
(iv) एजेन्सी आय का वितरण नहीं करती हो।

4. अधिसूचित पेशेवर संस्थाओं की आय (Income of some approved Professional Institutions)— [धारा 10 (23A)]

किसी ऐसे संघ या संस्था की आय, जिसे केन्द्र सरकार ने अधिसूचित किया हो तभी कर-मुक्त होगी जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दिया गया हो—

(i) आय का प्रयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिये हुआ हो।
(ii) अनुमोदित संघ या संस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

यदि ऐसा संघ या संस्था अपनी आय का प्रयोग अपने निर्धारित उद्देश्यों के लिए नहीं करता है तो केन्द्र सरकार एक आदेश जारी करके अनुमोदन वापस ले सकती है। (कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से प्रभावी)

5. सेनाओं के रेजीमेण्ट फण्ड की आय (Income of Regimental Fund of Defence Forces)— [धारा 10 (23AA)]

भारतीय सेना के रेजीमेण्ट कोष की आय पूर्णतया कर-मुक्त है किन्तु इसका उद्देश्य सेना के सदस्यों के आश्रितों के हित के लिये हो।

6. कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित कोष की आय (Income of Employees' Welfare Fund)— [धारा 10 (23AAA)]

ऐसे कोष की आय कर-मुक्त होती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों—

(i) कोष की स्थापना अधिसूचित उद्देश्य के लिए की गई हो।
(ii) कोष आश्रितों के कल्याण के लिए हो।

7. भारतीय जीवन बीमा निगम के कोष की आय (Income of a Fund set up by Life Insurance Corporation of India Under a Pension Scheme)— [धारा 10 (23AAB)]

ऐसे कोष की आय पूर्णतया कर-मुक्त है किन्तु इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए—

(i) पेंशन कोष बीमा नियामक अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।
(ii) पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा पेंशन योजना में अंशदान किया गया हो।

8. खादी एवं ग्रामोद्योग संघ की आय (Income of Khadi and Village Industries Association)— [धारा 10 (23B)]

खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादन, विक्रय या विपणन से उत्पन्न आय कर-मुक्त होती है किन्तु ऐसी कर-मुक्ति के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए—

(i) ऐसे संघ की स्थापना खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए की गई हो न कि लाभ प्राप्त करने के लिए।
(ii) ऐसा संघ खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित हों।
(iii) ऐसे संघों की आय का प्रयोग खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिये किया गया हो।

कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से यह प्रावधान किया गया है कि यदि खादी ग्रामोद्योग अपनी आय का प्रयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं कर रहा हो जिनके लिए उसे स्थापित किया गया था तो खादी ग्रामोद्योग आयोग को यह अधिकार होगा कि वह एक आदेश पारित करके अनुमोदन को वापस ले ले।

9. खादी एवं ग्राम्य उद्योग बोर्ड की आय (Income of Khadi and Village Industries Board)— [धारा 10 (23BB)]

ऐसे बोर्ड की आय कर-मुक्त होती है यदि इसकी स्थापना राज्य अधिनियम के अन्तर्गत की गई हो—

10. वैधानिक सत्ता की आय (Income of Statutory Authority)— [धारा 10 (23BBA)]

ऐसी सत्ता की आय तभी आयकर से मुक्त होगी जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे—

(i) इसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिनियम द्वारा की गई हो। इसका उद्देश्य किसी सार्वजनिक, धार्मिक या पुण्यार्थ ट्रस्ट का संचालन करना हो।

(ii) सार्वजनिक, धार्मिक, पुण्यार्थ ट्रस्ट के अन्तर्गत मन्दिर, मठ, गुरुद्वारा आदि सम्मिलित हैं।

11. यूरोपियन आर्थिक समुदाय की आय (Income of European Economic Community)— [धारा 10 (23BB

इस समुदाय का अर्थ 1957 में हुए रोम समझौते के अन्तर्गत स्थापित समुदाय से है। ऐसे समुदाय की कोई भी आय मुक्त होगी किन्तु ऐसे समुदाय ने अपने कोषों का विनियोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित योजनाओं के अन्तर्गत किया

12. सार्क निधि की आय (Income of SAARC Fund)— [धारा 10 (23BB

कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से दक्षिण एशियाई संघ (सार्क) के सदस्य-राष्ट्रों द्वारा प्राप्त आय कर-मुक्त होती है, कि ऐसी आय को स्थानीय योजनाओं में उपयोग किया गया हो।

13. सर्वोच्च अंकेक्षण संस्थान के एशियन संगठन सचिवालय की आय (Income of Secretariat Asian Organisation of Supreme Audit Institutions)— [धारा 10 (23BB

इसकी आय कर-निर्धारण वर्ष 2008-09 से कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 तक कर-मुक्त होगी। किन्तु ऐसा सं समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

14. बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण की आय (Income of Insurance Regulatory & Development Authority)— [धारा 10 (23BB

ऐसे प्राधिकरण की आय धारा 3(1) के अन्तर्गत कर-मुक्त होगी।

15. प्रसार भारती की आय (Income of Prasar Bharti) (Broadcasting Corporation of India [धारा 10 (23BB

यदि प्रसार भारती, प्रसार भारती अधिनियम 1990 की धारा 3(1) के अन्तर्गत स्थापित हुई हो तो इसकी आय कर- होगी।

16. विनियोक्ता संरक्षण कोष की कुछ आय पर छूट (Exemption on some Incomes of Inves Protection Fund Set up by Commodity Exchanges)— [धारा 10 (23E

वस्तु-विनिमय से प्राप्त अंशदान तथा भारत में स्थापित वस्तु-विनिमय विनियोक्ता संरक्षण कोष की आय कर- होगी।

17. राष्ट्रीय कोषों की आय (Income of Certain National Funds, Educational Instituti and Hospitals)— [धारा 10 (23

(i) प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष
(ii) प्रधानमन्त्री लोक कला प्रोत्साहन कोष
(iii) प्रधानमन्त्री छात्र सहायता कोष
(iv) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान
(v) पुण्यार्थ कार्यों के लिए स्थापित कोष जो अपनी आय का प्रयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए करता हो।
(vi) विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षण संस्थाओं की आय जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से न की ग
(vii) किसी अस्पताल अथवा अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए स्थापित की गयी संस्था जि उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो।
(viii) स्वच्छ भारत कोष (Swachh Bharat Kosh) w.e.f.A.Y. 2016-17
(ix) क्लीन गंगा कोष (Clean Ganga Fund) w.e.f.A.Y. 2016-17

कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से धारा 10(23C) में प्रावधान एवं संशोधन किया गया कि कोई संस्था अपने उद्देश्यों मार्च, 2002 के बाद अपनी आय का 15% अधिक संकलन करती है तो ऐसी आय के संकलन की अवधि अधिक-से- पाँच वर्ष होगी।

18. पारस्परिक कोष की आय (Income of Mutual Funds)— [धारा 10 (2

निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर पारस्परिक कोष की आय कर-मुक्त होगी—

(i) ऐसा कोष भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (SEBI) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत पंजीकृत होना

(ii) ऐसे कोष की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत होनी चाहिए।
(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित पारस्परिक कोष अधिसूचित किये गये हैं—
(a) भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक कोष,
(b) केनरा बैंक पारस्परिक कोष,
(c) जीवन बीमा निगम पारस्परिक कोष,
(d) पंजाब नेशनल बैंक पारस्परिक कोष,
(e) इण्डियन बैंक पारस्परिक कोष,
(f) सामान्य बीमा निगम पारस्परिक कोष,
(g) इण्डियन मैगनम कोष,
(h) कॉमन वैल्थ इक्विटी म्युच्यूल फण्ड,
(i) आई. सी. आई. सी. आई. पारस्परिक कोष,
(j) कोठारी पायोनियर पारस्परिक कोष,
(k) यू. टी. आई. पारस्परिक कोष,
(l) टौरस पारस्परिक कोष।

19. प्रमाणित विनियोगकर्ता संरक्षण कोष की आय (Income of Notified Investors' Protection Fund)— [धारा 10 (23EA)]

इस कोष की आय जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज तथा कोष के सदस्यों से प्राप्त हुए चन्दों द्वारा प्राप्त हुई हो, कर-मुक्त होगी। इसके लिए निम्नलिखित शर्त को पूरा करना होगा—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये सरकारी गजट में अधिसूचित कर दिया हो।

20. साहसिक पूँजी कम्पनी की आय (Income of Venture Capital Company or Venture Capital Fund)— [धारा 10 (23FB)]

एक साहसिक पूँजी कोष अथवा साहसिक पूँजी कम्पनी की विनियोगों से आय कर-मुक्त होगी यदि ऐसा कोष निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। ऐसा अनुमोदन एक बार में अधिकतम 3 कर-निर्धारण वर्षों के लिए दिया जा सकता है। किन्तु 31-03-2000 के बाद किये गये विनियोगों के सम्बन्ध में इस धारा की कर मुक्ति नहीं मिलेगी।

1. साहसिक पूँजी उपक्रम का आशय एक घरेलू कम्पनी से है जिसके अंश भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हो। यह उपक्रम निम्नलिखित व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए—
(i) सॉफ्टवेयर,
(ii) सूचना प्रौद्योगिकी,
(iii) औषधियों के उत्पादन,
(iv) जैव प्रौद्योगिकी,
(v) कृषि सम्बन्धित क्षेत्र,
(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र।
2. साहसिक पूँजी कम्पनी को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI), 1992 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया गया हो।

21. व्यापार ट्रस्ट की आय (Income of Business Trust)— [धारा 10 (23 FC)]

कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 से एक विशेष उद्देश्य वाहन से प्राप्य या प्राप्त ब्याज के अन्तर्गत व्यापार न्यास की आय कर-मुक्त होगी।

22. यूनिट धारक को व्यापार न्यास से प्राप्त वितरित आय (Distributed Income Received by Unit holder from the business trust)— [धारा 10 (23 FD)

कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 से ऐसी आय कर-मुक्त होगी।

23. पंजीकृत ट्रेड यूनियन की आय (Income of Registered Trade Union)— [धारा 10 (24)

ऐसे श्रम संघों को भारतीय ट्रेड यूनियन, 1926 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया गया हो तथा इनकी स्थापना श्रमिकों व नियोक्ताओं के सम्बन्धों को मधुर बनाए रखने के उद्देश्य से की गई हो।

24. भविष्य निधियों की आय (Income of Provident Fund)— [धारा 10 (25)

निम्नलिखित भविष्य निधियों की आय कर-मुक्त होती है–

(i) वैधानिक भविष्य निधि की आय,

(ii) प्रमाणित भविष्य निधि की आय,

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि की आय,

25. कर्मचारी राज्य बीमा कोष की आय (Income of Employees' State Insurance Fund)— [धारा 10 (25A)

इस फण्ड की आय पूर्णरूप से कर-मुक्त है किन्तु इसकी स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत होनी चाहिए।

26. सिक्किमी व्यक्ति की आय (Income of a Sikkimese Individual)— [धारा 10 (26AAA)

ऐसे व्यक्तियों की आय कर-मुक्त होगी जो सिक्किमी हों बशर्ते–

(i) सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से आय

(ii) लाभांश अथवा प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय।

सिक्किमी से आशय–

सिक्किमी जनता नियमन 1961 के अन्तर्गत रजिस्टर में 26 अप्रैल, 1975 से पूर्व नाम दर्ज होना चाहिए।

27. कृषि उत्पाद क्रय-विक्रय समिति की आय (Income of an Agricultural Produce Sale Purchase Market Committee or Board)— [धारा 10 (26AAB)

इस बोर्ड या समिति की आय कर-निर्धारण वर्ष 2009-10 से कर-मुक्त होगी।

28. अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों की आय (Income of Member of a Scheduled Tribe)— [धारा 10 (26)

अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की आय जो लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुई हो तथा निम्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने पर कर-मुक्त होगी–

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा अथवा अन्य अनुसूचित क्षेत्र।

29. अनुसूचित जाति एवं जन-जाति निगम की आय (Income of a Statutory Corporation for Scheduled Castes and Tribes)— [धारा 10 (26B)

ऐसा निगम जिसे अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया हो। निगम की आय कर-मुक्त होगी।

30. अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिये स्थापित निगम की आय (Income of a Corporation Established to look after the Interests of Minority Community)— [धारा 10 (26BB)

ऐसे निगम की आय जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया हो, कर-मुक्त...

31. भूतपूर्व सैनिकों के निगम की आय (Income of a Corporation Established to look after the Welfare of Ex-servicemen)— [धारा 10 (26BBB)

ऐसा निगम जो भूतपूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए बनाया गया हो उसकी आय कर-मुक्त होती है।

32. केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग को छूट (Income of the Central Electricity Regulatory Commission)— [धारा 10 (23BBG)]

केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग को नई धारा का प्रावधान करके आयकर से मुक्त रखा गया है।

33. कुछ सहकारी समितियों की आय (Income of Co-operative Societies)— [धारा 10 (27)]

अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों, उनके हितों के उद्देश्य से बनाई गई सहकारी समितियों की आय पूर्णरूप से कर-मुक्त होगी।

34. वैधानिक परिषदों की आय (Income of Statutory Boards)— [धारा 10 (29A)]

(i) कॉफी बोर्ड	–स्थापना (अधिनियम, 1942)
(ii) रबड़ बोर्ड	–स्थापना (अधिनियम, 1947)
(iii) चाय बोर्ड	–स्थापना (अधिनियम, 1953)
(iv) तम्बाकू बोर्ड	–स्थापना (अधिनियम, 1975)
(v) मसाला बोर्ड	–स्थापना (अधिनियम, 1986)

35. राजनैतिक पार्टियों की आय (Income of Political Parties)— [धारा 13 (A)]

राजनैतिक पार्टियों की आय कर-मुक्त होगी यदि उन्होंने अपनी आय का हिसाब-किताब रखा हो तथा उसका अंकेक्षण चार्टर्ड लेखापालक से कराया हो।

नोट–कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिये धारा 10B, 10BA तथा 10(10BBF) के लिये कटौती उपलब्ध नहीं होगी।

IV. विदेशी नागरिकों अनिवासी करदाताओं के लिये कर-मुक्त आयें

(EXEMPTED INCOMES FOR FOREIGN CITIZENS OR NON-RESIDENT INDIAN)

1. कुछ प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज की आय (Income of Interest on Certain Prescribed Securities)— [धारा 10 (4)]

एक अनिवासी व्यक्ति को ऐसी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज आयकर से मुक्त है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया हो।

(i) अनिवासी भारतीय व्यक्ति को प्राप्त ब्याज जिसे केन्द्रीय सरकार ने 01-06-2002 से पूर्व अधिसूचित कर दिया हो।

(ii) विदेशी खाते पर ब्याज कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 से कर-मुक्त होगा।

2. बचत-पत्रों पर ब्याज (Interest on Savings Certificate)— [धारा 10 (4B)]

यदि भारतीय मूल के एक अनिवासी व्यक्ति ने ऐसे बचत-पत्र भारत के बाहर विदेशी मुद्रा में क्रय किये हों तो राष्ट्रीय बचत-पत्र VI एवं VII निर्गमन पर प्राप्त ब्याज पूर्णरूप से कर-मुक्त होगा। भारतीय मूल का व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो स्वयं या उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित परिवार में भारत में पैदा हुए हों।

3. विदेशी जहाज पर नौकरी से प्राप्त वेतन (Income from Salary for Working on Foreign Ship)— [धारा 10 (6) (vi)]

एक अनिवासी व्यक्ति को विदेशी जहाज पर नौकरी के बदले प्राप्त वेतन कर-मुक्त होगा यदि ऐसा व्यक्ति सम्बन्धित गत वर्ष में 90 दिन से अधिक भारत में न रहा हो।

4. प्रशिक्षण के समय प्राप्त पारिश्रमिक (Remuneration Received During Training Period)— [धारा 10 (6) (xi)]

यदि एक विदेशी सरकार के कर्मचारी को भारतीय सार्वजनिक उपक्रम में दिये जा रहे प्रशिक्षण के दौरान कोई पारिश्रमिक विदेशी सरकार से प्राप्त होता है तो वह पूर्णरूप से कर-मुक्त होगा।

5

निवास स्थान एवं कर-दायित्व

RESIDENCE AND TAX LIABILIY

कोई भी करदाता गत वर्ष में भारत में या भारत के बाहर आय कमाता है या प्राप्त करता है, तो यह ज्ञात किया जाता है कि उस व्यक्ति की कौन-कौन सी आय कर-योग्य हैं तथा कौन-कौन-सी आय कर-योग्य नहीं हैं अर्थात् कर मुक्त हैं। करयोग्य आय का निर्धारण करने के लिए उसकी निवासीय स्थिति को जानना आवश्यक होता है। किसी भी करदाता (व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, साझेदारी संस्था, कम्पनी, व्यक्तियों का समुदाय आदि) की निवासीय स्थिति आयकर अधिनियम के नियमों एवं उपनियमों के आधार पर तय की जाती है। निवासीय स्थिति के आधार पर ही कुल कर-योग्य आय निर्धारित की जाती है।

करदाता की निवासीय स्थिति (Residential Status of an Assessee)

आयकर अधिनियम की धारा 6(1) तथा धारा 6(6) के आधार पर करदाता दो प्रकार के होते हैं–

(1) निवासी करदाता (Resident Assessee); (2) अनिवासी करदाता (Non Resident Assessee)

निवासी करदाता दो प्रकार के हैं–(A) साधारण निवासी (Ordinarily Resident); (B) असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)।

निवासियों के प्रकार

- निवासी
  - साधारण निवासी
  - असाधारण निवासी
- अनिवासी

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निवासीय स्थिति तथा भारत की नागरिकता का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई भी करदाता किसी भी श्रेणी की निवासीय स्थिति में भारत का नागरिक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है।

करदाता की निवासीय स्थिति का निर्धारण (Determination of Residential Status of an Assessee)

कोई भी करदाता (व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, कम्पनी, व्यक्तियों का समुदाय आदि) उपरोक्त में से किस श्रेणी का निवासी है, इसका निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 6(1) तथा 6(6) में दी गई निम्न शर्तों के आधार पर किया जाता है–

धारा 6(1) की शर्तें या आधारभूत शर्त (Basic Conditions) or **मुख्य शर्त** (Main Condition)

(i) करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो या

(ii) करदाता गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में कुल मिलाकर कम-से-कम 365 दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में 60 दिन (अपवाद की स्थिति में 182 दिन) भारत में रहा हो।

5. **भारत के बाहर कमाई गई आय**—ऐसी विदेशी आय को निवासी करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है जैसे—विदेशी मकान सम्पत्ति का किराया।

II. असाधारण निवासी की दशा में कर दायित्व (Tax Liability in Case of Not Ordinarily Resident Assessee)—

1. करदाता को अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भारत में प्राप्त हुई समझी गई आय।
2. भारत में कमाई अथवा कमाई हुई समझी गई आय।
3. भारत के बाहर व्यापार से कमाई गई आय, जिसका नियन्त्रण भारत से हो।

III. अनिवासी करदाता की दशा में कर दायित्व (Tax Liability in Case of Non-Resident Assessee)—

1. भारत में प्राप्त हुई आय।
2. भारत में कमाई गई आय भारत में कमाई गई समझी जाने वाली आय।

स्पष्टीकरण—गत वर्ष से पूर्व की बिना कर लगी आय जिसे गत वर्ष में भारत लाया जाता है। करदाता की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी।

नोट : 1. प्राप्ति से आशय प्रथम प्राप्ति से है। प्राप्त करने के बाद उस आय को बाहर भेजा हो तो केवल प्रथम प्राप्ति को ही प्राप्ति स्थान माना जायेगा।
2. यदि अर्जित आय का स्थान दिया है। परन्तु प्राप्ति स्थान नहीं दिया है तो अर्जित के स्थान पर ही प्राप्ति मानी जायेगी। यदि आय प्राप्ति का स्थान दिया है परन्तु अर्जित आय का स्थान नहीं दिया है तो प्राप्ति के स्थान को ही अर्जित स्थान माना जायेगा।

विभिन्न आयों पर कर दायित्व
(TAX LIABILITY ON VARIOUS INCOMES)

क्रम संख्या	आय का विवरण	साधारण निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
1.	भारत में कमाई गई आय जिसे भारत में या भारत के बाहर प्राप्त किया गया हो।	कर-योग्य	कर-योग्य	कर-योग्य
2.	आय जो गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाये भारत के बाहर प्राप्त हुई हो।	कर-योग्य	कर-योग्य	कर-योग्य
3.	भारत में प्राप्त की गई आय जिसे भारत में या भारत के बाहर कमाया गया हो।	कर-योग्य	कर-योग्य	कर-योग्य
4.	आय जो गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई समझी जाये चाहे वह भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो।	कर-योग्य	कर-योग्य	कर-योग्य
5.	भारत के बाहर कमाई गई तथा भारत के बाहर ही प्राप्त की गई आय।	कर-योग्य	कर-योग्य नहीं	कर-योग्य नहीं
6.	भारत के बाहर व्यापार से कमाई गई तथा भारत के बाहर प्राप्त की गई आय जिसका नियन्त्रण भारत से हो या व्यापार भारत में स्थित हो।	कर-योग्य	कर-योग्य	कर-योग्य नहीं
7.	बिना कर लगी आय (गत वर्ष से पूर्व की) जिसे भारत लाया गया हो	कर-योग्य नहीं	कर-योग्य नहीं	कर-योग्य नहीं

नोट—1. साधारण निवासी करदाता के लिए सभी आय कर-योग्य होंगी चाहे वह भारत में कमाई गई/प्राप्त हो या भारत के बाहर।
2. भारत के बाहर उपार्जित तथा भारत के बाहर प्राप्त आय असाधारण निवासी व अनिवासी के लिए कर-योग्य नहीं है।
3. विदेशी व्यापार की आय जो भारत में स्थापित है या भारत से नियन्त्रित है, केवल अनिवासी के लिए कर-योग्य नहीं है।
4. बिना कर लगी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई, किसी भी प्रकार के करदाता के लिए कर-योग्य नहीं है।
5. भारत में प्राप्त/कमाई गई कृषि आय सभी के लिए कर-मुक्त होती है।
6. भारतीय फर्म से प्राप्त लाभ सभी के लिए कर-मुक्त होता है।

आधारभूत शर्त के अपवाद (Exceptions of Basic Condition)

(a) एक भारतीय नागरिक की दशा में यदि वह व्यक्ति विदेश में रोजगार के लिए भारत से बाहर गया है ... समुद्री जहाज के कर्मीदल के सदस्य (Crew Member) के रूप में भारत से बाहर गया है तो आधारभू... करने के लिए उसे गत वर्ष (ii) में 60 दिन के स्थान पर कम-से-कम 182 दिन भारत में रहना अनि...

(b) भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिक की स्थिति में ऐसा व्यक्ति विदेश में है तथा गतवर्ष भा... करने आता है तो आधारभूत शर्त (ii) को पूरा करने के लिए उसे गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर कम-से... दिन भारत में रहना अनिवार्य होगा।

नोट—एक व्यक्ति भारतीय मूल का ऐसी स्थिति में कहलाता है, यदि वह स्वयं या उसके माता या पिता या उसके दादा या दादी... अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो।

धारा 6(6)a की शर्तें या अतिरिक्त शर्तें—

(i) करदाता सम्बन्धित गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के 10 गत वर्षों में से कम-से-कम 2 वर्ष भारत का निवासी [धारा ... पूर्व करो रहा हो अर्थात् गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 2 वर्ष पहले भाग की अर्थात् आधार शर्तों की पूर्ति ...

(ii) करदाता सम्बन्धित गत वर्ष से पूर्व के 7 गत वर्षों में कुल मिलाकर कम-से-कम 730 दिन भारत में ...

(A) एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति (Residential Status of an Individual)

1. निवासी या साधारण निवासी (Resident or Ordinarily Resident)—एक व्यक्ति करदाता भारत ... या साधारण निवासी तभी कहलाएगा जब वह आधारभूत शर्तों धारा 6(1) में से कम-से-कम एक शर्त पूरी क... अतिरिक्त दोनों शर्तें धारा 6(6) (a) को भी पूरा कर दे।

2. असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)—एक व्यक्ति करदाता असाधारण निवासी तब कह... जब वह धारा 6(1) की दोनों शर्तों में से कम-से-कम एक शर्त पूरी कर दे तथा धारा 6(6) (a) की दोनों शर्तों में से ... हो शर्त पूरी करता हो या कोई भी शर्त पूर्ण न करता हो।

3. अनिवासी (Non Resident)—एक व्यक्ति करदाता जब आधारभूत शर्तों जो धारा 6(1) की कोई भी ... करता हो तो वह भारत में अनिवासी कहलाएगा। ऐसा करदाता अतिरिक्त शर्तों को पूरा करे या ना करे यह महत्व...

एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति—एक दृष्टि में

(RESIDENTIAL STATUS OF AN INDIVIDUAL : AT A GLANCE)

शर्तें	साधारण निवासी	असाधारण निवासी	अनिवा...
मुख्य शर्तें 1. वह गत वर्ष में कम-से-कम 182 दिन भारत में रहा हो। अथवा 2. वह गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में कम-से-कम 365 दिन तथा गत वर्ष में कम-से-कम 60 दिन भारत में रहा हो। (अपवाद की दशा में गत वर्ष में कम-से-कम 182 दिन भारत में रहा हो।)	यदि मुख्य शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो।	यदि मुख्य शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो।	यदि मुख्य श... भी शर्त पूरी ... हो।
अतिरिक्त शर्तें— (i) वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम-से-कम 2 वर्ष निवासी रहा हो, तथा (ii) वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम-से-कम 730 दिन भारत में रहा हो।	तथा अतिरिक्त दोनों शर्तों को पूरी करता हो।	परन्तु अतिरिक्त दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता हो या केवल एक शर्त को पूरा करता हो।	अतिरिक्त श... नहीं दिया ...

नोट—दिनों की गणना के लिए भारत में आने-जाने वाले दोनों दिनों को ध्यान में रखा जायेगा।

(B) हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति (Residential Status of H.U.F.)

1. भारत में साधारण निवासी (Ordinarily Resident in India)—यदि हिन्दू अविभाजित परिवार का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णत: या आंशिक रूप से भारत में होता है तथा हिन्दू अविभाजित परिवार का प्रधान या मुख्यकर्ता या मुखिया धारा 6(6) (a) की दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है तो ऐसा परिवार भारत में साधारण निवासी माना जाता है।

2. भारत में असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident in India)—यदि हिन्दू अविभाजित परिवार का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णत: या आंशिक रूप से भारत में स्थित है तथा परिवार का मुखिया निम्न दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है तो हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में असाधारण निवासी माना जायेगा—

(i) सम्बन्धित गत वर्ष से पूर्व के 10 गत वर्षों में कम-से-कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो।

(ii) सम्बन्धित गत वर्ष से पूर्व के 7 गत वर्षों में कम-से-कम 730 दिन भारत में रहा हो।

3. भारत में अनिवासी (Non Resident in India)—यदि किसी हिन्दू अविभाजित परिवार का सम्पूर्ण नियन्त्रण एवं प्रबन्ध भारत के बाहर हो तो हिन्दू अविभाजित परिवार अनिवासी माना जाएगा।

हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति—एक दृष्टि में

(RESIDENTIAL STATUS OF HINDU UNDIVIDED FAMILY : AT A GLANCE)

शर्तें	साधारण निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
1. हिन्दू अविभाजित परिवार का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण आंशिक या पूर्णरूप से भारत में स्थित हो।	हिन्दू अविभाजित परिवार प्रथम शर्त को पूरा करता हो।	हिन्दू अविभाजित परिवार प्रथम शर्त पूरी करता हो।	हिन्दू अविभाजित परिवार प्रथम शर्त को पूरी नहीं करता हो।
2. हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता या प्रबन्धक निम्न शर्तों को पूरा करता हो। (i) वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम-से-कम दो वर्ष भारत में निवासी रहा हो, तथा (ii) वह गत वर्ष से पूर्व के सात वर्षों में कम-से-कम 730 दिन भारत में रहा हो।)	तथा कर्ता या प्रबन्धक शर्त (i) तथा (ii) दोनों को पूरी करता हो।	परन्तु कर्ता या प्रबन्धक शर्त (i) तथा (ii) में से एक शर्त पूरी करता हो या एक भी पूरी नहीं करता हो।	तो (i) तथा (ii) शर्त पर ध्यान नहीं देते।

नोट—हिन्दू अविभाजित परिवार का सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण यदि पूर्णत: भारत के बाहर स्थित हो तो हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में अनिवासी माना जायेगा।

(C) फर्म या व्यक्तियों के संघ की निवासीय स्थिति (Residential Status of Firm and Association of Persons)

कोई भी फर्म या व्यक्तियों का समूह असाधारण निवासी नहीं हो सकता। वह या तो निवासी होगा या अनिवासी।

1. निवासी (Resident)—कोई भी फर्म या व्यक्तियों का समुदाय भारत में साधारण निवासी तब माना जायेगा जब उसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध आंशिक या पूर्ण रूप से भारत से संचालित किया जा रहा हो तथा इसको भारत से ही निर्देश दिये जा रहे हो।

2. अनिवासी (Non-Resident)—यदि किसी फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का सम्पूर्ण नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्ण रूप से भारत के बाहर से होता है तो इसे अनिवासी माना जायेगा।

नोट—फर्म या व्यक्तियों का संघ/समुदाय असाधारण निवासी नहीं होते हैं।

(D) कम्पनी की निवासीय स्थिति (Residential Status of Company)

1. भारत में निवासी (Resident in India)—यदि कोई कम्पनी भारतीय कम्पनी है या कोई अन्य कम्पनी है गत वर्ष में कम्पनी का प्रभावी प्रबन्ध भारत में स्थित हो, तो ऐसी कम्पनी को भारत में निवासी माना जाता है।

यदि कोई कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 या इससे पूर्व प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत भारत में समामेलित हुई हो तो इसे भारतीय कम्पनी माना जाएगा चाहे उसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध भारत के बाहर से होता हो।

	आय का विवरण	निवासी	असाधारण निवासी	
1.	भारतीय आय	कर-योग्य	कर-योग्य	कर
2.	विदेशी आय			
	(i) पूर्ण या आंशिक रूप से भारत से नियन्त्रित व्यापार	कर-योग्य	कर-योग्य	कर-योग्य
	(ii) भारत के बाहर नियन्त्रित व्यापार	कर-योग्य	कर-योग्य नहीं	कर-योग्य
	(iii) अन्य विदेशी आयें जैसे—वेतन, ब्याज, किराया आदि।	कर-योग्य	कर-योग्य नहीं	कर-योग्य

कम्पनी, सहकारी समिति, फर्म, व्यक्तियों का संघ आदि की दशा में—

आय का विवरण	निवासी	अनिवासी
भारतीय आय	कर-योग्य	कर-योग्य
विदेशी आय	कर-योग्य	कर-योग्य नहीं

आय के विभिन्न रूप
(DIFFERENT FORMS OF INCOME)

1. **भारत में प्राप्त आय**—ऐसी आय को जिसे भारत के अलावा किसी अन्य स्थान पर कमाया गया हो किन्तु भा... में सर्वप्रथम प्राप्त किया गया हो भारत में प्राप्त आय कहा जाएगा।
   जैसे—लन्दन की मकान सम्पत्ति का किराया भारत में प्राप्त किया।
2. **भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय**—ऐसी आय जिसे भारत में प्राप्त नहीं किया गया है किन्तु अ... अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उसे भारत में प्राप्त मान लिया जाता है। **जैसे**—प्रॉविडेण्ट फण्ड में गत... हुई वार्षिक वृद्धि, अर्थात् प्रोविडेन्ट फण्ड खाते में जमा हुई ब्याज तथा नियोक्ता का अंशदान।
3. **भारत में कमायी गई आय**—आयकर की दृष्टि से उपार्जित एवं उदित अथवा कमायी गई आय उस सम... जाती है जब करदाता को उसे प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे—भारत में व्यापार से आय, ... प्राप्त वेतन आदि।
4. **भारत में कमायी गई समझी जाने वाली आय**—भारत में उपार्जित एवं उदित समझी जाने वाली आयें वे आ... भारत के बाहर कमायी गई हों किन्तु उन्हें भारत में कमायी गई आय मान लिया जाता है।
   जैसे—भारत सरकार के किसी कर्मचारी को विदेशी दूतावास में सेवा करने के बदले प्राप्त वेतन भारत में व्या... सम्बन्ध से आय, भारत में किसी सम्पत्ति से आय, भारत में पूँजी के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ, भारत में अ... से आय आदि।
5. **ब्याज की आय**—ब्याज की आय को भारत में कमायी गयी आय तभी माना जायेगा जब—
   (i) ब्याज का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया गया हो।
   (ii) ऋण का उपयोग भारत में चल रहे व्यापार अथवा पेशे के सम्बन्ध में किया जा रहा हो।
6. **रॉयल्टी या अधिकार-शुल्क की आय**—
   (i) अधिकार-शुल्क का भुगतान भारत सरकार द्वारा होना चाहिए।
   (ii) ऐसी सम्पत्ति या अधिकार जिस पर अधिकार शुल्क प्राप्त हो रहा है उसका प्रयोग भारत में चल रहे व्यापार... पेशे में किया जा रहा हो।
7. **तकनीकी सेवाओं के प्रतिफल में फीस**—
   (i) ऐसी फीस का भुगतान भारत सरकार द्वारा देय होना चाहिए।
   (ii) तकनीकी सेवा का उपयोग ऐसे व्यापार एवं पेशे में हो जो भारत में संचालित हो।

निवासीय स्थिति के आधार पर सकल कुल आय की गणना

(COMPUTATION OF GROSS TOTAL INCOME ON BASIS OF RESIDENTIAL STATU

एक करदाता अनेक स्रोतों से तथा अनेक स्थानों से आय प्राप्त कर सकता है एवं कमा सकता है। कुछ आयें सकती हैं जो भारत में कमायी अथवा प्राप्त की गई हों तथा कुछ आयें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें भारत के बाहर कमाया या भारत के बाहर प्राप्त किया गया हो अथवा भारत के बाहर कमाया एवं प्राप्त किया गया हो। ऐसी आयों में से कि आयों को कर-योग्य माना जाये यह प्रश्न निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है। अलग-अलग श्रेणियों के निवासि करदायित्व अलग-अलग होता है।

एक करदाता का उसके निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व निम्न प्रकार निर्धारित किया जा सकता

I. साधारण निवासी या निवासी की दशा में कर दायित्व (Tax Liability in Case of Resident or Ordi Resident Assessee)—

1. **भारत में प्राप्त हुई आय**—साधारण निवासी अथवा निवासी के लिये भारत में प्राप्त हुई आय करदाता की कु में जोड़ दी जाती है। जैसे—भारत में व्यापार से लाभ।
2. **भारत में प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय**—साधारण निवासी अथवा निवासी के लिये किसी कम्पनी द्वा लाभांश उसी गत वर्ष में प्राप्त समझा जाएगा जिस वर्ष में लाभांश घोषित हुआ है।
3. **भारत में कमाई गई या उपार्जित या उदय हुई आय**—ऐसी आयें किसी भी स्थान पर प्राप्त हो सक जैसे—भारत में की गई सेवा का वेतन, विदेश में प्राप्त होना।
4. **भारत में कमाई गई समझी जाने वाली आय**—ऐसी आयों की प्राप्ति किसी भी स्थान पर हुई हो जैसे—एक कर्मचारी द्वारा विदेश में सेवा के फलस्वरूप अर्जित वेतन या आय।

6

वेतन शीर्षक की आय

INCOME FROM SALARIES HEAD

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) के अनुसार करदाता की गत वर्ष की कुल आय पर कर लगाया जाता है। भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अनुसार सम्पूर्ण आयों को पाँच शीर्षकों में बाँटा गया है–

आय के शीर्षक
(HEADS OF INCOME)

- वेतन से आय (धारा 15, 16 एवं 17)
- मकान सम्पत्ति से आय (धारा 22 से 27)
- व्यवसाय एवं पेशे से आय (धारा 28 से 44)
- पूँजी लाभ (धारा 45 से 55)
- अन्य साधनों से आय (धारा 56 से 59)

आय की गणना विभिन्न शीर्षकों में अलग-अलग ढंग से की जाती है जैसे—वेतन की आय की गणना वेतन शीर्षक के अन्तर्गत, आदि। विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत जो छूटें और सुविधाएँ दी जाती हैं, वे अलग-अलग होती हैं।

वेतन का आशय
(MEANING OF SALARY)

आयकर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वेतन का आशय निम्न से है—

1. ऐसा पारिश्रमिक जो नियोक्ता से प्राप्त या प्राप्य हो, जिस पर आयकर देना पड़ता हो, चाहे वह राशि प्राप्त हुई हो अथवा नहीं।
2. वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक अथवा नियोक्ता की ओर से मिला हुआ अथवा स्वीकृत हुआ वेतन, जो देय नहीं हुआ किन्तु देय होने से पहले ही मिल गया हो।
3. ऐसा बकाया वेतन जो गत वर्ष में कर्मचारी को दे दिया गया हो जिस पर कोई भी गत वर्ष में कर नहीं लगा हो।

वेतन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नियम
(IMPORTANT RULES REGARDING SALARY)

1. **नियोक्ता (मालिक) तथा कर्मचारी का सम्बन्ध** (Relationship of Employer and Employee)—वेतन शीर्षक के अन्तर्गत वेतन केवल तभी करयोग्य होगा जब वेतन भुगतान करने वाले तथा वेतन प्राप्त करने वाले में नियोक्ता तथा कर्मचारी का सम्बन्ध हो। यदि भुगतान करने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले में मालिक तथा कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं है तो ऐसा भुगतान "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है। जैसे—सचालक को प्राप्त कमीशन या फीस, सांसदों को प्राप्त वेतन आदि। इस प्रकार की आय "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य है। साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस व कमीशन इस शीर्षक में कर-योग्य न होकर व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में कर-योग्य हैं।

2. **एक से अधिक नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन** (Salary received from more than one Employer)—यदि कोई कर्मचारी एक या एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त करता है तो ऐसे सभी वेतन भुगतान वेतन शीर्षक की आय में कर-योग्य होते हैं। इसके अन्तर्गत बकाया वेतन तथा अग्रिम वेतन भी शामिल है।
3. **वर्तमान या भूतकाल के नियोक्ता से प्राप्त वेतन** (Salary received from present or former employer)—कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये भुगतान चाहे वर्तमान नियोक्ता के हों या भूतपूर्व नियोक्ता के हों, सभी वेतन शीर्षक की आय में शामिल होते हैं।
4. **कर-मुक्त वेतन** (Tax-free Salary)—कर-मुक्त वेतन से आशय उस वेतन से है जिस वेतन पर आयकर के भुगतान करने का दायित्व नियोक्ता का होता है, कर्मचारी का नहीं। इस सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा चुकाया गया आयकर कर्मचारी की आय में शामिल किया जाता है।
5. **विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन एवं पेन्शन** (Salary and Pension received from Foreign Government)—कर्मचारी को विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन एवं पेन्शन वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य होती है। बशर्ते सरकार द्वारा उसे कर-मुक्त घोषित न किया गया हो।
6. **भारत में की गई सेवाओं का विदेश में प्राप्त वेतन एवं पेन्शन** (Salary and Pension received in foreign, the service rendered in India)—यदि सेवाएँ भारत में प्रदान की गई हैं तथा उनका वेतन या पेन्शन भारत के बाहर प्राप्त होती है तो वह भारत में ही उपार्जित मानी जायेगी।
7. **नियोक्ता द्वारा वेतन में से की गई कटौतियाँ** (Deductions made by employer from salary)—यदि नियोक्ता कर्मचारी के वेतन में से कुछ कटौतियाँ घटाने के बाद उसे शुद्ध वेतन का भुगतान करता है तो ऐसी सभी कटौतियाँ कर्मचारी के वेतन में जोड़ दी जायेंगी। क्योंकि सकल वेतन (Gross Salary) ही कर-योग्य होता है।
8. **वेतन तथा मजदूरी दोनों ही कर-योग्य** (Salary and wages both are taxable)—वेतन शीर्षक के अन्तर्गत वेतन तथा मजदूरी में कोई अन्तर नहीं है, दोनों ही वेतन शीर्षक की आय में कर-योग्य होते हैं।
9. **वेतन कमाने का स्थान** (Place of accural of salary)—वेतन कमाने का स्थान वह होता है जिस स्थान पर सेवाएँ दी जा रही हैं। परन्तु एक सरकारी कर्मचारी की दशा में, उसके द्वारा विदेश में दी गई सेवाओं का वेतन भी भारत में उपार्जित/देय माना जाता है।
10. **न्यायालय के आदेश द्वारा रोका गया वेतन** (Salary retained by order of Court)—न्यायालय द्वारा रोके गये वेतन को भी वेतन से आय की गणना करते समय कर-योग्य आय में जोड़ दिया जायेगा।
11. **महँगाई भत्ता एवं महँगाई वेतन** (Dearness Allowances and Dearness Pay)—महँगाई भत्ता तथा महँगाई वेतन दोनों को ही वेतन शीर्षक की आय की गणना करते समय जोड़ा जाता है।
12. **वेतनमान के आधार पर वेतन** (Salary on the basis of Salary Grades)—मूल वेतन का अर्थ उस वेतन से है जो वेतन क्रम के अनुसार मिलता है। वेतन क्रम कर्मचारी के मूल वेतन में वृद्धि की प्रक्रिया को बताते हैं। वेतन में वृद्धि प्रत्येक वर्ष लगाई जायेगी, जो वृद्धि वेतन क्रम में दी जाती है। यह वृद्धि तब तक होगी जब तक कि उसके वेतनक्रम की अन्तिम सीमा नहीं आ जाती। यदि वेतन वृद्धि एक से अधिक है तो दर्शायी गई वेतन सीमा के बाद अगली वृद्धि प्रारम्भ की जायेगी।

सरकारी तथा अर्द्धसरकारी कर्मचारियों की दशा में, जिस माह का वेतन हो वह उसके अगले माह की पहली तिथि को देय माना जायेगा। इनका वेतन मार्च से फरवरी तक का कर-योग्य होगा। बैंकों तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों की दशा में वेतन, जिस माह का हो उसी माह की अन्तिम तिथि को देय माना जाता है। अतः इनका वेतन अप्रैल से मार्च तक का कर-योग्य होगा।

13. **सूचना अवधि के बदले में वेतन** (Salary in lieu of notice period)—जब किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करनी होती है तो 3 माह पूर्व उसे इस आशय का नोटिस (Notice) दिया जाता है और यदि उसकी सेवाएँ तुरन्त समाप्त करनी हो तो उसे इस 3 माह की अवधि का वेतन दिया जाता है तो जिस वर्ष में यह प्राप्त होगा उसी वर्ष में यह कर-योग्य होगा।
14. **वेतन के अतिरिक्त नियोक्ता से अन्य प्राप्त की गई राशि** (Any other amount excluding salary received by the employer)—यदि कर्मचारी नियोक्ता से कोई राशि प्राप्त करता है चाहे वह सेवा की शर्तों में शामिल की गई है या नहीं, कर्मचारी के लिए वह वेतन शीर्षक में ही कर-योग्य होगी।

कर-योग्य वेतन की गणना
(COMPUTATION OF TAXABLE SALARY)

	₹
मूल वेतन (Basic Salary)	......
बोनस (Bonus)	......
कमीशन (Commission)	......
बकाया वेतन (Arrears of Salary)	......
अग्रिम वेतन (Advance Salary)	......
सूचना अवधि का वेतन (Salary in lieu of notice)[1]	......
महँगाई भत्ता (Dearness Allowance)	......
शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (City Compensatory Allowance)	......
बिक्री पर कमीशन (Commission on Sale)	......
सभी कर-योग्य भत्ते (All Taxable Allowances)	......
कर-योग्य अनुलाभ (Taxable Perquisites)	......
नियोक्ता का प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान (वेतन के 12% से अधिक) (Taxable Contribution of Employer in Recognised Provident Fund in excess of 12%)	......
नियोक्ता के प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान पर ब्याज (9.5% से अधिक) (Interest in excess of 9.5% on the Contribution of Employer in Recognised Provident Fund)	......
अन्तरिम राहत (Interim Relief)	......
सकल वेतन (Gross Salary)	......

घटाइये—धारा 16 के अन्तर्गत कटौतियाँ ₹

(i) मानक कटौती धारा 16(i) [Standard deduction 16(i)] (अधिकतम ₹ 40,000) यदि लागू हो ......

(ii) मनोरंजन भत्ता धारा 16(ii) [Entertainment allowance Section 16(ii)] (केवल सरकारी कर्मचारी के लिये अधिकतम ₹ 5,000) (Only for Government Employees Maximum ₹ 5,000) ......

(iii) व्यावसायिक या रोजगार कर धारा 16(iii) [Professional or Employment Tax Section 16(iii)] ....

कर-योग्य वेतन या वेतन से आय (Taxable Salary or Income from Salary) ......

नोट— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276 के अनुसार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ताओं को व्यवसाय कर या रोजगार कर के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति दी गयी है। संविधान के अनुच्छेद 276 के अनुसार, एक वर्ष में वास्तव में भुगतान किया गया व्यवसाय कर ₹ 2,500 प्रति वर्ष अधिकतम राशि के रूप में सकल वेतन में से घटाया जायेगा। **आय कर अधिनियम में व्यवसाय कर या रोजगार कर की अधिकतम सीमा ₹ 2,500 प्रति वर्ष के सम्बन्ध में कोई वर्णन नहीं है। अतः गत-वर्ष में भुगतान की गई व्यवसाय कर या रोजगार कर की सम्पूर्ण राशि धारा 16(iii) के अन्तर्गत सकल वेतन में से घटाई जायेगी।**

मदें जो वेतन शीर्षक में करयोग्य नहीं हैं।
(ITEMS WHICH ARE NOT TAXABLE UNDER THE HEAD OF SALARY)

1. **नियोक्ता से ऋण** (Loan from Employer)—नियोक्ता से प्राप्त किया गया ऋण अग्रिम वेतन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह प्राप्ति वापसी योग्य है। इसलिए इसे करदाता की कुल आय में नहीं जोड़ा जाता।

1 V.D. Talwar Vs. CIT (1963) 49 ITR 122 (SC).

मानक कटौती (Standard Deduction)	+	मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance)	+	रोजगार कर (Employment Tax)

↓

वेतन शीर्षक से आय
(Income from Salaries)

वेतन (Salary)

वेतन में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है—

1. मूल वेतन या मजदूरी,
2. वार्षिकी या पेन्शन,
3. ग्रेच्यूइटी,
4. अग्रिम या अवशिष्ट वेतन,
5. कर्मचारी के प्रमाणित प्रोविडेन्ट फण्ड में वार्षिक वृद्धि,
6. बोनस, कमीशन, फीस, अन्तरिम राहत, अनुलाभ या ऐसे लाभ जो वेतन या मजदूरी के बदले में अथवा वे... मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त हुए हों,
7. छुट्टियों का नकदीकरण,
8. सेवा से छँटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति,
9. स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त राशि,
10. केन्द्र सरकार द्वारा गतवर्ष में अनुसूचित पेन्शन योजना के अन्तर्गत (धारा-80CCD) कर्मचारी के खाते में ... गया अंशदान,
11. अधिसमय भुगतान,
12. स्थानान्तरित शेष।

उपर्युक्त मदों का स्पष्टीकरण
(EXPLANATION OF THE ABOVE ITEMS)

1. **मूल वेतन या मजदूरी** (Basic Salary or Wages)—किसी भी नौकरी में नियुक्ति का आधार मूल वेतन ... है। कर्मचारी को प्राप्त होने वाले वेतन को दो भागों में रखा जाता है। पहले भाग में मूल वेतन या मजदूरी तथा ... भाग में बोनस, भत्ते और कमीशन आदि होते हैं।

...mple 7.

निम्नलिखित परिस्थितियों में कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिये मूल वेतन ज्ञात कीजिये—

1. श्री अनुज 1 अप्रैल, 2017 से ₹ 10,000 प्रतिमाह की दर से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। 1 अगस्त, 2018 को ... वेतन में ₹ 500 तथा 1 जुलाई, 2019 से ₹ 1,000 की वेतन वृद्धि स्वीकृत हुई।
2. श्री हेमन्त एक सरकारी विभाग में 1 जुलाई, 2014 को ₹ 12,000—200—16,000 के वेतनमान में नियुक्त ... वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय होता है।

Calculate basic salary for the assessment year 2019-20 in the following conditions:

1. Mr. Anuj has been getting salary at the rate of ₹ 10,000 per month from 1st April, 20... He has been allowed increment of ₹ 500 on 1st August, 2018 and ₹ 1,000 on 1st J... 2019.
2. Mr. Hemant was appointed in a government department on 1st July, 2014 in pay ... of ₹ 12,000—200—16,000. Salary becomes due on first day of next month.

Solution : **1. Computation of Mr. Anuj's Salary**
(for the assessment year 2019-20)

April, 2018 to July, 2018 = 10,000 × 4	=	₹ 40,000
August, 2018 to March, 2019 = 10,500 × 8	=	₹ 84,000
Salary for the year		₹ 1,24,000

2. Computation of Mr. Hemant's Salary
(for the assessment year 2019-20)

Mar., 2018 to June, 2018 = 12,600 × 4	=	₹ 50,400
July, 2018 to Feb, 2019 = 12,800 × 8	=	₹ 1,02,400
Salary for the year		₹ 1,52,800

2. **वार्षिकी या पेन्शन** (Annuity or Pension)—सेवा निवृत्ति की आयु पूर्ण होने तक कर्मचारी को अपने पहले नियोक्ता से प्राप्त होने वाली राशि पूर्णरूप से कर-योग्य है।
3. **ग्रेच्यूइटी** (Gratuity)—कर्मचारी द्वारा अपने सेवाकाल में की गई सेवाओं को प्रदान करने के बदले में उसे अपने भूतपूर्व नियोक्ता से जो राशि प्राप्त होती है उसे ग्रेच्यूइटी कहते हैं।

   (अधिक जानकारी के लिए इस पुस्तक का अध्याय 7 देखिए)
4. **अग्रिम या अवशिष्ट वेतन** (Advance and Arrears of Salary)—यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से आगामी कुछ महीनों का अग्रिम वेतन गत वर्ष में प्राप्त करता है या पिछले वर्षों का बकाया वेतन गत वर्ष में प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में दोनों राशियाँ वेतन से आय शीर्षक में शामिल की जायेंगी, बशर्ते कि इन्हें पिछले वर्ष की आय में शामिल न किया गया हो।
5. **कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि में वार्षिक वृद्धि** (Annual Accretion in Employee's Recognised Provident Fund)—कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि में वार्षिक वृद्धि के दो कारण हैं—
   - (i) **नियोक्ता का अंशदान** (Contribution of Employer)—यदि नियोक्ता कर्मचारी की प्रमाणित भविष्य निधि में कर्मचारी के वेतन का 12% से अधिक अंशदान करता है तो ऐसे आधिक्य को कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जायेगा।

     वेतन का आशय = वेतन + निश्चित दर से बिक्री पर कमीशन + महँगाई भत्ता जो सेवा शर्तों के अन्तर्गत हो।
   - (ii) **भविष्य निधि पर ब्याज** (Interest on Provident Fund)—कर्मचारी द्वारा प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान पर प्राप्त किया गया ब्याज (9.5% से अधिक) वेतन से आय में जोड़ा जाता है।
6. **बोनस, कमीशन, फीस, अन्तरिम राहत एवं अनुलाभ आदि** (Bonus, Commission, Fees, Interim Relief and Perquisites Etc.)—नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिया गया बोनस, कमीशन, फीस या अन्तरिम राहत को वेतन से आय में जोड़ा जाता है। कमीशन प्रतिशत या लाभ के रूप में भी हो सकता है। यदि कोई अनुलाभ एवं भत्ते भी प्राप्त हुए हैं तो उनके कर-योग्य भाग को भी वेतन की आय में जोड़ा जाता है।
7. **छुट्टियों का नकदीकरण** (Encashment of Leave)—कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए अवकाश लेने का अधिकार है, यदि सेवा में रहते हुए अवकाश नहीं लेता है, तो नियोक्ता इसके प्रतिफल में कर्मचारी को नकद भुगतान देता है **वह छुट्टियों का नकदीकरण है।**
8. **सेवा से छँटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति** (Compensation received on retrenchment)—कर्मचारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सेवा से हटाने पर नियोक्ता कर्मचारी को मुआवजे के रूप में जो धनराशि देता है **वह सेवा से छँटनी होने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति है।**

9. **स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि** (Compensation received at the time of volun... retirement)—जब कर्मचारी अपनी इच्छा से अवकाश ग्रहण या सेवा से निवृत्ति लेता है। तब नियोक्ता क... को इस योजना के अन्तर्गत धनराशि देता है **वह स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त राशि है।** 10(...

10. **केन्द्र सरकार या अन्य किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को पेन्शन योजना में जमा कराया गया अं...** (Contribution of Central Government or any other employer in pension scheme of employees)—केन्द्र सरकार या अन्य किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के खाते में ऐसी पेंशन योजना में ज... किया जाता है जो धारा 80CCD में वर्णित पेन्शन योजना के अन्तर्गत आती हो, तो यह जमा राशि वेतन शीर्ष... कर-योग्य होगी।

11. **अधिसमय भुगतान** (Overtime Payment)—कार्य घण्टों के आधार पर अतिरिक्त काम करने के लिए ... गया भुगतान कर्मचारी के सकल वेतन में जोड़ा जाता है।

12. **स्थानान्तरित शेष** (Transferred Balance)—अप्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड का शेष, जिसे प्रमाणित प्रो... फण्ड में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित शेष कहलाता है।
    (i) **नियोक्ता का अंशदान** (Employer's Contribution)—प्रारम्भ से अब तक की रकम उस गत व... आय में शामिल की जाएगी जिस वर्ष में अप्रमाणित भविष्य निधि को प्रमाणित किया गया है। (कर्मचा... वेतन का 12% से अधिक)।
    (ii) **नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज** (Interest on Employer's Contribution)—प्रारम्भ से अब ... कुल वर्षों के ब्याज का वह भाग जो जमा राशि पर (9.5% से अधिक) हो, कर्मचारी के वेतन में ... किया जाएगा।
    (iii) **कर्मचारी का अंशदान** (Employee's Contribution)—ऐसा अंशदान कर-मुक्त है क्योंकि जब ... अप्रमाणित था तब कर लग चुका था।
    (iv) **कर्मचारी के अंशदान का ब्याज** (Interest on Employee's Contribution)—वेतन शीर्षक के ... में कर-योग्य नहीं है।

(1) कर्मचारी द्वारा दिया गया अंशदान उसके वेतन का हिस्सा होगा तथा वेतन से आय शीर्षक के अन्तर्गत ... कटौती नहीं मिलेगी।
सकल कुल आय में से धारा 80 C या धारा 80 CCD की कटौती निम्न प्रकार मिलेगी–
(i) कर्मचारी द्वारा दिया गया अंशदान
(ii) वेतन का 10%
जो भी कम हो
(2) यदि नियोक्ता पेंशन फण्ड में अंशदान करता है तो अंशदान वेतन शीर्षक में कर-योग्य होगा तथा धारा 80CC... की कटौती में शामिल होगा।

भविष्य निधि (Provident Fund)

कर्मचारियों को सुरक्षा तथा छोटी-छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न प्रकार की भविष्य निधि... स्थापना की गई है। कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित दर से राशि काट ली जाती है तथा भविष्य निधि में नियोक्ता ... राशि जमा कराई जा सकती है। जब कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है, तो उसे वह राशि उस समय ब्याज सहित दे दी ... भविष्य निधि निम्न प्रकार की होती है—

1. वैधानिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund)
2. प्रमाणित भविष्य निधि (Recognised Provident Fund)
3. अप्रमाणित भविष्य निधि (Unrecognised Provident Fund)
4. सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund)

1. **वैधानिक भविष्य निधि** (Statutary Provident Fund)—ऐसी भविष्य निधि सरकारी, अर्द्ध ... रेलवे, सरकारी शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय सरकारी कार्यालयों, बैंकों, बीमा कम्पनियों द्वारा रखी जाती है ...

पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है। इस भविष्य निधि में किये गये अंशदान को (जब कर्मचारी सेवा में है) वेतन शीर्षक की आय निकालते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। कर्मचारी के अंशदान की छूट धारा 80C के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। ऐसे फण्ड से प्राप्त राशि कर्मचारी के नौकरी छोड़ने पर या सेवा निवृत्त होने पर भुगतान की जाती है, तथा उसकी कुल आय में नहीं जोड़ी जाती है क्योंकि यह धारा 10 (11) के अन्तर्गत कर-मुक्त है।

2. **प्रमाणित भविष्य निधि** (Recognised Provident Fund)—ऐसी भविष्य निधि आयकर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित ऐसी निधि है जिसे अनुसूचित बैंकों, कारखानों तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखा जाता है। जिसमें कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों ही अंशदान करते हैं। नियोक्ता द्वारा इस फण्ड में कर्मचारी के वेतन का 12% तक अंशदान कुल आय में शामिल नहीं किया जाता। इससे अधिक नियोक्ता का अंशदान आय में शामिल किया जायेगा। कर्मचारी द्वारा किया गया अंशदान (सेवा में रहते हुए) धारा 80C में छूट के लिए शामिल किया जायेगा। प्रमाणित भविष्य निधि में जमा राशि पर 9.5% की दर से जमा ब्याज को कर्मचारी की आय में नहीं जोड़ा जाता है। यदि इससे अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो उसे कर्मचारी की आय में जोड़ा जाता है।

भविष्य निधि में वार्षिक वृद्धि—इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—
(i) कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि में उसके वेतन के 12% से अधिक किया गया अंशदान (नियोक्ता द्वारा)।
(ii) कर्मचारी के वेतन में जमा राशि पर (9.5% से अधिक) वार्षिक से अधिक ब्याज की राशि।
सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने पर इस निधि की जो राशि प्राप्त होती है वह पूर्णतः ब्याज सहित कर-मुक्त होती है।

3. **अप्रमाणित भविष्य निधि** (Unrecognised Provident Fund)—ऐसे निधि जो न तो वैधानिक हो और न ही आयकर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित हो अप्रमाणित भविष्य निधि कहलाती हैं। ऐसी निधि लघु उद्योग संस्थाओं द्वारा रखी जाती हैं। इस भविष्य निधि के अंशदान को न तो वेतन शीर्षक की आय निकालते समय ध्यान में रखा जाता है और न ही धारा 80C में कटौती के लिए शामिल किया जाता है।
सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने पर इस भविष्य निधि की प्राप्त राशि में से नियोक्ता का अंशदान तथा उसके अंशदान का ब्याज (**यदि प्रश्न में स्पष्ट न हो तो 50% अंशदान तथा ब्याज नियोक्ता का माना जाता है**) वेतन शीर्षक में कर-योग्य होगा। कर्मचारी का अंशदान कर-मुक्त होता है। कर्मचारी के अंशदान का ब्याज वेतन शीर्षक में कर-योग्य न होकर '**अन्य साधनों से आय**' शीर्षक में कर-योग्य होगा।

4. **सार्वजनिक भविष्य निधि** (Public Provident Fund)—यह योजना 1 जुलाई, 1968 को भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई थी। नौकरी करने वालों के अतिरिक्त जैसे—डॉक्टर, वकील, व्यापारी, पेशेवर व्यक्ति आदि भी इस फण्ड में अंशदान कर सकते हैं। इसमें जमा की गई राशि धारा 80C के अन्तर्गत कटौती योग्य है। सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि ब्याज सहित कर मुक्त होती है।

भविष्य निधि के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधान
(PROVISIONS OF INCOME TAX ACT REGARDING PROVIDENT FUND)

विवरण (Particulars)	वैधानिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund)	प्रमाणित भविष्य निधि (Recognised Provident Fund)	अप्रमाणित भविष्य निधि (Unrecognised Provident Fund)
कर्मचारी का अंशदान (यदि कर्मचारी ने अपने वेतन में से दिया है)	कर्मचारी द्वारा दिया गया अंशदान उसके वेतन में जोड़ा जाता है। कटौती—धारा 80 C के अन्तर्गत (₹ 1.5 लाख तक)	कर्मचारी का अंशदान उसके वेतन में जोड़ा जाता है— कटौती—धारा 80 C के अन्तर्गत (₹ 1.5 लाख तक)	कर्मचारी द्वारा दिया गया अंशदान उसके वेतन में से दिया जाता है। अतः वह उसके वेतन में जुड़ा रहता है। (कटौती—धारा 80 C के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं।)

नियोक्ता का अंशदान	नियोक्ता द्वारा किये गये अंशदान की राशि को सकल वेतन में शामिल **नहीं** किया जाता है।	नियोक्ता द्वारा ऐसे फण्ड में किया गया अंशदान, यदि कर्मचारी के (वेतन के 12% से अधिक है तो सकल वेतन में जोड़ा जाएगा।)	नियोक्ता का अंशदान का... के "वेतन" शीर्षक के अ... कर-योग्य नहीं है।
फण्ड पर ब्याज (जमा के समय)	इस फण्ड में जमा राशि पर ब्याज की राशि को कर्मचारी के वेतन की आय में शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात् यह ब्याज कर-मुक्त है।	इस फण्ड पर मिलने वाला ब्याज यदि जमा राशि के 9.5% से अधिक है तो कर्मचारी के सकल वेतन में शामिल किया जाता है।	इस फण्ड पर मिलने वाली... की राशि को "वेतन" ... आय की गणना में शामि... किया जाता है। यह ... कर-मुक्त है।
सेवानिवृत्ति या अवकाश ग्रहण करने पर फण्ड से प्राप्त राशि	इस फण्ड से प्राप्त राशि न तो आय में जोड़ी जाती है और न ही उस पर कर लगाया जाता है।	नियोक्ता के यहाँ 5 वर्ष तक नौकरी करने के बाद अथवा व्यापार बन्द होने के कारण या बीमारी के कारण कर्मचारी की नौकरी छूट गई हो तो ऐसी राशि आय में नहीं जोड़ी जाएगी और न ही उस पर कोई कर लगाया जायेगा।	नियोक्ता द्वारा किये गये अ... व उस पर ब्याज से प्राप्त... 'वेतन' शीर्षक आय के अ... कर-योग्य है। कर्मचा... अंशदान पर प्राप्त ब्याज क... "अन्य स्रोतों से आय" ... के अन्तर्गत कर-योग्य है।

Example 8.

श्री गोपाल द्वारा दी गई जानकारी से प्रमाणित भविष्य निधि में वार्षिक वृद्धि की कर-योग्य राशि ज्ञात कीजिए—

1. वेतन ₹ 5,000 प्रतिमाह
2. बिक्री पर निश्चित दर से प्राप्त कमीशन ₹ 10,000
3. प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 14%
4. प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान पर 8% वार्षिक की दर से ब्याज ₹ 18,000।

From the information provided by Mr. Gopal, calculate taxable annual accretion to recog... provident fund :

1. Salary ₹ 5,000 per month
2. Commission on sale at a fixed rate ₹ 10,000
3. Employer's contribution in recognised provident fund 14%
4. Interest ₹ 18,000 @ 8% on the contribution of employer in recognised provident fu...

Solution :

Calculation of Taxable Portion of Annual Accretion

	₹
Employer's Contribution to R.P.F. @ 14% of Salary (14% of ₹ 70,000)	9,800
Less : 12% of Salary exempted	8,400
Interest credited to R.P.F. on employer's contribution @ 8%	
Taxable portion of annual accretion	

Note : 1. वेतन (5,000 × 12 = 60,000) + कमीशन 10,000 = ₹ 70,000

2. प्रमाणित भविष्य निधि हेतु वेतन में मूल वेतन + महँगाई वेतन + बिक्री पर कमीशन (यदि निश्चित प्रतिश...

(II) भत्ते (Allowances)

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त दिये जाने वाले मौद्रिक भुगतान, भत्ते कहलाते हैं। ये भुगतान निश्चित होते हैं। ये कर्मचारी द्वारा व्ययों की प्रतिपूर्ति के रूप में भी हो सकते हैं। इन भत्तों में कुछ भत्ते (i) पूर्णतः कर-योग्य, (ii) अंशतः कर-योग्य तथा (iii) पूर्णतः कर-मुक्त होते हैं। जो निम्न प्रकार हैं—

(A) पूर्णतः कर-योग्य	(B) अंशतः कर-योग्य	(C) पूर्णतः कर-मुक्त
1. महँगाई भत्ता, महँगाई वेतन, अतिरिक्त महँगाई भत्ता, जीवन निर्वाह भत्ता 2. शहर/राजधानी क्षतिपूरक भत्ता 3. भोजन भत्ता या नाश्ता भत्ता 4. विवाह भत्ता 5. प्रतिनियुक्ति भत्ता 6. परिवार भत्ता 7. वार्डनशिप भत्ता 8. प्रैक्टिस न करने का भत्ता 9. अधिसमय भत्ता 10. चिकित्सा भत्ता 11. नौकर भत्ता 12. प्रॉक्टर भत्ता 13. जल एवं विद्युत् भत्ता 14. कुत्ता भत्ता 15. रात्रि भत्ता 16. ग्रामीण भत्ता 17. यातायात भत्ता (सामान्य व्यक्तियों के लिए) 18. अन्य करयोग्य भत्ता	1. मकान किराया भत्ता 2. मनोरंजन भत्ता 3. विशेष भत्ते— (i) शिक्षा भत्ता (ii) छात्रावास भत्ता (iii) यातायात भत्ता (केवल अंधे और अपंग व्यक्तियों के लिए) (iv) यातायात एजेन्सियों में संलग्न कर्मचारियों को भत्ते (v) भूमिगत भत्ता (vi) जनजाति क्षेत्र भत्ता (vii) कुछ निश्चित व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ता। (viii) सेना के सदस्यों को काउन्टर विशेष भत्ता (ix) द्वीप भत्ता (x) विशेष क्षतिपूरक उच्च क्षेत्रीय भत्ता (xi) उच्च पर्वतीय भत्ता	1. विदेशी भत्ता 2. उच्च/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त भत्ता 3. संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता 4. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष भत्ते— (i) यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण भत्ता (ii) दैनिक भत्ता (iii) कार या सवारी भत्ता (iv) सहायक भत्ता (v) ज्ञानोपार्जन या विद्योपार्जन भत्ता (vi) वर्दी भत्ता (vii) शोध भत्ता (viii) दौरा भत्ता (ix) न्यायाधीशों को प्राप्त सत्कार भत्ता। (x) धुलाई भत्ता।

(A) पूर्णतः कर-योग्य भत्ते (Fully Taxable Allowances)

1. **महँगाई भत्ता एवं महँगाई वेतन, अतिरिक्त महँगाई भत्ता, अन्तरिम राहत** (Dearness Allowance and Dearness Pay, Additional Dearness Allowance, Interim Relief)—नियोक्ता द्वारा **कर्मचारी को प्राप्त ऐसे भत्तों की राशि कर-योग्य होती है। कभी-कभी यह दर्शाया जाता है कि—**
   (i) महँगाई भत्ता सेवा शर्तों के अन्तर्गत हो या
   (ii) महँगाई भत्ता अवकाश ग्रहण सम्बन्धी लाभों में शामिल है या
   (iii) महँगाई वेतन + प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान के लिए महँगाई भत्ता

महँगाई भत्ता प्रत्येक दशा में कर-योग्य होता है चाहे वह सेवा शर्तों के अन्तर्गत हो अथवा न हो। महँगाई भत्ता सेवा शर्तों के अन्तर्गत (वेतन का भाग) माना जाता है इस दशा में यह भत्ता सेवा निवृत्ति के लाभों की गणना हेतु शामिल किया जाता है या प्रॉवीडेण्ट फण्ड में वेतन व महँगाई भत्ते को जोड़कर अंशदान किया जाता है।

2. **शहर/राजधानी क्षतिपूरक भत्ता** (City/Capital Compensatory Allowance)— भारत के बड़े शहरों अथवा राजधानी की बढ़ती महँगाई की क्षतिपूर्ति के लिये यह भत्ता दिया जाता है, यह भत्ता पूर्णतया कर-योग्य है।

3. **भोजन भत्ता/नाश्ता भत्ता** (Food Allowance/Refreshment Allowance)—भोजन अथवा नाश्ते के नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया भत्ता पूर्णरूप से कर-योग्य होता है।
4. **विवाह भत्ता** (Marriage Allowance)—कर्मचारी के विवाह के लिए जो भत्ता मिलता है, उसे विवाह कहते हैं। यह भत्ता पूर्णरूप से कर-योग्य है।
5. **प्रतिनियुक्ति भत्ता** (Deputation Allowance)—एक कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में उस का कार्य करने हेतु जो भत्ता दिया जाता है वह प्रतिनियुक्ति भत्ता कहलाता है, जो पूर्णरूप से कर-योग्य होता
6. **परिवार भत्ता** (Family Allowance)—कर्मचारी के परिवार के लिए जो भत्ता नियोक्ता द्वारा दिया जाता है भत्ता पूर्णत: कर-योग्य होता है।
7. **वॉर्डनशिप भत्ता** (Wardenship Allowance)—छात्रावासों की देख-रेख के लिए वॉर्डन को मिलने भत्ता, वॉर्डनशिप भत्ता कहलाता है। ऐसा भत्ता पूर्णत: कर-योग्य है।
8. **प्रैक्टिस न करने का भत्ता** (Non-Practicing Allowance)—सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को प्रैक्टिस न करने के बदले यह भत्ता दिया जाता है जो पूर्णत: कर-योग्य है।
9. **अधिसमय भत्ता** (Overtime Allowance)—सामान्य कार्य घण्टों के अतिरिक्त अधिक कार्य करने के लि भत्ता दिया जाता है।
10. **चिकित्सा भत्ता** (Medical Allowance)—चिकित्सा भत्ता पूर्णरूप से कर-योग्य है।
11. **नौकर भत्ता** (Servant Allowance)—नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नौकर की नियुक्ति के लिए ये भत्ता जाता है जो पूर्णत: कर-योग्य है।
12. **प्रॉक्टर भत्ता** (Proctor Allowance)—शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन को बनाये रखने के लिये जो भत्ता जाता है, उसे प्रॉक्टर भत्ता कहते हैं, जो पूर्णत: कर-योग्य है।
13. **जल तथा विद्युत् भत्ता** (Water and Electricity Allowance)—नियोक्ता, जल तथा विद्युत् के लिये जो कर्मचारियों को देता है, ऐसा भत्ता पूर्णतया कर-योग्य होता है।
14. **कुत्ता भत्ता** (Dog Allowance)—कुत्ता पालने के लिए किसी-किसी सेवा में कर्मचारियों को यह भत्ता जाता है जो कर-योग्य है।
15. **रात्रि भत्ता** (Night Allowance)—कर्मचारियों को रात्रि में सेवाएँ प्रदान करने के लिये यह भत्ता दिया जा यह पूर्णत: कर-योग्य है।
16. **ग्रामीण भत्ता** (Rural Allowance)—यह भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, यहाँ जीवन-यापन हेतु उचित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। यह भत्ता पूर्णत: कर-यो
17. **अन्य कर योग्य भत्ते** (Other Taxable Allowances)—(i) क्षेत्र भत्ता (ii) अन्तरिम भत्ता या राहत (iii) भत्ता (iv) प्रोजेक्ट भत्ता (v) कपड़ा भत्ता (vi) पाली भत्ता (vii) निजी कर्मचारियों के लिए विदेश भत्ता स्वास्थ्य भत्ता (ix) छुट्टी भत्ता (x) विशेष योग्यता भत्ता (xi) डिनर भत्ता (xii) टेलीफोन भत्ता।
18. **पर्वतीय भत्ता** (Hill Allowance)—यह उन कर्मचारियों को दिया जाता है, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। (अ जानकारी के लिए पेज नं. 124 पर चार्ट देखें।)

(B) अंशत: कर-मुक्त भत्ते (Partially Exempted Allowances)

इन भत्तों में उन भत्तों को रखा जाता है, जो कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति करने पर ही पूर्णरूप से अथवा कुछ सी कर-मुक्त होते हैं। आंशिक कर-मुक्त भत्ता वह माना जाता है जिस भत्ते की कर-योग्य राशि कर्मचारी के वेतन में जोड़ी ऐसे आंशिक भत्ते निम्नलिखित हैं—

1. **मकान किराया भत्ता** (House Rent Allowance) (**धारा** 10(13A) **नियम** 2A)—नियोक्ता अपने क को रहने के लिये मकान के किराये पर किये गये व्ययों की पूर्ति के लिए यदि कोई भत्ता देता है तो उसे किराया भत्ता कहते हैं। इसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि कर्मचारी खुद के मकान में रह रहा है या कि मकान में। इस भत्ते की कर-मुक्त राशि निम्न प्रकार होगी—

(i) कर्मचारी द्वारा प्राप्त भत्ते की वास्तविक रकम (सम्बन्धित अवधि)

Overtime Allowance (800 × 12)		9,6…
Marriage Allowance (1,300 × 12)		15,6…
Conveyance Allowance		Exem…
Medical Allowance (700 × 12)		8,4…
	Gross Salary	3,13,…

…ट—सवारी भत्ता यदि व्यक्तिगत हित में प्रयोग नहीं हुआ है तो करमुक्त होगा।

(C) पूर्णतः कर-मुक्त भत्ते (Fully Exempted Allowances)

1. **विदेश भत्ता** (Foreign Allowance)—सरकारी कर्मचारी जो भारतीय नागरिक हो, विदेश में सेवा करने… दौरान उसे सरकार से प्राप्त भत्ते एवं अनुलाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(7) के अन्तर्गत कर-मुक्त…
2. **उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ते** (Allowances to High Court and Supreme Court Judges)—उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाले भत्ते पूर्णरूप से कर-मुक्त होते हैं।
3. **संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता** (Allowances received from U.N.O.)—संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा… कर्मचारियों को दिये गये सभी भत्ते पूर्णरूप से कर-मुक्त होते हैं।
4. **केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष भत्ते** (Special Allowances notified by central governmen…) ऐसे भत्ते कर्मचारी द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि तक कर-मुक्त होते हैं। शेष राशि कर-योग्य होती है। यदि… में व्यय की राशि नहीं दी है तो यह माना जायेगा कि भत्ते की पूर्ण राशि व्यय कर दी है तब कोई भी भाग कर… नहीं होगा। आयकर अधिनियम की धारा 10(14)(i) के अनुसार इस सम्बन्ध में निम्नलिखित भत्ते अधिसूचित हैं…
   - (i) **यात्रा भत्ता या स्थानान्तरण भत्ता** (Travelling Allowance or Transfer Allowance)—यह… कर्मचारी को दौरे (Tour) पर जाने के लिये या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये दिया जाता है… ऐसे भत्ते में से कर्मचारी द्वारा भत्ते की कुछ राशि बचा ली जाती है तो बचाई गई राशि कर-योग्य होगी तथा… की गई राशि कर-मुक्त होती है।
   - (ii) **दैनिक भत्ता** (Daily Allowance)—एक कर्मचारी को दैनिक व्ययों की पूर्ति के लिये यह भत्ता दिया… है। ऐसा भत्ता पूर्णरूप से कर-मुक्त होता है। इस भत्ते में से कोई भी बचत या व्यक्तिगत खर्चों की… कर-योग्य होगी।
   - (iii) **कार या सवारी भत्ता** (Car or Conveyence Allowance)—कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय स… कर्तव्यों को पूरा करने के लिये सवारी या कार भत्ता कर-मुक्त होता है, बशर्ते नियोक्ता ने अन्य किसी भी… की यातायात की सुविधा उपलब्ध न कराई हो।
   - (iv) **सहायक भत्ता** (Helper Allowance)—यदि किसी कर्मचारी को अपने कर्तव्यों को पूरा करने… सहायक की आवश्यकता होती है तो सहायक के व्ययों की पूर्ति के लिए कर्मचारी को यह भत्ता प्राप्त होता… यदि कर्मचारी इस भत्ते में से कुछ राशि बचा लेता है तो ऐसी बचाई गई राशि कर-योग्य होगी।
   - (v) **ज्ञानोपार्जन या विद्योपार्जन भत्ता** (Academic Allowance)—यह भत्ता विद्या अर्जन को प्रोत्साहित… के लिये दिया जाता है। ऐसे कार्यों पर किये गये व्ययों की राशि पूर्णरूप से कर-मुक्त होती है।
   - (vi) **वर्दी भत्ता** (Uniform Allowance)—कर्मचारियों को अपने पद से सम्बन्धित कर्तव्यों को पूरा करने… लिए यह भत्ता दिया जाता है, जो कर-मुक्त होता है।
   - (vii) **शोध भत्ता** (Research Allowance)—यह भत्ता शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान किया… यह भत्ता पूर्णतः कर-मुक्त है।
   - (viii) **दौरा भत्ता** (Tour Allowance)—यह भत्ता कर्मचारी द्वारा दौरे पर किये गये व्ययों की पूर्ति हेतु दिया… है। यह भत्ता कर-मुक्त होता है।
   - (ix) **न्यायाधीशों को प्राप्त सत्कार भत्ता** (Sumptuary Allowance)—यह भत्ता उच्च न्यायालय के… (u/s 22-C के अन्तर्गत) तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (u/s 23-B के अन्तर्गत) को प्रदान… जाता है। यह भत्ता पूर्णतः कर-मुक्त है।

   - (x) **धुलाई भत्ता** (Washing Allowance)—कर्मचारियों को उनकी वर्दी की धुलाई के लिये जो भत्ता मिलता है उसे धुलाई भत्ता कहते हैं। यह भत्ता पूर्णरूप से करमुक्त है।

(III) अनुलाभ
(PERQUISITES)

Sec. 17(2)

अनुलाभ एक व्यक्तिगत लाभ है जो कर्मचारी को उसके वेतन के अतिरिक्त सेवा तथा पद के कारण प्राप्त होता है। ये नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रियायत पर या बिना कुछ धन लिये दी गई सुविधाएँ हैं।

अनुलाभों की कर-योग्यता (Tax Ability of Perquesites)

(A) **नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिये गये हों**—कर्मचारी को सुविधाएँ नियोक्ता द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए नियोक्ता, वर्तमान या भूतपूर्व हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त अनुलाभ वेतन शीर्षक में कर-योग्य नहीं होंगे।

(B) **अनुलाभों की उत्पत्ति कानूनी हो**—इसके अन्तर्गत निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं—

(i) नियुक्ति की अवधि में अनुलाभ मिलना।
(ii) अनुलाभ का सम्बन्ध सेवा से होना चाहिए।
(iii) अनुलाभ कर्मचारी को उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए दिया गया हो।

अनुलाभों के प्रकार (Types of Perquisites)

अनुलाभ तीन प्रकार के होते हैं—

(A) ऐसे अनुलाभ जो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर-योग्य हैं।
(B) ऐसे अनुलाभ जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर-योग्य हैं।
(C) ऐसे अनुलाभ जो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त हैं।

अनुलाभों से सम्बन्धित प्रावधान
(PROVISIONS RELATED TO PERQUISITES)

सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य	विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य	सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त
1. निःशुल्क किराये का मकान	1. मोटरकार की सुविधा	1. चिकित्सा सुविधा (यदि सरकारी अस्पताल में चिकित्सा हुई हो)
2. होटल में निवास की सुविधा	2. निःशुल्क घरेलू नौकरों का अनुलाभ	2. नाश्ते की सुविधा
3. रियायती दर पर मकान की सुविधा	3. गैस, बिजली, पानी की सुविधा	3. मनोरंजन की सुविधा
4. ब्याज रहित या रियायती दर पर ऋण की सुविधा	4. कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण की सुविधा	4. टेलीफोन की सुविधा
5. चल सम्पत्ति का उपयोग	5. यातायात व्यवसाय के उपक्रमों द्वारा निःशुल्क परिवहन की सुविधा	5. निःशुल्क भोजन
6. चल सम्पत्तियों का कर्मचारियों को हस्तान्तरण	6. होटल व्यवसाय में कर्मचारियों के रहने खाने की सुविधा	6. रिफ्रेशर कोर्स
7. भोजन एवं नाश्ते की सुविधा (भोजन की अवस्था में ₹ 50 प्रति भोजन प्रतिदिन कर मुक्त है)	7. बिना प्रतिफल या रियायती मूल्य पर अंशों या प्रतिभूतियों का आवण्टन	7. सेना के सदस्यों को मुफ्त राशन
8. उपहार वाउचर या टोकन (₹ 5,000 तक का उपहार करमुक्त है)	8. अन्य किसी सुविधा का मूल्य	8. विदेश में कार्यरत कर्मचारियों को अनुलाभ
9. क्रेडिट कार्ड की सुविधा		9. उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को आवास एवं वाहन की सुविधा

10. क्लब के व्यय		10. कार्यालय आने-जाने ... कर्मचारियों को वाहन सु...
		11. नियोक्ता का स्थगित ... अंशदान
		12. कर्मचारियों को कम्प्यू... सुविधा
		13. नियोक्ता द्वारा दुर्घटना ... प्रीमियम का भुगतान
		14. बिना ब्याज या रियायती ... ऋण की सुविधा
		15. नियोक्ता द्वारा अनुलाभों पर ... गया कर
		16. दूरस्थ क्षेत्र में आवास सु...
		17. सामूहिक बीमा योजना में ... का अंशदान
		18. संसद में मन्त्रियों को किरा... मकान की सुविधा
		19. कर्मचारियों के कल्याण ...
		20. अधिवेशन तथा सम्मेलन ... गये व्यय
		21. मनोरंजन पर किये गये व्य...
		22. छात्रवृत्तियाँ

(A) सभी कर्मचारियों के लिए कर-योग्य अनुलाभ
(TAXABLE PERQUISITES FOR ALL EMPLOYEES)

1. नि:शुल्क किराये का मकान (Rent free Accomodation)

(a) **असुसज्जित मकान का मूल्यांकन**—नि:शुल्क किराये के मकान का मूल्यांकन ज्ञात करने से पहले ... जानकारी आवश्यक है—

(i) **सरकारी कर्मचारी**—इसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारी सम्मिलित हैं परन्तु विदेशी सर... स्थानीय सत्ता के कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

(ii) **गैर-सरकारी कर्मचारी**—केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचा... श्रेणी में आयेंगे।

(b) **स्थान का आशय**—इसमें मकान, गेस्ट हाउस, जहाज, मोबाइल होम आदि शामिल हैं। परन्तु इसमें कोई ... स्थित क्षेत्र जैसे प्रोजेक्ट साइट शामिल नहीं होता है।

स्पष्टीकरण

1. यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित क्षेत्र में कार्यरत है तथा उसकी शहर से दूरी कम-से-कम 40 किमी. है ... की जनसंख्या 20 हजार से कम हो, खदान अथवा प्रोजेक्ट क्षेत्र हो तो ऐसे निवास की सुविधा कर-मुक्त ...
2. समुद्रगामी स्थल के लिये दूरी की सीमा नहीं है ऐसा निवास कर-मुक्त होगा।
3. यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक निवास की सुविधा दी गई हो तो पहले तीन महीनों में उनमें ... मकान का मूल्यांकन सबसे कम होगा वही कर-योग्य होगा। यदि ऐसा निवास तीन महीनों से अधिक ... रखा गया है तो सभी मकानों का मूल्य कर-योग्य होगा।

नि:शुल्क मकान के मूल्यांकन के नियम
(RULES FOR VALUATION OF RENT FREE HOUSE)

1. असुसज्जित मकान के सम्बन्ध में—

(A) नियोक्ता मकान का स्वामी हो—

(a) **सरकारी कर्मचारियों के लिए**—ऐसे मकान के सम्बन्ध में सरकार के द्वारा निर्धारित किराया (अनुज्ञा शुल्क या लाइसेंस फीस) ही उसका मूल्यांकन होगा। परिस्थितियाँ समान होने पर अन्य कर्मचारी से मकान का जितना किराया लिया जाता है उसी आधार पर मूल्यांकन होगा।

(b) **अन्य कर्मचारियों के लिए**—आयकर नियम का नियम 3(1)

(i) शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे कम हो	वेतन का 7.5%
(ii) शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक किन्तु 25 लाख तक हो	वेतन का 10%
(iii) शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक हो	वेतन का 15%

(B) नियोक्ता मकान का स्वामी न हो—

सभी शहरों के लिए वेतन का 15% अथवा वास्तविक चुकाया गया किराया जो भी कम हो कर-योग्य होगा।

2. सुसज्जित मकान के सम्बन्ध में—

सभी कर्मचारियों के लिये पहले असुसज्जित मकान का मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद यदि मकान में फर्नीचर आदि लगा हो तो फर्नीचर आदि की लागत का 10% जोड़ते हैं।

या

यदि फर्नीचर आदि किराये पर लिया है तो फर्नीचर आदि का किराया जोड़ते हैं।

स्पष्टीकरण

फर्नीचर में सोफा, पलंग, कुर्सियाँ, मेजें तथा अन्य घरेलू वस्तुएँ शामिल हैं। इसमें बिजली के उपकरण भी शामिल होते हैं। जैसे—रेडियो, फ्रीज, टी.वी., ए.सी., गीजर आदि शामिल हैं।

किराये से मुक्त रहने के मकान के मूल्यांकन के नियम [नियम-3(1)]
(RULES REGARDING VALUATION OF RENT FREE HOUSE) [RULE 3(1)]

(A) सरकारी कर्मचारी की दशा में किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन

असुसज्जित मकान	सुसज्जित मकान
केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस मकान का मूल्यांकन होगा।	असुसज्जित मकान के मूल्यांकन में फर्नीचर आदि की लागत का 10% (यदि फर्नीचर आदि नियोक्ता का है) अथवा फर्नीचर आदि किराये पर लेकर दिया है तो वास्तविक किराया जोड़ दिया जायेगा।

नोट—यदि फर्नीचर आदि की लागत तथा किराया दोनों ही दिये गये हैं तो फर्नीचर आदि का किराया जोड़ा जायेगा।

(B) गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन

(i) **कर्मचारी को दिये गये मकान का स्वामी नियोक्ता है—**

स्थान जहाँ मकान की सुविधा दी गई है (जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार)	असुसज्जित मकान का मूल्यांकन	सुसज्जित मकान का मूल्यांकन
(i) यदि शहर की जनसंख्या 10 लाख तक है।	(i) वेतन के 7.5% के बराबर	(i), (ii) तथा (iii) दशाओं में असुसज्जित मकान के मूल्यांकन में फर्नीचर की लागत

(ii) यदि शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तथा 25 लाख तक है।	(ii) वेतन के 10% के बराबर	का 10% (यदि फर्नीचर नि... है) अथवा फर्नीचर किराये
(iii) यदि शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है।	(iii) वेतन के 15% के बराबर	दिया है तो उसका वास्तविक जोड़ दिया जायेगा।

(ii) कर्मचारी को दिये गये मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है–

(A) असुसज्जित मकान का मूल्यांकन–

नियोक्ता द्वारा मकान का चुकाया गया किराया

या

वेतन का 15% (मकान चाहे कितनी भी जनसंख्या वाले शहर में स्थित हो)

उपरोक्त दोनों में जो कम हो वह असुसज्जित मकान का मूल्यांकन होगा।

(B) सुसज्जित मकान का मूल्यांकन–

असुसज्जित मकान के मूल्यांकन में फर्नीचर की लागत का 10% (यदि फर्नीचर नियोक्ता का है) अथवा किराये पर लेकर दिया है तो उसका वास्तविक किराया जोड़ दिया जाएगा।

2. होटल में निवास की सुविधा

(FACILITY OF ACCOMODATION PROVIDED IN HOTEL)

यदि कर्मचारी को किसी होटल, गेस्ट हाउस आदि में रहने की सुविधा दी जाती है तो उसके लिये निम्नलिखित है–

(i) यदि 15 दिन या उससे कम अवधि के लिए होटल में ठहरने की सुविधा दी जाती है तो वह कर-मुक्त होगी। यदि स्थानान्तरण के कारण यह सुविधा प्रदान की है तो यह करमुक्त है।

(ii) यदि 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए होटल में ठहरने की सुविधा दी जाती है तो वह निम्न कर-योग्य होगी–

(A) वेतन का 24% अथवा

(B) नियोक्ता के द्वारा होटल के चुकाये गये बिल

उपरोक्त (A) तथा (B) दोनों में से जो भी कम होगा, इस सुविधा का कर-योग्य मूल्य होगा।

किराये से मुक्त रहने के मकान के मूल्यांकन के लिये वेतन से आशय निम्न से है–

(i) मूल वेतन अथवा मजदूरी

(ii) महँगाई वेतन

(iii) महँगाई भत्ता (सेवा की शर्तों के अन्तर्गत होने पर)

(iv) कमीशन (चाहे प्रतिशत से प्राप्त हो या निश्चित राशि प्राप्त हो।)

(v) बोनस

(vi) फीस

(vii) सभी कर-योग्य भत्ते

(viii) अन्य कोई भुगतान (जो नकद एवं कर-योग्य हो), अवकाश ग्रहण सम्बन्धित लाभों को छोड़कर।

लेकिन निम्न को वेतन में शामिल नहीं किया जायेगा–

(1) महँगाई भत्ता (यदि वह सेवा शर्तों के अन्तर्गत नहीं है)।

(2) प्रॉवीडेण्ट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान तथा प्रॉवीडेण्ट फण्ड में जमा होने वाला ब्याज।

(3) अनुलाभों का मूल्यांकन।

(ii) ऋण पर ब्याज प्रत्येक माह का अलग-अलग भी ज्ञात किया जा सकता है।

5. चल सम्पत्ति का उपयोग— नियम 3

यदि कर्मचारी और उसका परिवार नियोक्ता की चल सम्पत्ति का उपयोग करता है तो उसका कर-योग्य मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) कम्प्यूटर एवं लैपटॉप का उपयोग — कर-योग्य मूल्य शून्य होगा

(ii) कम्प्यूटर एवं लैपटॉप के अतिरिक्त चल सम्पत्ति का उपयोग—

(A) सम्पत्ति का मालिक नियोक्ता है तब — सम्पत्ति की लागत का 10%

(B) नियोक्ता ने सम्पत्ति को किराये पर लिया है तब — नियोक्ता द्वारा चुकाया गया कि

6. चल सम्पत्तियों का कर्मचारी को हस्तान्तरण— नियम 3

जब कर्मचारी को चल सम्पत्तियों का हस्तान्तरण बिना मूल्य के या बहुत कम मूल्य पर किया गया हो तो मूल्य अग्रलिखित होगा—

(A) **कम्प्यूटर एवं विद्युत् चालित सम्पत्ति**—इन सम्पत्तियों पर प्रयोग में लाई गई तिथि से प्रत्येक पूर्ण व 50% प्रतिवर्ष क्रमागत ह्रास पद्धति से ह्रास घटाकर मूल्यांकन किया जायेगा। यदि प्रयोग की तिथि नह क्रय की तिथि को ही प्रयोग की तिथि माना जायेगा। उदाहरण के लिए कम्प्यूटर 10 जून, 2015 को तथा 15 दिसम्बर, 2017 को कर्मचारी को बेचा गया तो केवल दो वर्ष (10 जून, 2015 से 9 जून, 2 ह्रास लगाया जायेगा, शेष अवधि का ह्रास नहीं लगेगा।

(B) **मोटर कार**—इस पर प्रयोग में लायी गई तिथि से प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष क्रमागत ह्रास ह्रास घटाकर मूल्यांकन किया जायेगा।

(C) **कम्प्यूटर एवं विद्युत् चालित सम्पत्ति तथा मोटर कार के अतिरिक्त कोई चल सम्पत्ति**—सम्पत्ति मूल्य में से स्थायी ह्रास पद्धति द्वारा 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास घटाने के बाद शेष मूल्य कर-योग्य है सम्पत्ति के प्रयोग करने की तिथि से लगेगा तथा वर्ष पूर्ण होने पर ही लगाया जायेगा। यदि कर्मचारी सम्बन्ध में कोई भी मूल्य चुकाया गया है तो उसे कर-योग्य मूल्य में से घटा दिया जायेगा, शेष राशि होगी।

7. भोजन व नाश्ते की सुविधा— नियम 3(7

(A) कार्यालय समय में नाश्ते की सुविधा कर से मुक्त है।

(B) कार्यालयी समय में मुफ्त भोजन की सुविधा ₹ 50 प्रति भोजन की दर से करमुक्त है शेष कर-योग्य भोजन की सुविधा कार्यालय समय पर दूरस्थ स्थान पर या समुद्र पार स्थान पर उपलब्ध कराई गई है तो य कर-मुक्त होगी।

(C) अन्य किसी स्थिति में भुगतान की गई वास्तविक राशि पूर्णतः कर-योग्य है।

(B) विशिष्ट कर्मचारी
(SPECIFIED EMPLOYEES)

विशिष्ट कर्मचारी (Specified Employee)—कुछ सुविधाओं का मूल्य विशिष्ट कर्मचारी के लिये कर-योग्य है। विशिष्ट कर्मचारी वे कर्मचारी हैं जो निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करें—

1. कर्मचारी नियोक्ता कम्पनी में अंशकालिक या पूर्णकालिक संचालक हो या
2. कर्मचारी के पास नियोक्ता कम्पनी के 20% या अधिक समता अंश हो या 20% या अधिक मताधिकार हो अथवा उसका कम्पनी में सारवान हित हो।
3. कर्मचारी को प्राप्त कर-योग्य मौद्रिक प्राप्तियों का योग ₹ 50,000 से अधिक हो। ऐसी प्राप्तियों का योग धारा 16 की कटौतियाँ घटाने के बाद होना चाहिए।

Example 28.

श्री ललित गुप्ता एक कर्मचारी हैं। वे न तो डायरेक्टर हैं और न ही अंशधारी। निम्न दशाओं में ज्ञात कीजिए कि विशिष्ट कर्मचारी हैं या नहीं। उनकी वार्षिक आय का विवरण निम्न है—

1. वह बिहार सरकार के कर्मचारी हैं
2. वह गैर-सरकारी कम्पनी के कर्मचारी हैं

	₹
वेतन	25,0
महँगाई भत्ता	2,0
मकान किराया भत्ता	25,0
दिया गया किराया	20,0
मनोरंजन भत्ता	10,0

Mr. Lalit Gupta is an employee. He is neither a director nor a shareholder. Find out whether he is a specific employee or not in following cases. The particulars of his annual income is as follows :

1. He is an employee of Bihar Government
2. He is an employee of a Non-government company

	₹
Salary	25,0
Dearness Allowance	2,0
House Rent Allowance	25,0
Rent Paid	20,0
Entertainment Allowance	10,0

Solution :

1. He is a Bihar Govt. Employee :

	₹
Salary	25,0
Dearness Allowance	2,0
HRA received (25,000 – 10,000)	15,0
Entertainment Allowance	10,0
	52,0
Deduction u/s 16(ii) : Entertainment Allowance	5,0
Total Monetary Benefits	47,0

Note : He is not a specified employee because his monetary income is less than ₹ 50,000.

2. In case of Non Government Employee

Salary	25,0
Dearness Allowance	2,

	₹
Taxable House Rent Allowance (25,000 – 10,000)	15,000
Entertainment Allowance	10,000
Total Monetary Benefits	52,000

In this condition Mr. Lalit Gupta is a specified employee. Because his monetary receipt is more than ₹ 50,000 per annum.

Working Notes :

1. Calculation of Exempted House Rent Allowance

	₹
(i) Actual Amount of House Rent Allowance received	25,000
(ii) Rent Paid – 10% of Salary (20,000 – 2,500)	17,500
(iii) 40% of Salary (25,000 × 40%)	10,000

Least of the above ₹ 10,000 House Rent Allowance is exempted.
Taxable House Rent Allowance (25,000 – 10,000) = ₹ 15,000

2. Calculation of Exempted Entertainment Allowance :

	₹
(i) Actual amount received	10,000
(ii) 1/5 of ₹ 25,000	5,000
(iii) Maximum Limit	5,000

Least of the above ₹ 5,000 Entertainment allowance is exempted.

✦ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर-योग्य अनुलाभ (Taxable Perquisites for Specified Employees)

निम्न शर्तों के पूरा होने पर कर-योग्य हैं—

1. **मोटर-कार की सुविधा** (Facility of Motor Car)—
   (i) मोटर-कार नियोक्ता की हो
   (ii) मोटर-कार के व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किये गये हों
   (iii) मोटर-कार पूर्णतः या आंशिक कर्मचारी के व्यक्तिगत प्रयोग में हो।
2. **नौकर, फर्राश, चौकीदार, माली, रसोइया की सुविधा** (Facility of Home Servants)— नियम 3(3)
   (i) नौकरों की नियुक्ति नियोक्ता ने की हो।
   (ii) नौकरों का वेतन नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया हो।
3. **गैस, बिजली, पानी की सुविधा** (Facility of Gas, Electricity and Water)— नियम 3(4)
   (i) गैस, बिजली, पानी के कनेक्शन नियोक्ता के नाम में हो।
   (ii) इनके बिलों का भुगतान नियोक्ता ने किया हो।
4. **कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा** (Facility of free Education to employees' Children)— नियम 3(5)
   (i) यदि शिक्षण संस्थान नियोक्ता द्वारा संचालित है।
   (ii) ₹ 1,000 प्रतिमाह प्रति बच्चे की दर से कर-मुक्त होगा।
5. **यातायात उपक्रम के कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों को परिवहन की सुविधा** (Facility of Transport)—
   (i) एयर लाइन्स तथा रेलवे कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त है।
   (ii) अन्य कर्मचारियों के लिए कर-योग्य है।
6. **चिकित्सा सुविधाएँ** (Medical Facility)—यदि कर्मचारी या इसके परिवार के किसी सदस्य को नियोक्ता द्वारा चिकित्सा सुविधाएँ दी जाती हैं तो उस पर किया गया खर्च नियोक्ता द्वारा होने पर कर योग्य होगा।

7. नियोक्ता द्वारा विशिष्ट प्रतिभूति या स्वीट समता अंशों का आवण्टन (Allotment of Specified Securities or Sweat Shares)

1. कार का मूल्यांकन—

कार के प्रकार—

(A) **छोटी कार**—1.6 लीटर तक (1600 सीसी या 16 हॉर्स पावर) या इससे कम इंजन की क्षमता वाली कार, छोटी कार कहलाती है।

(B) **बड़ी कार**—1.6 लीटर (1600 सीसी या 16 हॉर्स पावर) से अधिक इंजन क्षमता की कार बड़ी कार कहलाती है।

नियोक्ता की कार—यदि कार नियोक्ता की है तो इस सुविधा का मूल्य केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर-योग्य होगा।

कर्मचारी की कार—यदि कार कर्मचारी की है तो इस सुविधा का मूल्य सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर-योग्य होता है।

(A) ऐसी कार की सुविधा का मूल्य जो पूर्णरूप से कार्यालय में प्रयोग हो (जिसे नियोक्ता ने किराये या पट्टे पर लिया हो अथवा नियोक्ता की स्वयं की कार हो)

ऐसी कार जिसका पूर्णरूप से प्रयोग कार्यालय के लिए होता है तथा कर्मचारी ऐसी कार का मालिक नहीं है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

(B) कार जिसका प्रयोग पूर्णरूप से कर्मचारी के निजी कार्यों में हो (कार का मालिक नियोक्ता न हो)

कार को चलाने के तथा रखने के व्यय + चालक का वेतन (यदि हो तो) + कार पर ह्रास 10% वार्षिक की दर से—कर्मचारी द्वारा दी गई राशि (यदि कर्मचारी से कार की सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा लिया जाता है) = कार के अनुलाभ का मूल्यांकन

(C) कार जिसका प्रयोग आंशिक रूप से कार्यालय एवं निजी कार्यों में हो (कार का मालिक नियोक्ता है)

(i) **कार चलाने के व्यय तथा रखने के व्यय नियोक्ता द्वारा भुगतान होने पर—**

(a) छोटी कार की दशा में ₹ 1,800 प्रतिमाह + चालक का वेतन ₹ 900 प्रतिमाह (नियोक्ता द्वारा नियुक्त)

(b) बड़ी कार की दशा में ₹ 2,400 प्रतिमाह + चालक का वेतन ₹ 900 प्रतिमाह (नियोक्ता द्वारा नियुक्त)

(ii) **कार के निजी प्रयोग के व्यय कर्मचारी द्वारा भुगतान करने पर—**

(a) छोटी कार की दशा में ₹ 600 प्रतिमाह + चालक का वेतन ₹ 900 प्रतिमाह (नियोक्ता द्वारा नियुक्त)

(b) बड़ी कार की दशा में ₹ 900 प्रतिमाह + चालक का वेतन ₹ 900 प्रतिमाह (नियोक्ता द्वारा नियुक्त)

(D) कार का मालिक कर्मचारी हो और उसे रखने, चलाने के व्यय (चालक सहित) नियोक्ता भुगतान करता हो—

ऐसी कार का अनुलाभ सभी प्रकार के कर्मचारी के लिये कर-योग्य होगा—

(i) **कार का कार्यालय के लिये प्रयोग**—अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

(ii) **कार का निजी कार्यों में प्रयोग**—कर्मचारी के निजी कार्यों पर व्यय की गई राशि को कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाएगा।

(iii) **कार का निजी एवं कार्यालय में प्रयोग—**

		₹
(a) **छोटी कार की दशा में—**		
नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि		....
घटाइये— छोटी कार के लिए ₹ 1,800 प्रतिमाह	....	
चालक का वेतन ₹ 900 प्रतिमाह	....	....
कर-योग्य अनुलाभ का मूल्य		

(b) **बड़ी कार की दशा में—**			
नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि			....
घटाइये— बड़ी कार के लिये	₹ 2,400 प्रतिमाह	....	
चालक का वेतन	₹ 900 प्रतिमाह	....	....
	कर-योग्य अनुलाभ का मूल्य		....

यदि कार्यालय के सम्बन्ध में कार के वास्तविक व्यय ₹ 1,800 प्रतिमाह + ₹ 900 या ₹ 2,400 प्रतिमाह की सीमा से अधिक है तो वह इससे अधिक कटौती की माँग कर सकता है।

इस सम्बन्ध में नियोक्ता को कार्यालय के सम्बन्ध में कार के व्ययों का पूर्ण लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है।

(E) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक से अधिक कार के प्रयोग की सुविधा

यदि नियोक्ता के पास एक से अधिक कारें हैं या उसने किराये पर लेकर कर्मचारी को उपलब्ध कराई हैं तथा कर्मचारी को सभी कारों में प्रयोग का अधिकार दे दिया है तो (पूर्णरूप से कार्यालय में प्रयोग होने वाली कार को छोड़कर) कार के अनुलाभ का कर-योग्य मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं—

(i) एक कार का प्रयोग कार्यालय तथा निजी कार्यों के लिए माना जाएगा।

	छोटी कार के लिए	₹ 1,800 प्रतिमाह	₹ 2,700 प्रतिमाह अनुलाभ का मूल्य
	चालक का वेतन	₹ 900 प्रतिमाह	
या	बड़ी कार के लिए	₹ 2,400 प्रतिमाह	₹ 3,300 प्रतिमाह अनुलाभ का मूल्य
	चालक का वेतन	₹ 900 प्रतिमाह	

(ii) अन्य सभी कारों का मूल्यांकन इस आधार पर होगा, जैसे कि उन कारों को निजी प्रयोग में लिया गया है—नियोक्ता द्वारा किये गये व्यय + चालक का वेतन + कार की लागत का 10% – कर्मचारी द्वारा चुकाई गयी राशि = अनुलाभ का कर-योग्य मूल्य

(F) कार की सुविधा के अलावा अन्य वाहन की सुविधा

यदि कर्मचारी को कार की सुविधा के अतिरिक्त अन्य वाहन सुविधा जैसे—मोटर साईकिल, स्कूटर आदि दिये गये हैं तो कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा जो व्यय उचित होगा या जो व्यय प्रश्न में दिये गये होंगे वही अनुलाभ का कर-योग्य मूल्य होगा।

मोटर कार की सुविधा के मूल्यांकन का चार्ट

(CHART OF VALUATION OF MOTOR CAR FACILITY)

कार का मालिक	कार के व्ययों का भुगतान	कार का प्रयोग	कार का मूल्यांकन
1. यदि कार नियोक्ता की है या उसने किराये पर लेकर कर्मचारी को दी है। (यह अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर-योग्य है)	1. सभी व्यय नियोक्ता वहन करता है।	1. (A) यदि कार केवल कार्यालय प्रयोग में है। (B) यदि कार पूर्णतः निजी प्रयोग में है। (C) यदि कार आंशिक रूप से कार्यालय तथा आंशिक रूप से निजी प्रयोग में है।	1. (A) कार की सुविधा का मूल्यांकन शून्य होगा। (B) (कार के समस्त व्यय + कार के ड्राइवर का वेतन + कार की लागत का 10% कार की सुविधा का मूल्यांकन होगा। (C) छोटी कार की दशा ₹ 1,800 प्रतिमाह त चालक के ₹ 900 प्रति के हिसाब से कर-यो होंगे। बड़ी कार की में, ₹ 2,400 प्रतिमाह चालक के ₹ 900 प्रति की दर से कर-योग्य

7

वेतन शीर्षक की आय (अवकाश ग्रहण)

INCOME FROM SALARIES HEAD (RETIREMENT)

जब कर्मचारी सेवा में रहता है तो उसे वेतन, भत्ते आदि भुगतान किये जाते हैं तथा अनुलाभों को भी प्रदान किया जाता है। अवकाश ग्रहण करते समय या अवकाश ग्रहण के बाद उसे कुछ लाभ प्रदान किये जाते हैं जिन्हें वेतन के स्थान पर लाभ (Profits in lieu of Salary) कहा जाता है। ऐसा अवकाश ग्रहण स्वेच्छा से या छँटनी के कारण या सामान्य (सेवा निवृत्ति की आयु के आधार पर) हो सकता है। अवकाश ग्रहण करते समय निम्न भुगतान प्राप्त हो सकते हैं–

(i) ग्रेच्युइटी (Gratuity) धारा 10(10)
(ii) पेन्शन तथा एकमुश्त पेन्शन (Pension and Commuted Pension) धारा 10(10-A)
(iii) कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टियों के बदले प्राप्त राशि (Encashment of Earned Leave) धारा 10(10AA)
(iv) सेवा से छँटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति (Compensation for Retrenchment) धारा 10(10B)
(v) स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि (Amount Received on Voluntary Retirement) धारा 10(10C)
(vi) भविष्य निधि से प्राप्त होने वाली राशि (Amount Received from Provident Fund) धारा 10(11)&(12)

उपरोक्त प्राप्त राशि या राशियों में से कितनी राशि वेतन शीर्षक में कर-योग्य होगी या किसी अन्य शीर्षक में कर-योग्य होगी या कितनी राशि कर मुक्त है, यह ज्ञात किया जाता है। इन सभी राशियों के सम्बन्ध में कर मुक्त राशि निकालने के नियम निम्न प्रकार विस्तार से समझाये गये हैं–

1. उपदान/ग्रेच्युइटी (GRATUITY) [धारा 10(10)]

जब कोई कर्मचारी अवकाश ग्रहण करता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसे अथवा उसकी मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को एक मुश्त राशि नियोक्ता द्वारा दी जाती है, जिसे ग्रेच्युइटी कहते हैं। यदि कर्मचारी सेवा निवृत्ति पर स्वयं ग्रेच्युइटी की राशि प्राप्त करता है तो वह वेतन शीर्षक में आयकर नियमों के अनुसार करयोग्य होती है। यदि कर्मचारी की मृत्यु के बाद यह राशि उसके उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है तो यह 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य होगी परन्तु इस पर छूट धारा 10(10) के अनुसार ही प्रदान की जायेगी अर्थात् छूट की राशि का निर्धारण वेतन शीर्षक में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत ही होगा। ग्रेच्युइटी पर कर की गणना करने के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है–

(A) सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, स्थानीय सत्ता व निगमों के कर्मचारियों की दशा में (In case of Government Semi-Government, Local Authorities and Corporation Employees)–यदि कर्मचारी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता या जीवन बीमा निगम, वित्तीय निगम या बैंक से कोई एक मुश्त राशि मृत्यु या अवकाश ग्रहण पर प्राप्त करता है तो सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होगी।

(B) अन्य कर्मचारियों की दशा में धारा 10(10) (i) (In case of other employees)–निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों या उपरोक्त कर्मचारियों की श्रेणी में न आने वाले कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली ग्रेच्युइटी एक मुश्त राशि में से कर मुक्त राशि या कर योग्य राशि ज्ञात करने के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों को दो भागों में बाँटा गया है–

1. ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू होता है [धारा 10(10) (ii)]– इस अधि... के अन्तर्गत कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बन्दरगाहों तथा ऐसे व्यापारिक दुकानों एवं प्रतिष्ठानों (जहाँ गत वर्ष ... या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों) में कार्यरत गैर-सरकारी कर्मचारी आते हैं। उन पर ग्रेच्युइटी भुगतान अधि... 1972 लागू होता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युइटी राशि में से कर-मुक्त राशि निम्न प्रकार ज्ञात ... हैं–

(i) ग्रेच्युइटी की वास्तविक प्राप्त रकम

(ii) नौकरी के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष तथा 6 माह से अधिक अंश पर (जिसे पूरा वर्ष माना जाएगा) सबसे अन्तिम ... वेतन के आधार पर, 15 दिन का वेतन (मौसमी संस्थाओं की दशा में 7 दिन का वेतन)

(iii) अधिकतम राशि ₹ 20,00,000 (29-3-2018 से) [अधिसूचना क्रमांक एस ओ 1420 (ई)]

उपरोक्त तीनों में से जो भी राशि कम होगी उसे कर-मुक्त माना जायेगा शेष राशि कर-योग्य होगी। परन्तु धारा ... अन्तर्गत करदाता कर से छूट का दावा कर सकता है।

वेतन का आशय = मूल वेतन + महँगाई वेतन + महँगाई भत्ता (सभी अन्तिम माह के)

$$15 \text{ दिन का औसत वेतन} = \frac{\text{Salary + Dearness Pay and Dearness Allowance (All for last month)} \times 15}{26}$$

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. एक माह को 26 दिन का माना जायेगा।
2. वेतन, महँगाई वेतन, महँगाई भत्ता सबसे अन्तिम माह के लिए जायेंगे।
3. 15 दिन के वेतन की गणना अन्तिम माह का वेतन $\times \frac{15}{26}$
4. मौसमी संस्थाओं की दशा में 15 दिन के स्थान पर 7 दिन लिये जायेंगे।
5. 6 माह से अधिक को पूरा वर्ष मान लिया जायेगा जबकि 6 माह है या इससे कम है तो उस वर्ष को शामिल नहीं किया जायेगा।
6. ठेका पद्धति पर मजदूरी या वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये

अन्तिम 3 माह की औसत मजदूरी या वेतन $\times \frac{15}{26}$ or $\frac{7}{26}$

नोट–(1) यदि कर्मचारी गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से ग्रेच्युइटी की राशि प्राप्त करता है तो भी अधिकतम छूट की सीमा ₹ 20,00,000 ही होगी।

(2) यदि कर्मचारी पूर्व में किसी भी नियोक्ता से ग्रेच्युइटी प्राप्त कर चुका है और उस पर आयकर की छूट प्राप्त कर चुका है तो ₹ 20,00,000 की सीमा उस राशि से कम कर दी जायेगी, जितनी आयकर की धारा 10(10) में छूट पूर्व में प्राप्त कर चुका ...

2. ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू नहीं होता है [धारा 10(10) (iii)]– ... कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर या नौकरी से त्यागपत्र देने पर या नौकरी से निकाले जाने पर या मृत्यु पर स्वयं द्वारा ... वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा ग्रेच्युइटी प्राप्त की जाती है तो इनके लिए कर मुक्त ग्रेच्युइटी की राशि निम्न प्रकार ज्ञात की जायेगी–

(a) ग्रेच्युइटी की वास्तविक प्राप्त राशि

(b) एक वर्ष की सम्पूर्ण सेवा के लिए आधे माह का वेतन

(c) अधिकतम राशि ₹ 10,00,000

उपरोक्त तीनों में जो राशि सबसे कम है, वह करमुक्त है। शेष राशि करयोग्य होगी।

वेतन का आशय = मूल वेतन + महँगाई वेतन + महँगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तों के अधीन है) + बि ी पर कमीशन (यदि बि य पर निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है) (सभी अवकाश ग्रहण के पूर्व के 10 माह के लिए जायेंगे)

$$15 \text{ दिन का औसत वेतन} = \frac{\text{अवकाश ग्रहण से ठीक 10 माह पूर्व का औसत वेतन} \times 15}{30}$$

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. इसमें महीनों की अवधि को छोड़ दिया जाता है अर्थात् केवल पूर्ण वर्ष (12 महीनों) को ही सेवा अवधि का एक वर्ष मानते हैं।
2. आधे माह का वेतन $\frac{15}{30}$ or $\frac{1}{2}$ के आधार पर ज्ञात करते हैं।
3. वेतन में, सेवा की शर्तों के अन्तर्गत महँगाई भत्ता होने पर तथा कमीशन निश्चित दर से प्राप्त होने पर जोड़ा जाता है।
4. वेतन की गणना करने के लिए अवकाश ग्रहण से पूर्व के 10 माह का औसत वेतन लिया जाता है।

नोट–(1) यदि कर्मचारी गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से ग्रेच्युइटी प्राप्त करता है तो भी अधिकतम छूट की सीमा ₹ 10,00,000 ही होगी।

(2) यदि कर्मचारी पूर्व में किसी अन्य नियोक्ता से ग्रेच्युइटी प्राप्त कर चुका है और उस पर आयकर की छूट प्राप्त कर चुका है तो ₹ 10,00,000 की सीमा उस राशि से कम कर दी जायेगी, जितनी आयकर की धारा 10(10)(iii) में छूट पूर्व में प्राप्त कर चुका है।

(3) यदि प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि करदाता ग्रेच्युइटी अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आता है या नहीं, तो उसे ग्रेच्युइटी अधिनियम के अन्तर्गत न आया हुआ मानकर प्रश्न हल किया जायेगा।

स्पष्टीकरण

1. ग्रेच्युइटी उस वर्ष में कर-योग्य होगी जिस वर्ष अवकाश ग्रहण किया गया है या त्याग-पत्र दिया गया है भले ही ऐसी राशि किसी अन्य वर्ष में प्राप्त की गई हो।
2. प्राप्त ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में कर्मचारी धारा 89(1) के अन्तर्गत राहत की माँग कर सकता है।
3. कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को ₹ 20,00,000/10,00,000 से अधिक प्राप्त होने वाली ग्रेच्युइटी की राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर-योग्य मानी जाती है।
4. वेतन कर्मचारी के पूरे महीने का लिया जाता है। यदि कर्मचारी छुट्टी पर है तो ऐसे माह के वेतन को नहीं लिया जायेगा। उससे पहले या बाद जो भी स्थिति हो, के वेतन को लिया जाता है।
5. यदि कर्मचारी पूर्व नियोक्ता से ग्रेच्युइटी प्राप्त कर उस पर आयकर की छूट प्राप्त कर चुका है, तो जितनी छूट पूर्व में प्राप्त कर चुका है उसे ₹ 20,00,000/10,00,000 में से कम कर दिया जायेगा। बची राशि को ही अधिकतम राशि माना जायेगा।
6. ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में छूट तब भी मिलेगी, जबकि ग्रेच्युइटी को विधवा, बच्चे या मृत कर्मचारी के आश्रित द्वारा प्राप्त की गयी हो।

ग्रेच्युइटी से सम्बन्धित प्रावधान : एक दृष्टि में

(PROVISIONS REGARDING GRATUITY—AT A GLANCE)

	कर्मचारी जो ग्रेच्युइटी अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आते हैं	कर्मचारी जो ग्रेच्युइटी अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत नहीं आते हैं
वेतन से आशय	मूल वेतन + महँगाई वेतन + महँगाई भत्ता (चाहे सेवा की शर्तों के अन्तर्गत है या नहीं)	मूल वेतन + महँगाई वेतन + महँगाई भत्ता (यदि सेवा की शर्तों के अन्तर्गत है) + बि ी पर कमीश... (यदि बि य पर निश्चित प्रतिशत से देय है)

के कर्मचारियों, स्थानीय शासन एवं केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम के कर्मचारियों को पेंशन के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि पूर्णरूप से कर-मुक्त होती है। ऐसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2004 या इसके बाद सेवा में आये हैं। उनके लिए प्राप्त एकमुश्त पेंशन की राशि करयोग्य होगी।

(B) अन्य कर्मचारियों की दशा में (In Case of Other Employees)—

(i) यदि कर्मचारी को एकमुश्त पेंशन के साथ ग्रेच्युइटी भी मिलती है तो स्वीकृत पूर्ण एकमुश्त पेंशन का $\frac{1}{3}$ भाग कर-मुक्त होगा। शेष राशि (प्राप्त पेंशन में से कर-मुक्त पेंशन घटाने के बाद) कर-योग्य होगी।

(ii) यदि कर्मचारी को एकमुश्त पेंशन के साथ ग्रेच्युइटी नहीं मिलती है तो स्वीकृत पूर्ण एकमुश्त पेंशन का $\frac{1}{2}$ भाग कर-मुक्त होगा। शेष राशि (प्राप्त एकमुश्त पेंशन में से कर-मुक्त पेंशन घटाने के बाद) कर-योग्य होगी।

असारांशीकृत पेन्शन (Uncommuted Pension)—प्रतिमाह दी जाने वाली पेन्शन को असारांशीकृत पेन्शन कहते हैं। असारांशीकृत पेन्शन की कुल राशि वेतन शीर्षक से आय में करयोग्य होगी।

सारांशीकृत पेन्शन (Commuted Pension)—यदि पेन्शन निश्चित समय अन्तराल से प्राप्त न करके उसे सारांशीकृत (एकमुश्त) प्राप्त किया जाता है, अर्थात् पेन्शन का जितना भाग एकमुश्त के रूप में प्राप्त कर लिया है, उतनी मासिक पेन्शन नहीं मिलेगी। जैसे किसी कर्मचारी की पेन्शन ₹ 8,000 मासिक निर्धारित है, वह कर्मचारी 60% पेन्शन एकमुश्त ₹ 3,00,000 प्राप्त करता है तो उसे 40% पेन्शन ₹ 3,200 मासिक प्राप्त होगी।

यदि कर्मचारी अपनी पेंशन का कुछ भाग सारांशीकृत करता है और कुछ भाग नहीं, तो सर्वप्रथम स्वीकृत पूर्ण एकमुश्त पेंशन ज्ञात की जायेगी।

$$\text{पूर्ण स्वीकृत एकमुश्त पेंशन} = \frac{\text{पेंशन की एकमुश्त/सारांशीकृत राशि}}{\text{जितना भाग सारांशीकृत कराया है}}$$

पेंशन से सम्बन्धित प्रावधान : एक दृष्टि में
(PROVISIONS REGARDING PENSION—AT A GLANCE)

विवरण	सरकारी कर्मचारियों के लिए	गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए
निश्चित समयान्तराल पर प्राप्त पेंशन (मासिक, तिमाही, छ:माही, वार्षिक)	पूर्णतः करयोग्य	पूर्णतः करयोग्य
एकमुश्त या सारांशीकृत (commuted) पेन्शन	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 1 जनवरी, 2004 या इसके बाद सेवा प्रारम्भ की है पूर्णतः करयोग्य। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्णरूप से करमुक्त।	(i) यदि कर्मचारी ग्रेच्युइटी भी प्राप्त करता है तो कुल एकमुश्त पेन्शन का 1/3 भाग कर-मुक्त। (ii) यदि कर्मचारी ग्रेच्युइटी प्राप्त नहीं करता है तो कुल एकमुश्त पेन्शन का 1/2 भाग करमुक्त।
अनुमोदित पेंशन फण्ड से प्राप्त एकमुश्त पेन्शन	पूर्णतः करमुक्त	पूर्णतः करमुक्त।

स्पष्टीकरण

1. यदि कर्मचारी को प्राप्त वेतन कर-मुक्त है तो उसकी विधवा को प्राप्त पेंशन कर-मुक्त होगी।
2. उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के जजों को प्राप्त पेंशन के एक मुश्त भाग के लिये कर-मुक्ति प्रदान की गई है।
3. यदि कर्मचारी या उसका परिवार UNO से पेंशन प्राप्त करता है तो वह पूर्णतः कर मुक्त होगी।
4. यदि सशस्त्र सेना के सदस्य के परिवार द्वारा पेंशन प्राप्त की जाती है तो वह कर मुक्त होगी।
5. प्राप्त पेंशन के सम्बन्ध में कर्मचारी धारा 89 के अन्तर्गत राहत माँग कर सकता है।

8

मकान सम्पत्ति से आय

INCOME FROM SALARIES HEAD (RETIREMENT)

आय का दूसरा शीर्षक 'मकान सम्पत्ति से आय' है, इसके अन्तर्गत करदाता के मकान सम्पत्ति को तथा उससे लगी हुई भूमि को किराये पर उठाने से जो आय प्राप्त होती है, उसे शामिल किया जाता है। ऐसा मकान करदाता के स्वामित्व अधिकार में होना चाहिए। इस शीर्षक के अन्तर्गत मकान सम्पत्ति की आय की गणना का आधार मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य को मानकर किया जाता है।

मकान सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें

(IMPORTANT POINTS REGARDING INCOME FROM HOUSE PROPERTY)

1. कर-योग्य मकान तथा उससे लगी हुई भूमि, सम्पत्तियाँ—मकान या उससे लगी हुई भूमि को किराये पर उठाने से जो आय होगी वह 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर-योग्य होगी—

A. मकान या भवन—मकान के अन्तर्गत निम्न को शामिल किया जाता है—

(i) निवासीय मकान
(ii) कार्यालय के लिए प्रयोग वाला मकान
(iii) गोदाम के लिए भवन
(iv) दुकान
(v) सिनेमा हॉल
(vi) मनोरंजन या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया जाने वाला भवन
(vii) स्टेडियम
(viii) लेक्चर हॉल आदि।

B. मकान से लगी हुई भूमि—इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है—

(i) निवासीय मकान में खुली गैलरी
(ii) मकान के मुख्य द्वार तक पहुँचने का रास्ता
(iii) चौक (मकान का कम्पाउण्ड)
(iv) बगीचा
(v) खेलने का स्थान (खेल का मैदान)
(vi) वाहन रखने का स्थान या शैड (पार्किंग-स्थल)
(vii) पशुओं को रखने का स्थान या शैड
(viii) मकान के विभिन्न भागों को जोड़ने वाला मार्ग आदि।

2. करदाता मकान का स्वामी हो—

(i) मकान व्यक्ति के नाम पंजीकृत हो।
(ii) रहन की दशा में रहन रखने वाले व्यक्ति को मकान का स्वामी माना जाएगा।

कोई व्यक्ति यदि अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति को या अपने (पुत्र या पुत्री) को कोई सम्पत्ति उचित मूल्य के अभाव में हस्तान्तरित करता है, तो हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति स्वामी माना जायेगा।

अपवाद—(1) पति पत्नी के बीच में अलग रहने का समझौता होने पर हस्तान्तरी को स्वामी माना जायेगा।
(2) नाबालिग में विवाहित बेटी को शामिल नहीं किया जायेगा।

माना गया स्वामी (Deemed Ownership) (धारा 27)

(iii) विवादित सम्पत्ति की दशा में, जिस व्यक्ति का सम्पत्ति पर कब्जा हो, उसे स्वामी माना जाएगा।
(iv) पट्टे पर ली गई भूमि पर मकान का निर्माण करने वाले व्यक्ति को ही उसका स्वामी माना जाएगा।
(v) सहकारी समिति से आबण्टित मकान का स्वामी उसका प्राप्तकर्ता सदस्य होगा।
(vi) किसी व्यक्ति द्वारा बिना प्रतिफल अपने नाबालिग पुत्र या नाबालिग अविवाहित पुत्री को मकान सम्पत्ति हस्तान्तरित कर दी हो, तो हस्तान्तरण करने वाला व्यक्ति ही ऐसे मकान का स्वामी माना जाएगा।
(vii) संयुक्त स्वामित्व होने पर अपने-अपने हिस्से के लिए अलग-अलग स्वामी माने जायेंगे।
(viii) अविभाजित सम्पत्ति का स्वामी।

3. मकान भारत में होना—मकान या भवन तथा उससे संलग्न भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए तभी इससे प्राप्त होने वाली आय करदाता द्वारा भारत में कमाई तथा प्राप्त मानी जाएगी।

4. विदेश में स्थित मकान सम्पत्ति (धारा 22)—यदि किसी व्यक्ति का कोई मकान विदेश में स्थित है, तो उससे प्राप्त होने वाली आय केवल निवासी करदाता की दशा में ही कर-योग्य होगी। यदि ऐसी आय को भारत में प्राप्त किया गया हो तब यह असाधारण निवासी करदाता तथा अनिवासी करदाता के लिए भी कर-योग्य मानी जायेगी।

5. कर लगाने के लिए वार्षिक मूल्य की गणना—कर लगाने के लिए वार्षिक मूल्य को ही आधार माना जाता है। इसलिए मकान के वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है जो इसी अध्याय में आगे विस्तृत रूप से समझाई गई है।

6. स्वयं रहने का मकान तथा व्यवसाय अथवा पेशे में प्रयोग किया जाने वाला मकान—यदि करदाता ने मकान स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया है तो इस शीर्षक के अन्तर्गत ऐसे मकान के वार्षिक मूल्य पर कर नहीं लगाया जाएगा तथा यदि मकान अपने व्यवसाय एवं पेशे के लिए प्रयोग किया है तो इस शीर्षक में कर-योग्य नहीं होगा बशर्ते कि ऐसे मकान की आय व्यापार तथा पेशे से आय शीर्षक में कर-योग्य होगी।

7. मकान पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व होना—ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्वामी के मकान के हिस्से को एक अलग इकाई मानकर प्रत्येक हिस्से की आय की गणना अलग-अलग की जाएगी। जैसे—एक मकान के चार स्वामी हैं इस मकान के चार हिस्सों की गणना (एक हिस्से को एक मकान मानकर) की जाएगी।

माना गया स्वामी (Deemed Owner)

(A) **बिना प्रतिफल के अवयस्क बच्चे को या जीवन साथी को मकान का हस्तान्तरण** 27(i)—यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चे को नकद राशि देता है तथा वह उससे मकान सम्पत्ति क्रय कर लेता है तो नकद राशि देने वाला स्वामी नहीं माना जाएगा।

(B) **सहकारी समिति आदि का सदस्य** 27(iii)—यदि सहकारी समिति, कम्पनी या व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का समुदाय अपने किसी सदस्य को किसी भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत भवन या आंशिक भाग का आबण्टन करता है तो ऐसी स्थिति में सदस्य को भवन या आंशिक भाग का स्वामी माना जायेगा।

(C) **ऐसी सम्पत्ति जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता हो** 27(ii)—ऐसी सम्पत्तियाँ जो अविभाजनीय होती हैं, ऐसी सम्पत्तियों पर धारक को ही सम्पत्ति का स्वामी माना जाएगा।

(D) धारा 53A में उल्लिखित अथवा धारा 269UA (f) में उल्लिखित किसी मकान पर कब्जे की अनुमति ... 27(iii)—सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 53A में उल्लिखित अनुबन्ध के पालन के कारण या ... 269UA (f) में उल्लिखित देनदेन के कारण 1882 किसी मकान या उसके भाग या अंश पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को उस सम्पत्ति का स्वामी समझा जायेगा।

धारा 53A निम्न शर्तों के पूरा होने पर लागू होगी—

(i) अनुबन्ध हमेशा प्रतिफल के साथ होना चाहिए।

(ii) अनुबन्ध लिखित होना चाहिए।

(iii) अनुबन्ध अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में होना चाहिए।

(iv) अनुबन्ध पर हस्तान्तरणकर्ता या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(v) हस्तान्तरण प्राप्तकर्ता का सम्पत्ति पर कब्जा हो।

(vi) हस्तान्तरणकर्ता ने अनुबन्ध का पालन किया हो।

8. उप-किरायेदार से प्राप्त किराया—यदि कोई व्यक्ति जो स्वयं किराये पर रहता है। मकान के कुछ भाग को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर उठा देता है तो ऐसी आय इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य नहीं होगी अर्थात् ऐसी आय 'अन्य साधनों की आय शीर्षक' में कर-योग्य होती है।

9. संयुक्त किराये का विभाजन—जब मकान मालिक, मकान के साथ गैस, बिजली, पानी आदि की सुविधाएँ प्रदान करता है तो ऐसे मकान से प्राप्त होने वाला किराया संयुक्त किराया कहलाता है। ऐसे किराये में से इन सुविधाओं का मूल्य घटा दिया जाता है और शेष राशि मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर-योग्य होती है।

10. भवन के साथ मशीन, फर्नीचर आदि किराये पर देना—यदि कोई भवन ऐसा है जिसमें से मशीन, फर्नीचर आदि को अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे—सिनेमा हॉल, कारखाना आदि ऐसे भवन से प्राप्त किराये से आय 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर-योग्य नहीं होती है।

11. स्वयं रहने का मकान—मकान मालिक मकान में स्वयं रहता है तो ऐसे मकान की आय शून्य होती है।

12. स्वयं रहने के एक से अधिक मकान—यदि करदाता के पास स्वयं के रहने के एक से अधिक मकान हैं तो उन मकानों में से किसी एक मकान को छोड़कर शेष मकानों का मूल्य इस प्रकार ज्ञात किया जायेगा जैसे कि वे किराये पर उठाये गये हों।

13. गत वर्ष में स्वयं मकान में रहना तथा उसी गत वर्ष में मकान को किराये पर उठाना—कभी-कभी करदाता ... ही गत वर्ष में कुछ समय के लिए मकान में रहता है तथा शेष अवधि के लिए मकान को किराये पर उठा देता है, तो ऐसे मकान की गणना सम्पूर्ण वर्ष के आधार पर की जायेगी।

14. अतिथि से आय—जब मकान में कोई पेइंग गेस्ट रह रहा है तथा मकान मालिक को उससे आय प्राप्त हो रही है तो ऐसी आय 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर-योग्य नहीं होगी। ऐसी राशि उसके व्यापार एवं पेशे शीर्षक में कर-योग्य होगी।

15. 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के लिए गत वर्ष—जिस वर्ष कर-निर्धारण हो रहा है ठीक उससे पहले ... को समाप्त हुआ वर्ष 'मकान सम्पत्ति से आय' के लिए गत वर्ष होगा।

16. कुछ मकान सम्पत्तियों की आय कर-मुक्त होना

(i) कृषि के उपयोग में आने वाले मकान या कृषि मकान से आय

(ii) चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, विज्ञान, धार्मिक ट्रस्ट, स्थानीय सत्ता की मकान सम्पत्ति से आय

(iii) श्रम संघों, राजनैतिक दलों, धार्मिक ट्रस्टों के स्वामित्व वाली सम्पत्ति से आय

(iv) वस्तुओं के क्रय-विक्रय हेतु गोदामों की आय कर-मुक्त होती है।

मकान-सम्पत्ति की कर-मुक्त आयें
(TAX FREE INCOMES FROM HOUSE PROPERTIES)

मकान-सम्पत्ति की कर-मुक्त आयें दो प्रकार की होती हैं जो निम्न हैं—

(I) पूर्णतया कर-मुक्त आयें—यह वे आयें हैं जिन्हें सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता।

(1) स्वयं के रहने के मकान से आय [धारा 23(2)]

(2) करदाता द्वारा अपने ही व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होने वाले मकान से आय। [धारा 22]

(3) ऐसे मकान से आय जो स्वयं रहने के लिए है। लेकिन अपनी नौकरी, व्यापार अथवा पेशा अन्य किसी स्थान पर होने के कारण वह इस मकान में पूरे गत वर्ष न स्वयं रह सका और न उसने इस मकान से कोई अन्य लाभ प्राप्त किया है।

(4) निम्न के स्वामित्व वाली मकान-सम्पत्ति से आय—(i) वैधानिक शोध संघ [धारा 10(21)], (ii) स्थानीय प्राधिकरण [धारा 10(20)], (iii) राजनीतिक पार्टी [धारा 13(A)], (iv) पुण्यार्थ ट्रस्ट [धारा (11)], (v) ट्रेड यूनियन [धारा 10(24)], (vi) गैर-लाभकारी संस्था जैसे—अस्पताल, चिकित्सा संस्थान, विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्था [धरा 23(C)] आदि।

(5) कृषि भूमि पर अथवा उसके पास स्थित मकान (फार्म हाउस) से आय [धारा 2 (1A)(C)]

(6) भारतीय रियासत के राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य [धारा 10(19A)]

(II) सकल कुल आय में से कटौती-योग्य आयें—यह वे आयें हैं जो करदाता की सकल कुल आय में तो शामिल होती हैं लेकिन वे कुल आय में शामिल नहीं होतीं।

(1) एक सहकारी समिति द्वारा वस्तुओं के भण्डारण के लिए गोदाम किराये पर देने से आय। **[धारा 80P (2)]**

(2) एक सहकारी समिति की मकान-सम्पत्ति से आय यदि समिति की सकल कुल आय ₹ 20,000 से अधिक न हो और वह समिति मकान बनाने वाली या शहरी उपभोक्ता समिति या यातायात समिति या शक्ति के प्रयोग से वस्तुएँ निर्मित करने वाली समिति नहीं है।

मकान सम्पत्ति की करयोग्य आय निकालने के लिए महत्वपूर्ण शब्दावली का स्पष्टीकरण
(EXPLANATION OF IMPORTANT TERMINOLOGY FOR CALCULATING TAXABLE INCOME OF HOUSE PROPERTY)

1. मकान का नगरपालिका मूल्यांकन—प्रत्येक नगर की स्थानीय सत्ता (नगरपालिका या नगर निगम) के द्वारा मकानों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है जिसे नगरपालिका मूल्यांकन कहते हैं। यह मूल्यांकन मकानों के आकार, सम्पत्ति निर्माण की लागत, पड़ोस में स्थित उसी तरह की सम्पत्तियों का किराया, ऐतिहासिक महत्व आदि तथ्यों के आधार पर तय किया जाता है।

2. स्थानीय सत्ता के कर—स्थानीय सत्ता के द्वारा मकानों से सम्बन्धित कुछ करों की वसूली की जाती है। जैसे—... कर, जल कर, सफाई कर (Sewerage Tax) आदि।

3. संयुक्त किराया—कभी-कभी मकान का स्वामी मकान को किराये पर उठाते समय कुछ सुविधाएँ देता है जैसे—गैस, बिजली, पानी, माली की सुविधा, लिफ्ट, वाहन पार्क करने का स्थान आदि। ऐसे मकानों से प्राप्त किराये में सुविधाओं का मूल्य शामिल होने के कारण ऐसा किराया संयुक्त किराया कहलाता है। इसके अलावा यदि मकान के साथ फर्नीचर, मशीन आदि भी दी गई हों तो इससे प्राप्त होने वाला किराया भी संयुक्त किराया कहलाएगा।

4. वास्तविक प्राप्त किराया—यदि मकान मालिक ने किरायेनामे के अन्तर्गत गैस, बिजली, पानी, माली आदि सुविधाएँ दी हैं तो प्राप्त किराये में से ऐसे व्ययों की राशि घटा दी जाएगी। वास्तविक प्राप्त किराये को *De facto* Rent कहते हैं। परन्तु इस किराये में से चौकीदार का वेतन नहीं घटाया जाएगा।

वास्तविक प्राप्त किराये की गणना करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाएगा—

(i) **अप्राप्त किराया**—यदि किसी गत वर्ष में किसी मकान मालिक द्वारा कोई किराया वसूला नहीं जाता है तो उस किराये की राशि को वास्तविक प्राप्त किराये में शामिल नहीं करते हैं।

(ii) **खाली रहने की अवधि का किराया**—यदि किसी गत वर्ष में मकान कुछ माह खाली रहा है तो उतने माह का किराया शामिल नहीं किया जाएगा।

5. मकान का उचित किराया—जिस अधिकतम राशि पर मकान को किराये पर उठाया जा सकता है उसे मकान का उचित किराया कहते हैं। इसे अनुमानित किराया भी कहते हैं।

6. प्रमापित किराया—वे नगर जहाँ किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू होता है वहाँ किराया नियन्त्रण अधिकारी मकान का किराया निर्धारित कर देते हैं। इसे मानक किराया या प्रमापित किराया (Standard Rent) कहते हैं।

7. नगरपालिका कर—इनमें गृह कर, जल कर, सफाई कर, मरम्मत कर, शिक्षा कर आदि शामिल होता है। ये कर सम्पूर्ण रूप से मकान मालिक द्वारा वहन किये जाते हैं। कभी-कभी आंशिक रूप से मकान मालिक तथा किरायेदार द्वारा वहन किये जाते हैं। **मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से केवल मकान मालिक द्वारा चुकाये गये नगरपालिका कर घटाने के बाद शेष राशि मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य होगी।**

> **❑ व्याख्या—**
> 1. यदि नगरपालिका कर देय हो चुके हैं किन्तु चुकाये नहीं गये हैं तो इन्हें सकल वार्षिक मूल्य में से नहीं घटाया जाएगा।

मकान सम्पत्ति से आय की गणना—एक चार्ट के रूप में

(COMPUTATION OF INCOME FROM HOUSE PROPERTY—IN THE FORM OF A CHART)

Particulars		*Amount* (in ₹)	*Amount* (in ₹)
(A) Income from a let out house property			
Gross annual value		xxxx	
Less : Municipal Taxes (paid by the owner only)		xxxx	
Net annual value		xxxx	
Less : Deduction under section 24	₹		
(a) Standard Deduction (30% on annual value)	xxxx		
(b) Interest on borrowed capital	xxxx	xxxx	xxxx
+ Unrealised rent recovered		xxxx	
Less : Standard Deduction @ 30%		xxxx	xxxx
+ Arrears of rent received (u/s 25B)		xxxx	xxxx
Less : Standard Deduction @ 30%		xxxx	xxxx
Income from a let out house property			
(B) Income from a self occupied residential house property :			
Net annual value		Nil	
Less : Deduction under section 24			
(a) Standard Deduction	Nil		xxxx
(b) Interest on borrowed capital	xxxx	xxxx	xxxx
Income from a self occupied residential house property			

सकल वार्षिक मूल्य [धारा 23]

(GROSS ANNUAL VALUE)

मकान सम्पत्ति के सकल वार्षिक मूल्य की सही गणना होने पर ही मकान सम्पत्ति की सही करयोग्य आय ज्ञात की जा सकती है।

आयकर के आधार पर मकान सम्पत्ति को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं—

(1) जब मकान पूर्णत: किराये पर दिया गया हो।

(2) जब मकान पूर्णत: स्वयं के रहने में प्रयोग किया गया हो। (Self-occupied)।

(3) जब मकान का उपयोग दोनों अवस्थाओं में होता हो। अर्थात् आनुपातिक किराये पर तथा आनुपातिक स्वयं के लिए किया गया हो।

(4) जब मकान का उपयोग स्वयं के व्यवसाय में होता हो।

(1) जब मकान पूर्णत: किराये पर दिया गया हो। (When house is 100% letout) U/S 23 (1)

इस अवस्था में निम्नलिखित प्रावधानों का ध्यान रखते हैं—

(a) जब मकान पूरे वर्ष किराये पर उठाया गया हो।

(b) जब मकान पूरे वर्ष खाली रहा हो या फिर कुछ महीने खाली रहा हो।

(a) जब मकान पूरे वर्ष किराये पर उठाया गया हो। When house is let out for the whole year.

इस अवस्था में हम सकल वार्षिक मूल्य (Gross Annual Value) तथा शुद्ध वार्षिक मूल्य (Net Annaul Value) की गणना निम्नलिखित विधियों को ध्यान में रखकर करते हैं—

(1) यदि किराया अधिनियम लागू नहीं होता है।

(2) यदि किराया अधिनियम लागू होता है।

मकान सम्पत्ति के सकल वार्षिक मूल्य की गणना मकान सम्पत्ति के निम्न मूल्यों के आधार पर की जाती है—

(i) मकान सम्पत्ति का नगर पालिका मूल्यांकन (Municipal Valuation of House Property)

(ii) मकान सम्पत्ति का वास्तविक किराया (Actual rent received from House Property)

(iii) मकान सम्पत्ति का उचित किराया (Fair rent of House Property)

(iv) मकान सम्पत्ति का प्रमापित किराया (Standard rent of House Property)

(v) मकान सम्पत्ति का अनुमानित किराया (Expected rent of House Property)

सकल वार्षिक मूल्य की गणना निम्न उदाहरणों द्वारा भली प्रकार स्पष्ट की जा सकती है—

(A) ऐसी मकान सम्पत्ति जिस पर किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू नहीं होता—

नगरपालिका मूल्यांकन
या
उचित किराया
या
वास्तविक किराया ⟶ जो भी अधिक हो उसे सकल वार्षिक मूल्य कहा जायेगा।

उदाहरण एक दृष्टि में (EXAMPLES AT A GLANCE)

सकल वार्षिक मूल्य की गणना (Computation of G.A.V.)	—	1 से 4 तथा 6 से 12
शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना (Computation of N.A.V.)	—	5 तथा 13 से 17

Standard Rent	1,90,0
Actual Rent	30,000 p.
Municipal Tax paid by owner	20% of M.
Unrealised Rent ₹ 40,000. Conditions of Rule 4 are satisfied.	

Solution : **Computation of Annual Value of the House**

	₹
Gross Annual Value	3,60,0
Less : Municipal Tax (1,80,000 × 20%)	36,0
Less : Unrealised Rent	40,0
Annual Value	2,84,0

Working Note :

Calculation of G.A.V.

1st Step

A/R	3,60,000	3,60,000	Which ever
M/V	1,80,000	Which ever	is less
F/R	2,10,000	is more	3,60,000 is Gross Annual Value

IInd Step

S/R	1,90,000	3,60,000
A/R	3,60,000	Which ever is more

मकान सम्पत्ति की करयोग्य आय की गणना करने में दी जाने वाली कटौतियाँ (धारा 24)
(DEDUCTIONS TO BE MADE WHILE COMPUTING TAXABLE INCOME FROM HOUSE PROPERTY) (Sec. 24)

मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय की गणना करने के लिए अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य में से निम्न कटौतियाँ स्वीकृत हैं–

(1) वैधानिक कटौती (Standard Deduction)—किराये पर उठी मकान सम्पत्ति की करयोग्य आय की गणना करने के लिए यह कटौती अनिवार्य रूप से दी जाती है। मकान सम्पत्ति के व्ययों के सम्बन्ध में वैधानिक कटौती के अलावा अन्य कोई कटौती स्वीकृत नहीं है। मकान सम्पत्ति के अन्य व्ययों में मरम्मत व्यय, मकान सम्पत्ति का बीमा, मकान सम्पत्ति पर वार्षिक भार, मकान सम्पत्ति में सफेदी (Whitewash) एवं रंग-रोगन का व्यय, मकान सम्पत्ति की भूमि का लगान व किराया आदि शामिल हैं। इन व्ययों की राशि भले ही कितनी भी हो या न हो फिर भी वैधानिक कटौती शुद्ध वार्षिक मूल्य पर 30% की दर से अवश्य दी जायेगी।

यह एक महत्वपूर्ण नियम है कि वैधानिक कटौती बकाया किराये की प्राप्त राशि पर भी दी जायेगी।

(2) मकान सम्पत्ति के लिये, लिये गये ऋण पर ब्याज (Interest on Loan taken for House Property)—मकान सम्पत्ति को खरीदने, बनवाने, पुन: निर्माण करवाने, नवीनीकरण करवाने या मरम्मत करवाने के लिए जो ऋण लिया जाता है उसके ब्याज की राशि एक स्वीकृत कटौती है। यह कटौती स्वयं के रहने के मकान और किराये पर उठे मकान दोनों के सम्बन्ध में दी जाती है। इस कटौती के सम्बन्ध में मुख्य नियम निम्न प्रकार हैं–

(अ) किराये पर उठी मकान सम्पत्ति के लिये, लिये गये ऋण पर ब्याज (Interest on Loan taken for Let out House Property)

किराये पर उठी मकान सम्पत्ति के लिए, लिए गये ऋण का सम्पूर्ण ब्याज कटौती योग्य है। ऐसे ब्याज की राशि के लिए कटौती की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

(ब) स्वयं के रहने के प्रयोग में आने वाली मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में लिए गए ऋण पर ब्याज (Interest on Loan taken for self-occupied House Property)

स्वयं के रहने में प्रयोग आने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में लिये गये ऋण के ब्याज के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में कटौती की अधिकतम सीमाएँ वर्णित हैं जिनका विवरण अग्र प्रकार है–

(i) ऋण के ब्याज के सम्बन्ध में ₹ 30,000 की कटौती की अधिकतम सीमा (Deduction in Relation to Interest on Loan upto the Maximum Limit of ₹ 30,000)

ऋण की ब्याज की राशि के लिए ₹ 30,000 की कटौती की अधिकतम सीमा निम्न दशाओं में लागू होगी–

1. यदि ऋण मकान सम्पत्ति को खरीदने, बनवाने, पुन: निर्माण, मरम्मत कराने या नवीनीकरण कराने के लिए 1 अप्रैल, 1999 से पहले लिया गया है।
2. यदि ऋण मकान सम्पत्ति की मरम्मत कराने या उसका नवीनीकरण कराने के लिये 1 अप्रैल, 1999 के बाद लिया गया है।
3. यदि ऋण मकान सम्पत्ति को बनवाने के लिये 1 अप्रैल, 1999 या उसके बाद लिया गया है लेकिन इस मकान का निर्माण कार्य पाँच वर्ष की अवधि में पूर्ण नहीं हुआ है। **पाँच वर्ष की गणना ऋण लेने वाले वित्तीय वर्ष के अन्त से की जायेगी।**

(ii) ऋण के ब्याज के सम्बन्ध में ₹ 2,00,000 की कटौती की अधिकतम सीमा (Deduction in Relation to Interest on Loan upto the Maximum Limit of ₹ 2,00,000)

ऋण की ब्याज की राशि के लिए ₹ 2,00,000 की कटौती की अधिकतम सीमा निम्न दशाओं में लागू होगी–

1. यदि मकान सम्पत्ति के लिए ऋण 1 अप्रैल, 1999 को या उसके बाद लिया गया है।
2. यदि ऋण मकान सम्पत्ति को खरीदने या बनवाने के लिए लिया गया है।
3. मकान सम्पत्ति का निर्माण ऋण लेने वाले वित्तीय वर्ष के अन्त से पाँच वर्ष के अन्दर पूर्ण हो गया है।

मकान सम्पत्ति के निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज
(INTEREST RELATING TO PRE-CONSTRUCTION PERIOD OF THE HOUSE PROPERTY)

मकान सम्पत्ति के निर्माण कराने या क्रय करने के लिये, लिये गये ऋण का ब्याज जो मकान के क्रय करने या निर्माण कराने वाले वर्ष से पूर्व का है, निर्माण या क्रय से पूर्व अवधि का ब्याज कहलाता है। यह ब्याज 5 समान किस्तों में घटाया जायेगा। पहली किस्त उस वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ होगी जिस वित्तीय वर्ष में मकान निर्मित हुआ है या क्रय किया गया है।

उदाहरण–'अ' ने 1 जनवरी, 2015 को मकान सम्पत्ति का निर्माण कराने के लिए ₹ 5,00,000 का ऋण लिया। मकान का निर्माण 31 मई, 2017 को पूर्ण हुआ। निर्माण से पूर्व अवधि की गणना कीजिए।

Solution :

निर्माण से पूर्व अवधि निम्न प्रकार होगी। ऋण लेने की तिथि से निर्माण वाले वित्तीय वर्ष के ठीक पहले की तिथि तक अर्थात् निर्माण पूर्व अवधि = 1 जनवरी, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक।

Example 18

(1) 1 फरवरी, 2016 को मकान बनवाने के लिए ऋण लिया।
(2) ऋण की राशि ₹ 15,00,000
(3) ब्याज की दर 12% वार्षिक
(4) गत-वर्ष में ₹ 12,00,000 ऋण अदत्त है।
(5) मकान सम्पत्ति का निर्माण 31 मार्च, 2018 को पूर्ण हो गया। आयकर अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत घटायी जाने वाली ब्याज की राशि निकालिए यदि मकान सम्पत्ति–
(अ) स्वयं के रहने में प्रयोग आती है।
(ब) किराये पर उठी है।

क्या अन्तर होगा यदि ऋण मकान की मरम्मत के लिये लिया है।

(1) Loan taken for construction of the house property on 1st Feb., 2016.
(2) Loan Amount ₹ 15,00,000.
(3) Interest rate 12% per annum.
(4) In the previous year ₹ 12,00,000 of loan was unpaid.
(5) The construction property was completed on 31st March, 2018.

Find out the amount of interest on loan to be deducted u/s 24 of Income Tax Act, if the house property is :

(a) Self-occupied; (b) Let-out

What will be the difference if the loan is taken for repair of the house ?

अध्याय 9

ह्रास

DEPRECIATION

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत व्यापार अथवा पेशे में प्रयुक्त होने वाली सम्पत्तियों—भवन, मशीनरी, संयन्त्र, फर्नीचर, वाहन, अमूर्त सम्पत्तियों आदि पर निर्धारित दरों से ह्रास सम्बन्धी छूट का प्रावधान है। यह प्रावधान इसलिए किया गया है कि जब किसी सम्पत्ति को करदाता अपने व्यापार में प्रयोग करता है। तब इन सम्पत्तियों का निरन्तर प्रयोग करने से इनके मूल्य, गुणवत्ता तथा उपयोगिता में कमी आ जाती है। अत: ह्रास सम्बन्धी प्रावधानों के सम्बन्ध में जानकारी होना आवश्यक है जो कि इस अध्याय में समझायी जा रही है।

ह्रास

[धारा 32]

(DEPRECIATION)

ह्रास का अर्थ (Meaning of Depreciation)

व्यवसाय में अनेक प्रकार की सम्पत्तियों को प्रयोग में लाया जाता है। ऐसी सम्पत्तियों के लगातार प्रयोग के कारण इन सम्पत्तियों के आन्तरिक मूल्य में आने वाली कमी को ह्रास कहते हैं।

दूसरे शब्दों में किसी स्थायी सम्पत्ति के पुस्तकीय मूल्य में हुई कमी ह्रास कहलाती है। ऐसी कमी टूट-फूट, अप्रचलन आदि के कारण होती है।

सम्पत्ति के जीवन काल में स्थायी सम्पत्ति के लागत मूल्य को ह्रास के द्वारा अपलिखित किया जाता है।

ह्रास की आवश्यकता

(NEED FOR DEPRECIATION)

ह्रास लगाने की अनेक विधियाँ हैं। इन विधियों में स्थायी प्रभाग पद्धति या सीधी रेखा पद्धति या मूल लागत पद्धति एवं क्रमागत ह्रास पद्धति या घटती हुई शेष पद्धति के आधार पर ह्रास की गणना की जाती है।

आयकर अधिनियम में ह्रास की गणना तथा वित्तीय लेखांकन में की गई ह्रास की गणना में अन्तर होता है। किसी भी व्यवसाय के सही लाभ का निर्धारण तभी सम्भव है, जब ह्रास की गणना ठीक प्रकार से की गई हो। इसलिए ह्रास का ठीक-ठीक आयोजन (Provision) करना आवश्यक होता है। ह्रास आयोजन करना करदाता के हित में होता है।

कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से ह्रास का आयोजन करना करदाता के लिए अनिवार्य होता है, भले ही उसकी कुल आय की गणना करते समय ह्रास की छूट की माँग की गई हो अथवा नहीं। ह्रास की कटौती सम्पत्ति के पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है।

ह्रास के सम्बन्ध में प्रावधान

(PROVISIONS IN RESPECT OF DEPRECIATION)

या

ह्रास स्वीकार करने सम्बन्धी नियम

(RULES RELATING TO DEPRECIATION)

ह्रास की कटौती के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं—

1. करदाता सम्पत्तियों का स्वामी होना चाहिए (Assessee must be the owner of the assets)—स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास स्वीकृत किये जाने के लिये करदाता का सम्पत्तियों का स्वामी होना आवश्यक है। करदाता सम्पत्ति का स्वामी पूर्णरूप से या आंशिक रूप से हो सकता है। सम्पत्ति का स्वामी वह व्यक्ति होता है जिसका सम्पत्ति पर पूर्णत: अधिकार हो। पट्टे पर ली जाने वाली सम्पत्ति का स्वामी करदाता नहीं होता है। अत: ऐसी सम्पत्तियों पर ह्रास स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि करदाता सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई पूँजीगत व्यय करता है तो ऐसे पूँजीगत व्ययों के सम्बन्ध में ह्रास की कटौती स्वीकृत होती है। इसके लिए पंजीकृत स्वामी होना आवश्यक नहीं है।

2. करदाता द्वारा सम्पत्तियाँ व्यापार एवं पेशे में प्रयोग होनी चाहिए (Assets must be used by assessee for Business and Profession)—यदि सम्पत्तियाँ गत वर्ष में करदाता ने अपने व्यापार एवं पेशे में प्रयोग की हैं, तभी उन पर ह्रास स्वीकृत होता है। सम्पत्ति का प्रयोग गत वर्ष में कुछ समय के लिए किया गया हो तब भी ह्रास स्वीकार्य होता है। यदि कोई भवन व्यवसाय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रहने के लिये दिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि भवन व्यवसाय में प्रयोग किया गया है।

3. सम्पत्तियाँ जिन पर ह्रास स्वीकार किया जाता है (Assets on which depreciation is allowed)—ह्रास एक आयगत हानि होती है। ऐसी सम्पत्तियाँ जिन पर ह्रास स्वीकार किया जाता है निम्नलिखित हैं—

(i) भवन या मकान (Building or House)
(ii) मशीनरी (Machinery)
(iii) संयन्त्र (Plant)
(iv) फर्नीचर एवं फिक्चर्स (Furniture and Fixtures)

कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से अमूर्त अथवा अदृश्य सम्पत्तियाँ जैसे—आदि जिन्हें 31 मार्च, 1998 के बाद प्राप्त किया गया हो, के समूह पर 25% की दर से ह्रास स्वीकार किया जाता है। (From assessment year 1999-2000 25% depreciation is allowed on following block intangible assets acquired after 31st March, 1998.)

(i) तकनीकी ज्ञान (Technical Know-how)
(ii) एकस्व या पेटेण्ट (Patent)
(iii) व्यापार चिह्न (Trade Mark)
(iv) लाइसेंस (Licence)
(v) कॉपीराइट्स (Copyrights)
(vi) ख्याति (Goodwill)
(vii) फ्रेंचाइजी (Franchisee)

4. ऐसी सम्पत्तियाँ जिन पर ह्रास स्वीकार नहीं होता है (Assets on which depreciation is not allowed)—

(i) भूमि
(ii) ऐसी सम्पत्तियाँ जिन्हें केन्द्र सरकार के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार व्यय मान लिया गया हो, उन पर ह्रास स्वीकार नहीं होगा।
(iii) अतिथि गृह
(iv) 28 फरवरी, 1975 के बाद किन्तु 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व क्रय की गई विदेशी कार जिसका प्रयोग न तो टैक्सी के रूप में और न ही अपने पेशे के रूप में किया गया हो।
(v) गत वर्ष में सम्पत्ति को बेचने पर, रद्द करने पर, नष्ट करने, हटाने आदि पर ह्रास गत वर्ष में स्वीकार नहीं होगा।

5. पट्टे पर ली गई सम्पत्तियाँ (Assets taken on lease)–यदि कोई करदाता किराये अथवा पट्टे के भवन में अपना व्यापार अथवा पेशा चला रहा है, तो ऐसी सम्पत्तियों पर ह्रास स्वीकार नहीं किया जायेगा। किन्तु यदि वह ऐसी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई पूँजीगत व्यय (विकास, नवीनीकरण, सुधार) करता है तो ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में ह्रास की कटौती स्वीकार्य है।

6. विदेशी कार पर ह्रास (Depreciation on Foreign Car)–विदेशी कार यदि 28.02.1975 के बाद किन्तु 01-04-2001 से पूर्व खरीदी गई हो, तो ह्रास निम्न दशाओं में स्वीकार किया जायेगा–

(i) विदेशी कार का प्रयोग टैक्सी के रूप में हो।

(ii) विदेशी कार को भारत के बाहर किसी भी देश में व्यापार एवं पेशे में प्रयोग किया गया हो।

7. सम्पत्तियों के समूह पर ह्रास (Depreciation on Block of Assets)–व्यक्तिगत सम्पत्तियों पर ह्रास स्वीकार नहीं होता है, बल्कि सम्पत्तियों के समूह पर लगाया जाता है। प्रत्येक समूह की सभी सम्पत्तियों पर एक ही दर से ह्रास स्वीकृत होता है। व्यापार में सम्पत्तियों को दृश्य एवं अदृश्य सम्पत्तियों में विभाजित कर दिया जाता है।

8. सम्पत्ति के प्रत्येक समूह के लिये अलग-अलग ह्रास दर (Different Rates of Depreciation for Every Block of Assets)–सम्पत्तियों के प्रत्येक समूह के लिये ह्रास की दरें अलग-अलग हो सकती हैं।

9. समूह की सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्य के योग पर ह्रास (Depreciation on total W.D.V. of block of assets)–ह्रास की गणना सम्पत्तियों के समूह के अपलिखित मूल्य के योग पर की जाती है। इसके लिए एक समूह में आने वाली सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्य का जोड़ लिया जाता है। इसके बाद निर्धारित दर से ह्रास लगाया जाता है।

10. वास्तविक लागत पर ह्रास (Depreciation on Actual Cost)–ऐसी सम्पत्ति जो विद्युत् उत्पादन एवं वितरण में प्रयोग की जा रही है, तो ऐसी सम्पत्ति पर ह्रास सम्पत्ति की वास्तविक लागत पर लगाया जाता है। सम्पत्ति की वास्तविक लागत का अर्थ क्रय मूल्य, भाड़ा, स्थापना व्यय तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य व्ययों से है।

Depreciation = Actual Cost of Assets × Rate of Depreciation

ऐसी स्थिति में सम्पत्ति पर ह्रास मूल लागत पद्धति के आधार पर लगाया जाता है।

11. सम्पत्ति का 180 दिनों से कम प्रयोग (Use of Assets Less than 180 Days)–यदि कोई सम्पत्ति गत वर्ष में 180 दिनों से कम प्रयोग में लायी गई है, तो ऐसी सम्पत्ति पर सामान्य ह्रास की दरों के 50% के बराबर कटौती मिलेगी अर्थात् सामान्य ह्रास की आधी कटौती प्राप्त होगी।

Depreciation = W.D.V. of the Total Block of Assets × Rate of Depreciation × ½

12. नये संयन्त्र एवं मशीनरी पर अतिरिक्त ह्रास (Additional Depreciation on New Plant and Machinery)– **w.e.f. A. Y. 2006-07—नये संयन्त्र एवं मशीनरी से आशय ऐसे संयन्त्र एवं मशीनरी** से है जो 31 मार्च 2005 के बाद क्रय की गई हो, ऐसी सम्पत्ति पर अतिरिक्त ह्रास, संयन्त्र एवं मशीनरी की वास्तविक लागत के 20% के बराबर स्वीकृत होगा। नये संयन्त्र एवं मशीनरी को उसके क्रय करने की तिथि से उसी वर्ष में 180 दिन से कम प्रयोग किया जाता है तो अतिरिक्त ह्रास की दर 10% होगी।

निम्न सम्पत्तियों पर अतिरिक्त ह्रास स्वीकार नहीं होगा–

(i) समुद्री जहाज एवं हवाई जहाज

(ii) कार्यालय उपकरण अथवा सड़क पर चलने वाले वाहन

(iii) ऐसे संयन्त्र एवं मशीनरी जिसकी सम्पूर्ण लागत की कटौती दी जा चुकी है।

(iv) ऐसे संयन्त्र एवं मशीनरी जिसकी स्थापना कार्यालय भवन या आवासीय भवन या अतिथि गृह में की गयी हो।

13. 01-04-2002 से पहले स्थापित औद्योगिक उपक्रम के लिए अतिरिक्त ह्रास (Additional Depreciation for Industrial Undertaking existing before 01-04-2002)—जब औद्योगिक उपक्रम अपनी क्षमता में 10% की वृद्धि करता है तो अतिरिक्त ह्रास वास्तविक लागत के 15% के बराबर स्वीकार होगा, जिस वर्ष उपक्रम अपनी क्षमता का विस्तार करता है।

14. 31.03.2005 के बाद स्थापित संयन्त्र एवं मशीनरी पर अतिरिक्त ह्रास (Additional Depreciation on Plant and Machinery established after 31.03.2005)–नये उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त ह्रास की दर 20% होगी। इसके लिये वृद्धि की शर्त लागू नहीं होगी। यदि संयन्त्र एवं मशीनरी का प्रयोग 180 दिन से कम हुआ है, तो उसकी दर 10% होगी।

15. चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट का प्रमाण-पत्र (Certificate of Chartered Accountant)–अतिरिक्त ह्रास की कटौती तभी स्वीकार्य होती है जब करदाता द्वारा बिन्दु 12, 13 और 14 के लिए चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट का प्रमाण-पत्र जमा कर दिया हो।

16. 31 मार्च को सम्पत्ति की विद्यमानता (Existence of Assets on 31st March)–यदि सम्पत्ति 31 मार्च को व्यवसाय में मौजूद है, तभी ह्रास की कटौती दी जाती है। यदि सम्पत्ति एक दिन पहले भी हटा दी गई हो या बेच दी गई हो तो ह्रास की कटौती नहीं दी जाएगी।

17. सम्पत्ति का गत वर्ष में बेचा जाना, नष्ट हो जाना, या प्रयोग से हटा देना (Depreciation on Assets sold, destroyed or discarded in the previous year)–यदि कोई सम्पत्ति जिसे गत वर्ष में बेच दिया जाता है, नष्ट हो जाती है या प्रयोग से हटा दी जाती है और ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त राशि सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य (अवशिष्ट मूल्य सहित) से कम है, तो ऐसी कमी को भी ह्रास माना जाता है।

Depreciation = W.D.V. – (Amount received + Scrap Value)

ह्रास का आधार [धारा 32 (I) (ii)]

(BASIS OF DEPRECIATION)

ह्रास लगाने के दो आधार होते हैं जो निम्नलिखित हैं–

1. अपलिखित मूल्य विधि (Written Down Value Method)–जब सम्पत्तियों के खण्ड के अपलिखित मूल्य पर निर्धारित दरों से ह्रास की गणना की जाती है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसी सम्पत्तियाँ एक ही वर्ग की होती हैं और उन पर समान दर से ह्रास लगाया जाता है।

2. सीधी रेखा पद्धति (Straight Line Method)–ऐसी औद्योगिक संस्था जो कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से विद्युत् उत्पादन या विद्युत् उत्पादन तथा वितरण कार्यों में संलग्न हो उस संस्था की सम्पत्तियों (जो 31-03-1997 के पश्चात् प्राप्त की गई हों) पर स्थायी पद्धति (सीधी रेखा) में ह्रास लगाया जा सकता है।

अतिरिक्त ह्रास (Additional Depreciation) [धारा 32 (1) (iia)]

अतिरिक्त ह्रास से आशय ऐसे ह्रास से है जब करदाता निर्माण या उत्पादन कार्य में संलग्न हो तथा 31-03-2005 के पश्चात् किसी मशीन या प्लाण्ट को खरीदकर अपने व्यापार में लगाता हो तो उस मशीन या प्लाण्ट पर 20% की दर से ह्रास स्वीकार किया जायेगा जिसे अतिरिक्त ह्रास कहेंगे। किन्तु यदि मशीन एवं प्लाण्ट का व्यापार में प्रयोग 180 दिन से कम हुआ है तो उस पर केवल 10% की दर से ही अतिरिक्त ह्रास स्वीकार्य होगा।

निम्न दशाओं में मशीन तथा प्लाण्ट पर अतिरिक्त ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी–

(i) कोई भी पुरानी मशीन (अर्थात् जिसे भारत में या विदेश में प्रयोग किया जा चुका हो)

(ii) ऐसी मशीन या प्लाण्ट जिसकी वास्तविक लागत को एक वर्ष पहले किसी व्यापार या पेशे में कटौती प्राप्त हो चुकी हो।

(iii) ऐसी कोई मशीन जिसे किसी अतिथिगृह, कार्यालय या किसी रिहायशी मकान में प्रयोग किया जा चुका हो।

ह्रास की गणना

(COMPUTATION OF DEPRECIATION)

1. सम्पत्तियों का खण्ड या समूह (Block of Assets)
2. सम्पत्तियों की वास्तविक लागत (Actual Cost of Assets)
3. सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य (W.D.V. or Depreciated value of Assets)
4. ह्रास की गणना (Computation of Depreciation)

I. सम्पत्तियों का खण्ड या समूह [धारा 2 (11)]

(BLOCK OF ASSETS)

सम्पत्तियों के समूह से आशय ऐसी सम्पत्तियों से है, जिसमें एक ही वर्ग की सम्पत्तियाँ आती हैं तथा ऐसी सम्पत्तियों पर एक ही दर से ह्रास लगाया जाता है। ह्रास योग्य सम्पत्तियों को चार वर्गों के 12 सम्पत्ति समूहों में विभाजित किया है जिन पर ह्रास की दरें अलग-अलग हैं जो अग्रलिखित हैं–

सम्पत्तियों के विभिन्न खण्डों एवं समूहों पर ह्रास की दरें

(Rates of Depreciation onVarious Block of Assets)

सम्पत्तियों के खण्ड	समूह	समूह में आने वाली सम्पत्तियाँ	अपलिखित मूल्य पर ह्रास की दर
1. भवन (Building)	समूह 1	होटल तथा बोर्डिंग हाउस को छोड़कर ऐसे भवन जो निवास के लिये प्रयोग किये गये हों।	5%
	समूह 2	होटल तथा बोर्डिंग हाउस सहित ऐसे भवन जो निवास के लिये प्रयोग न किये गये हों जैसे—कारखाना, गोदाम आदि।	10%
	समूह 3	ऐसा भवन जिसे 31-08-2002 के बाद प्राप्त किया हो तथा उसमें जल आपूर्ति योजना अथवा जल उपचार प्रणाली से सम्बन्धित प्लाण्ट एवं संयन्त्र लगायें हों तथा ऐसे भवन को धारा 80-IA(4)(i) के अन्तर्गत आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया गया हो। इस समूह में अस्थायी ढाँचे भी शामिल हैं जैसे—लकड़ी के ढ़ाँचे।	40%
		नोट—भवन में सड़कें, पुल, कुएँ एवं ट्यूबवैल आदि शामिल हैं। अस्थायी ढाँचे में लकड़ी के ढाँचे, टीनशैड भी शामिल हैं।	
2. फर्नीचर एवं फिटिंग्स (Furniture and Fittings)	समूह 1	किसी भी प्रकार के फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10%
		नोट—फर्नीचर तथा फिटिंग्स में बिजली के तार, स्विच, साकेट, पंखे आदि शामिल हैं।	
3. मशीनरी एवं संयन्त्र (Machinery and Plant)	समूह 1	(i) सामान्य दर	15%
		(ii) 31-03-1990 के बाद क्रय की गई मोटरकार जिसे किराये पर न चलायी गई हो।	15%
	समूह 2	(i) समुद्र में चलने वाले जहाज, स्पीड वोट आदि	20%
		(ii) 31-03-2001 के बाद क्रय की गई विदेशी कार	20%
	समूह 3	(i) किराये पर चलने वाले वाहन—मोटर बस, मोटर वैन, मोटर टैक्सी आदि	30%
		(ii) रबड़ एवं प्लास्टिक के कारखानों में प्रयोगरत साँचे	30%
	समूह 4	(i) हवाई जहाज, हवाई इंजन सहित	40%
		(ii) चिकित्सा उपकरण	40%
		(iii) 01-10-1998 के बाद 01-04-1999 से पहले प्राप्त किये गये वाहन एवं 01-04-1999 के पूर्व व्यवसाय में प्रयोग वाणिज्यिक वाहन	40%
	समूह 5	(i) नये व्यवसायिक वाहन 01-01-2009 को या उसके बाद परन्तु 01-10-2009 के पहले प्राप्त किया हो और जिसे व्यवसाय के लिए 01-10-2009 से पहले प्रयोग में लाया गया हो।	40%
		(ii) काँच या प्लास्टिक के बर्तन जिन्हें पुनः भरने के लिये प्रयोग किया गया हो।	40%
		(iii) बुनाई कार्यों में संलग्न या वस्त्र विभाग में प्रयोगरत मशीन जिन्हें 01-04-2001 के बाद किन्तु 01-04-2004 से पहले क्रय किया हो।	40%

II. सम्पत्तियों की वास्तविक लागत
(ACTUAL COST OF ASSETS)

[धारा 43 (1)]

जब कोई करदाता किसी सम्पत्ति को क्रय करने के लिए अथवा उस सम्पत्ति को बनवाने के लिये कोई व्यय करता है तो उसे वास्तविक लागत कहते हैं। ऐसी लागत में से उस राशि को घटा दिया जाएगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुका दी गई हो। इसमें निम्न को शामिल करते हैं–

(i) सम्पत्ति का क्रय मूल्य, देय ब्याज, लिये गये ऋण पर ब्याज आदि।

(ii) सम्पत्ति को लाने के सम्बन्ध में दिया गया भाड़ा, स्थापना व्यय तथा प्रयोग में लाने के लिए किए गए व्यय।

(iii) सम्पत्तियों को कार्य योग्य बनाने तथा उत्पादन प्रारम्भ होने तक उस पर किए गए सभी व्यय।

नोट–(1) वास्तविक लागत में कोई कर शामिल नहीं होगा यदि सम्पत्ति 1-4-1994 या उसके बाद प्राप्त की गई हो।

(2) यदि किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार से सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए कोई आर्थिक सहायता या दान प्राप्त होता है तो इसे सम्पत्ति की लागत में से घटा दिया जायेगा और शेष राशि को ही सम्पत्ति की वास्तविक लागत माना जायेगा।

अलग-अलग दशाओं में सम्पत्ति को प्राप्त करने की वास्तविक लागत
(ACTUAL COST OF ACQUIRING ASSETS IN VARIOUS CONDITIONS)

1. वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये प्राप्त की गई सम्पत्ति (Assets acquired for Scientific Research)–यदि किसी सम्पत्ति को वैज्ञानिक अनुसन्धान में प्रयोग करने के उद्देश्य से खरीदा गया हो किन्तु अनुसन्धान में उस सम्पत्ति का प्रयोग बन्द हो गया हो तथा करदाता द्वारा उस सम्पत्ति को व्यापार में प्रयोग किया गया हो तो वास्तविक लागत निम्न होगी–

वास्तविक लागत – वैज्ञानिक अनुसन्धान के सम्बन्ध में स्वीकृत कटौतियाँ

2. उपहार तथा उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति (Assets acquired as gift or in inheritance)–यदि करदाता ने कोई सम्पत्ति उपहार में या उत्तराधिकार में प्राप्त की है तो वास्तविक लागत निम्न होगी–

पहले स्वामी की वास्तविक लागत – स्वीकृत ह्रास (कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से पूर्व का)

Example 3.

श्री मुकेश ने 20-04-2016 को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए एक कार ₹ 2,00,000 में क्रय की। 01-05-2018 को यह कार अपने पुत्र सुरेश को भेंट कर दी, जिसे उसने अपने पेशे में प्रयोग किया। भेंट के दिन कार का बाजार मूल्य ₹ 1,50,000 था। गत वर्ष 2018-19 के लिये ह्रास की गणना करने के लिये कार की लागत ज्ञात कीजिए।

Mr. Mukesh purchased a car for personal use on 20.04.2016 for ₹ 2,00,000. He gifted this car to his son Suresh on 01-05-2018 which he used the car in his business. Market price of the car on the day of gift was ₹ 1,50,000. For the purpose of calculating depreciation for the previous year 2018-19 compute cost of the car.

Solution :

	₹
Actual Cost of Car (as on 20-04-2016)	2,00,000
Less : Depreciation for 2016-17 @ 15%	30,000
W.D.V. as on 31-3-2017	1,70,000
Less : Depreciation for 2017-18 @ 15%	25,500
W.D.V. as on 31-3-2018	1,44,500

Depreciation for 2018-19 ₹ 1,44,500 @ 15% = ₹ 21,675

3. खरीदी गई पुरानी सम्पत्ति (Purchase of Old Assets)–यदि कोई करदाता किसी दूसरे व्यापार में प्रयोग होने वाली पुरानी सम्पत्ति खरीदता है, तो ऐसी सम्पत्ति (पुरानी) की वास्तविक लागत वह होगी जो कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई हो।

4. करदाता द्वारा बेची गई सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करना (Previously sold assets reacquired by the assessee)–यदि करदाता अपनी बेची हुई सम्पत्ति को कुछ वर्षों बाद पुनः प्राप्त करता है, तो उसकी वास्तविक लागत अग्र में से जो भी कम हो वह राशि मानी जायेगी।

(i) करदाता द्वारा पुनः प्राप्त करने के लिए चुकाई गई राशि।

(ii) सम्पत्ति की मूल लागत में से स्वीकृत कुल ह्रास घटाने के बाद शेष राशि।

Example 4.

श्री ओमकार ने एक मशीन 1 जुलाई, 2016 को ₹ 4,00,000 में अपने व्यापार के लिये खरीदी। उसने यह मशीन 01-10-2017 को ₹ 2,00,000 में बेच दी तथा 01-08-2018 को पुनः ₹ 2,40,000 में खरीद ली। ह्रास की दर 15% थी, मशीन की गत वर्ष 2018-19 के लिये वास्तविक लागत बताइये।

Mr. Omkar purchased a machine for ₹ 4,00,000 on 1st July, 2016 for his business. He sold this machine on 01-10-2017 for ₹ 2,00,000 and again repurchased it on 01-08-2018 for ₹ 2,40,000. Rate of depreciation is 15%. For the previous year 2018-19 calculate actual cost of the machine.

Solution :

	₹
Actual Cost 01-07-2016	4,00,000
Less : Depreciation @ 15% 2016-17	60,000
W.D.V. 01.04.2017	3,40,000
Less : Depreciation @ 15% 2017-18	51,000
W.D.V. 01.04.2018	2,89,000

	₹
(i) W.D.V. as on 01-04-2018	2,89,000
(ii) Cost of acquisition	2,40,000

Which ever is less will be the actual cost ₹ 2,40,000.

5. व्यवसाय में प्रयोग किया गया भवन (Building used in Business)–यदि कोई भवन करदाता की निजी सम्पत्ति है, किन्तु 28-02-1946 के बाद उसने उस भवन को अपने व्यापार में प्रयोग किया हो, तो ऐसे भवन की वास्तविक लागत निम्न होगी–

सम्पत्ति का क्रय मूल्य – क्रय की तिथि से गत वर्ष तक का स्वीकृत ह्रास

6. सूत्रधारी एवं सहायक कम्पनी में आपस में सम्पत्ति का हस्तान्तरण (Mutual Transfer of Assets between Holding and Subsidiary Companies)–ऐसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह राशि होगी, जो हस्तान्तरित करने वाली कम्पनी के लिए होती है, यदि वह कम्पनी इस सम्पत्ति को अपने व्यापार में उपयोग कर रही हो।

(i) सहायक कम्पनी भारतीय कम्पनी हो

(ii) सहायक कम्पनी के सभी अंश (100%) सूत्रधारी कम्पनी के पास हों।

7. एकीकरण योजना में सम्पत्तियों का हस्तान्तरण (Transfer of Assets under Scheme of amalgamation)–एकीकृत कम्पनी के लिये सम्पत्ति की वास्तविक लागत वही मानी जाती है, जो हस्तान्तरित करने वाली कम्पनी के लिये उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत हो। उसने इस सम्पत्ति को अपने व्यापार में प्रयोग किया हो।

8. विदेशी सम्पत्ति (Foreign Assets)–यदि कोई सम्पत्ति विदेशी हो तथा भुगतान की गई राशि अवमूल्यन के कारण सम्पत्ति की लागत से अधिक हो गई हो, तो उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत में ऐसी अवमूल्यन की राशि को जोड़ दिया जाता है।

9. 01-04-1994 को या इसके बाद प्राप्त सम्पत्ति (Assets acquired as on 01-04-1994 or after)–यदि कोई सम्पत्ति 01-04-1994 या इसके बाद प्राप्त की गई हो, तो सम्पत्ति की लागत में से तटकर, उत्पादन कर आदि को घटाकर शेष राशि वास्तविक लागत मानी जाएगी।

III. सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य
(WRITTEN DOWN VALUE OF ASSETS)

[Sec. 43 (6)]

1. सम्पत्ति की वास्तविक लागत यदि सम्पत्ति गत वर्ष में प्राप्त की गई हो।
2. सम्पत्ति की वास्तविक लागत में से गतवर्ष तक का स्वीकृत ह्रास घटाने के बाद शेष राशि (सम्पत्ति गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में क्रय की गई हो)।

He purchased a new Machine D on 15.12.2018 for ₹ 2,00,000. On 20.03.2019 Machine A and Machine B were sold for ₹ 2,50,000 and ₹ 2,70,000 respectively. Compute depreciation for the Assessment Year 2019-20.

Solution :

		₹
Block of Machine (A + B + C) (15%)		
WDV as on 01.04.2018		7,20,000
Add : Machine D		2,00,000
		9,20,000
Less : Sale of Machine A & B		5,20,000
W.D.V. as on 31-03.2019	₹	4,00,000
Less : Depreciation on 2,00,000 @ 7.5% (Half Rate)	15,000	
Depreciation on 2,00,000 @ 15% (4,00,000 – 2,00,000)	30,000	45,000
W.D.V. as on 01-04.2019		3,55,000

सम्पत्ति समूह की सभी सम्पत्तियों का विक्रय
(SALE OF ALL ASSETS OF A BLOCK OF ASSETS)

यदि किसी गत वर्ष के अन्तिम दिन सभी सम्पत्तियों को बेच दिया जाता है, तो ह्रास स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे होने वाले लाभ या हानि को अल्पकालीन पूँजी लाभ या हानि मानेंगें।

Example 11.

1 अप्रैल, 2018 को ओमेगा लिमिटेड के पास दो मशीनें हैं। ह्रास की दर 15% 01.04.2018 को अपलिखित मूल्य 2,40,000 है। कम्पनी ने 30.06.2018 को एक मशीन P ₹ 50,000 में क्रय की। सभी मशीनों को 1 मार्च, 2019 को 1,80,000 में बेच दिया गया। अपलिखित मूल्य ज्ञात कीजिए एवं ह्रास की राशि बताइये।

Omega Ltd. has two machines on 1st April, 2018. Rate of depreciation is 15%. Written down value on 01.04.2018 is ₹ 2,40,000. Company purchased a Machine P on 30.06.2018 for 50,000. All the machines were sold on 1st March, 2019 for ₹ 1,80,000. Calculate written down value and amount of depreciation.

Solution :

	₹
W.D.V. of Two Machines	2,40,000
Add : Purchase New Machine P	50,000
	2,90,000
Less : Sale of all Machines	1,80,000
W.D.V. as on 31.03.2019	1,10,000

ह्रास की कटौती नहीं दी जायेगी क्योंकि 31 मार्च, 2019 को सभी मशीनों को बेचा जा चुका है। अतः समूह खाली हो गया है। इस ₹ 1,10,000 की हानि को अल्पकालीन पूँजी हानि माना जाएगा।

अशोधित ह्रास [धारा 32(2)]
(UNABSORBED DEPRECIATION)

ऐसा ह्रास जिसे व्यवसाय के लाभों में से न घटाया जा सकता हो, अशोधित ह्रास या अपूरित ह्रास कहते हैं। अशोधित ह्रास को निम्न प्रकार अपलिखित किया जाता है–

1. उसी गत वर्ष के अन्य व्यवसाय एवं पेशे के लाभों में से अशोधित ह्रास को अपलिखित करना।
2. उसी गत वर्ष की अन्य शीर्षक की आय में से अशोधित ह्रास को अपलिखित करना।

3. यदि लाभ शेष हैं तो अशोधिक ह्रास, जिसे आगे लाया गया है, उसे अपलिखित करना।
4. यदि अशोधित ह्रास की राशि बचती है तो ऐसे बचे हुए अशोधित ह्रास को किसी भी अन्य शीर्षक की आय से अपलिखित किया जाता है।

विनियोग भत्ता (Investment Allowance) **धारा 32AD (w.e.f. 2016-17)**

इसके अन्तर्गत सम्पत्ति को बेचने या हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में धारा 32AC के प्रावधान लागू होंगे। यह कटौती किसी भी करदाता को दी जा सकती है। इसकी कटौती वास्तविक लागत के 15% के बराबर होगी।

कटौती की शर्तें

(i) यदि करदाता 31 मार्च, 2015 के बाद किसी वस्तु के निर्माण के लिए पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करता है।
(ii) ऐसे उद्योग के लिए करदाता नई मशीन 31 मार्च, 2015 के बाद किन्तु 1 अप्रैल, 2020 से पहले प्राप्त करता है या नई मशीन स्थापित कर लेता है।

• यदि कोई कम्पनी धारा 32AC एवं 32AD की शर्तों को पूरा करती है। तो उसे दोनों धाराओं के अन्तर्गत कटौती मिलेगी।

अशोधित ह्रास को आगे ले जाने के सम्बन्ध में नियम
(RULES REGARDING CARRY FORWARD OF UNABSORBED DEPRECIATION)

1. गत वर्ष के व्यवसाय के लाभों में से उसी गत वर्ष का ह्रास अपलिखित करना।
2. शेष लाभों में से व्यवसाय एवं पेशे की हानियाँ घटाना ।
3. यदि लाभ शेष हैं तो अशोधित ह्रास, जिसे आगे लाया गया है, उसे अपलिखित करना।
4. यदि अशोधित ह्रास की राशि बचती है तो ऐसे बचे हुए अशोधित ह्रास को किसी भी अन्य शीर्षक की आय से अपलिखित किया जाता है।

Example 12.

निम्न विवरण से ज्ञात कीजिए कि अशोधित ह्रास की कितनी राशि को कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के आगे ले जाया जाएगा–

	₹
ह्रास से पूर्व व्यवसाय की आय	1,05,000
ह्रास	2,00,000
मकान सम्पत्ति से आय	80,000
अन्य स्रोतों से आय	10,000

Calculate the amount of unabsorbed depreciation to be carried forward for the assessment year 2019-20 from the following details :

	₹
Profit of Business before Depreciation	1,05,000
Depreciation	2,00,000
Income from House Property	80,000
Income from Other Sources	10,000

Solution :

	₹
Income from Business	
1,05,000 – 1,05,000 = NIL	
Unabsorbed Depreciation ₹ 2,00,000 – 1,05,000 = ₹ 95,000	
Income from House Property	80,000
Less : Unabsorbed Depreciation	80,000
Balance of Unabsorbed Depreciation ₹ 95,000 – 80,000 = ₹ 15,000	NIL
Income from Other Sources	10,000
Less : Unabsorbed Depreciation	10,000
Balance of Unabsorbed Depreciation 15,000 – 10,000 = ₹ 5,000	NIL

Unabsorbed Depreciation of ₹ 5,000 shall be carried forward

चाय विकास खाता या कॉफी विकास खाता या रबड़ विकास खाता

(TEA/COFFEE/RUBBER DEVELOPMENT ACCOUNT) [धारा 33 (AB)]

यदि कोई करदाता भारत में चाय या कॉफी अथवा रबड़ का उत्पादन करता है और यदि वह आय विवरणी जमा करने से पहले या गतवर्ष के समाप्त होने से 6 माह पहले (जो भी पहले हो), चाय बोर्ड या कॉफी बोर्ड या रबड़ बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के विशेष खाते में राशि जमा करता है तो उसे इस धारा 33(AB) के अन्तर्गत निम्न प्रकार कटौती मिलेगी–

(1) जमा राशि
(2) व्यवसाय के लाभ का 40%
→ दोनों में से जो भी कम हो

भूमि पुनर्स्थापना निधि

(SITE RESTORATION FUND) [धारा 33 (ABA)]

वे करदाता जो पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के उत्पादन एवं विकास कार्यों में संलग्न रहते हैं। उन्हें यह कटौती प्रदान की जाती है। भूमि पुनर्स्थापना निधि में जमा की छूट तभी प्रदान की जायेगी जब केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत राशि जमा की गई हो। इसके लिए स्टेट बैंक में एक खाता खोलकर राशि जमा करायी जाती है।

इसकी कटौती निम्न दो में से जो भी कम होगी उस राशि के बराबर प्रदान की जायेगी–

1. भूमि पुनर्स्थापना में जमा कराई गई राशि या; **2.** व्यवसाय के लाभों का 20%

Example 13.

एक लघु औद्योगिक संस्थान ने मई 2017 में ₹ 4,00,00 की मशीन खरीदी। राज्य सरकार के लघु उद्योग विभाग ने इस संस्था को ₹ 1,00,000 की सहायता दी। नवम्बर 2018 में कारखाने में आग लग जाने से मशीन नष्ट हो गई और बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 1,40,000 प्राप्त हुए क्षतिग्रस्त मशीनें ₹ 15,000 में बेच दी गईं। दिसम्बर, 2018 में संस्था ने ₹ 2,00,000 की नई मशीनें खरीदीं।

गतवर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए ह्रास की गणना कीजिए। करदाता कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त ह्रास के लिए अधिकृत नहीं है।

A small scale industrial undertaking purchased machinery for ₹ 4,00,000 in May 2017. The purchase was subsidised by the small scale industries department of the State Government by a sum of ₹ 1,00,000. A fire in the factory destroyed the machine in November 2018 and the insurance company paid a claim of ₹1,40,000. The Damage Machine was sold for ₹ 15,000. The Undertaking purchased and put in use new machine ₹ 2,00,000 in December 2018.

Compute the depreciation allowance for the accounting year 2017-18 and 2018-19. Assessee is not entitled to additional depreciation for A. Y. 2019-20.

Solution :

	₹
Cost of Machine	4,00,000
Less : Subsidy	1,00,000
	3,00,000
Less : Depreciation @ 15% for P. Y. 2017-18	45,000
W.D.V. as on 01-04-2018	2,55,000
Less : Amount received as claim and sale (1,40,000 + 15,000)	1,55,000
	1,00,000
Add : Cost of New Machine	2,00,000
	3,00,000

10

व्यवसाय (कारोबार) अथवा पेशे (वृत्ति) के लाभ

PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION

व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ, आय का तीसरा शीर्षक है। इस शीर्षक से भारत सरकार को अन्य शीर्षकों की तु... में अधिक आय-कर प्राप्त होता है।

व्यवसाय का अर्थ (Meaning of Business)—आयकर अधिनियम की धारा 2(13) के अनुसार, ''व्यवसा... व्यापार, वाणिज्य, उद्योग या निर्माण कार्य अथवा कोई साहस अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य की प्रकृति का ... भी साहसिक कार्य शामिल है।''

व्यापार (Trade)—इसके अन्तर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से माल एवं वस्तुओं का क्रय-विक्रय शामिल है।

वाणिज्य (Commerce)—वाणिज्य शब्द के अन्तर्गत व्यापार, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, टेलीफोन, बैंक, ... आदि से सम्बन्धित क्रियाएँ शामिल होती हैं।

निर्माण (Manufacturing)—जब कच्चे माल से माल तैयार किया जाता है तो इसे निर्माण कहते हैं। जैसे–गन्ने से गुड़ एवं चीनी तैयार करना यह क्रिया निर्माणीय या उत्पादकीय क्रिया कहलाती है।

साहसिक कार्य (Adventure)—जब कोई माल क्रय-विक्रय के उद्देश्य से स्टॉक या रहतिये के रूप में रखा ... है तो इसे साहसिक कार्य कहते हैं।

पेशे का अर्थ (Meaning of Profession)—पेशे से आशय ऐसी क्रियाओं से है जिनमें मस्तिष्क की योग्य... बौद्धिक कुशलता की आवश्यकता होती है। ऐसी क्रियाओं को अध्ययन एवं प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता ... जैसे–डॉक्टर, वकील, इन्जीनियर, अंकेक्षक आदि।

धन्धे या वृत्ति की क्रियाएँ उन क्रियाओं को कहते हैं जो जीवन-यापन करने के लिये की जाती हैं। जैसे–पुस्तक ... एजेन्सी सम्बन्धी कार्य, संगीत, नृत्य, चोरी की क्रियाएँ आदि धन्धे या वृत्ति (Vocation) की क्रियाएँ कहलाती हैं।

कुछ अन्य व्याख्याएँ (Some other Explanations)

एकीकरण (Amalgamation)—एकीकरण के लिये आवश्यक होता है कि एकीकरण होने वाली कम्पनी के ... से-कम 75% अंशधारी एकीकृत कम्पनी के अंशधारी बनने को तैयार हों।

अविलयन या विभाजन (Demerger)—जब किसी ठहराव के अन्तर्गत एक या एक से अधिक उपक्रम ... कम्पनी (Demerger Company) द्वारा किसी परिणामी कम्पनी (Resulting Company) को हस्तान्तरित किये ... है तो ऐसा विलयन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के अनुसार होना चाहिए।

विभक्त कम्पनी (Demerged Company)—परिणामी कम्पनी को जिस कम्पनी का व्यवसाय हस्तान्तरित ... है, उसे अविलयित या विभक्त कम्पनी कहते हैं।

परिणामी कम्पनी (Resulting Company)—

(i) विभक्त कम्पनी का उपक्रम विभक्तिकरण के अन्तर्गत हस्तान्तरित हुआ है।

(ii) विभक्त कम्पनी के अंशधारियों को अंशों का आवण्टन परिणामी कम्पनी ने हस्तान्तरण प्रतिफल के बदले में किया हो।

(iii) किसी निकाय, स्थानीय सत्ता या सार्वजनिक क्षेत्र के विभक्तिकरण के परिणामस्वरूप गठित कम्पनी, परिणामी कम्पनी के अन्तर्गत शामिल है।

एक कम्पनी जो उपर्युक्त शर्तों को पूरा करती हो परिणामी कम्पनी कहलाती है।

व्यवसाय या पेशे के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कर न देने योग्य आयें

(INCOME NOT TAXABLE UNDER THE HEAD PROFITS OF BUSINESS OR PROFESSION)

1. **मकान सम्पत्ति से आय** (Income from House Property)—यदि मकान को किराये पर उठाने से कोई करदाता अपना जीवन-यापन करता है, तो ऐसी आय मकान सम्पत्ति की आय शीर्षक में कर-योग्य होगी।
2. **अंशों पर लाभांश से आय** (Income from Dividend on Shares)—यदि अंशों पर प्राप्त लाभांश अन्य साधनों की आय शीर्षक में कर-योग्य है, तो ऐसी आय व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य नहीं होगी।

व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आयें

(INCOME TAXABLE UNDER THE HEAD PROFITS OF BUSINESS OR PROFESSION)

1. **व्यापार अथवा पेशे के लाभ** (Profits of Business or Profession)—गत वर्ष में हुई आयगत प्राप्तियाँ जो व्यापार अथवा पेशे के संचालन से हुई हों, इस शीर्षक में कर-योग्य होती हैं।
   (i) व्यापार में बिक्री से प्राप्त रकम
   (ii) प्रदत्त सेवाओं के प्रतिफल में प्राप्त राशि
   (iii) ब्याज, बट्टा, कमीशन आदि से प्राप्त राशियाँ
   (iv) कर्मचारियों को मकान किराये पर देने से प्राप्त राशि
   (v) पेशे के सम्बन्ध में पेशेवर व्यक्ति को प्राप्त राशि
   (vi) पेशेवर व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपहार एवं भेंट (ग्राहकों द्वारा)।
2. **व्यापारिक संघों की आय** (Income of Trades or Professional Associations)—ऐसे संघ की आय जो अपने सदस्यों को विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने के प्रतिफल में प्राप्त हुई हो, इस शीर्षक में कर-योग्य होगी।
3. **पेशेवर खिलाड़ियों को प्राप्त पुरस्कार** (Prizes received by professional players)—पेशेवर खिलाड़ियों को प्राप्त पुरस्कार उनकी आय मानी जाती है। इसलिए ऐसा पुरस्कार इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य है। गैर-पेशेवर खिलाड़ियों को प्राप्त पुरस्कार उपहार माना जाता है। अतः इस शीर्षक में कर-योग्य नहीं होता है।
4. **क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि** (Amount received as compensation)—क्षतिपूर्ति की राशि पूँजीगत प्राप्ति होती है। किन्तु इसे आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत माना जाता है। जब व्यवसाय में शर्तों का परिवर्तन होता है या एजेन्सी को समाप्त किया जाता है, तो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है।
5. **विनियोगों के क्रय-विक्रय से लाभ** (Profits from Sale and Purchase of Investment)—यदि प्रतिभूति एवं अंश बेचना तथा खरीदना करदाता का व्यापार है, तो ऐसे लाभ व्यापार तथा पेशे के लाभ शीर्षक में कर-योग्य होते हैं।
6. **अभिगोपन कमीशन** (Underwriting Commission)—यदि अभिगोपक स्वयं कोई अंश लेता है तथा उस पर कोई कमीशन प्राप्त करता है तो ऐसा कमीशन कर-योग्य नहीं होगा। किन्तु जब अभिगोपक किसी कम्पनी के अंश खरीदता एवं बेचता है तो उस पर प्राप्त कमीशन इस शीर्षक में कर-योग्य होगा।
7. **साझेदारों को प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन तथा ब्याज** (Salaries, Bonus, Commission and Interest received by Partners)—साझेदारी फर्म से जब किसी साझेदार को कोई वेतन, बोनस, कमीशन तथा ब्याज प्राप्त होती है, तो वह इस शीर्षक में कर-योग्य होगी। यदि इनमें से कोई भी भुगतान फर्म की आय में से कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो उसे साझेदार की आय में नहीं जोड़ेंगे।

8. **कानूनी तथा गैर-कानूनी व्यवसाय या पेशों के लाभ** (Profits from Legal and Illegal Business and Profession)—व्यवसाय या पेशे के लाभ इस शीर्षक में कर-योग्य होंगे चाहे व्यवसाय या पेशा कानूनी हो अथवा गैर-कानूनी। कानूनी व्यवसाय तथा पेशे की हानि को कानूनी व्यवसाय तथा पेशे के लाभों में से घटाया जा सकता है। इसके सम्बन्ध में अर्थदण्ड कटौती योग्य होते हैं। किन्तु गैर-कानूनी व्यवसाय या पेशे की हानि को नहीं घटाया जा सकता और न ही इसके सम्बन्ध में अर्थदण्ड कटौती योग्य होंगे।

9. **सट्टे के व्यापार के लाभ** (Profits from Business of Speculation)—सट्टे के लेन-देन भी, व्यापार के लेन-देन की प्रकृति के होते हैं, किन्तु इन्हें वैध व्यापार से अलग समझा जाता है। सट्टे के व्यापार के लाभ इस शीर्षक में कर-योग्य होते हैं। सट्टे के व्यापार से हुई हानि को केवल सट्टे के व्यापार से ही पूरा किया जा सकता है।

10. **वैधानिक या लाभकारी स्वामित्व** (Legal or Beneficial Ownership)—व्यवसाय एवं पेशे के लाभों पर आय-कर लगाने के उद्देश्य से व्यापारी का कानूनी स्वामित्व ही होना आवश्यक नहीं है, बल्कि लाभकारी स्वामित्व भी होना आवश्यक है।

11. **पिछले गत वर्षों में स्वीकृत कटौती के सम्बन्ध में प्राप्ति** (Deduction Allowed in Last Previous Years)—यदि करदाता को पिछले वर्षों के लाभों में किसी प्रकार की हानि अथवा व्यय के सम्बन्ध में कटौती स्वीकृत हो चुकी है तथा गत् वर्ष में वह राशि वसूल की जा चुकी है तो ऐसी राशि इस शीर्षक में कर-योग्य होगी।

12. **व्यवसाय अथवा पेशे के अन्तर्गत प्राप्त अनुलाभ** (Perquisities received under Business or Profession)—किसी व्यवसाय या पेशे के अन्तर्गत प्राप्त अनुलाभ इस शीर्षक में कर-योग्य होंगे जैसे—वकील को उसके ग्राहक (मुवक्किल) द्वारा दी गई मुफ्त मकान की सुविधा।

13. **भूमि को मकान निर्माण हेतु प्लॉट्स के रूप में बेचने से प्राप्त आय** (Income from Selling for the Construction of House Constructed)—यदि भूमि को मकान निर्माण हेतु प्लॉट्स के रूप में बेचने पर आय प्राप्त होती है, तो इस प्रकार के भूखण्डों की आय इस शीर्षक में कर-योग्य होगी।

14. **कीमैन बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त धन** (Amount received under Keyman Insurance Policy)—1.10.96 से कीमैन बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त धन तथा बोनस इस शीर्षक में कर-योग्य होगा। कीमैन बीमा पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों की दुर्घटना के लिए ली जाती है।

15. **जिस तिथि को रहतिये को पूँजी सम्पत्ति में परिवर्तित किया जाता है उस तिथि को रहतिए का उचित बाजार मूल्य, व्यवसाय की आय माना जायेगा (w.e.f. A.Y. 2019-20)**

16. **आयात-निर्यात सम्बन्धी आयें** (Income from Import and Export)—
    (i) एक आयात करने वाले को आयात अनुज्ञा पत्र के विक्रय से लाभ।
    (ii) किसी निर्यात करने वाले को उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क की रकम की वापसी।
    (iii) निर्यात प्रोत्साहन के लिये किसी व्यक्ति को भारत सरकार से प्राप्त नकद सहायता की राशि।

17. **35AD में प्राप्त सम्पत्ति को बेचने से होने वाली प्राप्ति** (Receivings from sale of Assets received is 35 AD)—इस धारा के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों के बेचने या समाप्त करने से प्राप्त होने वाली राशि कर-योग्य होगी।

18. **कुछ अप्रदर्शित आयों (धारा 68, 69, 69A, 69B, 69C या 69D के अन्तर्गत हो) पर 30% की विशेष दर से कर लगाया जायेगा। [धारा 115BBE] w.e.f. A.Y. 2013-14**—यदि करदाता की आय में धारा 68, 69, 69A, 69B, 69C या 69D से सम्बन्धित आय शामिल हो तो ऐसी आयों पर 30% की दर से कर लगाया जायेगा तथा ऐसी आयों में से किसी प्रकार के व्यय या भत्ते की कटौती नहीं मिलेगी।

19. **किसी व्यापार या पेशे के सम्बन्ध में कोई क्रिया-कलाप न करने के अनुबन्ध से आय** (कर-निर्धारण वर्ष 2017-18 से प्रभावी)

व्यवसाय या पेशे के लाभों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु या बातें
(IMPORTANT POINTS REGARDING PROFITS OF BUSINESS OR PROFESSION)

(i) गत वर्ष में करदाता द्वारा कभी भी व्यापार या पेशा प्रारम्भ किया जाता है।
(ii) करदाता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यापार या पेशे को चलाया जा सकता है।

(iii) एक से अधिक व्यवसाय होने पर करदाता के सभी व्यवसाय एवं पेशे की आय की गणना अलग-अलग करके, उनके योग पर कर लगाया जाता है।
(iv) व्यवसाय अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय वाणिज्य के सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाता है।
(v) लाभों के कर-योग्य होने के लिये यह आवश्यक है कि लाभ बाह्य स्रोतों से प्राप्त हों।
(vi) भविष्य में होने वाले अनुमानित लाभ कर-योग्य नहीं होते।
(vii) इन लाभों के अन्तर्गत पूँजीगत हानि को नहीं घटाया जाता।
(viii) ऐसे व्ययों को जिनसे भविष्य में लाभ होने की सम्भावना हो, उसी वर्ष के लाभों में से घटा दिया जाता है, जिस वर्ष उन्हें खर्च किया गया हो।
(ix) यदि कोई व्यापार बन्द हो जाता है तो सम्पत्ति के विक्रय पर लाभ कर-योग्य नहीं होंगे।
(x) करदाता द्वारा किये जा रहे व्यापार में से स्वयं के प्रयोग के लिये माल का आहरण करने पर हुए लाभों को इस शीर्षक में कर-योग्य नहीं माना जायेगा।
(xi) अपलिखित होने वाली सम्पत्ति के बेचे जाने पर प्राप्त रकम उस वर्ष की आय मानी जायेगी जिस वर्ष सम्पत्ति का विक्रय हुआ है।
(xii) व्यवसाय एवं पेशे के लाभों में ग्राहकों से प्राप्त धर्मादा को शामिल नहीं किया जाता है।

व्यापार या पेशे के कर-योग्य लाभों की गणना
(COMPUTATION OF TAXABLE PROFITS OF BUSINESS OR PROFESSION)

(I) लेखांकन पद्धति (Accounting System)
(II) करदाता द्वारा बनाये जाने वाले खाते (Accounts prepared by the Assessee)
(III) खातों में संशोधन (Revision in Accounts)

(I) लेखांकन पद्धति (Accounting System) **(धारा 145)**

(A) रोकड़ पद्धति (Cash System) **या वास्तविक पद्धति** (Real System)—इस पद्धति के अन्तर्गत नकद भुगतानों तथा प्राप्तियों का लेखा रोकड़ पुस्तक में किया जाता है, चाहे वे गत वर्ष के हों या अगले वर्ष से सम्बन्धित हों। इस पद्धति को अधिकांश रूप में पेशेवर व्यक्ति अपनाते हैं। जैसे—वकील, डॉक्टर, तकनीकी सलाहकार आदि।

(B) अवास्तविक या व्यापारिक पद्धति (Nominal System or Commercial System)—इसके अन्तर्गत गत वर्ष से सम्बन्धित उधार एवं नकद लेन-देनों का लेखा किया जाता है। इसके अन्तर्गत अदत्त एवं पूर्वदत्त व्यय एवं आय का लेखा किया जाता है। इस पद्धति में लाभ-हानि खाता तैयार किया जाता है।

(II) खाते बनाना (Preparing Accounts) **(धारा 28)**

इसके अन्तर्गत निम्न खाते बनाये जाते हैं—

(A) लाभ-हानि खाता (Profit and Loss Account)—शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिये व्यापारिक संस्थाएँ एवं निर्माणी संस्थाएँ इस खाते को बनाती हैं।

(B) आय-व्यय खाता (Income-Expenditure Account)—यह खाता प्राय: पेशेवर व्यक्तियों अथवा गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। जैसे—इन्जीनियर्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट आदि।

(C) प्राप्ति एवं भुगतान खाता (Receipts and Payments Account)—इस खाते में केवल नकद लेन-देनों का लेखा किया जाता है। इस खाते में गत वर्ष अथवा आगामी वर्ष की सभी आयगत एवं पूँजीगत प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा किया जाता है। ऐसे लेखे नकद में होना आवश्यक है। इस खाते को आगम एवं शोधन खाता भी कहते हैं।

(III) खातों में संशोधन (Revision in Accounts)

व्यापारी द्वारा रखे गये खातों से ज्ञात किया गया लाभ आय-कर की दृष्टि से उचित नहीं होता है। इसलिए करदाता द्वारा बनाये गये खातों में संशोधन करना पड़ता है। खातों में संशोधन करने के निम्नलिखित कारण हैं–

(A) वास्तविक स्वीकृत राशि से कम या अधिक दिखाये गये व्यय।
(B) आय-कर अधिनियम द्वारा स्वीकृत व्यय जो करदाता ने नहीं घटाये।
(C) पूँजीगत व्ययों का लाभ-हानि खाते में लेखा होना।
(D) लाभ-हानि खाते में व्यक्तिगत व्ययों का लेखा।
(E) गत वर्ष या व्यापार से सम्बन्ध न रखने वाले व्ययों का लेखा होना।
(F) अन्य शीर्षकों में आने वाली आयों का लाभ-हानि खाते में लेखा होना।
(G) व्यापार या पेशे से सम्बन्धित आयों का लेखा न होना।
(H) व्यापार या पेशे से सम्बन्धित आयों की राशि कम या अधिक लिखा जाना।

आय-कर की दृष्टि से खातों में संशोधन
(REVISION IN ACCOUNTS REGARDING INCOME-TAX)

1. **घरेलू एवं व्यक्तिगत व्यय को जोड़ना** (Add Personal & Household Expense)—लाभ-हानि खाते में डेबिट हुए घरेलू एवं व्यक्तिगत व्ययों को लाभों में जोड़ा जाता है।
2. **पूँजीगत व्यय एवं पूँजीगत हानियाँ** (Capital Expenditure & Capital Losses)—यदि लाभ-हानि खाते में कोई पूँजीगत व्यय या पूँजीगत हानि को डेबिट किया गया है, तो इसे लाभों में जोड़ा जायेगा।
3. **प्रत्यक्ष कर** (Direct Tax)—लाभ-हानि खाते में यदि प्रत्यक्ष करों (जैसे—आयकर, धनकर आदि) को डेबिट किया गया है, तो इसे लाभों में जोड़ा जायेगा।
4. **अस्वीकृत व्यय** (Disallowed Expenses)—ऐसे व्यय जो आय-कर अधिनियम द्वारा अस्वीकृत हैं, उन्हें लाभों में जोड़ा जायेगा।
5. **स्वीकृत व्ययों को घटाना** (Substract Allowed Expenses)—ऐसे व्यय जो आय-कर अधिनियम द्वारा स्वीकृत हैं, किन्तु लाभ-हानि खाते में नहीं दिखाये गये हैं। ऐसे व्ययों को लाभों में से घटा दिया जाता है।
6. **अन्य शीर्षक की आयों को घटाना** (Substract Income of Other Heads)—अन्य शीर्षकों की आयों को यदि लाभ-हानि खाते के क्रेडिट में लिख दिया गया है, तो ऐसी आयों को लाभों में से घटा दिया जाता है।
7. **व्यापार या पेशे शीर्षक की आय को जोड़ना** (Add Income from Business or Profession Head)—यदि लाभ-हानि खाते में व्यापार या पेशे से सम्बन्धित कोई आय नहीं लिखी गयी है तो ऐसी आय को लाभों में जोड़ दिया जाता है।

लाभ-हानि खाते से व्यवसाय एवं पेशे की आय ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण बातें

Step 1 सबसे पहले Net Profit को लिखें।
Step 2 Net Profit में वे सभी खर्चे जोड़ दें जो लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में नहीं लिखे जाते हैं। अर्थात् अस्वीकृत व्यय। ऐसे व्यय आय-व्यय खाते या लाभ-हानि खाते में डेबिट की ओर दिये जा सकते हैं या ऐसे व्यय समायोजन में भी हो सकते हैं।
Step 3 सभी प्रावधान एवं आयोजन Net Profit में जोड़ दें।
Step 4 वे सभी आयें जो लाभ-हानि खाते के Credit पक्ष में लिखी जा सकती हैं, किन्तु लिखी नहीं गई हैं उन्हें Net Profit में जोड़ दें। ऐसी आय केवल समायोजनाओं में दी जा सकती है।
Step 5 वे सभी खर्चे जो लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाने चाहिए, किन्तु लिखे नहीं गये हैं, उन्हें Net Profit में से घटा देना चाहिए। ऐसे व्यय केवल समायोजनाओं में दिये जा सकते हैं।
Step 6 Net Profit में से स्वीकृत सीमा तक ह्रास को घटाना (किन्तु यदि लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में स्वीकृत सीमा से अधिक ह्रास की रकम लिख दी गई है, तो उसे Net Profit में जोड़ देना चाहिए।)

Step 7 ऐसी सभी आयें जो लाभ-हानि खाते के क्रेडिट में नहीं लिखी जातीं, किन्तु लिख दी गई हैं, ऐसी आयों को Net Profit में से घटा दिया जाना चाहिए। ऐसी आय लाभ-हानि खाते या आय-व्यय खाते के क्रेडिट में दी जा सकती है या समायोजनाओं में भी की जा सकती है।
Step 8 जो राशि शेष बचेगी वह Income from Business कहलायेगी तथा करयोग्य है।

रोकड़ खाते या आगम शोधन खाते से पेशे की आय ज्ञात करना

Step I पेशे से सम्बन्धित सभी स्वीकृत आयों को जोड़ना
Step II पेशे से सम्बन्धित सभी स्वीकृत व्ययों को घटाना
Step III शेष आय पेशे की आय होगी।

प्राप्ति-भुगतान (आगम-शोधन) खाता अथवा रोकड़ खाते से आय की गणना
[(Computation of Income from Receipts & Payments Account (Cash Account)]

	₹	₹
Professional Earnings :		
Sale of Medicines (In case of a Doctor)	√	
Consultation Fee/Visiting Fee (In case of a Doctor)	√	
Examining Fee (In case of a Doctor)	√	
Operating Fee (In case of a Doctor)	√	
Nursing Home Charges (In case of a Doctor)	√	
Gift from Patients (In case of a Doctor)	√	
Medical Equipments Charges (In case of a Doctor)	√	
Fee from Suits/Appeal (In case of an Advocate or C.A./C.S.)	√	
Consultancy Fee (In case of an Advocate or C.A./C.S.)	√	
Audit Fee (In case of an Advocate or C.A./C.S.)	√	
Income from Accounting Work (In case of an Advocate or C.A.)	√	
Fee from Training Institute (In case of an Advocate or C.A./C.S.)	√	
Gifts from Clients (In case of an Advocate or C.A./C.S.)	√	
		√
Less : Admissible or Allowed Expenses :		
Rent of Dispensary (In case of a Doctor)	√	
Compounders Salaries (In case of a Doctor)	√	
Cost of Medicines (In case of a Doctor)	√	
General Expenses (In case of a Doctor, Advocate or C.A./C.S.)	√	
Telephones Expenses (In case of a Doctor, Advocate or C.A./C.S.)	√	
Motor Car Expenses (If used in Profession for a Doctor, Advocate or C.A./C.S.)	√	
Dep. on Motor Car (If used in Profession for a Doctor, Advocate or C.A./C.S.)	√	
Dep. on Surgical Equipments (In case of a Doctor)	√	
Laboratory Expenses (In case of a Doctor)	√	
Interest on Loan (In case of a Doctor, Advocate or C.A./C.S.)	√	
Magazines and Journals related to Profession (In case of a Doctor, Advocate or C.A./C.S.)	√	
		√
Taxable Income of Profession ₹		

स्वीकृत कटौतियाँ
(DEDUCTIONS ALLOWED)

(I) स्पष्ट रूप से अस्वीकृत व्यय (Expressly Disallowed Expenses)
(II) व्यापार से सम्बन्धित स्वीकृत हानियाँ (Allowed Business Losses)
(III) स्पष्ट रूप से स्वीकृत व्यय या कटौतियाँ (Expressly Allowed Deductions)

(I) स्पष्ट रूप से अस्वीकृत व्यय
(EXPRESSLY DISALLOWED EXPENSES)

1. **भारत के बाहर भुगतान की गई राशि** (Amount paid out side of India) **[धारा 40 (a)(i)]**—जब ब्याज, अधिकार शुल्क आदि का भुगतान करदाता द्वारा भारत से बाहर किया गया हो या भारत में अनिवासी को दिया है तथा उस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई हो तो ऐसे व्यय अस्वीकृत व्यय होंगे।
2. **वेतन शीर्षक के अन्तर्गत भारत के बाहर दी गई राशि** (Amount paid out side India Under the Head of Salary) **[धारा 40 (a)(iii)]**—यदि ऐसी राशि पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है तो वह राशि अस्वीकृत होगी।
3. **नियोक्ता का प्रोविडेन्ट फण्ड में अंशदान** (Contribution of Employer in Provident Fund) **[धारा 40(a) (iv)]**—कर्मचारी को ऐसे फण्ड में से किये गये भुगतान पर करदाता द्वारा उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है तो इसे अस्वीकृत मानेंगे।
4. **रिश्तेदारों को अधिक भुगतान की गई राशि** (Excessive Payments to Relatives) **[धारा 40A(2)]**—यदि करदाता ने व्यवसाय के लिये किसी सम्पत्ति को खरीदने के लिये अपने किसी रिश्तेदार अथवा अन्य किसी को कोई राशि भुगतान की है तथा ऐसी राशि कर-निर्धारण अधिकारी की दृष्टि में अनुचित या अधिक है, तो जितनी राशि अधिक चुकायी गई है, वह राशि अस्वीकृत होगी।

   रिश्तेदार से आशय [धारा 2(41)]—रिश्तेदार शब्द से आशय उसके पति, पत्नी, भाई या बहन या उसके कुल पूर्वज या उसकी संतान से है।

> **स्पष्टीकरण**
> रिश्तेदारों में करदाता के माता-पिता, भाई-बहिन, पति-पत्नी, दादा-दादी, पुत्र-पुत्री, तथा पौत्री को शामिल करते हैं।

5. **नकद भुगतान** (Cash Payment) **धारा 40 A(3A)**—यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में एक बार या अनेक बार कुल मिलाकर ₹ 10,000 (For A.Y. 2018-19) से ज्यादा का भुगतान करदाता द्वारा नकद या वाहक चैक से किया गया है, तो ऐसी राशि अस्वीकृत होगी।

अपवाद—निम्नलिखित दशाओं में ₹ 10,000 (For A.Y. 2018-19)/35,000 (गुड्स कैरियर की दशा में) से अधिक का भुगतान भी नियम (6 DD) के अन्तर्गत कटौती योग्य है।

(A) निम्नलिखित में से किसी को भुगतान करने पर–
  (i) सहकारी या भूमि बंधक बैंक
  (ii) भारतीय स्टेट बैंक
  (iii) भारतीय रिजर्व बैंक
  (iv) धारा 5 के व्याख्यांश C में परिभाषित किसी कम्पनी को
  (v) प्राथमिक साख समिति
  (vi) भारतीय जीवन बीमा निगम
(B) यदि भुगतान भारत सरकार को किया गया हो।
(C) यदि भुगतान निम्नलिखित के द्वारा किया हो–
  (i) डेबिट कार्ड द्वारा
  (ii) एक खाते से दूसरे खाते में हस्तान्तरण

  (iii) विनिमय विपत्र द्वारा
  (iv) साख-पत्र द्वारा
  (v) डाक या तार द्वारा हस्तान्तरण
  (vi) क्रेडिट कार्ड द्वारा
(D) भुगतान निम्नलिखित के क्रय के सम्बन्ध में हुआ हो–
  (i) उपज खरीदने पर भुगतान
  (ii) डेरी फार्म या पशुओं की खाल, चमड़ी या पशु को खरीदने पर भुगतान
  (iii) मछली उत्पाद
  (iv) किसान को वस्तु के बदले में भुगतान
  (v) माल के उत्पादक को उत्पादित माल के क्रय हेतु भुगतान
  (vi) कर्मचारी को आय-कर काटने के बाद चुकाया गया वेतन
  (vii) छुट्टी या हड़ताल के कारण बैंक बन्द की स्थिति में किया गया भुगतान
  (viii) विदेशी मुद्रा के क्रय करने पर किया गया भुगतान
(E) यदि राशि ₹ 50,000 से अधिक न हो तथा भुगतान करदाता के किसी कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी के उत्तराधिकारी को, नौकरी से हटाने पर, अवकाश ग्रहण करने पर, कर्मचारी की मृत्यु पर ग्रेच्युटी आदि के लिए किया गया हो।

6. **ग्रेच्युइटी के लिये प्रावधान** (Provision for Gratuity) **धारा 40 A(7)**—यदि पुस्तकों में ग्रेच्युइटी के भुगतान के लिये कोई प्रावधान या आयोजन किया जाता है, तो यह कटौती योग्य नहीं होता है, इसे अस्वीकृत माना जायेगा।
7. **ट्रस्ट में अंशदान या अप्रमाणित प्रोविडेन्ट फण्ड में अंशदान** (Contribution to a Trust or Unrecognised Provident Fund) **धारा 40 A(9)**—प्रमाणित प्रोविडेन्ट फण्ड, वैधानिक प्रोविडेन्ट फण्ड या अनुमोदित सुपरऐनुएशन फण्ड अथवा अनुमोदित ग्रेच्युइटी फण्ड में अंशदान को छोड़कर शेष सभी किये गये अंशदान अस्वीकृत माने जायेंगे।
8. **कोष में से किये गये भुगतान** (Amount paid out of Funds)—उद्गम स्थान पर कर की कटौती किये बिना किये गये ऐसे भुगतान अस्वीकृत होंगे।
9. **गैर-कानूनी व्यापार के व्यय** (Expenses of Illegal Business)—गैर-कानूनी व्यवसाय के व्यय अस्वीकृत होते हैं, इनकी कटौती नहीं मिलेगी।
10. **साझेदारी फर्म के व्यय** (Expenses of Partnership Firm)—**धारा 40 (b)**
  (i) साझेदार को साझेदारी संलेख की सीमा से अधिक दिया गया पारिश्रमिक
  (ii) साझेदार की पूँजी पर ब्याज
  (iii) अक्रियाशील साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन आदि का भुगतान
  (iv) कार्यशील साझेदार को भुगतान योग्य कटौती वह राशि होगी जो निम्नलिखित दोनों में से कम हो–
    (A) कार्यशील साझेदार को भुगतान (साझेदारी प्रलेख में प्राधिकृत)
    (B) धारा 40(b) के अन्तर्गत अधिकतम राशि–

(i) हानि की दशा में	अधिकतम ₹ 1,50,000
(ii) ₹ 3,00,000 तक के पुस्तक लाभ	पुस्तक लाभ का 90% या ₹ 1,50,000 (जो भी अधिक हो)
शेष लाभ	शेष लाभ का 60%

11. प्रतिभूति लेन-देन कर (Security Transaction Tax) धारा 36(1)(XV)—प्रतिभूति लेन-देन कर की राशि स्वीकृत होती है।
12. सीमान्त लाभों पर कर (Fringe Benefit Tax) धारा 40 (a)(ic)—कर्मचारी को दिये जाने वाले सीमान्त लाभ पर चुकाया गया कर अस्वीकृत होता है।
13. आयकर (Income Tax) धारा 40(a)(ii)—आयकर चाहे भारत में या भारत के बाहर देय हो अस्वीकृत व्यय माना जाता है।
14. धनकर (Wealth Tax) धारा 40(a)(iia)—धनकर चाहे भारत में या भारत के बाहर देय हो अस्वीकृत व्यय होगा।
15. विज्ञापन पर व्यय (Expenses on Advertisement) धारा 37 (2B)—किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित सोवेनियर, ब्रशर, पम्फलैट के द्वारा विज्ञापन पर किया गया व्यय अस्वीकृत होता है।
16. देनदारी (जिसका भुगतान नहीं किया गया हो) की अस्वीकृति [धारा 43 B]—यदि करदाता बहीखातों को देय आधार पर रखता है ऐसी स्थिति में धारा 43B लागू होती है। कुछ खर्चे भुगतान आधार पर ही कटौती योग्य हैं। जैसे—
    1. किसी कानून के अन्तर्गत कर, शुल्क या फीस (देय राशि)
    2. कर्मचारियों को बोनस एवं कमीशन की देयराशि
    3. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अवकाश के स्थान पर दिया गया भुगतान
    4. अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से लिया गया सावधिक ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि
    5. नियोक्ता द्वारा अंशदान की देयराशि
    6. ICICI, IFCI, IDBI, LIC तथा UTI से लिये गये ऋण पर ब्याज की राशि।
17. अन्य अस्वीकृत व्यय (Other Disallowed Expenses)—
    (i) प्रत्यक्ष कर
    (ii) दान एवं धर्मादा
    (iii) राजनैतिक पार्टियों को दिये गये चन्दे
    (iv) अर्थदण्ड एवं जुर्माना
    (v) उपहार एवं भेंट
    (vi) आयोजन में हस्तान्तरित राशि
    (vii) स्वयं को बचाने के लिये कानूनी व्यय
    (viii) मृत्यु पर कर्मचारी की विधवा को दी गई राशि
    (ix) अंशों के निर्गमन पर व्यय
    (x) व्यापार से सम्बन्ध न रखने वाले व्यय
    (xi) स्थान परिवर्तन पर व्यय
    (xii) व्यापार के मालिक का वेतन
    (xiii) प्रतियोगिता रोकने के लिये व्यय
    (xiv) सम्पत्ति या पूँजी प्राप्त करने के लिये व्यय
    (xv) पूँजीगत व्यय एवं हानियाँ
    (xvi) व्यापार के मालिक के आहरण, बीमा प्रीमियम आदि
    (xvii) साझेदारों के आहरण, बीमा प्रीमियम आदि
    (xviii) पूँजी पर ब्याज
    (xix) अधिकृत पूँजी में वृद्धि के लिये दी गई फीस

(xx) माल जब्त होने से बचाने के लिये किये गये भुगतान
(xxi) भारतीय रेलवे को रेल सम्पत्तियों के उपयोग के लिए देय राशि (W.e.f. A.Y. 2017-18)

(II) व्यापार से सम्बन्धित स्वीकृत व्यय अथवा कटौतियाँ
(ADMISSIBLE OR ALLOWED BUSINESS EXPENSES AND DEDUCTIONS)

ऐसी कटौतियों को देने के लिए निम्न शर्तों का पालन होना आवश्यक है—
1. ये पूँजीगत व्यय नहीं होने चाहिए।
2. ये करदाता के व्यक्तिगत व्यय नहीं हों।
3. ये खर्चे पूरी तरह से करदाता के व्यवसाय से सम्बन्धित हों।

धारा 37(1) के अनुसार स्वीकृत कटौतियाँ निम्नलिखित हैं—
1. कच्चे माल के खरीदने तथा निर्माण के व्यय
2. तैयार माल के विक्रय, वितरण एवं सुधार व्यय
3. व्यापार संचालन के दैनिक व्यय
4. कर्मचारियों को भुगतान की गई पेंशन एवं ग्रेच्युइटी तथा वेतन एवं अनुलाभ
5. श्रम कल्याण व्यय
6. जीएसटी तथा अपील सम्बन्धी व्यय
7. कर्मचारियों को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि
8. दीपावली, होली आदि पर्व पर किया गया उचित व्यय
9. व्यापार के हित में दिये गये पत्र-पत्रिकाओं के चन्दे
10. आदेश लाने के सम्बन्ध में दिया गया विक्रय ऐजेन्ट को कमीशन
11. कर्मचारियों के कार्य के दौरान चोट लगने पर क्षतिपूर्ति
12. कानूनी व्यय जो व्यापार से सम्बन्धित हो।
13. टेलीफोन व्यय
14. व्यापार बन्द न होने के लिये किये गये व्यय
15. सम्पत्ति के अदत्त क्रय मूल्य पर ब्याज
16. ऋण-पत्रों के निर्गमन व्यय तथा ऋण लेने के लिये किये गये व्यय
17. माल को जब्त होने से बचाने के लिये दिये गये अर्थदण्ड
18. व्यवसाय कर
19. बोनस अंशों के निर्गमन पर व्यय
20. बाजार अनुसंधान व्यय
21. स्कन्ध विपणि की सदस्यता के व्यय
22. होटल की कारपेट या दरियाँ बदलवाने के व्यय
23. उत्पादन कर
24. सम्पत्ति में सुधार पर किये गये व्यय
25. किसी कर्मचारी को हटाने के लिये दिया गया हर्जाना, जो व्यापार के हित में हो।
26. छँटनी होने पर कर्मचारी को भुगतान की गई राशि
27. अधिविकर्ष/ओवरड्राफ्ट की सुविधाओं के लिये किये गये व्यय
28. आग लगने से स्टॉक या रहतिये की हानि
29. आश्वासन भंग पर देय हर्जाना

30. अनुबन्ध अधूरा रहने के कारण दिया गया हर्जाना
31. अनुबन्ध को भंग करने पर दिया गया हर्जाना
32. नगरपालिका करों को देरी से चुकाने पर दिया गया हर्जाना
33. स्थगित भुगतान पर ब्याज
34. किराया क्रय पद्धति के आधार पर किस्त चुकाने में देरी होने से देय ब्याज
35. अधिकार शुल्क की राशि
36. व्यापार-चिह्न/ट्रेडमार्क पर किये गये व्यय
37. गैर कम्पनी करदाता द्वारा परिवार नियोजन पर किये गये व्यय
38. पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अन्तर्नियम पर किये गये व्यय
39. व्यापार की उन्नति के लिये किये गये विदेशी दौरे के व्यय
40. व्यापार के लिये आय-कर कार्यवाही पर किये व्यय
41. लाभ की हानि पॉलिसी पर चुकाया प्रीमियम
42. स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण योजना पर किये गये भुगतान
43. कर अधिक की राशि के भुगतान के लिये प्रावधान
44. राज्य बिजली बोर्ड को प्रसंविदे के अनुसार देय दण्ड
45. विज्ञापन व्ययों की (पूँजीगत व्ययों के अतिरिक्त) राशि
46. ग्राहकों के मनोरंजन अथवा आमोद-प्रमोद के लिये किये गये व्यय
47. अतिथि गृहों के सम्बन्ध में किये गये व्यय
48. व्यापारिक यात्रा पर किये गये व्यय
49. व्यापारिक कार के मरम्मत व्यय
50. कम्प्यूटर के सम्बन्ध में किये गये व्यय
51. पट्टे पर ली गयी सम्पत्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किये गये व्यय
52. माल में दोष होने पर ग्राहकों को क्षतिपूर्ति
53. चोरी के कारण रोकड़ की हानि
54. विक्रय एजेन्सी समाप्त होने पर हर्जाना
55. सामान्य लेन-देन के कारण दिन के अन्त की रोकड़ की कमी
56. ऋण के बदले प्राप्त की गई सम्पत्ति में विक्रय पर हानि
57. व्यक्तियों की आवभगत पर किये गये व्यय
58. शोरूम के नवीनीकरण पर करदाता द्वारा किये गये व्यय
59. व्यापारिक उद्देश्य के लिये सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय पर हानि
60. किसी संचालक को हटाने पर दिया गया भुगतान
61. व्यवसाय एवं पेशे की रक्षा करने के लिए मुकदमेबाजी पर किये गये व्यय
62. व्यवसाय की सम्पत्तियों की रक्षा करने के लिये मुकदमेबाजी पर किये गये व्यय
63. व्यवसाय की सम्पत्तियों के संरक्षण हेतु मुकदमेबाजी पर किये गये व्यय
64. फ्लाई एयर एश संग्रहण प्रणाली के लिये उत्पन्न व्यय
65. साफ्टवेयर के अनुरक्षण के लिये परामर्श व्यय
66. पर्यावरण मानिटरी व्यय

67. फ्लोरेसेन्ट रोशनी के पहली बार लगाने पर किये गये व्यय
68. किसी चाय बागान के रखरखाव पर किये गये व्यय
69. ओ.वाई.टी. (OYT) [अपने दूरभाष का मालिक बनिये] योजना के अन्तर्गत भुगतान राशि
70. शल्य चिकित्सा क्षेत्र में नई जानकारी प्राप्त करने के लिये शल्य चिकित्सक द्वारा किये गये व्यय
71. ख्याति का प्रयोग करने के लिये समय-समय पर किये गये भुगतान
72. शाखा कार्यालय के नवीनीकरण पर किये गये व्यय
73. बंगाल सैस अधिनियम के अन्तर्गत सड़क एवं लोक कार्य सैस
74. बंगाल ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षा सैस
75. जापान के स्थानीय कर कानून के अन्तर्गत देय नगर पालिका सम्पत्ति कर
76. ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा ऋण देने वाले व्यक्ति को ब्याज के अतिरिक्त दिया गया लाभ का भाग
77. टर्फ क्लब द्वारा जौकी के प्रशिक्षण विद्यालय पर व्यय की गई राशि
78. स्टाक एक्सचेंज को दिया गया सूची शुल्क
79. खराब या दोषपूर्ण सांचों को हटाने पर किया गया व्यय
80. अंशों के मूल्यांकन सम्बन्धी व्यय
81. लाइसेंस शुल्क
82. कम्पनी में प्रदूषण रहित वातावरण बनाने के लिये पेड़-पौधों पर किया गया व्यय
83. परियोजना को प्रारम्भ करने के लिये किये गये व्यय
84. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये बगीचे पर किये गये व्यय
85. ई आर पी साफ्टवेयर/कस्टोमाइज्ड साफ्टवेयर पर किये गये व्यय
86. कोटा अधिकारों का प्रयोग करने के लिये तीसरे पक्ष को दी गई राशि
87. किसी अनुबन्ध के उल्लंघन/भंग होने पर जमानत के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का जब्त होना
88. औद्योगिक होमगार्ड यूनिटों के रखरखाव पर किये गये व्यय
89. अंशों के उपविभाजन के लिये किये गये व्यय
90. व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का विरोध करने के लिये बनायी गई यूनियन को अंशदान
91. तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए किया गया व्यय
92. प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आवर्ती व्यय
93. कम्पनी के समापन के सम्बन्ध में मुकदमेबाजी पर किये गये व्यय
94. बिना लाभ प्रतियोगिता को रोकने के लिये व्यापारिक सिंडिकेट को अंशदान
95. महाप्रबन्धक को लाभों के प्रतिशत के अनुपात के आधार पर दिया गया कमीशन।

(III) स्पष्ट रूप से स्वीकृत व्यय एवं कटौतियाँ (धारा 30 से 37)

(EXPRESSLY ALLOWED EXPENSES AND DEDUCTIONS)

1. भवन के सम्बन्ध में व्यय (धारा 30) (Expenses Related to Building)

(A) भवन का किराया—

(i) यदि भवन किराये का है, तो किराये की सम्पूर्ण राशि स्वीकृत होगी।
(ii) यदि भवन करदाता ने स्वयं के निवास के लिये प्रयोग किया है, तो किराये की राशि अस्वीकृत होगी।
(iii) यदि भवन किराये का नहीं है। स्वयं करदाता का है, तो कोई कटौती नहीं मिलेगी।
(iv) यदि भवन का प्रयोग व्यापार में कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, तो किराये की राशि स्वीकृत होगी।

(v) साझेदार के भवन का साझेदारी फर्म में प्रयोग हुआ है, तो देय किराया स्वीकृत होगा।

(vi) भवन की मरम्मत पर किये गये व्यय स्वीकृत होंगे।

(vii) भवन का लगान एवं कर स्वीकृत व्यय होंगे।

(viii) व्यापार में प्रयोग किये जा रहे भवन के सम्बन्ध में चुकायी गई बीमा प्रीमियम की राशि स्वीकृत होगी।

(B) मशीन, फर्नीचर तथा संयन्त्र से सम्बन्धित व्यय (धारा 31) (Expenses Related to Machine, Furniture and Plant)

(i) मशीन, फर्नीचर तथा संयन्त्र के मरम्मत के व्यय स्वीकृत होंगे।

(ii) यदि मशीन, फर्नीचर तथा संयन्त्र को किराये पर लिया है तो किराये की राशि स्वीकृत होगी।

(iii) मशीन, फर्नीचर तथा संयन्त्र के सम्बन्ध में बीमा प्रीमियम की राशि स्वीकृत होगी।

(C) ह्रास (धारा 32) (Depreciation)—भवन, मशीन, संयन्त्र, फर्नीचर एवं अमूर्त सम्पत्तियों पर ह्रास स्वीकृत व्यय होता है।

ह्रास की गणना (Computation of Depreciation)—

	₹
गत वर्ष के 1 अप्रैल को सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य	√
जोड़िए : गत वर्ष में खरीदी या प्राप्त की गई सम्पत्तियों की वास्तविक लागत जो इस खण्ड में आती हों	√
	√
घटाइए : गत वर्ष में इस खण्ड की किसी सम्पत्ति को बेचने, नष्ट होने से प्राप्त राशि	√
अपलिखित मूल्य (W.D.V.)	√

(D) अतिरिक्त ह्रास ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को जो शक्ति के उत्पादन अथवा उत्पादन एवं वितरण में संलग्न है धारा 32(1)(iia)

कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 से अतिरिक्त ह्रास उन औद्योगिक उपक्रमों के लिए भी स्वीकार किया जायेगा जो शक्ति के उत्पादन अथवा उत्पादन एवं वितरण में संलग्न है। यह ह्रास सम्पत्ति की वास्तविक लागत पर 20% की दर से स्वीकृत होगा। यदि सम्पत्ति 180 दिन से कम दिनों के लिए प्रयोग की गयी है तो ह्रास की दर 10% होगी।

अपलिखित मूल्य पद्धति पर ह्रास की दर

(RATES OF DEPRECIATION ON WRITTEN-DOWN VALUE METHOD)

मूर्त सम्पत्तियाँ (TANGIBLE ASSETS)	
I. भवन (Buildings)	**अपलिखित मूल्य पर ह्रास की दरें**
(1) जो मुख्यतया रिहायशी प्रयोग में हैं, परन्तु इसमें होटल एवं बोर्डिंग हाउस शामिल नहीं हैं	5%
(2) जो मुख्यतया रिहायशी प्रयोग में नहीं हैं एव मद (1) एवं (3) को छोड़कर	10%
(3) भवन जो 31-08-2002 के पश्चात् पानी प्रदाय योजना या जल उपचार प्रणाली के लिए मशीन एवं प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्राप्त किए गए हैं तथा आधारभूत सुविधाओं के व्यवसाय में काम आते हैं	40%
(4) पूर्णतया अस्थायी निर्माण, जैसे लकड़ी का खोखा, आदि	40%
नोट—भवन में सड़कें, पुल, पुलिया, कुएँ तथा नल-कूप शामिल हैं।	
II. फर्नीचर तथा फिटिंग्स (Furniture and Fittings)	
फर्नीचर तथा फिटिंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी शामिल हैं	10%
नोट—'इलेक्ट्रिक फिटिंग्स' में बिजली के तार, स्विच, सॉकेट, अन्य फिटिंग्स एवं पंखे, आदि शामिल हैं।	

III. मशीनरी तथा प्लाण्ट (Machinery and Plants)	
(A) सामान्य दर :	15%
(B) विशेष दरें :	
(1) मोटर बस, मोटर लॉरी तथा मोटर टैक्सी जो किराये पर चलती हों	30%
(1A) हवाई जहाज तथा हवाई इन्जन	40%
(2) मोटर-कार जो 1 अप्रैल, 1990 को अथवा उसके बाद खरीदी गई हो	15%
(3) पेशे के लिए पुस्तकें—	
(क) पुस्तकें जिनका वार्षिक प्रकाशन होता है	40%
(ख) अन्य पुस्तकें	40%
(4) कम्प्यूटर (इसमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर भी शामिल है)	40%
(5) वातावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण यंत्र	40%
(6) जीवन रक्षक चिकित्सीय उपकरण	40%
IV. जहाजरानी (Ships)	
(1) समुद्र में चलने वाले जहाजरानी	20%
(2) आन्तरिक पानी पर चलने वाले Vessels (Speed Boat को छोड़कर)	20%
(3) आन्तरिक पानी पर चलने वाले Vessels जो Speed Boat हों	20%
अमूर्त सम्पत्तियाँ (INTANGIBLE ASSETS)	
तकनीकी ज्ञान, पैटेण्ट, प्रतिलिप्याधिकार, ट्रेडमार्क, अनुज्ञप्ति, विशेषाधिकार, आदि	25%

(E) नये संयन्त्र एवं मशीनरी के अधिग्रहण एवं स्थापना हेतु विनियोग भत्ता [धारा 32AC]

[*w.e.f.* A.Y. 2015-16]

धारा 32AC नये संयन्त्र एवं मशीनरी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये विनियोग भत्ता प्रदान करने के लिए जोड़ी गई है।

निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर विनियोग भत्ते की राशि उपलब्ध होगी—

1. करदाता एक कम्पनी हो।
2. कम्पनी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के व्यवसाय से जुड़ी हो।
3. कम्पनी ने नई सम्पत्ति को अधिग्रहित किया हो।
4. नये संयन्त्र एवं मशीनरी की स्थापना एवं अधिग्रहण 1.04.2013 से 31.03.2015 तक हो।
5. नये संयन्त्र एवं मशीनरी की वास्तविक लागत 100 करोड़ से अधिक होनी चाहिए।

(F) काफी, चाय एवं रबर विकास खाता (धारा 33AB) (Coffee, Tea and Rubber Development Account)—यह कटौती उन करदाताओं को मिलती है जो भारत में काफी, चाय तथा रबर के निर्माण में संलग्न हैं—

(i) काफी, रबर एवं चाय का उत्पादन भारत में हो।

(ii) करदाता द्वारा NABARD (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) के उस खाते में धन जमा कर दिया, जो स्वीकृत योजना के अन्तर्गत रखा गया हो।

(iii) केन्द्र सरकार से अनुमति लेकर करदाता ने योजना के अन्तर्गत खाते में राशि जमा कर दी हो।

(iv) करदाता को अपने खाते, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से अंकेक्षित कराना अनिवार्य तथा अंकेक्षण रिपोर्ट आय कर की विवरणी के साथ जमा करनी होगी।

कटौती की राशि (निम्न दोनों में से जो भी कम हो) के आधार पर मिलेगी–

(i) योजनाओं के अन्तर्गत जमा की गई राशि

(ii) व्यवसाय तथा पेशे के अन्तर्गत लाभ का 40% (धारा 33 AB की कटौती से पहले)

व्यवसाय के लाभ की गणना निम्न प्रकार करेंगे–

$$\text{Profit of the Business} \times \frac{\text{Total Turnover of manufacture}}{\text{Total Turnover of Business}}$$

जमा की गई राशि के उपयोग पर प्रतिबन्ध (Restriction on Utilisation of Amount Deposited)—नाबार्ड के विशेष खाते में जमा की गई राशि का व्यापार में प्रयोग करने का अधिकार है, किन्तु निम्नलिखित की खरीद करने पर कोई कटौती प्रदान नहीं की जायेगी–

(i) कार्यालय उपकरण (कम्प्यूटर को छोड़कर)।

(ii) कोई भी प्लॉण्ट एवं मशीन, कार्यालय भवन में या निवास स्थान पर या गेस्ट हाउस में लगाने के लिए खरीदने पर।

(iii) नई मशीन या प्लॉण्ट जो वस्तु के निर्माण या उत्पादन में प्रयोग की जायेगी उसे औद्योगिक उपक्रम में लगाना।

जमा राशि को निकालना (Withdrawal of Amount Deposited)—NABARD के विशेष खाते में जमा की गई राशि केवल योजना में वर्णित उद्देश्यों एवं निम्नलिखित कार्यों के लिये निकाली जायेगी–

(i) व्यापार समाप्त करने पर

(ii) फर्म के भंग होने पर

जिस गत वर्ष में ऐसी राशि निकाली जाती है, उस गत वर्ष में निकाली गई राशि को आय माना जायेगा तथा ऐसी आय पर आय-कर लगाया जायेगा।

परन्तु करदाता की मृत्यु पर, HUF के विभाजन पर तथा कम्पनी के समापन की दशा में निकाली गई राशि कर-योग्य नहीं होगी।

कटौती की वापसी (Withdrawal of Deduction)—निम्नलिखित दशाओं में कटौती वापस ले ली जायेगी–

(i) यदि योजना के अन्तर्गत राशि निकाली गयी हो किन्तु प्रयोग न की जा सकी हो, तो उसे आय माना जायेगा।

(ii) यदि कोई सम्पत्ति योजना के अन्तर्गत खरीदी गई हो किन्तु गत वर्ष से 8 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही बेच दी गई हो, तो सम्पत्ति की लागत बेचे जाने वाले वर्ष में आय मानी जायेगी।

(G) भारतीय स्टेट बैंक के विशेष खाते में जमा के सम्बन्ध में कटौती (धारा 33ABA) (Deduction regarding Deposit in Special Account of State Bank of India)—यह धारा कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से लागू हुई।

यदि करदाता भारत में पेट्रोलियम, गैस के पूर्वेक्षण, उत्पादन या निष्कर्षण के व्यवसाय से आय प्राप्त करता है और उसे भारतीय स्टेट बैंक के एक विशेष खाते में स्थल पुनर्स्थापना कोष (Site Restoration Fund Account) के अन्तर्गत राशि जमा करता है तथा ऐसी राशि का उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिये करता है तो जमा की गई राशि या व्यवसाय के लाभों का 20% जो भी कम हो उसके बराबर कटौती मिलेगी।

(H) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय (धारा 35) (Expenses on Scientific Research)—वैज्ञानिक अनुसंधान से आशय प्राकृतिक विज्ञान तथा व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के विस्तार से है। यदि कोई करदाता वैज्ञानिक अनुसन्धान पर पूँजीगत अथवा आयगत व्यय करता है तो सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था को इस कार्य के लिये दी गई राशि स्वीकृत व्यय है। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान हैं–

(i) करदाता द्वारा गत वर्ष में किये गये वैज्ञानिक अनुसन्धान पर आयगत व्यय कटौती योग्य होते हैं। इसके लिये व्यय का सम्बन्ध करदाता के व्यवसाय से होना चाहिए। करदाता का स्वयं अनुसन्धान के कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है।

(ii) यदि दान ऐसी अनुसंधान संस्था को दिया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान है या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय को जो वैज्ञानिक अनुसंधान में इस्तेमाल करेंगे। राशि का 150% (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से 100% मिलेगी)। **Sec. 35(1)(ii)**

(iii) यदि करदाता स्वयं अनुसन्धान के कार्यों में संलग्न नहीं है तो अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्था को दिया गया दान स्वीकृत व्यय है।

(iv) अनुमोदित तथा अधिसूचित विश्वविद्यालय को सामाजिक तथा सांख्यिकी अनुसन्धान के लिये दी गई 100% राशि स्वीकृत व्यय है। भले ही इसका सम्बन्ध व्यापार से हो अथवा नहीं।

(v) करदाता द्वारा गत वर्ष में वैज्ञानिक शोध पर किये गये व्यय स्वीकृत होते हैं। किन्तु ऐसे व्ययों में 29 फरवरी, 1984 के बाद क्रय की गई भूमि शामिल नहीं है। भूमि के क्रय के सम्बन्ध में पूँजीगत व्यय स्वीकृत व्यय नहीं होते।

(vi) वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किये गये पूँजीगत व्यय यदि लाभों की कमी के कारण अपलिखित नहीं किये जा सकते हों तो इन्हें आगे अनिश्चित अवधि तक ले जाकर अन्य शीर्षक की आय से पूरा किया जा सकता है।

(vii) यदि वैज्ञानिक अनुसन्धान हेतु पूँजीगत व्ययों की कटौती मिल चुकी है तो ऐसी सम्पत्ति पर ह्रास स्वीकृत नहीं होगा।

(viii) वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए संघों एवं संस्थाओं को दिया गया भुगतान तभी कटौती योग्य होगा जब निम्न शर्तें पूरी हों–

(a) कम्पनी भारत में रजिस्टर्ड हो।

(b) कम्पनी का उद्देश्य अनुसन्धान एवं विकास करना हो।

(c) कम्पनी निर्धारण विधि से अनुमोदित हो।

(d) कम्पनी अन्य प्रस्तावित शर्तों को पूरा करती हो।

(ix) राष्ट्रीय अनुसन्धानशाला को किसी करदाता द्वारा इस विशिष्ट निर्देश के साथ भुगतान किया जाता है कि ऐसी राशि का प्रयोग वैज्ञानिक शोध के लिए ही किया जाये तो ऐसी भुगतान की गई राशि के 150% (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से 100% मिलेगी) के बराबर कटौती प्राप्त होगी किन्तु आय-कर अधिनियम, 1961 के अन्य किसी प्रावधान के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं मिलेगी। धारा 35 (2AA)

(x) अनुमोदित आन्तरिक अनुसन्धान एवं विकास सुविधाओं पर कम्पनी द्वारा किये गये व्यय स्वीकृत होते हैं यदि कम्पनी जैव तकनीकी, औषधि, कम्प्यूटर, बिजली उपकरण अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी वस्तु के उत्पादन में संलग्न है तथा इनके सम्बन्ध में कोई पूँजीगत व्यय करती है तो ऐसे व्ययों के 150% (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से 100% मिलेगी) के बराबर कटौती मिलेगी।

(I) पेटेण्ट तथा कापीराइट प्राप्त करने पर व्यय (धारा 35A) (Expenditure on acquisition of Patents or Copyright)—यदि करदाता ने पेटेण्ट, कॉपीराइट या विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिये कोई पूँजीगत व्यय या आयगत व्यय किये हैं तो ऐसे व्यय की कटौती निम्न प्रकार प्राप्त होगी–

(a) यदि पेटेण्ट या विशेषाधिकार 31 मार्च, 1998 के बाद प्राप्त किया हो—यदि पेटेण्ट अधिकार या विशेषाधिकार 01.04.1998 को या इसके बाद प्राप्त किये हैं तो ऐसे व्ययों की कटौती नहीं मिलेगी। इसके स्थान पर अमूर्त सम्पत्तियों पर 25% ह्रास की कटौती मिलेगी।

(b) यदि पेटेण्ट या विशेषाधिकार 01.04.1998 से पूर्व क्रय किया हो—कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 में प्राप्त कॉपीराइट एवं पेटेण्ट के व्ययों को 14 वार्षिक किस्तों में अपलिखित किया जा सकता है।

(J) तकनीकी ज्ञान सम्बन्धी व्यय (धारा 35AB) (Expenditure Related to Technical Know how)—ऐसा ज्ञान जो औद्योगिक सूचना एवं तकनीक से सम्बन्धित हो जो वस्तुओं के निर्माण एवं प्रसंस्करण, खान एवं खनिज भण्डारों के कार्यों में महत्वपूर्ण हैं।

1.04.1998 या इसके बाद तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने पर किये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जायेगी। इन पर 25% ह्रास की कटौती दी जायेगी।

1.04.1998 से पूर्व तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने पर किये गये पूँजीगत व्यय पर भी कोई कटौती प्रदान नहीं की जायेगी।

कर निर्धारण वर्ष 2013-14 से वैज्ञानिक अनुसन्धान पर खर्च करने के लिए कम्पनी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से धारा 35(2AB) को पाँच वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है जिसके अनुसार आयगत एवं पूँजीगत व्यय 150% की कटौती का लाभ देने का प्रावधान है।

(K) दूर संचार सेवाओं के पूँजीगत व्यय (धारा 35ABB) (Capital Expenditure of Tele Communication Services)—वास्तव में भुगतान किये गये व्ययों को कुल वर्षों (लाइसेंस प्राप्त करने से लाइसेंस समाप्त होने वाले वर्ष तक) से विभाजित करके जो राशि निकलती है, प्रत्येक वर्ष कटौती योग्य होती है।

(i) यदि लाइसेंस का विक्रय करने से प्राप्त रकम लाइसेंस की लागत से कम है तो जितनी राशि कम है, उसकी कटौती लाइसेंस के विक्रय वाले वर्ष में दी जायेगी।

(ii) यदि लाइसेंस के विक्रय से प्राप्त राशि लाइसेंस की लागत से अधिक है तो जितनी राशि अधिक है उतनी राशि को आय माना जायेगा।

एकीकरण की दशा में लाइसेंस का हस्तान्तरण—यदि लाइसेंस का हस्तान्तरण एकीकरण के फलस्वरूप होता है तो एकीकृत कम्पनी (जो भारतीय कम्पनी है) शेष अवधि में कटौती की माँग कर सकती है। इसके लिये लाइसेंस के विक्रय सम्बन्धी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(L) सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की योजनाओं पर व्यय (धारा 35AC) (Expenditure on Social and Economic Welfare Scheme)—करदाता द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित (सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की योजनाएँ) योजनाओं पर किये गये व्यय की सम्पूर्ण राशि की कटौती स्वीकृत होती है। यदि करदाता कम्पनी है तो वह स्वयं भी व्यय कर सकती है। इसके लिये चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसी परियोजनाओं पर व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा **राष्ट्रीय कमेटी*** की सिफारिशों पर किये जाते हैं।

(M) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये भुगतान की कटौती (धारा 35CCA) (Payment to Institutions for Rural Development Programmes)—यदि करदाता सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्था को भुगतान करता है, तो ऐसी पूरी राशि की कटौती स्वीकृत होती है। इसके लिये निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए—

(i) ग्रामीण विकास कार्यक्रमें 1 मार्च, 1983 से पूर्व अनुमोदित कर दिया गया हो।

(ii) ऐसा भुगतान 28 फरवरी, 1983 के बाद किया गया हो।

(iii) ऐसा भुगतान किसी ऐसे संघ या संस्था को किया गया हो जिसका उद्देश्य अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाना हो।

(iv) ऐसा भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष को किया गया हो।

(N) कृषि विस्तार परियोजना पर उत्पन्न व्यय के लिए कटौती (धारा 35CCC)—कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापारिक इकाइयों को प्रभावी कृषि विस्तार सेवा के प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन हेतु नई **धारा 35CCC** आयकर-अधिनियम में जोड़ी गई है। इसके अन्तर्गत कृषि विस्तार परियोजना पर उत्पन्न व्यय का 150% (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से 100% मिलेगी) कटौती के रूप में स्वीकृत है।

(O) कुशलता विकास परियोजना पर उत्पन्न व्यय के लिए कटौती (धारा 35CCD)—कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 से निर्माणी क्षेत्र में कुशलता विकास परियोजना पर अधिक-से-अधिक विनियोग करने के उद्देश्य से कम्पनियों को प्रोत्साहन देने के लिए आयकर अधिनियम में धारा 35CCD को जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत कुशलता विकास परियोजना पर उत्पन्न व्यय का 150% (कर-निर्धारण वर्ष 2021-22 से 100% मिलेगी) कटौती के रूप में स्वीकृत है।

(P) प्रारम्भिक व्ययों का अपलेखन (धारा 35D) (Preliminary Expenses Written Off)—प्रारम्भिक व्यय वे व्यय होते हैं जो व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व किये गये हों। प्रारम्भिक व्यय भारतीय कम्पनी एवं अन्य करदाता के व्यापार की दशा में स्वीकृत होते हैं। ऐसे व्ययों को पाँच वार्षिक किस्तों में बाँटकर प्रत्येक वर्ष 1/5 भाग की कटौती का अपलेखन किया जाता है। प्रारम्भिक व्यय की कुल कटौती परियोजना की लागत की 5%

* राष्ट्रीय कमेटी से आशय उस कमेटी से है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त करने वाले नागरिकों की सहायता से बनाई जाती है।

से अधिक या व्यापार में लगी पूँजी का 5% से अधिक नहीं हो सकती। प्रारम्भिक व्ययों में निम्न को शामिल किया जाता है—

(i) रिपोर्ट तैयार करने के व्यय

(ii) योजना प्रतिवेदन तैयार करने के व्यय

(iii) बाजार सर्वेक्षण व्यय

(iv) यांत्रिकी सेवा पर व्यय (व्यापार से सम्बन्धित)

(v) अनुबन्ध तैयार करने के कानूनी व्यय

(vi) कम्पनी करदाता के लिए पार्षद सीमा नियम, पार्षद अन्तर्नियम एवं प्रविवरण के मुद्रा के व्यय, पंजीयन शुल्क, अंशों व ऋण-पत्रों को जारी करने के सम्बन्ध में अभिगोपन, कमीशन, दलाली, निर्गमन के सम्बन्ध में विज्ञापन व्यय आदि प्रारम्भिक व्यय के अन्तर्गत आते हैं।

(Q) विनिर्दिष्ट व्यापार पर व्यय के सम्बन्ध में कटौती (धारा 35AD)—करदाता निम्नलिखित विनिर्दिष्ट व्यापार में से कोई व्यापार चलाता हो तो उसे इसकी कटौती प्राप्त होगी—

(i) प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल या पैट्रोल खरीदने तथा उसके वितरण के लिए भण्डारण की सुविधा में शामिल हो (व्यापार 1.4.2007 या उसके बाद प्रारम्भ हो)

(ii) शीत सुविधाओं को स्थापित करने एवं उनका संचालन करने के लिए (व्यापार 1.4.2009 या उसके बाद प्रारम्भ हो)

(iii) 31.3.2010 के बाद निम्नलिखित व्यापार विनिर्दिष्ट व्यापार माने जायेंगे—

(A) भारत में भवन का व्यापार

(B) भारत में नये अस्पतालों का निर्माण (रोगियों के बिस्तर की संख्या कम-से-कम 100 हो)

(C) केन्द्र या राज्य सरकार की आवासीय परियोजना का विकास एवं निर्माण

प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल या पैट्रोलियम के व्यापार के लिये कटौती निम्न शर्तें पूरी होने पर मिलेगी—

(i) ऐसा संघ भारत में रजिस्टर्ड हो या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित किसी बोर्ड के पास हो।

(ii) ऐसा उपक्रम पैट्रोलियम नियामक परिषद् द्वारा अनुमोदित हो।

कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 से धारा 35(AD) के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय की 100% कटौती के उद्देश्य के लिए तीन नये व्यापारों को शामिल किया गया है जैसे—

(i) चीनी के भण्डारण के लिए भण्डारगृहों की स्थापना एवं परिचालन।

(ii) अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो अथवा कंटेनर भाड़ा स्टेशन की स्थापना तथा परिचालन।

(iii) शुद्ध तथा मधुमक्खी मोम का उत्पादन तथा मधुमक्खी का पालन।

उपरोक्त व्यापारों के परिचालन आरम्भ करने की तिथि 1.4.2012 अथवा उसके पश्चात् होगी तभी उन्हें कटौती प्रदान की जायेगी।

1.4.2012 अथवा उसके बाद परिचालन प्रारम्भ करने वाले निम्न व्यापारों को पूँजीगत व्यय की 150% की कटौती स्वीकृत होगी। [धारा 35 AD(1A)]

(i) कृषि उत्पादों के भण्डारों की स्थापना एवं परिचालन।

(ii) भारत में कहीं भी एक अस्पताल का निर्माण तथा संचालन जिसमें रोगियों के लिए कम-से-कम 100 पलंग हों।

(iii) गृह परियोजना का विकास तथा निर्माण।

(iv) भारत में खाद्य का उत्पादन।

(v) शीत गृहों की स्थापना तथा परिचालन।

(R) एकीकरण की दशा में व्ययों का अपलेखन (धारा 35DD) (Amortisation of Expenditure in Demerger or Amalgamation)—एकीकरण या विभक्तिकरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 के बाद भारतीय कम्पनी द्वारा व्यय किया गया है तो ऐसे व्ययों की 5 वर्षों में समान रूप से कटौती प्रदान की जायेगी। जिस वर्ष एकीकरण या विभक्तिकरण हुआ है, सबसे पहले उस वर्ष में ऐसी कटौती घटायी जायेगी।

(S) स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण योजना के व्ययों का अपलेखन (धारा 35DDA) (Amortisation of Expenditure Under Voluntary Retirement Scheme)—यदि करदाता द्वारा गत वर्ष स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण योजना के अन्तर्गत किसी धनराशि का भुगतान किया जाता है तो ऐसी भुगतान की गई राशि के $\frac{1}{5}$ भाग की कटौती दी जायेगी, शेष राशि अगले चार वर्षों में कटौती योग्य होगी।

(T) खनिज पदार्थों की खोज पर व्ययों का अपलेखन करना (धारा 35 E) (Amortisation of Expenditure on prospecting for Minerals)—ऐसे व्ययों में खनिज पदार्थों की खोज पर किये गये व्यय या खान के विकास में किये गए व्यय शामिल होते हैं। ऐसे व्ययों का $\frac{1}{10}$ भाग कटौती योग्य होता है। शेष राशि अगले 10 वर्षों तक आगे ले जायी जा सकती है।

ऐसे व्ययों में खान की भूमि प्राप्त करने, भवन, मशीन, फर्नीचर आदि पर किये गये पूँजीगत व्ययों के लिये कटौती नहीं दी जायेगी। यह कटौती किसी भारतीय कम्पनी या निवासी व्यक्ति को ही प्राप्त होती है।

(U) संदिग्ध एवं डूबत ऋण के लिए आयोजन (w.e.f. A.Y. 2017-18)

(1) बैंकों की दशा में (विदेशी बैंक को छोड़कर)	कुल आय (जिसमें से यह कटौती तथा धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ नहीं घटी हों) के 8.5% तक
(2) विदेशी बैंक	कुल आय (जिसमें से यह कटौती तथा धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ नहीं घटी हों) के 5% तक
(3) राज्य वित्त निगम तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्था आदि	– उपरोक्त –
(4) गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनी	–उपरोक्त–

(V) अन्य कटौतियाँ (धारा 36 एवं 37) (Other Deductions)

1. व्यापारिक माल की बीमा प्रीमियम धारा 36(1)(i)
2. पशुधन के सम्बन्ध में बीमा प्रीमियम धारा 36(1)(ia)
3. कर्मचारियों के स्वास्थ्य की बीमा प्रीमियम धारा 36(1)(ib)
4. कर्मचारियों को बोनस या कमीशन धारा 36(1)(ii)
5. उधार ली गई पूँजी पर ब्याज धारा 36(1)(iii)
6. जीरो कूपन बाण्ड् पर बट्टा धारा 36(1)(iiia)
7. प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान धारा 36(1)(iv)
8. पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान धारा 36(1)(iva)
9. ग्रेच्युटी फण्ड में नियोक्ता का अंशदान धारा 36(1)(v)
10. कर्मचारियों से प्राप्त राशियाँ धारा 36(1)(va)
11. पशुधन के सम्बन्ध में छूट धारा 36(1)(vi)
12. अप्राप्य ऋण धारा 36(1)(vii)
13. वित्तीय संस्थाओं के डूबे ऋणों का प्रावधान धारा 36(1)(viia)
14. विशिष्ट संचय धारा 36(1)(viii)
15. प्रतिभूति लेन-देन कर धारा 36(1)(xv)
16. परिवार नियोजन पर व्यय धारा 36(1)(ix)
17. वस्तु खरीदने पर धारा 36(1)(xvi)
18. गन्ना खरीदने पर धारा 36(1)(xvii)
19. कर्मचारियों को पारिश्रमिक धारा 37(1)
20. कानूनी व्यय धारा 37(1)

मानी गयी आयें
(DEEMED INCOMES)

व्यापार एवं पेशे की आय की गणना करते समय निम्नलिखित मानी गयी आयों को शामिल करते हैं–

1. **नकद साख या नकद जमा** (Cash Credit or Cash Deposit) (धारा 68)—कभी-कभी कुछ करदाता वस्तु की बिक्री तथा खरीद को पुस्तकों में नहीं दिखाते तथा इस पर हुए लाभ को कुछ नकली नामों से अपनी पुस्तकों में जमा कर लेते हैं। जब करदाता से इसके बारे में स्पष्टीकरण माँगा जाता है तो करदाता कर-निर्धारण अधिकारी को सन्तुष्ट नहीं कर पाता। ऐसी सभी राशियाँ करदाता के लिये कर-योग्य मानी जायेंगी।
2. **अस्पष्ट व्यय एवं विनियोग** (Undisclosed Expenses & Investment) (धारा 69B एवं 69C)—यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता के पास कोई धन, सोना, चाँदी, विनियोग ऐसे पाये जाते हैं, जिनका लेखा करदाता की पुस्तकों में नहीं है तथा ऐसे व्यय जो करदाता ने अपनी पुस्तकों में नहीं दिखाये हैं और करदाता कर-निर्धारण अधिकारी को इसके बारे में सही जानकारी नहीं दे पाता है अर्थात् सन्तुष्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे सभी मूल्यों के योग को आय माना जायेगा, जो कर-निर्धारण अधिकारी की जानकारी में आ चुके हैं।
3. **अस्पष्ट धनराशि** (Unexplained Amount of Money) (धारा 69A)—यदि कोई करदाता धन, सोना, चाँदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है तो ऐसी वस्तुओं के मूल्य को करदाता की आय समझा जायेगा।
4. **हुण्डी पर उधार ली गई या चुकाई गई राशि (धारा 69D)**—यदि हुण्डी पर कोई धनराशि उधार ली जाती है या उस पर दी जाने वाली राशि किसी व्यक्ति को बैंक के आदाता खाता, चेक से भिन्न रूप से अदा की जाती है, तो ऐसी राशि को आय समझा जायेगा।
5. **वैज्ञानिक अनुसन्धान में प्रयोग की गई सम्पत्ति की बिक्री** (Sale of Assets in Use of Scientific Research) [धारा 41(3)]—जब कोई ऐसी सम्पत्ति बेच दी जाती है जो वैज्ञानिक अनुसन्धान में प्रयोग की जा रही थी और उसकी विक्रय की राशि तथा स्वीकार की गई कटौती या योग उसकी लागत से अधिक है तो ऐसा आधिक्य या स्वीकार की गई कटौती (जो भी कम) हो उस व्यापार की आय मानी जायेगी।
6. **डूबे हुए ऋणों की वसूली** (Recovery of Bad Debts) [धारा 41(4)]—ऐसे डूबे हुए ऋण की राशि जो गत वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार हो चुकी हो और उसकी वसूली हो जाये तो उसे व्यापार या पेशे की आय माना जाता है।
7. **विशेष संचय का प्रयोग** (Use of Special Reserves) [धारा 41(4A)]—धारा 36(1) के अन्तर्गत रखे जाने वाले संचय खाते से निकाली गयी रकम कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से निगम या कम्पनी की कर-योग्य आय मानी जायेगी।
8. **मानी गयी आयों से हानियों की पूर्ति** (Set Off Losses from Deemed Incomes) [धारा 41 (5)]—यदि गत वर्ष में कोई व्यापार बन्द हो जाता है तथा बन्द होने वाले वर्ष में उस व्यापार में हानि होती है एवं ऐसी हानि की पूर्ति के लिये करदाता के पास कोई अन्य आय नहीं है, तो इसकी पूर्ति मानी गई आयों से की जा सकती है।

खातों का रखना (धारा 44 AA)
(MAINTENANCE OF ACCOUNTS)

व्यवसाय अथवा पेशे को चलाने के लिए कुछ खाते रखना आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में पेशों को दो वर्गों में रखा गया है–

(A) विशिष्ट पेशे (Specific Profession)—ऐसे पेशे के अन्तर्गत चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वकालत, लेखाकर्म, तकनीकी सलाहकार, कर सलाहकार, कम्पनी सचिव, फिल्मी कलाकार आदि शामिल होते हैं। इन्हें दो भागों में रखा गया है–

(i) **पेशा करने वाले व्यक्ति जिनकी गत तीन वर्षों की आय का योग ₹ 1,50,000 से कम हो**—गत वर्ष से पूर्व ठीक तीन वर्षों की सकल कुल प्राप्ति का योग ₹ 1,50,000 से कम हो या ऐसे नये स्थापित पेशे की दशा में जिनकी गत वर्ष की प्राप्ति ₹ 1,50,000 से अधिक नहीं है, उनके लिए विशिष्ट पुस्तकें रखना अनिवार्य नहीं है। इन्हें अपना हिसाब-किताब इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे कर निर्धारण अधिकारी इनकी आय की गणना से सन्तुष्ट हो सके।

(ii) पेशा करने वाले व्यक्ति जिनकी गत तीन वर्षों की आय का योग ₹ 1,50,000 से अधिक है—गत वर्ष पूर्व ठीक तीन वर्षों की आय का योग ₹ 1,50,000 से अधिक हो या ऐसे नये स्थापित पेशे की दशा जिनकी गत वर्ष की प्राप्तियों का योग ₹ 1,50,000 से अधिक हो तो उन्हें निर्धारित प्रपत्र एवं पुस्तकें रखनी होगी—
(i) रोकड़ बही
(ii) जर्नल (व्यापारिक पद्धति पर लेखे रखे जाने पर)
(iii) खाताबही
(iv) बिलों की प्रतियाँ (₹ 25 से अधिक के बिल की छाया प्रति)
(v) खर्चों के लिये प्राप्त बिल या रसीद (₹ 50 से अधिक खर्च की रसीदें)

(B) गैर-विशिष्ट पेशे (व्यापार) [Non-Specific Profession (Business)]—ऐसे व्यक्तियों को दो श्रेणियों में रखा गया है—
(i) ऐसे व्यापारी जिनकी गत तीन वर्षों की आय ₹ 1,20,000/2,50,000 (व्यक्ति तथा एचयूएफ के लिए) से अधिक न हो या कुल बिक्री ₹ 10,00,000/25,00,000 (व्यक्ति तथा एचयूएफ के लिए) से अधिक न हो।
(ii) ऐसे व्यापारी जिनकी गत तीन वर्षों की आय का योग ₹ 1,20,000/2,50,000 (व्यक्ति तथा एचयूएफ के लिए) से अधिक हो या कुल बिक्री ₹ 10,00,000/25,00,000 (व्यक्ति तथा एचयूएफ के लिए) से अधिक हो। इन्हें अपना हिसाब-किताब इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे कर निर्धारण अधिकारी इनकी आय की गणना से सन्तुष्ट हो सके।

बहीखातों का अनिवार्य अंकेक्षण (धारा 44 AB)
(COMPULSORY AUDIT OF ACCOUNTS)

आयकर अधिनियम के अनुसार यदि करदाता की गत वर्ष में कुल बिक्री या सकल प्राप्ति ₹ 1 करोड़ से अधिक है तो बही खातों का चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। यदि गत वर्ष में पेशेवर करदाताओं की कुल प्राप्तियाँ ₹ 50 लाख से अधिक है तो चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा।

आय की विवरणी (कर निर्धारण वर्ष में 30 सितम्बर या निर्धारित तिथि से पूर्व) दाखिल करने से पूर्व ऐसा अंकेक्षण करना आवश्यक है। आय कर विवरणी के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए।

अनिवासियों के सम्बन्ध में शिपिंग **व्यवसाय के लाभों की गणना करने के लिए विशेष प्रावधान** [धारा 44B] (Special Provisions for Computing Profit of Shipping Business in case of non residents) [Sec. 44B]—

अनिवासी करदाता के सम्बन्ध में जो शिपिंग व्यवसाय करता हो 7.5% के बराबर राशि को व्यवसाय का लाभ समझा जायेगा—
(i) भारत में या भारत के बाहर किसी अनिवासी करदाता को या उसके प्रतिनिधि को शिपिंग द्वारा यात्रियों, पशुओं, डाक या माल के भाड़े के सम्बन्ध में देय राशि। **तथा**
(ii) भारत के बाहर शिपिंग द्वारा यात्रियों, पशुओं, डाक या माल के भाड़े के सम्बन्ध में भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई राशि।

खनिज तेलों की खोज आदि के व्यवसाय के सम्बन्ध में लाभों की गणना करने के लिये विशेष प्रावधान [धारा 44BB] [Special Provisions for Computing Profits of Business of exploration etc. of Mineral Oils (Sec. 44BB)]—खनिज तेलों के उत्पादन या निष्कर्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनरी या संयन्त्र के सम्बन्ध में या सेवाएँ प्रदान करने या उनकी सप्लाई के व्यवसाय में लगे अनिवासी की आय की गणना 10% के आधार पर की जायेगी—
(i) भारत में खनिज तेलों के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनरी या संयन्त्र के किराये या ऐसी सेवाएँ प्रदान करने के बदले अनिवासी या उसके प्रतिनिधि को भारत में या भारत के बाहर देय राशियाँ। **तथा**
(ii) भारत में खनिज तेलों के लिये किराये के मशीन या संयन्त्र के सम्बन्ध में सेवाओं या सुविधाओं की सप्लाई के लिए अनिवासी या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई समझी गई राशि।

> धारा 44 BB ऐसी आय पर लागू नहीं होगी जिस पर धारा 42, 115A या 293A लागू हो।
>
> खनिज तेल में प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम शामिल हैं। संयन्त्र में खनिज तेल के व्यवसाय के सम्बन्ध में प्रयोग वायुयान, वैज्ञानिक उपकरण, वाहन आदि शामिल हैं।

निम्न शर्तें पूरी होने पर करदाता धारा 44BB के अन्तर्गत अपनी आय का 10% कर घोषित कर सकता है—
(i) जब करदाता अपने खाते धारा 44AA(2) के अनुसार रखता हो **तथा**
(ii) जब करदाता ने अपने खातों का अंकेक्षण कराकर धारा 44AB के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट जमा कर दी हो।
उपरोक्त मामले में कर-निर्धारण अधिकारी धारा 143(3) के अनुसार करदाता की कुल आय निर्धारित करेगा।

वायुयान के संचालन के व्यवसाय के लाभों की गणना के लिए अनिवासियों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान (धारा 44BBA) (Special Provisions for Computing Profits of Business of aircraft in the case of Non Residents (Sec. 44BBA)

अनिवासी करदाता जो वायुयान के संचालन के व्यवसाय में संलग्न है उनकी आय की गणना अग्रलिखित के 5% के आधार पर की जायेगी—
(i) भारत में यात्रियों, पशुओं, माल को लाने-ले-जाने के सम्बन्ध में भारत में या भारत के बाहर देय राशियाँ।
तथा
(ii) भारत से बाहर यात्रियों, पशुओं, माल आदि को लाने-ले-जाने के सम्बन्ध में भारत में प्राप्त समझी जाने वाली राशियाँ।

टर्न की शक्ति परियोजनाओं में सिविल निर्माण कार्य के कारोबार में लगी विदेशी कम्पनियों के लाभों की गणना के लिये विशेष प्रावधान [धारा 44BBB] (Special provisions for computing profits and gains of foreign companies engaged in the business of civil construction in certain turn key projects)—ऐसी विदेशी कम्पनियाँ जो सिविल निर्माण के व्यवसाय या उसके परीक्षण में लगे हों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में चुकाई गई राशि के 10% के बराबर राशि को व्यापार तथा पेशे शीर्षक के अन्तर्गत आय माना जायेगा।

निम्न शर्तें पूरी होने पर करदाता धारा 44BBB के अन्तर्गत अपनी आय का 10% कर घोषित कर सकता है—
(i) जब करदाता अपने खाते धारा 44AA(2) के अनुसार रखता हो तथा
(ii) जब करदाता ने अपने खातों का अंकेक्षण कराकर धारा 44AB के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट जमा कर दी हो।
उपरोक्त मामले में कर-निर्धारण अधिकारी धारा 143(3) के अनुसार करदाता की कुल आय निर्धारित करेगा।

उदाहरण एक दृष्टि में (EXAMPLES AT A GLANCE)

धारा 35ABB से सम्बन्धित [Examples relating to section 35(ABB)]	—	1
धारा 36(1)(ix) से सम्बन्धित [Examples relating to section 36(1)(ix)]	—	2
धारा 40A (3A) से सम्बन्धित [Examples relating to section 40A (3A)]	—	3
स्वीकृत/अस्वीकृत व्यय [Allowed/Disallowed Examples]	—	4, 5
व्यवसाय तथा पेशे की आय ज्ञात करना [Calculate income from Business & Profession]	—	6 to 22

Example 1.

पैप्सी लि. ने 10.08.2018 से 12 वर्षों के लिए ₹ 39,60,000 में टेलीवार्ता सेवाओं को चलाने का अनुबन्ध प्राप्त किया। कम्पनी को धारा 35 ABB में मिलने वाली कटौती की गणना कीजिए यदि—
(i) लाइसेंस की सम्पूर्ण फीस का भुगतान लाइसेंस प्राप्त करने की तिथि को कर दिया गया।

(vi) गत वर्ष में ₹ 750 की एक आय अर्जित हुई है, जो लाभ-हानि खाते में नहीं लिखी गई है।

Income of ₹ 750 accrued during the previous year is not recorded in Profit & Los[illegible]

उपर्युक्त शुद्ध लाभ में पुराने डूबत ऋण की वसूली ₹ 3,000 शामिल है, जिसकी पूर्व में आयकर अधिकारी [illegible] स्वीकृत नहीं की थी।

A foresaid net profit included ₹ 3,000 for recovery of old bad debts, which were disall[illegible] by income-tax officer in past. (मगध, 2009; पटना, 2010; आगरा, 2011; एम.कॉम. आगरा, [illegible])

Solution :

Computation of Taxable Income

(for the Assessment Year 2019-20)

Net Profit as per P & L Account		38,0[illegible]
***Add* : Disallowed Expenses :**	₹	
Income Tax	7,000	
Interest on Loan for paying Income Tax	1,000	
Penalty	4,000	
Cash Payment (100%)	28,000	
Municipal Tax $\left(\frac{2}{3} \times 1{,}800\right)$	1,200	41,2[illegible]
		79,2[illegible]
Add : Income Accrued		7[illegible]
		79,9[illegible]
Less : Bad Debts Recovered		3,0[illegible]
Income from Business		76,9[illegible]

COMPUTING PROFITS OF BUSINESS OR PROFESSION FROM INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

Step 1 Add all the incomes related to business or profession.

Step 2 Deduct all the expenses related to business or profession.

Step 3 Balance income will be income of business or profession.

Points to Remember

Computation of "Income from Business or Profession"

Particulars	*Amount (In ₹)*	*Amount (In ₹)*
		xxxx
Net profit as per Profit and Loss Account		
Add : Amount debited in P/L account in respect of the following :		
Personal Expenses	xxxx	
Charity and Donation	xxxx	
Gifts and presents to others	xxxx	
Income Tax, Surcharge, Wealth Tax, Gift Tax, Estate Duty, Tax Penalty, Penal Interest, Fine etc.	xxxx	
Losses of earlier years	xxxx	
Capital Losses	xxxx	
All reserves except depreciation reserve to the extent permissible, provisions for bad debts u/s 36(1)(viia) and transfer to reserve by financial institutions under section 36(1)(viii)/(viiia).	xxxx	

All expenses related to other heads of income	xxxx	
Expenses not deductible u/s 40 and 40A	xxxx	
Other expenses, etc., debited to P & L Account to the extent not admissible u/s 30 to 40A	xxxx	xxxx
Add : Amount not credited to P & L Account :		
a. In respect of deemed income chargeable u/s 41		xxxx
b. Any other chargeable profits		xxxx
		xxxx
Deduct : Income credited to P & L Account but not chargeable under the head "Profits or Gains of Business or Professions" :		
Salary Income	xxxx	
Rental Income	xxxx	
Capital Gain	xxxx	
Dividend	xxxx	
Income tax, Wealth tax, Gift Tax, Estate Duty, Surcharge, CDS Refunds	xxxx	
Bad Debts, Excise Euty Recovered (if earlier not allowed as deduction)	xxxx	xxxx
		xxxx
Deduct : Expenses not debited to P & L Account but allowable as deduction u/s 30 to 40A	xxxx	
Depreciation u/s 32	xxxx	xxxx
Income Chargeable under the head "Profits and Gains of Business or Profession"		xxxx

Example 10.

श्री सुरेश एक व्यापार के स्वामी हैं। 31 मार्च, 2019 को उनका लाभ-हानि खाता निम्नलिखित है–

विवरण	₹	विवरण	₹
वेतन	12,000	सकल लाभ	1,05,670
स्थापना व्यय	5,000	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (शुद्ध)	5,352
किराया एवं कर	3,000	मकान सम्पत्ति से आय	5,400
विविध व्यय	7,100		
घरेलू व्यय	1,900		
स्टाफ की ग्रेच्युइटी	20,000		
डूबत ऋण आयोजन	2,000		
मोटर कार की बिक्री पर हानि (कार का प्रयोग निजी)	2,000		
बीमा प्रीमियम (जीवन बीमा ₹ 1,800 सहित)	3,000		
बैंक ऋण पर ब्याज	1,500		

11

पात्र व्यवसाय या पेशों की आय का अनुमानित आधार पर निर्धारण

DETERMINATION OF INCOME OF CERTAIN ELIGIBLE BUSINESS OR PROFESSION ON PRESUMPTIVE BASIS

आयकर अधिनियम में छोटे व्यवसाय तथा पेशों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि करदाता अपनी आय की गणना अनुमानित आधार पर कर सकते हैं अधिनियम के सामान्य प्रावधान निम्नलिखित हैं—

1. **पात्र करदाता से आशय** (Meaning of Eligible Assessee)—ऐसा कोई भी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार या साझेदारी फर्म जिसने धारा 10AA, 80IA, 80IAB, 80IB, 80IC, 80ID, 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80QQB तथा 80RRB के अन्तर्गत कटौती की माँग नहीं की हो उसे पात्र करदाता माना जायेगा।
2. **पात्र व्यवसाय से आशय** (Meaning of Eligible Business)—धारा 44AE में वर्णित व्यवसायों को छोड़कर अन्य कोई भी व्यवसाय जिसकी गत वर्ष की कुल बिक्री या सकल प्राप्तियाँ एक करोड़ रुपये या उससे कम हों उसे पात्र व्यवसाय माना जायेगा।

अंकेक्षण के कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से प्रभावी प्रावधान—यदि एक ठेकेदार जो सिविल निर्माण कार्यों में संलग्न है (Section 44AD), एक फुटकर व्यापारी (धारा 44 AF), ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर (धारा 44 AE), यह दावा करता है कि उसकी आय मानी गई आय से कम है तो उन्हें भी अपने खातों का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराना होगा।

ठेकेदारों की आय की गणना (धारा 44AD)—इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) इस धारा के लिए करदाता व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार या साझेदारी फर्म होनी चाहिए।

(ii) करदाता ने धारा 10A, 10AA, 10B, 10BA, 80HH से 80RRB तक की कटौती के लिए कोई दावा न किया हो।

(iii) करदाता 44AE के अन्तर्गत आने वाले कारोबार को छोड़कर किसी अन्य कारोबार में लगा होना चाहिए।

(iv) कुल व्यापार आवर्त/सकल प्राप्ति ₹ 2 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि करदाता ने उपरोक्त शर्तें पूरी की हों तो उसकी आय सकल प्राप्ति या कुल व्यापार आवर्त के 8% के बराबर मानी जायेगी। परन्तु इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जायेगा—

(i) करदाता अपनी इच्छा से उच्चतर आय की घोषणा कर सकता है।

(ii) धारा 30 से 38 के अन्तर्गत केवल वही कटौतियाँ दी जायेंगी जिन्हें पहले से ही अनुज्ञात की गई कटौती स्वीकार किया गया हो।

(iii) इसका पालन करने वाले करदाता को अग्रिम कर का भुगतान करने की छूट दी जायेगी।

(iv) इस स्कीम का विकल्प अपनाने वाले करदाता को ऐसे कारोबार से सम्बन्धित लेखा बहियाँ बनाये रखने से धारा 40AA के अधीन, छूट दी जायेगी।

यदि गत वर्ष में या गतवर्ष की धारा 139(1) में वर्णित रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथि से पहले, कुल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ देय चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक के माध्यम से प्राप्त है इस स्थिति में आय कुल प्राप्तियों की 6% होगी।

ट्रक ऑपरेटरों की आय की गणना (धारा 44AE) (Computation of Income of Truck Operators)—ऐसे करदाता जिनके पास गत वर्ष में 10 से अधिक ट्रक नहीं हैं तथा जो ट्रकों को किराये पर देने या पट्टे पर देने का व्यवसाय करते हैं। उन पर कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से यह योजना लागू हुई।

योजना की विशेषताएँ—

(i) माह अथवा माह का भाग जिसके गतवर्ष में कर निर्धारण द्वारा स्वीकृत वस्तु कैरिज के लिए ₹ 7,500.

अथवा

(ii) वास्तव में वाहन से अर्जित की गई राशि

नोट—उपरोक्त दोनों में से जो भी अधिक हो आय मानी जायेगी।

(iii) धारा 44AE के अनुमानित लाभ में से धारा 30 से 38 तक की वर्णित कोई भी कटौती नहीं घटायी जायेगी।

(iv) साझेदारों को दिया गया वेतन तथा ब्याज धारा 40B के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अनुमानित लाभों में से घटा दिया जायेगा।

मालवाहन से आशय (Meaning of Goods Carriages)—मालवाहन से आशय ऐसे वाहनों से है जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। भारी माल ढोने वाले वाहन की अनुमानित आय (खाली वाहन के सकल वजन का) ₹ 1,000 प्रति टन प्रतिमाह या माह के अंश पर माना जायेगा। भारी माल वाहन से तात्पर्य ऐसे वाहन से है जिसका सकल भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है (w.e.f. A.Y. 2019-20)।

उदाहरण एक दृष्टि में (*EXAMPLES AT A GLANCE*)

धारा 44AD के अन्तर्गत आय की गणना (Computation of Income U/S 44AD)	—	1
धारा 44AE के अन्तर्गत आय की गणना (Computation of Income U/S 44AE)	—	2
कमीशन से आय की गणना (Computation of Income from Commission)	—	3
साझेदारी फर्म से आय की गणना (Computation of Income from Partnership Firm)	—	4

Example 1.

श्री धीरज राठौर एक ठेकेदार हैं। गत वर्ष 2018-19 के लिए विवरण निम्नलिखित है—

(i) पुल निर्माण (ठेका मूल्य ₹ 50,00,000)	कार्यपूर्ण ₹ 15,00,000
(ii) अस्पताल भवन (ठेका मूल्य ₹ 25 लाख)	कार्यपूर्ण ₹ 4,00,000
(iii) गाँव की सड़क (ठेका मूल्य ₹ 4 लाख)	सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हुआ
(iv) स्कूल भवन (ठेका मूल्य ₹ 15 लाख)	कार्यपूर्ण ₹ 9,00,000
(v) नहर बनाने का (ठेका मूल्य ₹ 10 लाख)	कार्यपूर्ण ₹ 6,00,000

निर्माण कार्य के लिये प्रयोग किये गये संयन्त्र की लागत ₹ 10,00,000 थी। कार्यशील पूँजी के लिये बैंक से 15% वार्षिक पर ₹ 20,00,000 का ऋण लिया। इन्होंने नियमित हिसाब नहीं रखा है। सभी लेन-देन नकद होते हैं। धारा 44AD के अन्तर्गत इनकी कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Mr. Dheeraj Rathore is a contractor whose particulars for previous year 2018-19 are as follows :

(i) Bridge Construction (contract value ₹ 50,00,000) work completed ₹ 15,00,000.

(ii) Hospital Building (contract value ₹ 25 Lakh) work completed ₹ 4,00,000.

(iii) Rural Road (contract value ₹ 4 Lakh) total work completed.

(iv) School Building (contract value ₹ 15 Lakh) work completed ₹ 9,00,000.

(v) Canal Project (contract value ₹ 10 Lakh) work completed ₹ 6,00,000

Cost of Plant used for construction work was ₹ 10,00,000. He took a loan of ₹ 20,00,... 15% per annum interest from bank for working capital. He has not maintained proper acco... All Transactions were in cash. Compute his taxable income u/s 44AD.

Solution :

Bridge Construction	15,0...
Hospital Building	4,00...
Rural Road	4,00...
School Building	9,00...
Canal Project	6,00...
	38,0...

Taxable Income u/s 44 AD ₹ 38,00,000 × 8% = ₹ 3,04,000

Example 2.

श्री दिलीप कुमार के पास निम्नलिखित व्यापारिक वाहन हैं–

(i) 3 भारी ट्रक–5 माह 15 दिन के लिए

(ii) 4 हल्के वाहन–2 वाहन 12 माह तथा 2 वाहन (9 माह तथा 25 दिन के लिए)

श्री दिलीप की कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिये व्यवसाय की आय ज्ञात कीजिए, यदि वह धारा 44... अन्तर्गत आने वाली योजना को अपनाते हैं।

Mr. Dileep has following commercial vehicles.

(i) 3 Heavy Trucks—for a period of 5 Months 15 days.

(ii) 4 Light Vehicles—2 vehicles for a period of 12 months and 2 vehicles for a peri... months and 25 days.

Compute Mr. Dileep's income from business for the assessment year 2019-20 if he ad... the scheme under section 44AE.

Solution :

Income u/s 44AE shall be computed	
(i) (7,500 × 6) + (7,500 × 6) + (7,500 × 6)	1,35...
(ii) (7,500 × 12 × 2) + (7,500 × 10 × 2)	3,30...
Income from Business	4,65...

Hints : यदि 1 दिन भी प्रयोग हो तो पूरे 1 माह का ही ह्रास लगता है।

3. कमीशन से आय का निर्धारण (Determination of Income from Commission of Agent...) एजेण्ट जो भारतीय जीवन बीमा निगम, डाकघर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट आदि से कमीशन प्राप्त करते हैं, ... कमीशन से आय निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी–

(A) जब कमीशन की राशि ₹ 60,000 से अधिक हो—ऐसे एजेण्ट जिनकी गतवर्ष की कमीशन से ... ₹ 60,000 से अधिक है उन्हें आयकर अधिनियम की धाराओं 30 से 43B तक के प्रावधानों के ... कटौती स्वीकार होगी।

(B) जब कमीशन की राशि ₹ 60,000 से अधिक नहीं है—ऐसे एजेण्ट जिनकी गतवर्ष की कमीशन से ... ₹ 60,000 से अधिक नहीं है। उनकी आय अग्र प्रकार निर्धारित होगी–

12

पूँजी लाभ

CAPITAL GAIN

आय के पाँच शीषकों में चौथा शीर्षक पूँजी लाभ होता है। आयकर अधिनियम की धाराएँ 45 से 55A तक पूँजी लाभ शीर्षक से सम्बन्धित हैं।

पूँजी लाभ का आशय
(MEANING OF CAPITAL GAIN)

व्यापारिक माल के अलावा अन्य किसी सम्पत्ति का विक्रय या हस्तान्तरण करने पर प्राप्त होने वाला लाभ पूँजी लाभ कहलाता है। पूँजी लाभ सम्पत्ति के विक्रय मूल्य और उसे प्राप्त करने की लागत का अन्तर है।

सूत्र के अनुसार—

पूँजी लाभ = सम्पत्ति का विक्रय मूल्य – सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत

यदि सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत सम्पत्ति के विक्रय मूल्य से अधिक होती है तो इस आधिक्य को पूँजी हानि कहा जाता है।

आयकर अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार, "किसी पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ पूँजी लाभ कहलाता है। यह लाभ उस गत वर्ष की आय माना जाता है जिस गत वर्ष में पूँजी सम्पत्ति का विक्रय या हस्तान्तरण किया जाता है। यदि पूँजी लाभ कर-मुक्त है तो उसे करदाता की आय में शामिल नहीं किया जाता है।

पूँजी सम्पत्ति
(CAPITAL ASSETS)

पूँजी सम्पत्ति का आशय (Meaning of Capital Assets)

आयकर अधिनियम की धारा 2(14) के अनुसार करदाता को किसी भी सम्पत्ति जैसे—(स्थाई, अस्थाई, भौतिक, अभौतिक, दृश्य, अदृश्य) आदि को पूँजी सम्पत्ति माना जाता है किन्तु इसमें निम्नलिखित को शामिल नहीं करते हैं। जैसे—

1. **व्यक्तिगत सम्पत्तियाँ**—ऐसी सम्पत्तियों में पहनने के कपड़े, फर्नीचर, बर्तन, फ्रिज, टी. वी. आदि शामिल होते हैं। इन पर होने वाले लाभ-हानि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता किन्तु व्यक्तिगत सम्पत्तियों में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे-सोना, चाँदी, आभूषण, ज्वैलरी तथा हीरे, जवाहरात जड़े हुए कपड़े या फर्नीचर, मूल्यवान धातुओं के बर्तन, चित्रकारी, चित्र, मूर्ति, पुरातत्वीय संग्रहण आदि।

2. **व्यापारिक रहतिया**—इसके अन्तर्गत व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होने वाली सामग्री तथा कच्चे माल को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय से आय के अन्तर्गत कर-योग्य होता है। उस रहतिया को पूँजी सम्पत्ति की परिभाषा में शामिल नहीं करते हैं।

3. **स्वर्ण बॉण्ड**—इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित $6\frac{1}{2}$% गोल्ड बॉण्ड 1977, 7% गोल्ड बॉण्ड 1980, व नेशनल डिफेन्स गोल्ड बॉण्ड, 1980 आदि पूँजी सम्पत्ति के अन्तर्गत संग्रहण शामिल नहीं होते हैं।

4. **विशेषधारक बॉण्ड**—विशेषधारक बॉण्ड, 1991 जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित किये गये हों पूँजी सम्पत्तियों में शामिल नहीं करते हैं।

5. स्वर्ण जमा बॉण्ड—स्वर्ण जमा बॉण्ड योजना 1999 के अन्तर्गत जारी किये गये स्वर्ण जमा बॉण्ड पूँजी सम्पत्ति में शामिल नहीं किये जायेंगे। ऐसे बॉण्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित होने चाहिए। जमा प्रमाणपत्र निर्गमन (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के तहत), केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित। (Ammendment w.e.f. A.Y. 2016-17)

6. भारत में स्थित कृषि भूमि—यदि करदाता के पास कोई ऐसी कृषि भूमि है जो शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं है, 10,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में या नगरपालिकाओं की सीमाओं से 8 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है तो इसे पूँजी सम्पत्ति नहीं माना जायेगा।

निम्न दशाओं में कृषि भूमि पूँजी सम्पत्ति मानी जायेगी—

A. यदि कृषि भूमि 10,000 से अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थित हो या नगर पालिका अथवा कैन्टोनमेण्ट बोर्ड की सीमा से 8 किमी. दायरे के अन्दर स्थित हो।

B. यदि कृषि भूमि आकाशीय मार्ग (Aerially) से नापी जाती है तो नगरपालिका या कैण्टोनमेण्ट बोर्ड की सीमा से 2 किमी. दायरे के अन्दर स्थित हो तथा वहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो किन्तु 1 लाख से अधिक न हो।

C. यदि कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से नापी जाती है तो नगर पालिका या कैण्टोनमैण्ट बोर्ड की सीमा से 6 किमी. दायरे के अन्दर स्थित हो तथा वहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो किन्तु 10 लाख से अधिक नहीं हो।

D. यदि कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से नापी जाती है तो नगर पालिका या कैण्टोनमैण्ट बोर्ड की सीमा से 8 किमी. दायरे के अन्दर स्थित हो तथा वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो।

स्वयं कमाई गई या अर्जित की गई सम्पत्तियाँ (Self Generated Assets)

किरायेदारी के अधिकार ख्याति, किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन अधिकार, मार्ग (रूट) परमिट आदि को स्वयं कमाई गई सम्पत्ति कहते हैं।

कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से इन सम्पत्तियों पर पूँजी लाभ का होना नहीं माना जाता अर्थात् यदि ऐसी सम्पत्तियों पर पूँजी लाभ होता भी है तो वह कर-योग्य नहीं होगा। परन्तु आय-कर अधिनियम में हुए संशोधन के आधार पर अब कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से स्वयं अर्जित सम्पत्तियों की प्राप्ति की लागत शून्य होगी तथा सम्पूर्ण विक्रय की रकम पूँजी लाभ मानी जाती है।

स्वयं अर्जित सम्पत्तियाँ निम्नलिखित तिथियों से कर-योग्य हैं—

1. व्यापार की ख्याति की बिक्री	1988-89 से प्रभावी
2. किरायेदारी के अधिकार	1995-96 से प्रभावी
3. मार्ग परमिट	1995-96 से प्रभावी
4. करघे के घण्टे	1995-96 से प्रभावी
5. किसी वस्तु के निर्माण के अधिकार	1998-99 से प्रभावी

पूँजी सम्पत्तियों के प्रकार
(TYPES OF CAPITAL ASSETS)

पूँजी सम्पत्तियाँ आय-कर के दृष्टिकोण से दो प्रकार की होती हैं—

(1) अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति, (2) दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति।

1. अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति एवं अल्पकालीन पूँजी लाभ—धारा 2 (42-A) के अनुसार अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति वह सम्पत्ति है जो करदाता द्वारा उसके हस्तान्तरण की तिथि से तत्काल 36 महीनों से अधिक दिनों तक धारित नहीं की गई हो। यदि कम्पनी के अंश भारत में किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं या भूमि या भवन या दोनों तब यह अवधि 36 माह के बजाय 24 माह मानी जायेगी।

निम्नलिखित पूँजीगत सम्पत्तियों को यदि 12 माह अथवा उससे कम की अवधि के लिए धारित किया जाता है तो ऐसी सम्पत्ति पर होने वाला लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ माना जाएगा। जैसे—अंश एवं प्रतिभूतियाँ, यू. टी. आई. की यूनिट्स, म्युचुअल फण्ड के यूनिट्स, जीरो कूपन बॉण्ड आदि अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियों में शामिल हैं।

कम्पनी के अंश (समता व पूर्वाधिकार शेयर) सूचीबद्ध हों।

ऐसी प्रतिभूतियाँ जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों।

UTI की यूनिट (चाहे सूचीबद्ध हो या नहीं)

जीरो कूपन बॉण्ड

महत्वपूर्ण नोट—अगर कम्पनी के अंश सूचीबद्ध नहीं हैं किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में, तो यहाँ अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति का समय 24 महीने होगा। (Finance Act, 2016)

2. दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभ—जब किसी सम्पत्ति को (जैसे—अंश प्रतिभूति, यू.टी.आई की यूनिट, जीरो कूपन बॉण्ड को छोड़कर शेष सभी पूँजी सम्पत्तियाँ जो करदाता के पास हस्तान्तरण करने से पहले 36 माह से अधिक रही हों) यदि कम्पनी के अंश भारत में किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है या भूमि या भवन या दोनों और वे करदाता के पास 24 माह से अधिक अवधि के लिए रही है तब ये दीर्घ कालीन पूँजी सम्पत्ति मानी जायेगी। अंश प्रतिभूति, यू. टी. आई. के यूनिट, जीरो कूपन बॉण्ड आदि 12 माह से अधिक अवधि के लिए धारित हो तो ऐसी सम्पत्ति को दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति कहा जाता है। ऐसी सम्पत्तियों पर होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ कहलाता है।

> **स्पष्टीकरण—**
> 1. करदाता के पास जो अंश प्रतिभूतियाँ हैं, वे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत होनी चाहिये।
> 2. यदि करदाता को बोनस अंश प्राप्त हुये हैं तो ऐसे बोनस अंशों की गणना आबण्टन की तारीख से विक्रय या हस्तान्तरण की तिथि तक मानी जाएगी।
> 3. ह्रासित होने वाली सम्पत्तियों पर सदैव अल्पकालीन पूँजी लाभ होता है।

जीरो कूपन बॉण्ड (Zero Coupon Bond) [धारा 2 (48)]

जीरो कूपन बॉण्ड से आशय उस बॉण्ड से है—

1. जिसे केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया हो।
2. सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा 01.06.2005 को या उसके बाद जारी किये गये हों।
3. सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी से परिपक्वता तिथि से पहले कोई लाभ प्राप्त नहीं होता हो।

नोट—यदि जीरो कूपन बॉण्ड 12 माह या इससे कम अवधि में ही बेच दिये गये हों तो उन पर होने वाला लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा किन्तु यदि 12 माह से अधिक अवधि में बेचे गये हों तो उन पर होने वाला पूँजी लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ होगा।

अल्पकालीन पूँजी लाभ एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभ में अन्तर
(DIFFERENCE BETWEEN SHORT TERM CAPITAL GAIN AND LONG TERM CAPITAL GAIN)

अन्तर का आधार	अल्पकालीन पूँजी लाभ	दीर्घकालीन पूँजी लाभ
1. अवधि	अल्पकालीन पूँजी लाभ में सम्पत्ति को 36/24 महीने या उससे कम अवधि के लिए धारित हो। सूचीबद्ध अंशों एवं वित्तीय सम्पत्ति की दशा में अधिक- से-अधिक 12 माह तक रखा जाता है।	दीर्घकालीन पूँजी लाभ में सम्पत्ति को 36/24 माह से अधिक (सूचीबद्ध अंशों एवं वित्तीय सम्पत्ति की दशा में 12 माह से अधिक रखा जाता है।)
2. प्राप्ति एवं सुधार की लागत	इस दशा में सम्पत्ति की प्राप्ति एवं सुधार की वास्तविक लागत दोनों को घटाया जाता है।	इस दशा में प्राप्ति एवं सुधार की लागत को सूचकांक लागत ज्ञात करके घटाते हैं।
3. आयकर की दर	अल्प पूँजी लाभ पर आयकर की सामान्य दरों से कर लगाया जाता है। धारा 111A के अन्तर्गत अल्पकालीन पूँजी लाभ पर 15% की दर से कर लगाया जाता है।	दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर कर की दर 20% है। 01.10.2004 के बाद बेचे गये समता अंशों पर उत्पन्न दीर्घकालीन पूँजी लाभ कर-मुक्त होता है।
4. कर-मुक्त पूँजी लाभ	इसमें धारा 54B, 54D, 54G, एवं 54GA, के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो सकती हैं।	इसमें धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G तथा 54GB, के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो सकती है।

उदाहरण

कारण सहित बताइये कि निम्न सम्पत्तियों में कौन-सी सम्पत्तियाँ अल्पकालीन हैं और कौन-सी दीर्घकालीन हैं। (State with reasons which Assets are Long-Term or which Assets are Short-Term ?)

1. प्रशान्त ने ₹10 लाख का सोना 01.01.2014 को खरीदा और उसे 10.11.2018 को बेच दिया। (Prashant purchased gold worth ₹ 10 Lac on 01.01.2014 and sold it on 10.11.2018.)

2. राघव ने 12 जून, 2017 को एक दुकान ₹15 लाख में खरीदी जिसे 16 जुलाई, 2018 को बेच दिया। (Ra... Purchased a shop for ₹15 Lac on 12 June, 2017 and sold it on 16 July, 2018)
3. सीमा ने एक भवन 8 जून, 2012 को खरीदा जिसे 2 फरवरी, 2019 को बेच दिया। (Seema Purch... building on 08 June, 2012 and sold it on 02 February, 2019.)
4. राम ने एक स्कूटर 15 सितम्बर, 2013 को खरीदा और उसे 20 मार्च, 2019 को बेच दिया। एक स्कूटर निजी ... में था। (Ram purchased a Scooter on 15 September, 2013 and sold it on 20 March, 2... Scooter was in personal use.)
5. लखन ने एक महँगी कार अपने निजी प्रयोग के लिए ₹16 लाख की खरीदी और उसे तीन साल बाद ₹10 ला... बेच दिया। (Lakhan Purchased a costly car for ₹ 16 Lac. He sold the car for ₹ 10 Lac a... three years. The car was in personal use.)
6. सीता ने एक चित्रकारी ₹ 5 लाख में बेची जो उसने चार साल पहले बनाई थी। (Seeta sold a painting ... ₹ 5 Lac. She painted it four years before.)
7. गणेश ने एक कृषि भूमि 10 हजार से कम आबादी वाले क्षेत्र में 10 अप्रैल, 2012 को खरीदी और उसे 10 जुला... 2018 को बेच दिया। (Ganesh purchased an agricultural land on 10 April, 2012 in the ar... having population less than 10 thousand and sold it on 10 July, 2018.)
8. शिव ने एक कृषि भूमि नगर महापालिका की सीमा से 8 किमी. के अन्दर के क्षेत्र में 1 जनवरी, 2014 को खरीदी ... उसे 2 फरवरी, 2019 को बेच दिया। (Shiv purchased an Agricultural land in the area which... with in 8 Km. from the limit of municipality on 01 January, 2014 and sold it on ... February, 2019.)
9. कृष्ण ने 1 जुलाई, 2018 को जीरो कूपन बॉण्ड खरीदे जिन्हें 31 मार्च, 2019 को बेच दिया। (Krishn... purchased Zero Coupan Bonds on 01 July, 2018 and sold them on 31 March, 2019.)
10. श्याम ने अपने व्यापार के माल का रहतिया 3 मार्च, 2019 को ₹ 5 लाख का बेचा। (Shyam sold his tra... stock on 03 March, 2019 for ₹ 5 Lac.)

हल :

1. प्रशान्त ने सोना 1 जनवरी, 2014 को खरीदा और इसे 10 नवम्बर, 2018 को बेच दिया। यहाँ स्पष्ट है कि प्रश... द्वारा सम्पत्ति रखने की अवधि तीन वर्ष से अधिक है अत: यह सम्पत्ति दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति है।
2. राघव ने दुकान 12 जून, 2017 को खरीदी और इसे 16 जुलाई, 2018 को बेच दिया। राघव ने यह सम्पत्ति दो व... से अधिक समय के लिए नहीं रखी है अत: यह सम्पत्ति अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति है।
3. सीमा ने भवन सम्पत्ति 8 जून, 2012 को खरीदी और इसे 2 फरवरी, 2019 को बेच दिया। यहाँ यह स्पष्ट है कि... सीमा ने मकान सम्पत्ति दो वर्ष से अधिक समय के लिए अपने कब्जे में रखी है अत: यह सम्पत्ति दीर्घकालीन पूँ... सम्पत्ति है।
4. राम ने एक स्कूटर 15 सितम्बर, 2013 को खरीदा और इसे 20 मार्च, 2019 को बेच दिया। यहाँ पूँजी सम्पत्ति नहीं... है, क्योंकि स्कूटर राम के निजी प्रयोग में है।
5. यह सम्पत्ति पूँजी सम्पत्ति नहीं है, क्योंकि यह लखन के निजी प्रयोग में है।
6. सीता ने एक चित्रकारी जो चार साल पहले बनायी थी गत वर्ष में बेच दी। यह दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति है।
7. गनेश ने एक कृषि भूमि 10 अप्रैल, 2012 को 10 हजार से कम आबादी वाले क्षेत्र में खरीदी और इसे 10 जुला... 2018 को बेच दिया। यह सम्पत्ति पूँजी सम्पत्ति नहीं है, क्योंकि यह भूमि 10 हजार से कम आबादी वाले क्षे... स्थित है।

8. शिव ने एक कृषि भूमि नगर महापालिका की सीमा से 8 किमी. अन्दर के क्षेत्र में 1 जनवरी, 2014 को खरीदी और इसे 2 फरवरी, 2019 को बेच दिया। यह एक दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति है, क्योंकि यह नगर महापालिका की सीमा से 8 किमी. के अन्दर शहरी क्षेत्र में स्थित है।
9. कृष्ण ने 1 जुलाई, 2018 को जीरो कूपन बॉण्ड खरीदे और इन्हें 31 मार्च, 2019 को बेच दिया। ये बॉण्ड अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति है, क्योंकि कृष्ण ने इन्हें 12 महीने अपने पास नहीं रखा है।
10. श्याम ने अपने व्यापार के माल का रहतिया 3 मार्च, 2019 को ₹ 5 लाख का बेच दिया। यह पूँजी सम्पत्ति नहीं है।

पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण
(TRANSFER OF CAPITAL ASSETS)

पूँजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर ही पूँजी लाभ उत्पन्न होता है। हस्तान्तरण का आशय किसी सम्पत्ति को दूसरे व्यक्ति को बेचने या हस्तान्तरित करने से है।

आयकर अधिनियम की धारा 2(47) के अनुसार, "पूँजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्न शामिल होते हैं–

1. सम्पत्ति को बेच देना या विनिमय करना।
2. व्यक्ति का सम्पत्ति पर से अधिकार समाप्त हो जाना
3. कानून के अन्तर्गत अनिवार्य अधिग्रहण
4. स्वामी द्वारा सम्पत्ति का रहतिया में परिवर्तन या व्यवहार
5. अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार
6. ऐसा व्यवहार जिसके प्रभाव से सम्पत्ति का हस्तान्तरण सम्भव हो।
7. सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा 01-06-2005 को या इसके बाद निर्गमित जीरो कूपन बाण्ड की परिपक्वता को हस्तान्तरण माना जाता है।
8. सम्पत्ति का त्याग।
9. फर्म, व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों के संघ के समापन पर सम्पत्तियों का वितरण।

ऐसे लेन-देन जिन्हें हस्तान्तरण नहीं माना जाता
(TRANSACTIONS NOT REGARDED AS TRANSFER)

धारा 47 के अनुसार निम्नलिखित व्यवहार हस्तान्तरण नहीं माने जाते–

1. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूँजी सम्पत्तियों का वितरण। **धारा 47(1)**
2. भेंट, उपहार अथवा वसीयत के अन्तर्गत पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण (कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना अथवा कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अन्तर्गत अंश तथा ऋणपत्र, अधिपत्रों को छोड़कर।) **धारा 47(2)**

अपवाद–यदि सहायक कम्पनी, सूत्रधारी कम्पनी को सम्पत्ति पूँजी का हस्तान्तरण व्यापारिक स्कन्ध के रूप में करती है तो छूट नहीं मिलेगी।

3. सूत्रधारी कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण (सहायक कम्पनी भारतीय हो तथा सहायक कम्पनी के सभी अंश सूत्रधारी कम्पनी के पास हों)। **धारा 47(4)**

अपवाद–यदि सूत्रधारी कम्पनी, सहायक कम्पनी को सम्पत्ति पूँजी का हस्तान्तरण व्यापारिक स्कन्ध के रूप में करती है तो धारा 47 की छूट नहीं मिलेगी।

4. सहायक कम्पनी द्वारा सूत्रधारी कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण (सूत्रधारी कम्पनी भारतीय हो तथा सहायक कम्पनी के सभी अंश सूत्रधारी कम्पनी के पास हों)। **धारा 47(5)**
5. एकीकरण करने वाली भारतीय कम्पनी को, एकीकरण की योजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली कम्पनी द्वारा पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण। **धारा 47(6)**
6. 01.03.1970 से पहले कृषि भूमि (भारत में स्थित) का हस्तान्तरण। **धारा 47(viii)**
7. एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एक विदेशी कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी के अंशों को दूसरी विदेशी कम्पनी को हस्तान्तरण। **धारा 47(vi A)**

8. एकीकरण की जाने वाली कम्पनी के किसी अंशधारी द्वारा एकीकरण की किसी भी योजना के अन्तर्गत ... की जाने वाली कम्पनी के अंशों का हस्तान्तरण।
9. कला संग्रह, फोटोग्राफ, पेन्टिंग, पाण्डुलिपि, वैज्ञानिक अथवा किसी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार ... से सम्बन्धित कार्यों में किसी पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण धारा 47(IX) के अन्तर्गत हस्तान्तरण नहीं माना ...
10. किसी बैंकिंग कम्पनी के समामेलन की दशा में अन्य बैंकिंग संस्था को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण (... सरकार की योजना के अन्तर्गत) धारा 47(vi...)
11. कम्पनी के विघटन या समाप्ति पर सम्पत्ति का बाँटना।
12. किसी कम्पनी द्वारा अपने बॉण्डों, ऋणपत्रों का उसी कम्पनी के अंशों या ऋणपत्रों में परिवर्तन हस्तान्तरण नहीं कहलाता ...
13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित, सोवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना, 2015 के अन्तर्गत सोवरेन गोल्ड बॉण्ड ... हस्तान्तरण।
14. एक विभक्त कम्पनी द्वारा अविलयन की दशा में भारतीय परिणामी कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण।
15. एकीकरण होने वाली कम्पनी के किसी अंशधारी द्वारा (एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत) कम्पनी के ... का हस्तान्तरण, बशर्ते–
   (i) जिस कम्पनी को हस्तान्तरण किया हो वह भारतीय हो।
   (ii) हस्तान्तरण एकीकरण होने वाली कम्पनी के अंशों के बदले किया गया हो।
16. परिणामी कम्पनी द्वारा अविलयित कम्पनी के अंशधारियों को (अविलयन की किसी योजना के अन्तर्गत) ... के बदले अंशों का हस्तान्तरण किन्तु ऐसा हस्तान्तरण।
17. यदि किसी करदाता ने अपनी प्रतिभूतियाँ अन्य व्यक्ति को उधार दी हैं तो इसे हस्तान्तरण नहीं माना जाएगा ... ऐसी प्रतिभूतियाँ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) के सिद्धान्तों व दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी ... के अन्तर्गत होनी चाहिए।
18. विघटन (Demutualisation) अथवा निगमीकरण (Corporatisation) की योजना के अन्तर्गत मान्यता ... स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य द्वारा सदस्यता कार्ड के बदले व्यापारिक अधिकारों को प्राप्त करना।
19. किसी पूर्ववर्ती सहकारी बैंक द्वारा व्यापारिक पुनर्गठन के अन्तर्गत पश्चात्वर्ती सहकारी बैंक को सम्पत्ति ... हस्तान्तरण।
20. किसी अंशधारी द्वारा पूर्ववर्ती सहकारी बैंक में अपनी पूँजी सम्पत्ति का व्यापारिक पुनर्गठन के अन्तर्गत पश्चात्वर्ती सहकारी बैंक को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, हस्तान्तरण नहीं माना जाएगा।
21. GDR या Bond का हस्तान्तरण, जो उल्लेखित हों धारा 115 AC में भारत के बाहर किसी अनिवासी द्वारा ... अनिवासी को किया गया हो।

ऐसे लाभ जो कर-योग्य पूँजी लाभ में शामिल होते हैं
(PROFITS INCLUDED IN TAXABLE CAPITAL GAINS)

1. पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर लाभ [धारा 45 (1)]—जिस वर्ष में पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण हुआ है, उस वर्ष में पूँजी लाभ कर-योग्य होता है तथा उस वर्ष की आय मानी जाती है।

अपवाद—जहाँ पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण का वर्ष इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होता–

Sec. 45 (1A), Sec. 45 (2), **Sec. 45 (5)**

2. बीमे से सम्बन्धित पूँजी लाभ [धारा 45 (1A)]—यदि किसी वर्ष में कोई व्यक्ति किसी पूँजी सम्पत्ति के नष्ट होने पर अथवा खराब होने पर बीमा से कोई लाभ प्राप्त करता है, तो ऐसा लाभ पूँजी लाभ शीर्षक में कर-योग्य होगा।

ऐसी पूँजी सम्पत्ति की क्षति निम्न कारणों से हो सकती है–

(i) बाढ़, तूफान, भूचाल या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा

(ii) नागरिक उपद्रव या दंगे।

(iii) दुर्घटनावश आग लग जाना या विस्फोट हो जाना

(iv) शत्रु देश या दुश्मन द्वारा कार्यवाही करना (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं)

3. किसी पूँजी सम्पत्ति स्टॉक या रहतिया में परिवर्तित करने पर उत्पन्न लाभ [धारा 45 (2)]—यदि किसी पूँजी सम्पत्ति को व्यापारिक स्टॉक या रहतिया में परिवर्तित कर लिया जाता है अथवा विक्रय कर दिया जाता है तो रहतिए के विक्रय या हस्तान्तरण पर होने वाला लाभ पूँजी लाभ माना जाएगा। ऐसी सम्पत्ति के परिवर्तन की तिथि या सम्पत्ति को स्टॉक मानने की तिथि को सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य ही ऐसी सम्पत्ति का प्रतिफल माना जाता है।

4. फर्म, कम्पनी आदि को पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर उत्पन्न लाभ [धारा 45 (3)]—जब कोई व्यक्ति अपनी पूँजी सम्पत्ति को पूँजी या अन्य रूप में निम्न को हस्तान्तरित करता है तो उससे उत्पन्न होने वाला लाभ पूँजी लाभ शीर्षक में कर-योग्य होता है–

(i) उस फर्म को जिसमें वह साझेदार है।

(ii) व्यक्तियों के ऐसे संघ को जिसका वह सदस्य है।

पूँजी लाभों की गणना करते समय फर्म या व्यक्तियों के संघ की पुस्तकों में इस पूँजी सम्पत्ति का जो मूल्य लिखा गया है, वही इस सम्पत्ति के हस्तान्तरण का मूल्य माना जाएगा।

5. फर्म के समापन पर पूँजी सम्पत्तियों के बँटने से प्राप्त लाभ [धारा 45 (4)]—किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ का समापन होने पर उस संघ या फर्म के पूँजी सम्पत्तियों के बँटने से होने वाला लाभ उस फर्म या व्यक्तियों के संघ का पूँजी लाभ माना जायेगा। पूँजी सम्पत्तियों के बँटने की तिथि को ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य ही प्राप्त प्रतिफल माना जाता है।

6. अनिवार्य अधिग्रहण पर लाभ [धारा 45 (5)]—जब किसी सम्पत्ति का सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से किसी कानून के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जाता है, तो ऐसे हस्तान्तरण पर होने वाला लाभ उस गत वर्ष में पूँजी लाभ के रूप में कर-योग्य होगा।

यदि क्षतिपूर्ति या प्रतिफल की राशि बाद में किसी न्यायालय द्वारा बढ़ा दी जाती है तो वृद्धि की राशि उस गत वर्ष में पूँजी लाभ के रूप में कर-योग्य होगी, जिस गत वर्ष में वह प्राप्त हुई है।

इस प्रकार के पूँजी लाभ पर निम्न प्रकार कर लगाया जाता है–

(i) पूँजी सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण में उत्पन्न पूँजी लाभ उस गत वर्ष में कर-योग्य होगा जिस गत वर्ष में वह सम्पूर्ण या आंशिक प्रतिफल प्राप्त हुआ हो।

(ii) अतिरिक्त राशि प्राप्त होने के सम्बन्ध में उस वर्ष में कर-योग्य मानी जायेगी जिस गतवर्ष में प्राप्त हुई हो।

(iii) यदि पूँजी लाभ की गणना उक्त क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के आधार पर किसी कर-निर्धारण वर्ष में की जा चुकी है तथा किसी अपील में ऐसी राशियों को कम कर दिया जाता है तो कर-निर्धारण वर्ष में कम हुए पूँजी लाभ के आधार पर पुनः कर-निर्धारण किया जायेगा।

7. म्युचुअल फण्ड अथवा यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों को पुनः क्रय करने पर होने वाला लाभ [धारा 45 (6)]—यदि करदाता ने म्युचुअल फण्ड अथवा यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों को किसी गत वर्ष में पुनः बेच दिया है तो आधिक्य की राशि उस वर्ष का पूँजी लाभ मानी जायेगी, जिस वर्ष इन यूनिटों को पुनः बेच दिया गया है।

पूँजी लाभ = यूनिटों के हस्तान्तरण पर प्राप्त राशि – यूनिटों में विनियोजित की गई राशि

8. कम्पनी द्वारा अपने अंशों को क्रय करने पर अंशधारियों द्वारा प्राप्त राशि [धारा (46A)]—किसी कम्पनी द्वारा जब अपने अंशों को या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों को क्रय किया जाता है तो ऐसे अंशधारियों को विक्रय से प्राप्त होने वाले प्रतिफल पर लाभ पूँजी लाभ कहलाता है।

इसके कर-योग्य होने के लिए निम्न चार शर्तों का पूरा होना आवश्यक है–

(i) पूँजी सम्पत्ति होनी चाहिए।

(ii) ऐसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण होना चाहिए।

(iii) ऐसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से लाभ होना चाहिए।

(iv) ऐसा लाभ कर-मुक्त नहीं होना चाहिए।

(v) वित्त अधिनियम, 2013 में धारा 115QA तथा 10 (34A) के आने के बाद धारा 46 A में केवल सूचीबद्ध (Listed shares) को शामिल किया जायेगा, असूचीबद्ध अंशों (Unlisted shares) को नहीं।

सम्पत्ति की सूचकांक या निर्देशांक लागत

(INDEXED COST OF ASSETS)

प्राप्ति या अर्जन की सूचकांक लागत से आशय उस धनराशि से है जो सम्पत्ति के हस्तान्तरण वाले वर्ष में मुद्रास्फीति लागत सूचकांक उसी अनुपात में अर्जन लागत हैं जो सम्पत्ति को लेने वाले पहले वर्ष या 01-04-2001 को शुरू होने वाले (दोनों में से जो भी बाद में हो) के मुद्रास्फीति लागत सूचकांक के अनुपात में थी।

लागत स्फीति सूचकांक ऐसा सूचकांक है जो केन्द्र सरकार पूर्व वर्ष के ठीक पहले वाले वर्ष के कार्य (यांत्रिक) वाले कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 75% औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करें।

1. वित्तीय वर्ष 2001-02 या इससे पूर्व प्राप्त सम्पत्तियों के लिये

$$\text{Indexed Cost of Acquisition} = \frac{\text{Fair market value of Assets on 01.04.2001 or Cost of acquisition (whichever is more)}}{100} \times \text{Cost Inflation Index of the year in which the assets is transferred}$$

2. वित्तीय वर्ष 2001-02 के बाद प्राप्त सम्पत्तियों के लिये

$$\text{Indexed Cost of Acquisition} = \frac{\text{Cost of Acquisition}}{\text{Cost Inflation Index of the year of Acquisition}} \times \text{Cost Inflation Index of the year of in which the asset is sold or transferred}$$

Year of Transferred (हस्तान्तरण वर्ष)

Year of Acquisition (प्राप्ति वर्ष)

निम्नलिखित मामलों में सूचीकरण नहीं किया जायेगा—

1. किसी अनिवासी द्वारा भारतीय कम्पनी में विदेशी मुद्रा में अर्जित अंश या ऋणपत्र का हस्तान्तरण।
2. मंदी बि ी।
3. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण।
4. अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा सम्पत्ति का हस्तान्तरण।
5. विदेशी मुद्रा में खरीदे गये भारतीय यूनिट ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड की यूनिटों का हस्तान्तरण।

सुधार की सूचकांक लागत (Indexed Cost of Any Improvement)

01.04.2001 के बाद सम्पत्तियों के सुधार की दशा में—

$$\text{Indexed Cost of Improvement} = \frac{\text{Cost of Improvement after the date of Acquisition}}{\text{Cost Inflation Index of the year of Improvements}} \times \text{Cost Inflation Index of the year of assets transfer of assets}$$

लागत स्फीति सूचंकाक

(COST INFLATION INDEX)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	लागत स्फीति सूचकांक	क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	लागत स्फीति सूचकांक
1.	2001-02	100	4.	2004-05	113
2.	2002-03	105	5.	2005-06	117
3.	2003-04	109	6.	2006-07	122

7.	2007-08	129	13.	2013-14	220
8.	2008-09	137	14.	2014-15	240
9.	2009-10	148	15.	2015-16	254
10.	2010-11	167	16.	2016-17	264
11.	2011-12	184	17.	2017-18	272
12.	2012-13	200	18.	2018-19	280

पूँजी लाभ

(CAPITAL GAIN)

महत्वपूर्ण बिन्दु (Important Points)

1. यदि सम्पत्ति 2001-02 या उससे पहले खरीदी गयी है तो सूचकांक 100 का प्रयोग करें।
2. यदि 2001-02 से पहले सम्पत्ति के सुधार पर कोई व्यय किये गये हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा।
3. यदि फर्नीचर के साथ घरेलू शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसे निजी सम्पत्ति मानते हैं।
4. यदि मोटर कार कार्यालय या व्यवसाय में प्रयोग होती है तो पूँजी लाभ कर-योग्य होगा किन्तु इसकी सूचकांक लागत ज्ञात नहीं करेंगे केवल लागत को घटा दिया जायेगा क्योंकि यह व्यापारिक सम्पत्ति है।
5. वे सम्पत्तियाँ जिन पर सदैव अल्पकालीन पूँजी लाभ होता है। जैसे—घरेलू बर्तन, घरेलू फर्नीचर, मोटर कार केवल निजी प्रयोग, पहनने के कपड़े, ह्रासित होने वाली सम्पत्ति जैसे—मशीन आदि।
6. आभूषण या जेवर जो सोने-चाँदी से बने हों, उनकी सूचकांक लागत निकालते हैं।
7. यदि कोई सम्पत्ति उपहार में मिली हो तो उपहार या वसीयत जिस वर्ष में मिली है, उस वर्ष के अनुसार सूचकांक लागत ज्ञात करेंगे। धारा 49(1)।
8. यदि उपहार वाले दिन ही सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य दिया है तो ऐसे बाजार मूल्य को छोड़ देना चाहिए।
9. यदि उचित बाजार मूल्य से पहले सम्पत्ति के सुधार पर कोई व्यय किया गया है तो ऐसे व्ययों को छोड़ दिया जाता है।
10. यदि उचित बाजार मूल्य भी दिया है और इसके बाद सुधार के व्यय भी दिये हों तो ऐसे सुधार के व्यय जिस वर्ष हुए हैं उसी वर्ष के अनुसार उनकी सूचकांक लागत ज्ञात की जाएगी।
11. यदि प्रश्न में दो बार उचित बाजार मूल्य दिया है तो अधिक वाले उचित मूल्य को लेकर प्रश्न हल करेंगे।
12. यदि सम्पत्ति पर एक से अधिक व्यक्तियों ने सुधार पर व्यय किये हैं तो दोनों व्यक्तियों के द्वारा किये गये व्ययों की सूचकांक लागत ज्ञात की जाएगी किन्तु ये व्यय 2001-02 के बाद होने चाहिए तथा इनके बाद उचित बाजार मूल्य नहीं होना चाहिए।
13. जो सम्पत्ति खरीदने के 36 माह (कुछ दशाओं में 24 माह) अधिकतम समय के बाद बेची जाती है, उस पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ होता है। सूचीबद्ध अंशों एवं वित्तीय सम्पत्तियों की दशा में यह अवधि 12 माह से अधिक है।
14. 36 माह या उससे कम अवधि (अपवाद की दशा में 12 माह या 24 माह या उससे कम अवधि) में बेची गयी सम्पत्तियों पर अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा।
15. यदि कृषि भूमि नगरपालिका की सीमाओं के बाहर है तो पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा।
16. निम्न को पूँजी सम्पत्ति में शामिल करते हैं—
    भवन, मशीन, फर्नीचर, आभूषण, ख्याति, अंश, प्रतिभूतियाँ, मार्गों के परमिट, अनुज्ञा-पत्र, पट्टाधारी के अधिकार आदि
17. बॉण्डों तथा ऋणपत्रों की सूचकांक लागत ज्ञात नहीं की जाती है।

3. फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय के विघटन पर फर्म के साझेदार अथवा समुदाय के सदस्य को पूँजी सम्पत्ति वितरण करने पर वितरण की तिथि को सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, प्रतिफल का सम्पूर्ण मूल्य माना जा...
4. पूँजी सम्पत्ति का विक्रय करने पर विक्रय मूल्य को ही प्रतिफल का सम्पूर्ण मूल्य माना जायेगा।
5. पूँजी सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण किये जाने पर उसके लिये प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि को, प्रतिफल का ... मूल्य माना जायेगा।
6. पूँजी सम्पत्ति के विनिमय करने पर विनिमय की तिथि को प्राप्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, प्रतिफल ... सम्पूर्ण मूल्य माना जायेगा।
7. पूँजी सम्पत्ति के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने पर बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नकद राशि अथवा ... प्राप्त होने पर प्राप्ति की तिथि को सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य या दोनों के प्राप्त होने की दशा में दोनों के ... का योग प्रतिफल का सम्पूर्ण मूल्य माना जायेगा।
8. साझेदार अथवा सदस्य द्वारा फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय को पूँजी के रूप में सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने ... फर्म अथवा समुदाय की पुस्तकों में उस सम्पत्ति का वर्णित मूल्य ही, प्रतिफल का सम्पूर्ण मूल्य माना जायेगा।
9. कम्पनी समापन पर अंशधारियों को नकद राशि एवं सम्पत्ति प्राप्त होने पर वितरण की तिथि को सम्पत्तियों का बा... मूल्य तथा नकद राशियों के योग में से वितरित लाभांश की राशि को घटाकर शेष रकम को पूर्ण प्रतिफल मा... जायेगा।

भूमि अथवा भवन अथवा दोनों के सम्पूर्ण प्रतिफल का निर्धारण Sec. 50C (Determination of full val... of Consideration of land or building or both)—यदि किसी भूमि, भवन अथवा दोनों का हस्तान्तरण मूल्य स्टा... ड्यूटी (Stamp Duty) के लिए निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम है तो स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य ही भूमि, भवन अथवा दोनों का सम्पूर्ण प्रतिफल माना जायेगा।

बशर्ते, यदि समझौते की तिथि तथा पंजीकरण की तारीख सम्पत्ति हस्तान्तरण के लिए एक नहीं है, तो स्टॉम्प मूल्यांक... अधिकारी के द्वारा समझौते की तिथि पर जो मूल्य होगा, वही सम्पूर्ण प्रतिफल मान लिया जायेगा। (वित्त अधिनियम, 201...

परन्तु, यह तभी मान्य होगा, जब सम्पूर्ण प्रतिफल या प्रतिफल का भाग एकाउण्ट पेयी चेक या ड्राफ्ट द्वारा ... इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली द्वारा समझौते की तारीख पर या उससे पहले प्राप्त हो चुका हो।

महत्वपूर्ण तथ्य—यदि कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष करदाता यह तथ्य रखता है कि स्टाप ड्यूटी के लिए निर्धा... या निर्धारणीय मूल्य उचित बाजार मूल्य से अधिक है तथा इस मूल्य के सम्बन्ध में किसी प्राधिकरण या न्यायालय में अपी... नहीं की गयी है तो कर-निर्धारण अधिकारी इस सम्पत्ति के मूल्यांकन करने का दायित्व मूल्यांकन अधिकारी को सौंप देगा...

इस दशा में यदि मूल्यांकन अधिकारी उस सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम आँकता है तो यही मूल्य सम्पत्ति का सम्पूर्ण प्रतिफल माना जायेगा। यदि वह उचित बाजार मूल्य को स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से अधिक आँकता है तो स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य ही सम्पत्ति का सम्पूर्ण प्रतिफल माना जायेगा।

कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 से प्रभावी—जहाँ करदाता द्वारा किसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर प्राप्त प्रतिफल ज्ञात न हो पाए या उसका निर्धारण न हो सके तो कर-योग्य पूँजी लाभ की गणना करने के लिए उस सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि को विद्यमान उचित बाजार मूल्य ही सम्पत्ति का सम्पूर्ण प्रतिफल माना जायेगा। **[धारा 50 D]**

सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत

(COST OF ACQUISITION OF ASSETS)

सम्पत्ति की प्राप्ति की लागत वह है जिसे प्राप्त करने के लिए स्वामी द्वारा उस सम्पत्ति पर कुछ व्यय किये गये हैं ...

यदि सम्पत्ति को प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त ऋण पर कोई ब्याज चुकाया गया है तो उसे प्राप्ति की लागत में शामिल करते हैं, किन्तु ऐसी ब्याज अन्य किसी प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य न हो।

यदि किसी सम्पत्ति का विनिमय किया गया है तो सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य ही सम्पत्ति की लागत माना जाएगा। ह्रासित होने वाली सम्पत्तियों की दशा में किसी गत वर्ष में अपलिखित मूल्य को प्राप्ति की लागत माना जाएगा।

1. **करदाता द्वारा क्रय अथवा निर्माण की गई पूँजी सम्पत्ति** (Purchase or Construction of Capital Assets by the Assessee)—ऐसी दशा में सम्पत्ति के क्रय अथवा निर्माण की लागत ही सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत मानी जाएगी।
2. **बिना प्रतिफल प्राप्त हुई पूँजी सम्पत्ति** (Capital Assets received without Consideration)—जब किसी करदाता को बिना किसी प्रतिफल चुकाए कोई पूँजी सम्पत्ति प्राप्त होती है तो इसे प्राप्त करने की लागत वह राशि होगी जो पूर्व स्वामी की लागत थी।

बिना प्रतिफल पूँजी सम्पत्ति प्राप्त होने की दशाएँ (Conditions of Capital Assets received without consideration) **धारा 49 (1)**—

(i) भेंट या उपहार में
(ii) हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन पर
(iii) कम्पनी के समापन पर
(iv) किसी ट्रस्ट को हस्तान्तरित प्राप्त सम्पत्ति
(v) उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति
(vi) बैंकिंग कम्पनी का योजना के अन्तर्गत बैंकिंग संस्था के साथ एकीकरण होने पर,
(vii) 1987 से पूर्व फर्म या व्यक्तियों के समुदाय के विघटन पर सम्पत्तियों का वितरण
(viii) खण्डनीय अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत हस्तान्तरण
(ix) सूत्रधारी कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को अथवा सहायक कम्पनी द्वारा सूत्रधारी कम्पनी को हस्तान्तरण (एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत) तथा
(x) एकीकृत होने वाली विदेशी कम्पनी द्वारा एकीकरण होने वाली विदेशी कम्पनी को (एकीकरण की योजना के अन्तर्गत) भारतीय कम्पनी के अंशों का पूँजी सम्पत्ति में हस्तान्तरण।

3. **एकीकृत कम्पनी के अंशों की लागत [धारा 49(2)]** (Cost of Shares in Amalgamated Company)—एक भारतीय एकीकृत कम्पनी के अंश जो एकीकरण होने वाली कम्पनी के अंशों के बदले में प्राप्त किये हैं तो एकीकृत कम्पनी से प्राप्त अंशों की लागत वही राशि होगी जो एकीकरण होने वाली कम्पनी में थी।
4. **बोनस अंशों की लागत [धारा 55(2)]** (Cost of Acquisition of Bonus Shares)—यदि किसी अंशधारी करदाता को वर्तमान में प्राप्त अंशों के परिणामस्वरूप बोनस अंशों की प्राप्ति होती है तो ऐसे बोनस अंशों की लागत शून्य मानी जाएगी। यदि बोनस अंश 01.04.2001 से पहले प्राप्त हुए हैं तो उनकी लागत 01.04.2001 को उचित बाजार मूल्य लिया जायेगा।
5. **बॉण्डों, ऋणपत्रों तथा जमा प्रमाण-पत्रों को अंशों या ऋण-पत्रों में बदलने पर प्राप्ति की लागत [धारा 49(2A)]** (Cost of Bonds, Debentures and Deposit Certificates Converted in Shares and Debentures)—यदि कोई करदाता अपने बॉण्ड्स, ऋणपत्र अथवा जमा प्रमाण-पत्रों को उसी कम्पनी के (जिससे ये क्रय किये हैं) अंशों या ऋणपत्रों में परिवर्तित करा लेता है तो प्राप्ति की लागत वही होगी जो उन बॉण्ड्स, ऋणपत्र या जमा प्रमाण-पत्रों की लागत थी।
6. **परिणामी कम्पनी में अंशों की लागत [धारा 49(2C)]** (Cost of Acquisition of Shares in Resulting Company)—परिणामी कम्पनी में अंशों की प्राप्ति की लागत करदाता द्वारा विभक्त (Demerged) कम्पनी में धारित अंशों की प्राप्ति की लागत वह आनुपातिक राशि होगी जो अविलयन या विभाजन में हस्तान्तरित सम्पत्तियों के शुद्ध पुस्तक मूल्य के विभाजन से तुरन्त पहले अविलयित कम्पनी के शुद्ध मूल्य के बराबर है। ऐसी राशि में से अविलयित कम्पनी के अंशधारी द्वारा धारित मूल्य के अंशों की लागत को घटा दिया जायेगा।

(ii) करदाता द्वारा अधिकार अंशों को क्रय करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है, तो प्राप्ति की ... शून्य मानी जायेगी।

(iii) यदि करदाता ने अपने अधिकार का प्रयोग करके अधिकार अंश या प्रतिभूतियाँ क्रय की हैं तो जो राशि ... में चुकायी गई है वही प्राप्ति की लागत होगी।

Example 10

श्री नितिन एक विनियोगकर्ता के पास एक कम्पनी के 2,000 समता अंश हैं कम्पनी ने उसे 1,000 समता अंश ... में रियायत दर पर 1 नवम्बर, 2018 को प्रस्तावित किये। उसने 15 नवम्बर, 2018 को अपना अधिकार ₹ 1,50,000 ... दिया। अधिकार अंशों के निर्गमन समता अंशों का बाजार मूल्य ₹ 400 प्रति अंश था और ऐसा निर्गमन होने के बाद ... घटकर ₹ 350 प्रति अंश हो गया। अधिकार त्यागने पर होने वाले लाभ की गणना कीजिए।

Mr. Nitin an investor, held 2,000 equity shares in a company. The company offered ... 1,000 new equity shares as right shares at a concessional price on 1 November, 2018 ... renounced his rights for ₹1,50,000 on 15 November, 2018. The market value of the eq... shares before the issue of right shares was ₹ 400 per share and after such issue it came do... ₹ 350 per share. Compute the amount of gain, if any on the reanounced of his rights.

Solution

Computation of Capital Gain

	₹
Amount received on Renouncing of Rights	1,50,...
Less : Cost of Acquisition of Rights	...
Short-term Capital Gain	1,50,...

Note : The Capital Gain is a short-term capital gain because it has arisen on account of transfer of righ... subscribe the new issues. Such rights was held by him for less than 12 months before transfer.

Example 11

मिस्टर हरि ने 1987-88 में ₹ 20 वाले 1,000 समता अंश ₹ 40 प्रति अंश की दर से खरीदे और ₹ 400 दलाली ... व्यय किये। मई, 1992 में उसे 100 बोनस अंश मिले। सितम्बर, 2018 में उसे 100 अधिकार अंश ₹ 20 प्रति अंश ... से मिले। उसने नवम्बर, 2018 में 100 बोनस अंश ₹ 90 प्रति अंश कर दर से बेच दिये तथा 100 अधिकार अंश दिसम्बर 2018 में ₹ 30 प्रति अंश की दर से बेच दिये। कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए पूँजी लाभ ज्ञात कीजिए। लागत स्फीति सूचकांक 2018-19 में 280 था।

Mr. Hari purchases 1,000 equity shares of ₹ 20 each for ₹ 40 per share in 1987-88 ... incures an expenditure of ₹ 400 on brokerage. In May 1992 he receives 100 bonus shares. ... September 2018. He gets 100 right shares for ₹ 20 each. He sold 100 bonus shares in November 2018 at ₹ 90 per share and 100 right shares @ ₹ 30 per share in December 2018. Find out the capital gain for the assessment year 2019-20. The cost inflation index for 2018-19 was 280.

Solution

Computation of Total Capital Gain

(for assessment year 2019-20)

	₹
Sale of proceeds of 100 Bonus Shares	9,0...
Less : Cost of 100 Bonus shares	NIL
Long-term Capital Gain	9,0...
Sale of proceeds of 100 right shares @ ₹ 30 each	3,0...
Less : Cost of 100 right shares @ ₹ 20 each	2,0...
Short-term Capital Gain	1,0...

Total Capital Gain = 9,000 + 1,000 = ₹ 10,000

8. **मुद्रा का अवमूल्यन होने पर लागत** (Cost of Acquisition in Devaluation of Rupee)—यदि करदाता ने सम्पत्ति विदेश से प्राप्त की है तथा भुगतान करने से पूर्व मुद्रा (भारतीय) का अवमूल्यन हो जाता है तो जितनी (बढ़ी हुई राशि सहित) राशि का भुगतान किया जाता है वही प्राप्ति की लागत होगी।

9. **कम्पनी के समापन पर लागत [धारा 55(2)(b)]** (Cost of Acquisition on Liquidation of Company)—कम्पनी के समापन पर प्राप्त होने वाली सम्पत्ति पर पूँजी लाभ कर-योग्य होंगे।
कम्पनी जिस दिन सम्पत्ति का वितरण करती है उस दिन सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य ही प्राप्ति की लागत होगा।

10. **ख्याति, ट्रेडमार्क अथवा ब्राण्ड नाम की लागत [धारा 55(2)(a)]** (Cost of Acquisition of Goodwill| Trademark or Brand)—
    (i) यदि करदाता द्वारा इन्हें क्रय किया गया है तो क्रय करने के लिये चुकाई गई राशि प्राप्ति की लागत होगी।
    (ii) अन्य किसी दशा में प्राप्ति की लागत शून्य मानी जाएगी।

11. **अग्रिम राशि जब्त करने की दशा में लागत [धारा 51]** (Cost of Acquisition in Cash of forfeited advance amount of Assessee)—यदि सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कुछ राशि अग्रिम में करदाता को प्राप्त हो गई थी किन्तु सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं हो सका हो तो ऐसी दशा में अग्रिम की राशि करदाता द्वारा जब्त कर ली जाती है तो अग्रिम की राशि को प्राप्ति की लागत या अपलिखित मूल्य या उचित बाजार मूल्य में से नहीं (वित्त सं. 2) घटाया जायेगा। इस सम्बन्ध में निम्न बातों को ध्यान में रखा जायेगा—
    (i) यदि जब्त की गई राशि अधिक है तो प्राप्ति की लागत शून्य होगी तथा शेष राशि पूँजीगत प्राप्ति होगी और कर-योग्य नहीं होगी।
    (ii) यदि अग्रिम धनराशि करदाता ने जब्त न की हो बल्कि पूर्व स्वामी ने जब्त की हो तो जब्त की गई राशि को नहीं घटाया जायेगा।
    (iii) क्रेता के लिये अग्रिम की जब्त राशि को पूँजी हानि नहीं माना जायेगा यदि क्रेता की त्रुटि से ही अग्रिम की राशि जब्त हुई हो।
    (iv) क्रेता के लिये अग्रिम की जब्त राशि को पूँजी लाभ माना जायेगा यदि विक्रेता की त्रुटि से ही अग्रिम राशि क्षति-पूर्ति की राशि के साथ क्रेता को प्राप्त हुई हो।

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 कर निर्धारण वर्ष 2015-16 से प्रभावी धारा 56(2)(ix)—

किसी पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए प्राप्त अग्रिम की राशि जब्त होने पर उसको लागत से कम नहीं किया जायेगा बल्कि उस राशि को अन्य साधनों की आय शीर्षक में शामिल किया जायेगा।

12. **अपलिखित होने वाली सम्पत्ति की लागत (धारा 50A)** (Cost of Acquisition in Depreciable Assets)—ऐसी दशा में सम्पत्ति की प्राप्ति की लागत सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य होगा।

    Cost of Acquisition of Assets = Written Down Value

13. **अपलिखित होने वाली सम्पत्तियों के समूह की लागत (धारा 50 (1) व (2))** (Cost of Acquisition of Depreciating Assets forming Part of Block of Assets)—ऐसी सम्पत्तियों के समूह की प्राप्ति की लागत निम्न होगी—
    (i) सम्पत्ति के समूह का गत वर्ष के प्रारम्भ में ह्रासित मूल्य एवं
    (ii) गत वर्ष में खरीदी गई इस समूह की सम्पत्तियों की वास्तविक लागत यदि गत वर्ष में इस समूह से कोई सम्पत्ति बेच दी गई है, तो उसे घटा दिया जाएगा।

14. **स्वैट समता अंशों की लागत [धारा 49 (2AB)]** (Cost of Acquisition of Sweat Equity Shares)—ऐसे अंशों की प्राप्त करने की लागत उनका उचित बाजार मूल्य होगा। सीमान्त लाभों (Fringe Benefits) पर अधिनियम की धारा 115WC (1)(ba) के अन्तर्गत कर को ज्ञात करने के लिए उचित बाजार मूल्य को ही आधार माना जाता है।

15. **अंश पूँजी को कम करने की दशा में सम्पत्ति की लागत** (Cost of Acquisition of Assets in case of decrease of Share Capital)—अंशधारी द्वारा जिस लागत पर अंशों को प्राप्त किया जाता है, सम्पत्ति की प्राप्ति लागत मानी जाती है।

16. कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को आबण्टित अंशों तथा ऋणपत्रों की लागत [धारा 49(2AA)] (Cost of Acquisition of Allotted Shares and Debentures to Employee of the Company)–ऐसे अंशों द्वारा ऋणपत्रों की प्राप्ति की लागत धारा 17(2) के अन्तर्गत किया गया मूल्यांकन होगी।

17. सूत्रधारी एवं सहायक कम्पनी में सम्पत्ति की लागत [धारा 49(3)] (Cost of Acquisition of Asset in Holding and Subsidiary Company)–यदि सूत्रधारी कम्पनी अपनी किसी सहायक कम्पनी (भारतीय) को कोई सम्पत्ति का हस्तान्तरण करती है या सहायक कम्पनी सूत्रधारी कम्पनी (भारतीय) को कोई सम्पत्ति हस्तान्तरित करती है तो जितनी राशि में वह सम्पत्ति प्राप्त की गई थी वही राशि सम्पत्ति की प्राप्ति लागत मानी...

18. एक अप्रैल, 1981 से पूर्व सम्पत्ति प्राप्त करने की दशा में सम्पत्ति प्राप्त करने की लागत [धारा 55(2)]–यदि करदाता ने किसी पूँजी सम्पत्ति को 1 अप्रैल, 1981 से पहले खरीदा है या प्राप्त किया है तो करदाता के विकल्प पर निम्न में से किसी एक लागत को सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत चुना जा सकता है–

(i) करदाता की सम्पत्ति की लागत अथवा

(ii) 1 अप्रैल, 1981 को सम्पत्ति का बाजार मूल्य।

19. पूर्व स्वामी की लागत को सम्पत्ति प्राप्त करने की लागत मानना [धारा 49(i)]–निम्न परिस्थितियों में प्राप्त सम्पत्तियों की लागत करदाता के लिए वही लागत होगी जिस लागत पर सम्पत्ति को उसके पूर्व स्वामी ने प्राप्त किया था। यद्यपि इस लागत में पूर्व स्वामी अथवा करदाता द्वारा किया हुआ सुधार व्यय जोड़ दिया जायेगा। वे परिस्थितियाँ जिनमें पूर्व स्वामी की लागत सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत मानी जाती है–

(i) भेंट अथवा वसीयत द्वारा प्राप्त सम्पत्ति।

(ii) उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त सम्पत्ति।

(iii) हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन पर प्राप्त सम्पत्ति।

(iv) कम्पनी के समापन पर प्राप्त सम्पत्ति।

(v) खण्डनीय या अखण्डनीय ट्रस्ट को हस्तान्तरण के अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति।

(vi) एकीकरण की योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरण के अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति।

20. आय घोषणा योजना, 2016 के अन्तर्गत घोषित सम्पत्ति की लागत [धारा 49(5)]–उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत घोषित सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कोई पूँजी लाभ होने पर तथा उस पर कर, जुर्माना तथा अधिभार का भुगतान किया गया है।

सम्पत्ति में सुधार अथवा वृद्धि करने की लागत
(COST OF IMPROVEMENT)

सुधार लागत वह लागत है जो करदाता द्वारा सम्पत्ति को प्राप्त करने या निर्माण करने के बाद, सम्पत्ति के लिये नवीनीकरण या सुधार करने के लिये व्यय की जाती है। **सम्पत्ति की मरम्मत पर किये गये व्यय को सुधार व्यय नहीं माना जाता है।** सुधार की लागत के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के निम्न प्रावधान हैं–

1. व्यापार की ख्याति अथवा वस्तु के निर्माण या किसी कारोबार या पेशा (वित्त अधिनियम, 2016) के अधिकार के सम्बन्ध में सुधार की लागत हमेशा शून्य मानी जाती है।

2. अन्य किसी सम्पत्ति की दशा में–1 अप्रैल, 2001 से पूर्व किये गये सुधार व्यय को सुधार की लागत नहीं माना जाता है अत: पूँजी लाभ की गणना करने में इसे ध्यान के लिए नहीं रखा जायेगा।

1 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद सम्पत्ति के सम्बन्ध में किये गये सुधार व्ययों को सुधार की लागत माना जाता है अर्थात् पूँजी लाभ की गणना करते समय इन्हें ध्यान में रखा जायेगा और इनके सम्बन्ध में कटौती दी जायेगी।

हस्तान्तरण व्यय (Expenses of Transfer)

यदि पूँजी सम्पत्ति का विक्रेता पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करते समय हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई व्यय करता है तो पूँजी लाभ की गणना करते समय ऐसे व्ययों को सम्पत्ति के विक्रय मूल्य में से घटा दिया जायेगा।

2. दलाली क्रय और विक्रय दोनों पर लगेगा।

(A) कर-मुक्त पूँजी लाभ

(EXEMPT CAPITAL GAINS)

धारा 10 के अन्तर्गत कर-मुक्त पूँजी लाभ

(Exempt Capital Gains Under Section 10)

1. **यूनिट्स US 64 के हस्तान्तरण से प्राप्त पूँजी लाभ** (Capital Gain on Transfer of Units US 64 Units)—भारतीय इकाई ट्रस्ट के US 64 के हस्तान्तरण पर गत वर्ष में प्राप्त पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा। चाहे अल्पकालीन हो अथवा दीर्घकालीन पूँजी लाभ।

2. **शहरी कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति से पूँजी लाभ [Sec. 10(37)]** (Capital Gain on Compensation received for Compulsory Acquisition of Urban Agricultural Land)—निम्न शर्तें पूरी होने पर ऐसा लाभ कर-मुक्त होगा—

(i) कृषि भूमि अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति हो।

(ii) हस्तान्तरण से पूर्व कम-से-कम 2 वर्षों में कृषि कार्यों में प्रयोग की गई हो।

(iii) क्षतिपूर्ति का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक ने किया हो।

(iv) कर-मुक्ति का लाभ व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को ही मिलेगा।

3. **समता अंशों या यूनिट्स के हस्तान्तरण पर प्राप्त दीर्घकालीन पूँजी लाभ [Sec. 10(38)]** (Long-term Capital Gain on transfer of Equity Share & Units)—निम्न शर्तें पूरी होने पर ऐसा लाभ कर-मुक्त होगा—

(i) ऐसे व्यवहारों पर प्रतिभूति लेन-देन कर लगता हो।

(ii) समता अंश या यूनिट्स स्कन्ध विपणि के माध्यम से बेचे गये हों।

(iii) ऐसा पूँजी लाभ 01-10-2004 के बाद प्राप्त किया हो।

(iv) ऐसी कर-मुक्ति समता अंशों या यूनिट्स पर ही मिलेगी।

4. पात्र समता अंशों (Eligible Equity Shares) पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ (long-term Capital Gain on Eligible Equity Shares)—कर-मुक्ति के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए—

(i) ऐसे अंशों को 01-03-2003 को या इसके बाद किन्तु 01-03-2004 से पहले खरीदा गया हो।

(ii) करदाता द्वारा इन्हें कम-से-कम 12 माह तक रखा गया हो।

(B) कर-मुक्त पूँजी लाभ
(EXEMPTED CAPITAL GAINS)

1. आवासीय अथवा रिहायशी मकान के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ (धारा 54) (Capital Gain on transfer of Residential House)—यदि व्यक्ति (Individual) या हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) करदाता ने किसी ऐसी मकान सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया है जो स्वयं के रहने में या किराये पर रहने के प्रयोग में हो एवं उसकी आय की गणना मकान सम्पत्ति से आय के शीर्षक में की जाती हो तो ऐसी मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ निम्न शर्तों के पूरा होने पर कर-मुक्त होगा—

(i) मकान के हस्तान्तरण की तिथि से 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष पश्चात् की अवधि में नया मकान खरीद लिया गया हो।

(ii) मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर नये मकान का निर्माण करा लिया गया हो।

(iii) ऐसी मकान सम्पत्ति को करदाता द्वारा 36 माह या उससे अधिक की अवधि के लिए रिहायशी मकान के रूप में अपने स्वामित्व में रखा गया हो।

पूँजी लाभ खाता योजना 1988 (Capital Gains Account Scheme 1988)—धारा 54(2) के अनुसार, यदि करदाता मकान सम्पत्ति पर होने वाले पूँजी लाभ को नया मकान खरीदने अथवा बनवाने में आय का नक्शा दाखिल करने की तिथि तक प्रयुक्त नहीं कर पाता है तो वह न प्रयुक्त होने वाली पूँजी लाभ की राशि को आय का नक्शा दाखिल करने की तिथि तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में जमा कर देगा। राष्ट्रीयकृत बैंक वह बैंक होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गयी होगी। करदाता इस राशि को ऐसी बैंक में पूँजी लाभ खाता योजना 1988 (Capital Gains Account Scheme 1988) के अन्तर्गत जमा करेगा। करदाता को यह राशि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नयी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए प्रयोग करनी होगी अन्यथा निर्धारित अवधि के बाद न प्रयोग की गई राशि को कर-योग्य पूँजी लाभ माना जायेगा।

कर-मुक्ति की राशि—(i) कर-मुक्ति की राशि नये मकान के खरीदने या बनवाने में प्रयुक्त राशि की सूचकांक लागत तथा पूँजी लाभ खाता योजना में जमा की गयी राशि के योग के बराबर होगी।

(ii) यदि पूँजी लाभ, नये मकान की लागत के बराबर या कम है, तो पूँजी लाभ पर कर नहीं लगेगा।

(iii) यदि पूँजी लाभ, नये मकान की लागत से अधिक है, तो पूँजी लाभ और नये मकान की लागत के अन्तर की राशि इस शीर्षक में कर योग्य होगी।

कर से छूट का रद्द होना—यदि नया रिहायशी मकान खरीदने की तिथि से अथवा निर्माण की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो धारा 54 के अन्तर्गत दी गयी छूट रद्द कर दी जायेगी और ऐसे हस्तान्तरण पर होने वाला लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ माना जायेगा जो कर-योग्य होगा।

Example 18

श्री सुदेश ने 1 मई, 2018 को अपना मकान ₹ 17,00,000 में बेच दिया। यह मकान उनके पिता ने 1960 में ₹ 50,000 में खरीदा था। श्री सुदेश को अपने पिता की मृत्यु पर उत्तराधिकार में यह मकान 1977-78 में प्राप्त हुआ था 01-04-2001 को उस मकान का उचित बाजार मूल्य ₹1,45,000 था। 1 दिसम्बर, 2018 को उसने ₹ 2,50,000 में एक अन्य मकान खरीद लिया। कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए पूँजी लाभ ज्ञात कीजिए।

लागत सूचकांक—2001-02—100; 2018-19–280। (सरगुजा, 2014)

Mr. Sudesh sold his house on 1st May, 2018 for ₹17,00,000. This house was purchased by his father in 1960 for ₹ 50,000. Mr Sudesh got this house in inheritance on the death of his father in 1977-78. On 01.04.2001 fair market value of this house was ₹ 1,45,000. On 1st December 2018 he purchased another house for ₹ 2,50,000. For the assessment year 2019-20 calculate his capital gains.

Cost inflation Index : 2001-02—100; 2018-19—280

Solution

Computation of Capital Gain of Mr. Sudesh

(For the assessment year 2019-20)

	₹
Sale Consideration	17,00,000
Less : Indexed Cost $\left[\frac{1,45,000 \times 280}{100}\right]$	4,06,000
Long-term Capital Gain	12,94,000
Less : Exemption U/S 54 (The cost of New House is ₹ 2,50,000 qualified for exemption but available Capital Gain is less than this amount. Hence total Capital Gain Will be Exempt)	2,50,000
Taxable Long-term Capital Gain	10,44,000

Example 19

श्री नरेश ने एक रिहायशी मकान सम्पत्ति 1975 में ₹ 1,50,000 में क्रय की। 01.04.2001 को सम्पत्ति का बाजार मूल्य ₹ 2,50,000 था।

	लागत	तिथि
सुधार की लागत एवं तिथि	₹ 30,000	20.04.1978
सुधार की लागत एवं तिथि	₹ 50,000	20.08.2001

श्री नरेश ने सम्पत्ति को 15.06.2018 को ₹ 40,00,000 में बेच दिया, विक्रय व्यय ₹ 1,00,000 हुए। उन्होंने 15.07.2018 को ₹ 3,00,000 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बॉण्ड में जमा किये। उन्होंने एक रिहायशी मकान ₹ 6,50,000 में क्रय किया। कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिये पूँजी लाभ ज्ञात कीजिए।

लागत सूचकांक—2001-02—100; 2018-19—280।

Mr. Naresh purchased residental house property in 1975 for ₹ 1,50,000. Fair market value of the house on 01.04.2001 was ₹ 2,50,000.

	Cost	Date
Cost and Date of Improvement	₹ 30,000	20.04.1978
Cost and Date of Improvement	₹ 50,000	20.08.2001

Mr. Naresh sold the property on 15.06.2018 for ₹ 40,00,000, selling expenses were ₹ 1,00,000. He invested ₹ 3,00,000 in National Agricultural and Rural Development Bonds on 15.07.2018 He purchased a residential house for ₹ 6,50,000. For the assessment year 2019-20. Calculate capital gains of Mr. Naresh . Cost inflation Index : 2001-02—100; 2018-19—280.

Solution :

Computation of Capital Gain of Mr. Naresh

(For the assessment year 2019-20)

	₹	₹
Sale Consideration		40,00,000
Less : Expenses of Transfer		1,00,000
		39,00,000
Less : Indexed Cost of House $\left[2,50,000 \times \frac{280}{100}\right]$	= 7,00,000	
Indexed Cost of Improvement $\left[50,000 \times \frac{280}{100}\right]$	= 1,40,000	8,40,000
Long-term Capital Gain		30,60,000
Less : Exemption u/s 54 Cost of new house ₹ 6,50,000.		6,50,000
Taxable Long-term Capital Gain		24,10,000

नोट—राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बॉण्ड में जमा पर कोई कटौती नहीं मिलती है।

2. कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ (धारा 54B) (Capital Gain on transfer of Agricultural Land)–निम्न शर्तें पूरी होने पर ऐसा पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा।

(i) ऐसी भूमि का प्रयोग हस्तान्तरण की तिथि से पहले 2 वर्षों तक कृषि कार्यों में होना चाहिए।

(ii) हस्तान्तरण की तिथि से 2 वर्षों बाद तक नई भूमि कृषि कार्यों के लिए खरीद ली गई हो।

(iii) यह छूट व्यक्ति तथा (हिन्दू अविभाजित परिवार) करदाता को ही मिलती है।

(iv) यह दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन पूँजी लाभ हो सकता है।

पूँजी लाभ खाता योजना 1988–यदि करदाता अपनी आय का विवरण (नक्शा) दाखिल करने की तिथि तक कृषि भूमि के हस्तान्तरण से होने वाले पूँजी लाभ की राशि को नयी कृषि भूमि के खरीदने में प्रयोग नहीं कर पाता है तो वह आय का नक्शा दाखिल करने की तिथि तक वह राशि पूँजी लाभ खाता योजना 1988 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कर देगा और इस धारा के अन्तर्गत छूट प्राप्त कर लेगा।

कर मुक्ति की राशि–धारा 54 की तरह समान रहेगी, केवल मकान के स्थान पर कृषि भूमि जुड़ जायेगी।

छूट का रद्द होना–यदि करदाता नई कृषि भूमि को खरीदने की तिथि के बाद 3 वर्ष के अन्दर हस्तान्तरण (विक्रय) कर देता है तो इस सम्बन्ध में उसे जो छूट पहले मिल चुकी है वह रद्द कर दी जायेगी और नई कृषि भूमि के विक्रय पर होने वाले लाभ को अल्पकालीन पूँजी लाभ मानकर उस पर कर लगाया जायेगा।

> धारा 54B की छूट तब दी जाती है जब ऐसी कृषि भूमि नगरपालिका की सीमाओं के अन्तर्गत आती है तथा वहाँ की जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक हो। यदि कृषि भूमि नगरपालिका से 8 किमी. दूर है या वहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम है तो ऐसी भूमि पर प्राप्त पूँजी लाभ पूर्णरूप से कर-मुक्त होगा।

3. औद्योगिक भूमि या भवन का अनिवार्य अधिग्रहण (धारा 54 D) (Compulsory Acquisition of Industrial Land or Building)–यदि किसी औद्योगिक भूमि या भवन का सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया जाता है तो निम्न शर्तें पूरी होने पर पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा–

(i) हस्तान्तरण अनिवार्य अधिग्रहण के अन्तर्गत हो।

(ii) ऐसे भूमि या भवन का प्रयोग 2 वर्षों पूर्व तक औद्योगिक उपक्रम में हो।

(iii) अधिग्रहण की तिथि से 3 वर्षों बाद तक उद्योग के लिए नई भूमि या भवन खरीद लिया हो।

(iv) नई खरीदी गई भूमि का प्रयोग या नए बनाये गये भवन का प्रयोग करदाता द्वारा नए औद्योगिक संस्थान के लिए किया गया हो या पुनर्स्थापित औद्योगिक संस्थान के लिए किया गया हो।

पूँजी लाभ खाता योजना 1988–यदि करदाता अपनी आय का विवरण दाखिल करने की तिथि तक औद्योगिक भूमि के अधिग्रहण से उत्पन्न पूँजी लाभ की राशि को नई औद्योगिक भूमि या भवन खरीदने में या बनवाने में प्रयोग नहीं कर पाता है तो वह आय का नक्शा दाखिल करने की तिथि तक वह राशि पूँजी लाभ खाता योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कर देगा और इस धारा के अन्तर्गत छूट प्राप्त कर लेगा।

छूट का रद्द होना–यदि करदाता नई औद्योगिक भूमि या भवन को खरीदने या बनवाने की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर हस्तान्तरण (विक्रय) कर देता है तो इस सम्बन्ध में उसे जो छूट पहले मिल चुकी है वह रद्द कर दी जायेगी और नई औद्योगिक भूमि या भवन के विक्रय पर होने वाले लाभ को अल्पकालीन पूँजी लाभ मानकर उस पर कर लगाया जायेगा।

कर मुक्ति की राशि–समान रहेगी, केवल मकान के स्थान पर औद्योगिक भूमि या भवन आयेगा।

4. दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्तियों पर पूँजी लाभ को कुछ निर्दिष्ट बॉण्ड्स में विनियोग करने पर कर-मुक्ति (धारा 54 EC) (Exemption of Capital Gains on Long-term Capital Assets on Investment in Certain Bonds)–निम्न शर्तें पूरी होने पर कर-मुक्त होगा–

(i) करदाता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या कोई अन्य व्यक्ति हो।

(ii) कर-मुक्ति की अधिकतम सीमा ₹ 50 लाख हो।

(iii) पूँजी लाभ हस्तान्तरण की तिथि से 6 माह के अन्दर दीर्घकालीन बॉण्ड्स में विनियोग किया जाना चाहिए।

(iv) ऐसा विनियोग 3 वर्ष या अधिक अवधि में शोधनीय बॉण्ड्स में किया जाना चाहिए–

(a) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India or NHAI)

(b) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (Rural Electrification Corporation Limited or REC)

यदि करदाता कोई धारा 54EC के अन्तर्गत कटौती प्राप्त कर लेता है तो धारा 80C की कटौती नहीं मिलेगी।

(v) यदि विनियोग की राशि पूँजी लाभ से अधिक है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा। किन्तु यदि विनि… राशि पूँजी लाभ से कम है तो यह छूट ₹ 50 लाख तक ही मिलेगी शेष पूँजी लाभ कर-योग्य होगा।

(vi) विनियोग की राशि जिन बॉण्ड्स में दी गई है वे बॉण्ड्स 3 वर्ष बाद या इससे अधिक अवधि में शोधनीय होने …

छूट का रद्द होना – यदि करदाता निर्दिष्ट बॉण्ड्स खरीदने की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर उन्हें हस्तान्तरित कर देता … मुद्रा में परिवर्तित कर लेगा तो जिस वर्ष ऐसा किया जायेगा उस वर्ष में उत्पन्न पूँजी लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ माना … और वह कर-योग्य होगा।

पूँजी सम्पत्तियों पर पूँजी लाभ को कुछ निर्दिष्ट सम्पत्तियों में विनियोग करने पर कर मुक्ति [धारा 54EE] (… कर निर्धारण वर्ष 2017-18)—निर्दिष्ट दीर्घकालीन सम्पत्ति = यूनिट या यूनिटें जो 1.04.2019 से पहले किसी निर्दिष्ट … द्वारा निर्गमित हुई हों, जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हों। (वित्त अधिनियम, 2016)

Example 22

श्री धर्मेश ने अपना स्वयं का रहने का मकान 30 अप्रैल, 2018 को ₹18,30,000 में बेच दिया। विक्रय … ₹ 30,000 हुए। इसे 1978 में ₹ 1,60,000 में प्राप्त किया था। उन्होंने जुलाई, 2018 में ₹ 3,00,000 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में विनियोग किये। ये विनियोग धारा 54EC के अन्तर्गत आते हैं। श्री धर्मेश ने ₹ 1,00,000 पूँजी लाभ … योजना 1988 के अन्तर्गत जमा किये। कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

लागत सूचकांक–2018-19 के 280 हैं।

Mr. Dharmesh sold his own residential house for ₹ 18,30,000 on 30th April, 2018. Selling expenses were ₹ 30,000. He acquired this house in 1978 for ₹ 1,60,000. He invested ₹ 3,00,000 in bonds of National Highway Authority of India in July 2018. This investment is under section 54EC. Mr. Dharmesh also deposited ₹ 1,00,000 under Capital Gains Account Scheme 1988. For the assessment year 2019-20 compute his capital gains.

Cost inflation index for the year 2018-19 was 280.

Solution :

Computation of Capital Gain of Mr. Dharmesh

(For the assessment year 2019-20)

		₹
Sale Consideration		18,30,0…
Less : Expenses of Transfer		30,0…
		18,00,0…
Less : Indexed Cost of Acquisition $\left[1,60,000 \times \frac{280}{100}\right]$		4,48,0…
Long-term Capital Gain		13,52,0…
Less : Exemption u/s 54 EC	3,00,000	
Capital Gains Account Scheme 1988	1,00,000	4,00,0…
Taxable Long-term Capital Gain		9,52,0…

Example 23

कु. प्रिया ने 15.12.2018 को एक मकान ₹16,00,000 में बेचा। यह मकान उन्होंने 1980 में ₹1,00,000 में बनवाया था जिसका प्रयोग स्वयं रहने के लिये किया जा रहा था।

इसके अलावा उनके पास दो अन्य मकान हैं। उन्होंने 1 मार्च, 2019 को ₹ 4,00,000 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बॉण्ड्स में विनियोग किये। निर्माण के बाद मकान के सुधार पर 1995-96 में ₹ 10,000 व्यय किये। मकान के विक्रय पर 2% दलाली तथा ₹ 10,000 अन्य व्यय हुआ। 01.04.2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य ₹ 60,000 था।

कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर-योग्य पूँजी लाभ ज्ञात कीजिए।

लागत सूचकांक 2001-02 तथा 2018-19 के 100 तथा 280 क्रमश: थे।

Ms. Priya sold a house on 15.12.2018 for ₹ 16,00,000. She got this house constructed in 1980 for ₹ 1,00,000 and was using this house as her own residence.

She has two other houses apart from this. She invested ₹ 4,00,000 in the bonds of National Highway Authority of India on 1st March, 2019. After construction of the house ₹ 10,000 were spent on its improvement in 1995-96. On sale of the house brokerage was 2% and other expenses were of ₹ 10,000. Fair Market Value of the house on 01.04.2001 was ₹ 60,000.

For the assessment year 2019-20 compute taxable capital gains of Ms. Priya. Cost inflation index for the year 2001-02 and 2018-19 were 100 and 280 respectively.

Solution :

Computation of Capital Gain of Ms. Priya

(For the assessment year 2019-20)

		₹
Sale Consideration		16,00,000
Less : Expenses of Transfer	₹	
Brokerage 2%	32,000	
Other Expenses	10,000	42,000
Net Sale Proceeds		15,58,000
Less : (i) Indexed Cost of Acquisition $\left[1,00,000 \times \frac{280}{100}\right]$	2,80,000	
(ii) Indexed Cost of Improvement $\left[10,000 \times \frac{280}{100}\right]$	28,000	3,08,000
Long-term Capital Gain		12,50,000
Less : Exemption U/S 54 EC		
Investment in NHAI Bonds		4,00,000
Taxable Long-term Capital Gain		8,50,000

5. रिहायशी मकान के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ यदि विक्रय प्रतिफल की राशि को नये रिहायशी मकान के खरीदने या बनवाने में विनियोजित किया गया हो (Capital gain on certain other assets except residential house if sale consideration amount is invested in purchasing or constructing a new residential house) (धारा 54F)–निम्न शर्तों के पूरा होने पर कर-मुक्ति दी जायेगी–

(i) व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा सम्पत्ति का हस्तान्तरण होना चाहिए।

(ii) हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति दीर्घकालीन हो।

(iii) हस्तान्तरित सम्पत्ति आवासीय मकान या रिहायशी मकान नहीं होना चाहिए।

(iv) करदाता के पास एक से अधिक मकान नहीं होने चाहिए।

(v) सम्पत्ति के हस्तान्तरण से 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद तक नया मकान खरीद लेना चाहिए। अथवा

(vi) सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि से 3 वर्षों के अन्दर नया रिहायशी मकान बनवा लेना चाहिए।

पूँजी लाभ की कर-मुक्त राशि

(i) यदि नई मकान सम्पत्ति की लागत पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल के बराबर अथवा उससे अधिक हो तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा।

(ii) यदि नई मकान सम्पत्ति की लागत पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल से कम हो तो आनुपातिक
पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा जिसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जायेगा–

$$\text{सूत्र– आनुपातिक पूँजी लाभ} = \frac{\text{नये मकान की लागत} \times \text{दीर्घकालीन पूँजी लाभ}}{\text{शुद्ध प्रतिफल}}$$

पूँजी लाभ खाता योजना 1988–यदि करदाता अपनी आय का विवरण दाखिल करने की तिथि तक दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति से प्राप्त विक्रय राशि को नये रिहायशी मकान के खरीदने या बनवाने में प्रयोग नहीं कर पाता है तो वह आय नक्शा दाखिल करने की तिथि तक वह राशि पूँजी लाभ खाता योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कर देगा और धारा के अन्तर्गत छूट प्राप्त कर लेगा। यदि जमा की गई राशि जमा करने की तिथि के बाद 3 वर्ष की अवधि में नये मकान के खरीदने या बनवाने में प्रयोग नहीं की जाती है तो ऐसी राशि उस गत वर्ष का कर-योग्य पूँजी लाभ मानी जायेगी। जिस वर्ष में 3 वर्ष पूरे होते हैं। इस दशा में करदाता उक्त राशि को आहरित कर सकेगा।

छूट का रद्द होना–यदि करदाता हस्तान्तरण की तिथि से दो वर्ष की अवधि में एक और अन्य रिहायशी मकान खरीद लेता है अथवा 3 वर्ष की अवधि में एक और अन्य रिहायशी मकान बनवा लेता है तो इस धारा के अन्तर्गत प्राप्त छूट रद्द कर दी जायेगी और इस राशि को दीर्घकालीन पूँजी लाभ माना जायेगा जो कर-योग्य होगा।

नई सम्पत्ति खरीदने की तारीख से तीन वर्ष तक हस्तान्तरित या बेची नहीं जानी चाहिए अन्यथा पूँजी लाभ की राशि जो पहले छूट के रूप में स्वीकृत हुई है उस वर्ष कर अल्पकालीन पूँजी लाभ माना जायेगा जिस वर्ष में यह नयी सम्पत्ति हस्तान्तरित की गयी है या बेची गई है।

Example 24

डॉ. डी. पी. सिंह ने 01.10.2018 को कुछ आभूषण ₹11,50,000 में बेचे तथा हस्तान्तरण के खर्चे ₹ 20,000 हुए। ये आभूषण इन्होंने 1987-88 में ₹ 1,50,000 में खरीदे थे। इन्होंने रहने का एक मकान 01.12.2018 को ₹ 3,00,000 में खरीदा। इनके पास रहने का कोई अन्य मकान नहीं है। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर-योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए। लागत सूचकांक–2001-02 तथा 2018-19 के 100 तथा 280 क्रमशः थे।

Dr. D. P. Singh sold some ornaments on 01.10.2018 for ₹ 11,50,000. Transfer expenses were ₹ 20,000. He purchased there ornaments in 1987-88 for ₹ 1,50,000. He purchased a residential house on 01.12.2018 for ₹ 3,00,000. He does not have any other residential house. For the assessment year 2019-20 compute capital gain of Dr. D. P. Singh. Cost inflation index for the year 2001-02 and 2018-19 were 100 and 280 respectively.

Solution : **Computation of Capital Gain Mr. D. P. Singh**

(For the assessment year 2019-20)

	₹
Sale Consideration	11,50,00
Less : Expenses on Transfer	20,00
Net Sale Proceeds	11,30,00
Less : Indexed Cost of Acquisition $\left[1,50,000 \times \frac{280}{100}\right]$	4,20,00
Long-term Capital Gain	7,10,00
Less : Exemption U/S 54F $\left[\frac{7,10,000 \times 3,00,000}{11,30,000}\right]$	1,88,4
Taxable Long-term Capital Gain	5,21,5

Example 25

हरिओम ने अपनी दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति जुलाई, 2018 में ₹ 14,00,000 में बेच दी। इसे जून 2001 में ₹ 90,000 में खरीदा गया था। 1 अगस्त, 2018 को इन्होंने 3 वर्षों बाद NHAI शोधनीय बॉण्ड ₹ 3,50,000 एवं पूँजी के भाग वाले समता अंश ₹ 2,00,000 में क्रय किये। इन्होंने एक नया आवासीय मकान ₹ 2,00,000 में खरीदा। वह किसी अन्य रिहायशी मकान का स्वामी नहीं है। कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए। 2018-19 का लागत मूल्य सूचकांक 280 थे।

Mr. Hariom sold his long-term capital asset in July, 2018 for ₹ 14,00,000. It was purchased in June 2001 for ₹ 90,000. On 1st August, 2018 he invested ₹ 3,50,000 in bonds of NHAI redeemable after 3 years and purchased equity shares for ₹ 2,00,000. He purchased a new house for ₹ 2,00,000. He does not own any other residential house. Calculate his capital gains for the assessment year 2019-20. Cost inflation index for the year 2018-19 was 280.

Solution : **Computation of Capital Gain of Mr. Hariom**

(For the assessment year 2019-20)

	₹	₹
Sale Consideration		14,00,000
Less : Indexed Cost of acquisition $\left[90,000 \times \frac{280}{100}\right]$		2,52,000
Long-term Capital Gain		11,48,000
Less : Exemption u/s 54 EC	3,50,000	
Exemption u/s 54 F $\left[\frac{2,00,000 \times 11,48,000}{14,00,000}\right]$	1,64,000	5,14,000
Taxable Long-term Capital Gain		6,34,000

6. उद्योग को शहरी क्षेत्र से हटाने पर पूँजी लाभ (धारा 54 G) (Exemption of Capital Gains on Transfer or Assets due to Shifting of Industries form Urban Area to Rural or Non-urban Area)–

निम्न शर्तों के पूरा होने पर कर-मुक्त होगा–

(i) हस्तान्तरण की तिथि से 1 वर्ष पहले तथा 3 वर्ष बाद तक उद्योग के लिए नई मशीन,संयन्त्र, भूमि, भवन का क्रय अथवा निर्माण पर व्यय अथवा पुरानी सम्पत्तियों एवं कार्यालयों को नये क्षेत्र में ले जाने पर व्यय या कोई अन्य व्यय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट हो।

(ii) सम्पत्तियों को स्थानान्तरित करने पर होने वाले व्यय।

(iii) खरीदी गई सम्पत्तियाँ 3 वर्षों बाद तक हस्तान्तरित न हों।

(iv) औद्योगिक संस्थान को शहरी क्षेत्र में से गैर-शहरी क्षेत्र में ले जाया गया हो।

(v) इस धारा के अन्तर्गत दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन लाभ दोनों ही कर मुक्त हैं।

(vi) इसका लाभ सभी करदाता को मिलता है।

(vii) धारा 54G के अन्तर्गत फर्नीचर के हस्तान्तरण तथा उसके क्रय पर छूट नहीं मिलेगी।

छूट की राशि–इस धारा के अन्तर्गत कर में छूट की राशि निम्न प्रकार निर्धारित होगी–

ऐसे हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ उस राशि तक ही कर-मुक्त होगा जिस राशि को उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है शेष पूँजी लाभ कर-योग्य माना जायेगा। यदि सम्पूर्ण पूँजी लाभ उक्त उद्देश्यों के लिए प्रयोग हो जाए तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा।

पूँजी लाभ खाता योजना, 1988–यदि पूँजी लाभ की सम्पूर्ण राशि उपरोक्त उद्देश्यों के लिए आय का विवरण दाखिल करने की तिथि तक प्रयोग नहीं की जा सके तो आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि तक न प्रयोग हुई राशि पूँजी लाभ खाता योजना, 1988 में जमा कर दी जानी चाहिए तभी सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा।

छूट का रद्द होना–यदि नई सम्पत्ति क्रय करने तथा निर्माण करने के बाद 3 वर्ष की अवधि के अन्दर हस्तान्तरित कर दी जाती है तो स्वीकृत छूट रद्द की दी जायेगी और इसे अल्पकालीन पूँजी लाभ मानकर कर लगाया जायेगा।

यदि पूँजी लाभ खाता योजना 1988 में जमा की गई राशि निश्चित समय के अन्दर उपरोक्त उद्देश्यों में प्रयोग नहीं की जाती है तो निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर यह राशि कर-योग्य पूँजी लाभ मानी जायेगी। करदाता को इस राशि को आहरित करने का अधिकार होगा।

Example 26

एक करदाता ने अपना उद्योग गैर-शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किया। उसने गत वर्ष में निम्न सम्पत्तियाँ खरीदीं एवं बेचीं–

	संयन्त्र एवं मशीन	भवन
	₹	₹
01.04.2018 को ह्रासित मूल्य	12,00,000	15,00,000
विक्रय राशि	18,00,000	40,00,000
गैर-शहरी क्षेत्र में नई सम्पत्तियों की लागत	20,00,000	7,00,000

[illegible] सम्पत्तियों के लाने-ले-जाने पर ₹ 1,00,000 व्यय हुआ। कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए पूँजी [illegible] कीजिए।

An assessee transferred his industry to non-urban area. He purchased and sold follo[wing] capital assets in the previous year.

	Plant and Machine	Buildi[ng]
	₹	
Depreciated Value on 01.04.2018	12,00,000	
Sale Amount	18,00,000	15,00
Cost of New Assets in Non-Urban Area	20,00,000	40,00
		7,00

Shifting and other expenses for taking assets to the new place were ₹ 1,00,000
Calculate Capital gains for the assessment year 2019-20.

Solution :

Computation of Capital Gain

(For the assessment year 2019-20)

		Plant and Machine	Buildi[ng]
		₹	₹
Sale Consideration		18,00,000	40,00
Less : W.D.V.		12,00,000	15,00
Short-term Capital Gain		6,00,000	25,00
Total Short-term Capital Gain (6,00,000 + 25,00,000)			31,00
Less : Exemption U/S 54G	₹		
Cost of New Plant and Machine (20,00,000 + 7,00,000)	27,00,000		
Expenses	1,00,000		28,00
Total Taxable Short-term Capital Gain			3,00

7. उद्योग को शहरी क्षेत्र से स्थानान्तरित करके कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने पर पूँजी लाभ (धारा 54 GA) (Exemption of Capital Gains on Transfer of Assets due to Shifting of Industrial Undertaking from Urban Area to a Special Economic Zone)–किसी औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्र से हटाकर किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करने पर अल्पकालीन/दीर्घकालीन पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा।

(i) ऐसे पूँजी लाभ की कर-मुक्ति (व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म आदि) सभी करदाताओं के लिए होगी।

(ii) ऐसे पूँजी लाभ का प्रयोग हस्तान्तरण की तिथि से 1 वर्ष पहले तथा 3 वर्ष पश्चात् तक किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिये प्रयोग होना आवश्यक है। ऐसे पूँजी लाभ को मशीन, संयन्त्र, भूमि या भवन खरीदने या भवन बनाने अथवा पुरानी सम्पत्तियों के स्थानान्तरण एवं स्थापन पर किया गया व्यय, या अन्य कोई व्यय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट हो।

(iii) पूँजी लाभ अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन होना चाहिए।

(iv) हस्तान्तरित होने वाली सम्पत्तियों में फर्नीचर एवं फिटिंग्स को शामिल नहीं किया जाएगा।

(v) विशिष्ट क्षेत्र से आशय किसी शहरी क्षेत्र या अन्य किसी क्षेत्र से है।

(vi) करदाता अपनी दीर्घकालीन या अल्पकालीन (फर्नीचर एवं फिक्चर्स को छोड़कर) पूँजी सम्पत्तियों का प्रयोग शहरी क्षेत्र में स्थित उपक्रम में कर रहा हो।

(vii) यदि पूँजी लाभ की राशि सम्पत्तियों के हस्तान्तरण या व्ययों की राशि से कम है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा

8. रिहायशी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर छूट (Exemption for long-term Capital Gain on Transfer of Residential House Property) : [w.e.f. A.Y. 2013-14 (धारा 54 GB)]

इस धारा के अन्तर्गत यह छूट एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को प्राप्त होगी जिसने दीर्घकालीन रिहायशी मकान या प्लॉट गत वर्ष में हस्तान्तरित किया है और उस पर पूँजी लाभ अर्जित किया है।

छूट के लिए आवश्यक शर्तें–

(i) करदाता ने धारा 139 (1) के अन्तर्गत आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि तक हस्तान्तरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल को मान्य कम्पनी के साधारण अंशों में विनियोजित किया हो।

(ii) विनियोग की तिथि से एक वर्ष में नई प्लाण्ट एवं मशीन कम्पनी द्वारा खरीद ली गयी हो।

(iii) यदि कम्पनी करदाता के आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि तक सम्पूर्ण राशि नई मशीन या प्लाण्ट खरीदने में व्यय नहीं कर पाती है तो यह राशि बैंक में अधिसूचित स्कीम में जमा कर दी हो।

(iv) करदाता ने उक्त राशि जमा करने का प्रमाण-पत्र अपने आय के विवरण के साथ जमा कर दिया हो।

छूट का रद्द होना

(i) यदि अधिसूचित योजना में जमा राशि 1 वर्ष की अवधि में नई मशीन या प्लाण्ट खरीदने में प्रयोग नहीं की जाती है तो आनुपातिक पूँजी लाभ उस वर्ष का कर-योग्य पूँजी लाभ माना जायेगा जिस वर्ष में 1 वर्ष की अवधि समाप्त होती है।

(ii) यदि करदाता अपने द्वारा खरीदे गये अंश या कम्पनी अपने द्वारा खरीदी गई मशीन या प्लाण्ट को खरीदने की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर बेच देते हैं या अन्य किसी प्रकार हस्तान्तरित कर देते हैं तो रिहायशी सम्पत्ति पर तो कर-मुक्त पूँजी लाभ उस गत वर्ष का कर-योग्य पूँजी लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में ऐसा हस्तान्तरण किया गया है।

(iii) यदि SME (Small or Medium Enterprise) कम्पनी नयी प्लाण्ट और मशीनरी को उसके खरीदने की तिथि से पाँच वर्ष के अन्दर हस्तान्तरित कर देती है या विक्रय कर देती है।

(iv) **इस धारा के प्रावधान उन रिहायशी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर लागू नहीं होंगे जिनका हस्तान्तरण 31.3.2017 के बाद हुआ है। (परन्तु, यदि विनियोग किसी मान्य स्टार्ट अप में किया है, तो कर मुक्ति की सीमा 31.3.2017 के स्थान पर 31.3.2019 तक होगी।) (वित्त अधिनियम, 2016)**

9. पूँजी लाभ से नई सम्पत्ति को खरीदने अथवा पूँजी लाभ की राशि को जमा करने या विनियोग करने की अवधि सीमा में वृद्धि (Extension of Time for Acquiring new Assets or Depositing or Investing the Amount of Capital Gain) **[Section 54 (H)]**

यदि किसी पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण किसी अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य अधिग्रहण से हुआ है तथा क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान हस्तान्तरण की तिथि को प्राप्त नहीं हुआ है तो धारा 54, 54B, 54D, 54EC एवं 54F के अन्तर्गत प्राप्त पूँजी लाभ की राशि से नई सम्पत्तियाँ खरीदने अथवा पूँजी लाभ की राशि को जमा या विनियोजित करने की अवधि को बढ़ा दिया जायेगा। इस अवधि की गणना उस तिथि से की जायेगी जिस तिथि को करदाता क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करता है।

विविध उदाहरण

Example 27

श्री अनुराग जिनकी सम्पूर्ण कटौतियों के बाद वेतन की आय ₹ 60,000 है इनके निम्नलिखित पूँजी लाभ भी हैं–

1. भूमि जो 1950 में ₹ 90,000 में क्रय की थी, 1 जुलाई, 2018 को इन्होंने ₹ 14 लाख में बेच दी।
2. आभूषण 1970 में ₹ 4 लाख में बनवाये और इन्हें 10 अगस्त, 2018 को इन्होंने ₹ 36 लाख में बेच दिया।
3. अप्रैल, 1982 में ₹ 2,50,000 के अंश खरीदे, और अप्रैल, 2018 में ₹ 17 लाख में बेच दिये।
4. 01.04.2001 को भूमि का उचित बाजार मूल्य ₹ 1,20,000 तथा आभूषणों का ₹ 8,50,000 था।

कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिये इनकी सकल कुल आय ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य सूचकांक : 2001-02–100, 2018-19—280।

Mr. Anurag whose income from salaries after all deductions is ₹ 60,000, also has following capital gains.

1. Sold land on 1st July, 2018 for ₹14 Lakh which was purchased in 1950 for ₹ 90,000

13

अन्य साधनों से आय

INCOME FROM OTHER SOURCES

प्रस्तावना (Introduction)

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पाँचवाँ शीर्षक अन्य साधनों से आय है। अधिनियम की 56 से 59 तक की धाराएँ आय के इसी शीर्षक से सम्बन्धित हैं। आय का कोई स्रोत जो आय के प्रथम चार शीर्षक में से किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से नहीं आता हो, ऐसी आय की गणना धारा 56 के अन्तर्गत 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य होगी।

लेखा पद्धति (Method of Accounting)—धारा 145 के अनुसार इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय करदाता द्वारा प्रयुक्त लेखा पद्धति के अनुसार गणित होगी।

1. स्रोत वाणिज्यिक पद्धति पर रखे जाने पर—आय की गणना नियत आधार पर।
2. खाते रोकड़ पद्धति पर रखे जाने पर—आय की गणना प्राप्ति के आधार पर।

अर्थ
(MEANING)

अन्य साधनों से आय का अभिप्राय ऐसे शीर्षक से है जिसमें 'वेतन से आय', 'मकान सम्पत्ति से आय', 'व्यवसाय एवं पेशे से आय', तथा 'पूँजी लाभ', शीर्षक से प्राप्त आय शामिल नहीं है। अर्थात् इन चारों शीर्षकों के अलावा करदाता द्वारा कमाई गई आयों को अन्य साधनों की आय में शामिल किया जाता है। किन्तु इसके लिये यह आवश्यक है कि जो आयें अन्य साधनों की आय शीर्षक में शामिल की गई हैं, वे आयें आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर-मुक्त नहीं होनी चाहिए।

धारा 56 (1) के अनुसार, "धारा 14 में उल्लेख की गईं आयें जो प्रथम चार शीर्षकों में कर-योग्य नहीं हैं वे आयें और जो कर-योग्य होंगी अन्य साधनों की आय में शामिल की जायेंगी। ऐसी आयों को करदाता की कुल आय में शामिल किया जाता है।"

धारा 56 (2) के अनुसार, अन्य साधनों की आय शीर्षक में शामिल होने वाली कुछ आयें—

1. लाभांश [(घरेलू कम्पनी (भारतीय), यू.टी.आई. से प्राप्त लाभांश वर्ष 2004-05 से कर-मुक्त होगा]
2. आकस्मिक आयें—लॉटरी से आय, घुड़दौड़ से आय, ताश, जुआ-शर्त, दौड़, वर्ग पहेलियों आदि से आय।
3. प्रतिभूतियों पर ब्याज जो व्यापार एवं पेशे में कर-योग्य न हो।
4. प्रोविडेन्ट फण्ड में अंशदान, सुपर एनुऐशन फण्ड में अंशदान, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किसी फण्ड में अंशदान, जो व्यापार एवं पेशे में कर योग्य न हो।
5. राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र VIII के क्रय पर प्राप्त होने वाला ब्याज।
6. राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के ब्याज को पुनर्निवेश करने से प्राप्त व्यय।
7. सहकारी समिति की प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाला ब्याज।
8. बैंक में स्थायी अथवा बचत खाते पर ब्याज, ऋण पर प्राप्त ब्याज आदि।
9. विदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज।
10. किसी परीक्षा के परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक।
11. अधिकार शुल्क से आय।
12. पेशेवर व्यक्ति को परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक।

...के लिए दिन से आय।

14. अंशों को बिकवाने के प्रतिफल में प्राप्त कमीशन।
15. संचालकों को प्राप्त शुल्क, भत्ते या अन्य कोई पारिश्रमिक, निदेशक की फीस।
16. अस्पष्ट अथवा अप्रदर्शित विनियोगों से आय।
17. लेख लिखने से प्राप्त आय।
18. संसद सदस्य या विधायक का वेतन। (जबकि इनको प्राप्त दैनिक भत्ते कर मुक्त होते हैं।)
19. विदेश में स्थित कृषि भूमि से आय।
20. मकान सम्पत्ति को पुनर्किराये पर उठाने से हुई आय।
21. प्रमाणित अथवा अप्रमाणित प्रोविडेन्ट फण्ड पर प्राप्त ब्याज।
22. संचालकों को कम्पनी के अंशों पर मिलने वाला कमीशन।
23. राष्ट्रीय बचत योजना में जमा की गई राशि को निकालने पर प्राप्त मूलधन एवं ब्याज।
24. पट्टे पर रखी गई सम्पत्ति से आय।
25. बीमा कमीशन (यह व्यापार एवं पेशे में कर-योग्य नहीं होना चाहिए)।
26. ट्रेड मार्क को किराये पर देने से आय।
27. अनुबन्ध, ट्रस्ट या वसीयत के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिकी इसमें कर्मचारी को नियोक्ता से मिलने वाली वार्षिकी शामिल नहीं होगी।
28. मशीन, संयन्त्र, एवं फर्नीचर को किराये पर देने से आय, ऐसी आय व्यापार एवं पेशे में कर-योग्य न हो।
29. मछली बाजार से आय।
30. प्राइवेट कर्मचारी की मृत्यु पर उसके वैध उत्तराधिकारी को प्राप्त ग्रेच्यूइटी ऐसी राशि कर-मुक्त राशि से अधिक होनी चाहिए।
31. आयकर में जमा की गई राशि वापस मिलने पर प्राप्त ब्याज।
32. अग्रिम में दिये गये आयकर के भुगतान पर प्राप्त होने वाला ब्याज।
33. संचालकों को प्राप्त ग्रेच्युइटी की रकम (किन्तु संचालक कम्पनी का कर्मचारी नहीं होना चाहिए)।
34. बंजर भूमि से आय।
35. दौड़ आयोजन से प्राप्त आय।
36. करदाता की कुल आय में जोड़ी जाने वाली आय जो उसे अपने मालिक के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुई हो।
37. सम्पूर्ण व्यापार को किराये पर उठाने से हुई आय।
38. यदि कीमैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त रकम वेतन से आय अथवा व्यवसाय एवं पेशे से आय में कर योग्य नहीं है तो इस शीर्षक में कर-योग्य होगी।
39. क्रिकेट खिलाड़ियों की आय (भारतीय टीम में चुने जाने पर)
    (i) भारत में खेले जाने वाले टेस्ट मैचों के लिये BCCI (भारतीय क्रिकेट कण्ट्रोल बोर्ड) से प्राप्त रकम का 25% कर योग्य होगा।
    (ii) भारत में खेले गये अन्य मैचों के लिए आय कर-योग्य नहीं होगी।
    (iii) भारत के बाहर खेले गये मैचों से प्राप्त होने वाली आय का 50% कर-योग्य होगा।
40. किसी भी निजी संस्था (भारतीय या विदेशी) द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाला ब्याज।
41. कम्पनी द्वारा किसी सदस्य को स्वैच्छिक भुगतान, जिसका कम्पनी में सारवान हित है।
42. अग्रिम की जब्त राशि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 (के संशोधन द्वारा)।

कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से संशोधन—

(1) जब अचल सम्पत्ति प्रतिफल देकर प्राप्त की जाती है और इसका स्टाम्प ड्यूटी के लिए मूल्य प्रतिफल के मूल्य निम्न से अधिक है तब इसे आय में शामिल किया जायेगा—
   (a) ₹ 50,000 से अधिक या
   (b) प्रतिफल का 5%
   } जो भी अधिक हो

(2) नौकरी से निकाले जाने या सेवा शर्तों में परिवर्तन के कारण प्राप्त या प्राप्य क्षतिपूर्ति की राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल की जायेगी।

43. होटल के बैरा (waiter) या टैक्सी चालक को प्राप्त बक्शीश (Tips) जो नियोक्ता से न मिली हो।

व्याख्या—
1. यदि स्थायी जमा पर ब्याज प्राप्त करने के लिए कोई ऋण पर ब्याज चुकाया गया है तो दोनों ब्याजों के अन्तर को शुद्ध आय माना जाता है।
2. आयकर वापसी की रकम कटौती के लिए अस्वीकृत होती है।

प्रमुख आयों का स्पष्टीकरण
(DESCRIPTION OF IMPORTANT INCOMES)

(I) लाभांश [धारा 2(22)]
(DIVIDEND)

साधारण भाषा में लाभांश का अर्थ लाभों का एक हिस्सा होता है। लाभांश अंशधारियों को उनके अंशों के अनुपात में मिलता है। लाभांश की राशि कम्पनी अपने गत वर्ष अथवा चालू वर्ष के लाभों में से बाँटती है, यदि लाभांश अंशों के रूप में बाँटा जाता है तो उसे बोनस अंश कहते हैं।

लाभांशों का कर-निर्धारण (Taxation of Dividends) [धारा 2(22)]

लाभांश तीन प्रकार का होता है—
1. भारतीय कम्पनी अथवा घरेलू कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश।
2. विदेशी कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश।
3. यू.टी.आई. (UTI) या अन्य कोई आय।

लाभांशों को कुल आय में शामिल करने के लिए धारा 8 के निम्नलिखित प्रावधान हैं—
1. **अन्तिम लाभांश या सामान्य (वार्षिक) लाभांश**—इस लाभांश को उस वर्ष की कर-मुक्त आय माना जायेगा जिस वर्ष में इसे घोषित अथवा बाँटा गया हो। ऐसे लाभांश की घोषणा कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में की जाती है।
2. **माना गया लाभांश**—उस वर्ष के लिए कर-मुक्त होगा जिस वर्ष इसे बाँटा या वितरित किया जाता है।
3. **अन्तरिम लाभांश**—ऐसा लाभांश वर्ष के बीच में ही (वार्षिक साधारण सभा से पहले) घोषित किया जाता है। अन्तरिम लाभांश को गत वर्ष की आय समझा जाता है।
4. **विदेशी कम्पनियों के लाभांश**—ऐसा लाभांश कर-योग्य आय में शामिल होता है यदि कोई विदेशी कम्पनी इस पर T.D.S. काट लेती है तो ऐसी राशि को कर-योग्य आय में शामिल नहीं किया जायेगा।

लाभांश के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु (Important points related to dividend)
1. **अंकित मूल्य पर लाभांश मिलना**—अंशधारियों को लाभांश अंकित मूल्य पर चुकाया जाता है।
2. **लाभांश के विभिन्न रूप**—यह आवश्यक नहीं है कि कम्पनी नकदी में ही लाभांश का भुगतान करे। कम्पनी लाभांश के लिए प्रतिभूति, अंश या अन्य वस्तु का भुगतान कर सकती है।
3. **गत वर्ष का निर्धारण**—लाभांश उस गत वर्ष की आय माना जाता है जिस वर्ष में इसे घोषित या वितरित किया गया हो।

भुगतान जो लाभांश में शामिल माने जाते हैं (Payments considered included in dividend)
1. अंशधारियों को किया गया कोई वितरण, जिससे कम्पनी की सम्पत्तियाँ कम हो जायें।
2. अंशधारियों को दिये गये बोनस अंश एकत्रित लाभों की सीमा तक तथा अंशधारियों को वितरित किये गये ऋणपत्र ऋणपत्र स्टॉक तथा डिपॉजिट सर्टीफिकेट।
3. अंश पूँजी की कटौती के रूप में किया गया कोई वितरण।
4. अंशधारियों को दिया गया कोई वितरण, जो समापन से पहले के एकत्रित लाभों की सीमा तक हो।

जिस अंशधारी का नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित है वही अंशधारी लाभांश पर आयकर चुकाता है।

लाभांश की आय में से व्यय के लिये कटौती धारा 57(i) और 57(iii)—धारा 115-O के अतिरिक्त सभी सव लाभांश आय में से निम्न कटौती दी जा सकती है—
1. वसूली व्यय, 2. ऋण पर ब्याज।

नोट– यदि लाभांश कर मुक्त है तो किसी भी खर्चे की छूट नहीं मिलेगी।

जो लाभांश धारा 2(22)a, 2(22)b, 2(22)c, एवम् 2(22)d के अन्तर्गत आते हैं। उन सभी पर आयकर नहीं लगता। ... 2(22)e, के अन्तर्गत आने वाले लाभांश पर हम कर की गणना करते हैं। और उन पर आयकर की कटौती (TDS) भी की जाती है। इनको सकल बनाने का प्रावधान इस प्रकार है। (Dividend Received × $\frac{100}{90}$)

सारांश (Summary)

1. UTI तथा Mutual Fund से प्राप्त लाभांश तथा ब्याज की आय कर मुक्त होगी।
2. सहाकारी समिति से प्राप्त लाभांश कर योग्य होगा। परन्तु इस पर TDS नहीं काटा जाता। अर्थात् इसे सकल नहीं किया जाता है।
3. यदि हमें विदेशी कम्पनियों के द्वारा कोई लाभांश दिया जाता है। तो पूर्णतय कर योग्य होगा परन्तु उसे हम सकल नहीं करेंगे।

नोट– यदि लाभांश भारतीय कम्पनी से ₹ 10 लाख से अधिक मिलता है, तो वह 10% की दर से कर-योग्य होगा।

(II) प्रतिभूतियों पर ब्याज

(INTEREST ON SECURITIES)

[धारा 56(2)(id)]

प्रतिभूति का अर्थ (Meaning of Securities)

प्रतिभूति का आशय सुरक्षा से है।

प्रतिभूति किसी ऋण लेने का कागजी साक्ष्य है जो देनदार द्वारा लेनदार के नाम से निर्गमित होता है। इसमें राशि, ब्याज दर, समय आदि का उल्लेख होता है। यह देनदार द्वारा या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ होता है।

वर्तमान युग में सरकार, कम्पनियाँ, निगम, बैंक, बीमा कम्पनियाँ आदि जनता से विभिन्न ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करती हैं। इसके लिए (ऋण) जो प्रपत्र निर्गमित करती हैं, उन्हें प्रतिभूति कहते हैं। जैसे–ऋणपत्र, बॉण्ड, प्रतिज्ञा-पत्र आदि। अंश को प्रतिभूति नहीं माना जाता, क्योंकि ये ऋण की स्वीकृति के सबूत नहीं होते।

धारा 2 (28 B) के अनुसार संस्थाओं द्वारा निर्गमित कुछ प्रतिभूति निम्नलिखित हैं–

केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें अपनी प्रतिभूतियों के विभिन्न नामों से जारी करती हैं–सरकारी ऋण, सरकारी पत्र, सरकारी नोट्स, सरकारी बॉण्ड्स, प्रतिज्ञा-पत्र, ट्रेज़री बिल प्रमाण-पत्र, आदि। किसी स्थानीय सत्ता द्वारा निर्गमित ऋण एवं अन्य प्रतिभूतियाँ, किसी कम्पनी द्वारा निर्गमित ऋणपत्र।

प्रतिभूतियों पर ब्याज का आशय (Meaning of Interest on Securities)

धारा 2(28B) के अनुसार प्रतिभूतियों पर ब्याज का आशय है–

1. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी भी प्रतिभूति पर ब्याज,
2. स्थानीय सत्ता द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज,
3. एक भारतीय अथवा विदेशी कम्पनी द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों पर ब्याज,
4. एक विधान द्वारा निर्मित निगम द्वारा जारी ऋणपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज।

इस प्रकार की प्रतिभूतियों पर निश्चित दर से प्राप्त होने वाला ब्याज, ब्याज की आय कहलाता है।

जब कोई करदाता अपने धन को निवेश करने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों को क्रय करता है तो इन पर ब्याज अन्य साधनों की आय शीर्षकों में कर-योग्य होता है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज में शामिल न होने वाला ब्याज (Interests not included in Interest on Securities)

1. सहकारी समिति के ऋणपत्रों पर ब्याज,
2. विदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज,
3. भूमि बन्धक बैंक के ऋणपत्रों पर ब्याज,
4. यू.टी.आई. के यूनिटों पर लाभ,
5. व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार या फर्म द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों पर ब्याज।

धारा 10 (15) के अन्तर्गत प्रतिभूतियों, बॉण्ड्स एवं जमाओं पर पूर्णरूप से ब्याज कर-मुक्त होता है।

कुछ सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on some Government Securities)– [धारा 10 (15)]

सरकार द्वारा निर्गमित कुछ प्रतिभूतियों , बॉण्ड्स, प्रमाण-पत्रों का ब्याज कर-मुक्त होता है। अर्थात् कुल आय की गणना करते समय इन्हें आय में शामिल नहीं किया जाता।

सभी करदाताओं के लिए (For all Types of Assessees)

(1) 10 वर्षीय ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट
(2) 5 वर्षीय नेशनल पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट
(3) 10 वर्षीय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट
(4) 12 वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्स सर्टिफिकेट
(5) 12 वर्षीय या 7 वर्षीय पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट
(6) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉण्ड्स, 1980
(7) विशेष वाहक बॉण्ड्स, 1991
(8) डाक खाने का बचत खाता (₹ 3,500 तक व्यक्तिगत नाम में; ₹ 7,000 तक संयुक्त नाम में)
(9) डाक खाना संचयी सावधि जमा खाता (10 वर्षीय एवं 15 वर्षीय)
(10) डाक खाने का जन साधारण खाते का ब्याज (₹ 5,000 तक)
(11) विशेष जमा योजना, 1981
(12) अनिवासी रुपया जमा योजना।
(13) 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत वार्षिकी प्रमाण-पत्र
(14) स्थायी जमा योजना [सरकारी बचतपत्र (स्थायी जमा) नियम 1968 के अन्तर्गत]
(15) स्थायी जमा योजना [डाकघर स्थायी जमा नियम 1968 के अन्तर्गत]
(16) स्वर्ण निक्षेप योजना 1999 के अन्तर्गत जारी स्वर्ण निक्षेप बॉण्ड्स।

- **एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता के लिये निम्न प्रतिभूतियों का ब्याज भी कर मुक्त है (In case of Individual or H.U.F. Assessee Received Interest on following Securities is also exempt)–** [धारा 10 (15) (iib) तथा (iic)]

(1) 7% पूँजी विनियोग बॉण्ड्स (ये बॉण्ड्स 1-06-2002 से पूर्व जारी हों)
(2) राहत बॉण्ड्स पर ब्याज

- **कुछ अधिसूचित बाण्ड्स पर ब्याज का कर-मुक्त होना (Exempted Interest of Some Notified Bonds)–** [धारा 10 (15) (iid)]

(i) ऐसे बाण्ड्स एक अनिवासी व्यक्ति (भारतीय) के पास हों।
(ii) अनिवासी व्यक्ति के उत्तराधिकारी के पास ऐसे बॉण्ड्स हों।
(iii) अनिवासी व्यक्ति को ऐसे बॉण्ड्स उपहार में दिये गये हों।

प्रतिभूति का ब्याज सहित एवं ब्याज रहित क्रय-विक्रय (Cum-Interest and Ex-Interest Sale-Purchase of Securities)

1. **ब्याज सहित क्रय-विक्रय–** प्रतिभूति के ब्याज सहित का अर्थ है कि प्रतिभूति खरीदने वाले को अगली तिथि पर प्रतिभूति पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार मिलना। ऐसे ब्याज को प्रतिभूति खरीदने वाले की आय में जोड़ा जाता है अस्पष्ट सूचना के अभाव में प्रतिभूति को ब्याज सहित माना जाता है।
2. **ब्याज रहित क्रय-विक्रय–** यदि प्रतिभूति का विक्रय ब्याज रहित किया गया है तो इसका अर्थ है कि विक्रय होने के बाद प्रथम देय तिथि का ब्याज विक्रेता को मिलेगा न कि क्रेता को। यह ब्याज प्रतिभूति बेचने वाले की आय में ही शामिल होता है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज के कर-निर्धारण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें (Important Points Regarding Taxation of Interest on Securities)

1. **अंकित मूल्य पर ब्याज की गणना–** प्रतिभूतियों पर ब्याज की गणना प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर की जाती है।
2. **ब्याज प्राप्त होने की तिथि–** प्रतिभूतियों पर ब्याज केवल उन तिथियों पर अर्जित हुआ माना जायेगा जिन तिथियों का उल्लेख प्रतिभूतियों में किया गया हो। ऐसी तिथियाँ मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक हो सकती हैं। जिस तिथि पर प्रतिभूति पर ब्याज मिलता है उस तिथि पर जिस व्यक्ति के पास ऐसी प्रतिभूतियाँ होती हैं ब्याज उसी की आय मानी जायेगी। प्रतिभूतियों पर ब्याज की गणना सामान्यतः छमाही आधार पर की जाती है।

3. **करदाता के ब्याज पर कर-करदाता द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति के आधार पर**—करदाता को अपने ब्याज का हिसाब रखने के लिये उसे व्यापारिक एवं रोकड़ पद्धति में से किसी एक के द्वारा रखा जाता है। नियम का उल्लंघन करने पर कर-निर्धारण अधिकारी सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण कर सकता है।
4. **प्रतिभूतियाँ व्यापारिक रहतिये के रूप में होना**—यदि करदाता के पास प्रतिभूतियाँ रहतिये के रूप में है, तो इन पर ब्याज इस शीर्षक में कर-योग्य नहीं होगा।
5. **कर चुकाने का उत्तरदायित्व**—प्रतिभूतियों पर ब्याज के सम्बन्ध में कर चुकाने का दायित्व किसका होगा, इसका निर्धारण प्रतिभूतियों के ब्याज सहित अथवा ब्याज रहित क्रय-विक्रय के आधार पर किया जाता है। ब्याज की तिथि पर वह व्यक्ति कर चुकता है जो उस तिथि पर प्रतिभूति पर स्वामित्व रखता हो।
6. **प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय पर किये गये व्यय**—प्रतिभूतियों को क्रय-विक्रय करने के सम्बन्ध में हुए व्ययों को क्रेता के लिए जोड़ दिया जाता है तथा विक्रेता के लिए प्राप्त ब्याज में से घटा दिया जाता है।
7. **प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय पर होने वाला लाभ अथवा हानि**—यदि प्रतिभूतियों को खरीदना एवं बेचना करदाता का व्यापार अथवा पेशा हो तो ऐसी राशि करदाता के व्यापार एवं पेशे शीर्षक में शामिल होगी। अन्यथा में ऐसी राशि पूँजी लाभ शीर्षक में (दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन, स्थिति के अनुसार) शामिल होगी।
8. **सकल ब्याज में से दी जाने वाली स्वीकृत कटौतियाँ**—प्रतिभूतियों पर मिलने वाले सकल लाभ में से कुछ कटौतियाँ स्वीकृत होती हैं जैसे—संग्रह व्यय, बैंक को दिया जाने वाला कमीशन आदि।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source on Interest on Securities)

अंकित मूल्य पर ब्याज की गणना को सकल ब्याज कहते हैं। प्रतिभूतियाँ जारी करने वाली फर्म, कम्पनी अथवा संस्था का दायित्व है कि वह ब्याज का भुगतान करने से पूर्व सकल ब्याज की राशि में से निश्चित प्रतिशत आयकर हेतु कटौती करे और उसे सरकारी खजाने में जमा करे। ऐसी कर की राशि को उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहा जाता है यह करदाता की तरफ से भुगतान किया हुआ माना जाता है। शेष ब्याज की राशि शुद्ध ब्याज कहलाती है।

नोट— 1. सरकारी प्रतिभूतियों पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती सिर्फ 8% कर योग्य सेविंग बॉण्ड्स को छोड़कर (8% Saving Bonds)

2. यदि ब्याज की राशि 5,000 से कम है ये ऐसी कम्पनी से प्राप्त हुआ है जिसमें जनता का सारवान हित है उसको भी सकल करने की आवश्यकता नहीं होती है।

3. सभी बैंकों (Banks) क्रेडिट सोसाइटी (Credit Societies), कोऑपरेटिव बैंक आदि की स्थाई जमा पर ब्याज की राशि की अधिकतम सीमा ₹10,000 से ज्यादा दी हो तो ही हम उनको सकल बनाते हैं अन्यथा नहीं, अर्थात् यदि ब्याज की राशि ₹10,000 से कम दी तो उन पर T.D.S. नहीं काटा जाता।

प्रतिभूतियाँ जिनसे प्राप्त ब्याज पर कोई कर नहीं लगता—[Details of securities on which interest received is Tax Free) sec., 10(15)]

प्रतिभूतियों के प्रकार
(KINDS OF SECURITIES)

प्रतिभूतियाँ सरकार या व्यापारिक कम्पनियों द्वारा जारी की जाती हैं। ऐसी प्रतिभूतियाँ कर-मुक्त अथवा कर योग्य हो सकती हैं।

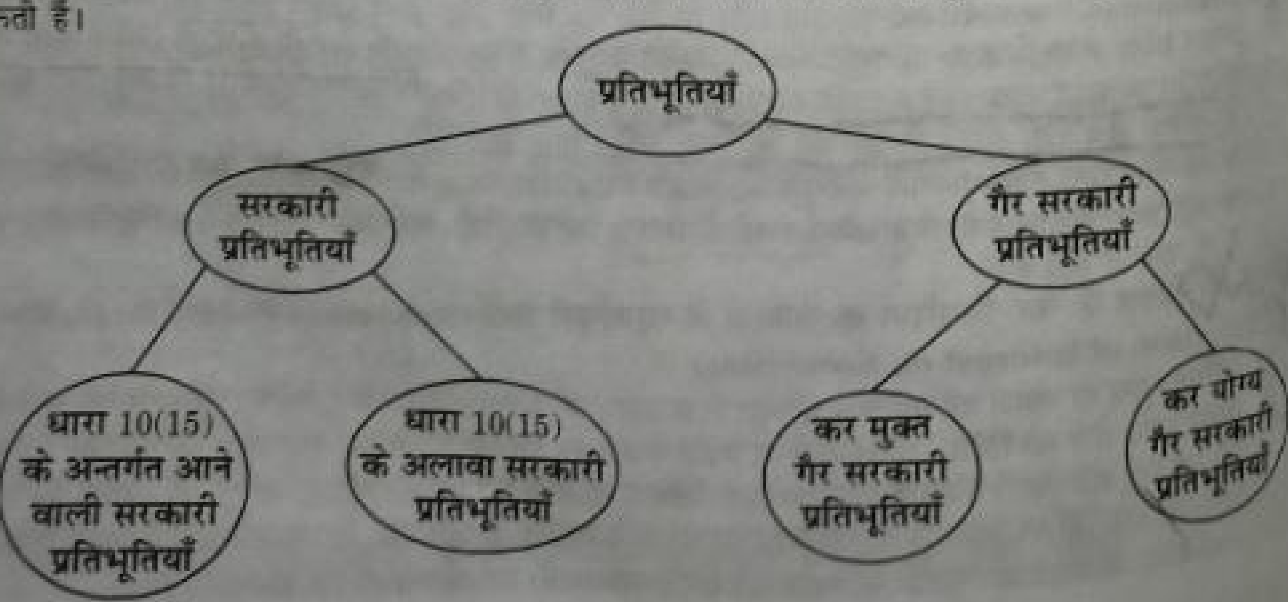

सरकारी प्रतिभूतियाँ
(GOVERNMENT SECURITIES)

सरकारी प्रतिभूतियाँ केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की जाती हैं। ऐसी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज को करदाता की आय में जोड़ा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियाँ दो प्रकार की होती हैं—

1. **कर-मुक्त अथवा धारा 10 (15) के अन्तर्गत आने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ**—यदि करदाता धारा 10(15) के अन्तर्गत आने वाली किसी भी प्रतिभूति में विनियोग करता है तो ऐसी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज पर आय-कर नहीं देना पड़ता क्योंकि ऐसी प्रतिभूतियाँ कर मुक्त होती हैं। इसलिए सम्पूर्ण ब्याज की राशि कर-मुक्त होगी।
2. **धारा 10(15) के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ**—ऐसी प्रतिभूतियों के मुख पर कर-मुक्त अथवा कर योग्य लिखा हो सकता है। ऐसी प्रतिभूतियों को भी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार निर्गमित करती हैं। ऐसी प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल नहीं बनाया जाता है। यदि इनका ब्याज कर योग्य है तो करदाता की आय में जोड़ दिया जायगा और यदि ब्याज कर-मुक्त है तो भी करदाता की आय में शामिल किया जाता है, अन्तर सिर्फ इतना है कि कर स्रोत पर नहीं काटा जायेगा।

गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ
(NON-GOVERNMENT SECURITIES)

ऐसी प्रतिभूतियाँ निजी संस्थाओं द्वारा या अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाती हैं। जैसे—म्यूनिसिपल बाण्ड, आदि। ऐसी प्रतिभूतियाँ निगम, ट्रस्ट, आदि के द्वारा जारी होती हैं। गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ सूचीयत या असूचीयत हो सकती हैं। किन्तु अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियाँ स्पष्ट सूचना के अभाव में सदैव सूचीयत मानी जाती हैं।

> यदि प्रश्न में सूचीयत होने की सूचना नहीं है तो गैर-सरकारी प्रतिभूतियों को असूचीयत मानते हैं। अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियाँ सूचना न होने पर भी सूचीयत मानी जाती हैं।

गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ दो प्रकार की होती हैं—

1. **कर मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ**—वे प्रतिभूतियाँ जो किसी निगम, कम्पनी या स्थानीय सत्ता द्वारा निर्गमित की जाती हैं तथा उनके साथ कर मुक्त लिखा होता है, कर-मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती हैं। इनके ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है।

   कर को मुक्त करने का अधिकार किसी कम्पनी को नहीं होता है। केवल केन्द्रीय सरकार ही कर-मुक्त कर सकती है। ब्याज पर लगने वाले कर को प्रतिभूतियाँ निर्गमित करने वाली संस्था ही चुकाती है। प्रतिभूतियों पर दिये जाने वाले ब्याज में से आयकर की कटौती नहीं की जाती। कम्पनियाँ निर्धारित दर से कर की रकम को कोष में जमा कर देती हैं, ऐसा कर प्रतिभूति के धारक की ओर से चुकाया गया माना जाता है।

> कर-मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को सदैव सकल बनाया जाता है।

2. **करयोग्य अथवा कर-मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ**—जब तक प्रतिभूतियों के साथ करमुक्त शब्द न दिया हो तब तक प्रतिभूतियों को कर-योग्य या कर-युक्त ही माना जायेगा। ऐसी प्रतिभूतियाँ कर-युक्त या कर-योग्य होने के साथ-साथ सूचीयत या असूचीयत हो सकती हैं।

   कर-योग्य प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में यदि प्राप्त ब्याज की रकम दी गयी है तो उसे सकल बनाकर कुल आय में शामिल करेंगे। यदि ऐसी प्रतिभूतियों के साथ ब्याज का प्रतिशत दिया हो तो उसे सकल नहीं बनाते बल्कि उसे करदाता की आय में जोड़ देते हैं।

> यदि कर-योग्य गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज का प्रतिशत दिया हो, तो उसे सकल नहीं बनाते बल्कि करदाता की आय में जोड़ देते हैं।

ब्याज को सकल बनाना (Grossing up of Interest)—

सामान्य सूत्र—

$$\text{सकल रकम} = \frac{\text{शुद्ध ब्याज} \times 100}{100 - \text{उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दर}}$$

दिखावटी लेनदेन या कृत्रिम सौदे
(BOND WASHING TRANSACTIONS)

[धारा 94]

ऐसे लेन-देन जो केवल कागजों पर ही होते हैं दिखावटी लेन-देन कहलाते हैं। कुछ करदाता ब्याज की तिथि से पूर्व प्रतिभूतियों को किसी अन्य करदाता के नाम में हस्तान्तरित कर देते हैं। ऐसा करने से ब्याज उस करदाता की आय में जुड़ जाता है जो ब्याज की तिथि पर उसका वास्तविक स्वामी है। ब्याज की तिथि के बाद वापस प्रतिभूतियों को अपने नाम में हस्तान्तरित करा लिया जाता है। ऐसा करने से ब्याज पर लगने वाले कर से बचा जा सकता है। दिखावटी लेन-देन द्वारा करदाता अपने कर भार को कम कर लेता है, तो इस क्रिया को ही कर वंचना कहते हैं।

इसे रोकने के लिए अधिनियम की धारा 94 महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत यदि कोई करदाता प्रतिभूतियों का दिखावटी लेन-देन करता है तो हस्तान्तरिती द्वारा प्राप्त ब्याज हस्तान्तरणकर्ता की आय मानी जायेगी तथा ऐसी आय को हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में जोड़ा जायेगा।

> यदि कर-निर्धारण अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि दिखावटी लेन-देन नहीं हुआ है, तो हस्तान्तरिती की ऐसी आय को हस्तान्तरिती की कुल आय में जोड़ा जायेगा।

(III) आकस्मिक आय या अचानक होने वाली आय
(CASUAL INCOME)

[धारा 56(2)(ib)]

आकस्मिक आय (Casual Income)—यदि करदाता को कोई आय अचानक प्राप्त हो जाती है तथा ऐसी आय बार-बार होने वाली प्रकृति की नहीं है तो ऐसी आय आकस्मिक आय कहलाती है। ऐसी आयों में लॉटरी की जीत से आय, घुड़दौड़ से आय, वर्ग पहेली, शर्त से आय, जुए से आय, ताश के खेलों से आय आदि शामिल होती हैं।

आकस्मिक आय की विशेषताएँ (Characteristics of Casual Income) [धारा 2(24)]

1. आकस्मिक आय की प्राप्ति निश्चित नहीं होती है।
2. आकस्मिक आय कर-योग्य होती है।
3. आकस्मिक आय अचानक प्राप्त होती है।
4. आकस्मिक आय बार-बार प्राप्त होने वाली प्रकृति की नहीं होती है।

निम्न को आकस्मिक आय में शामिल किया जाता है (Following are included in Casual Income)

1. कोई धन या कीमती सामान सड़क पर पड़ा हुआ मिलना,
2. लॉटरी में जीती हुई धनराशि,
3. वर्ग पहेली, ताश के खेल, शर्त अथवा किसी भी प्रकृति में जुए में जीती हुई धनराशि,
4. घुड़दौड़ या अन्य किसी दौड़ में जीती राशि,
5. धन का खजाना मिलना
6. सिक्के संग्रह व टिकट से प्राप्त राशि,
7. खोये हुए बच्चे को ढूंढकर लाने वाले व्यक्ति को प्राप्त ईनाम की राशि,
8. किसी झगड़े में पंच बनने से पारिश्रमिक प्राप्त करना।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source of Casual Income)

आकस्मिक आय की रकम (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़ आदि से जीते) को चुकाने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। अत: वह इन भुगतानों को करने से पूर्व कर को स्रोत पर काटे तथा सरकारी कोष में जमा कर दे।

लॉटरी की दशा में ₹ 10,000 से अधिक तथा घुड़दौड़ की दशा में ₹ 10,000 से अधिक होने पर ही 30% कर की कटौती की जायेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ जिनके बारे में TDS न काटे जाने की अधिसूचना जारी की गई है—

1. 13% बॉण्ड्स एवं 14% बॉण्ड्स (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लि.) नई दिल्ली।
2. 6% से 11.5% तक के बॉण्ड्स (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.) (आई.एफ.सी.आई)।
3. 6% से 11.5% तक के बॉण्ड्स भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई)।

4. 6.25% से 11.5% तक के बॉण्ड्स भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम लि. (आई.सी.आई.सी.आई)।
5. 13% एवं 14% बॉण्ड्स महानगर टेलीफोन निगम लि. नई दिल्ली।
6. 13% एवं 14% बॉण्ड्स नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. नई दिल्ली।
7. 13% एवं 14% बॉण्ड्स भारतीय टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि. बैंगलोर।
8. 13% एवं 14% बॉण्ड्स नैवेलि लिगनाईट कॉरपोरेशन लि. नैवेलि तमिलनाडु।
9. 14% रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि. नई दिल्ली।
10. 12.5% एवं 13% बॉण्ड्स हाउसिंग डवलपमेन्ट फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि. मुम्बई।
11. 13% बाण्ड्स हाउसिंग एण्ड अरबन डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि. (हुडको)।

कम्पनी द्वारा लॉटरी से जीतने पर कर की कटौती—एक कम्पनी द्वारा आकस्मिक आयों पर 30% की दर से आयकर तथा ₹ 1 करोड़ से अधिक होने पर 7% की दर से अधिभार लगाया जायेगा।

> **व्याख्या**
>
> 1. दौड़ के अन्तर्गत सभी प्रकार की दौड़ें जैसे—घुड़दौड़, ऊँट दौड़, हाथी दौड़ आदि शामिल होगीं।
> 2. घुड़दौड़ के लिए कर की कटौती वही व्यक्ति करेगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो।
> 3. यदि आकस्मिक आयों का भुगतान किस्तों में किया गया है तो प्रत्येक किस्त के भुगतान से कर की कटौती की जायेगी।
> 4. यदि ईनाम की राशि का कुछ भाग नकद तथा शेष भाग वस्तु के रूप में हो तो दोनों के योग पर कर की कटौती की जायेगी किन्तु ऐसी कर की राशि नकद भाग में से काटकर भुगतान की जायेगी।

आकस्मिक आयों को सकल बनाना (Grossing up of Casual Income)

1. व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में—

$$\text{सकल राशि} = \text{प्राप्त शुद्ध राशि} \times \frac{100}{100-30}$$

$$= \text{प्राप्त शुद्ध राशि} \times \frac{100}{70}$$

2. कम्पनी करदाता की दशा में—

$$\text{सकल राशि} = \text{प्राप्त शुद्ध राशि} \times \frac{100}{70}$$

नोट—ईनाम की राशि में से लॉटरी विक्रेता को कुछ भाग कमीशन के रूप में दिया गया है तो ऐसी राशि को ईनाम की राशि में से घटा दिया जायेगा।

Example 2.

श्री राहुल की गत वर्ष 2018-19 के लिए 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में शामिल की जाने वाली सकल आकस्मिक आय की भी गणना निम्न सूचनाओं का प्रयोग करते हुए कीजिए—

1. शर्त से जीत ₹ 43,600
2. घुड़ दौड़ से जीत ₹ 4,200
3. असम राज्य लॉटरीज से ₹ 84,000 की शुद्ध आय प्राप्त हुई (उद्गम स्थान पर कर एवं एजेंट कमीशन काटने के पश्चात)। गत वर्ष में उन्होंने 6,000 के लॉटरी के टिकिट क्रय किये।
4. बिहार राज्य लॉटरीज से ₹ 28,000 की आय प्राप्त हुई। उन्होंने लाटरी विक्रेता को 20% कमीशन भी दिया।

(आगरा, 2019)

Compute gross casual income to be included in the head "Income from other sources" of Mr. Rahul for the previous year 2018-19 using the following informations :

1. Winning from Betting
2. Winning from Horse Race
3. Received a net amount of ₹ 84,000 as a prize of Assam State Lottery (after dedu... tax as source and agent commission). He purchased Lotery tickets for ₹ 6,000 d... the previous year.
4. Income of ₹ 28,000 was received from Bihar State Lottery. He paid 20% comm... to the lottery vendor.

(Agra, 2...)

Solution :

Computation of Income from other sources of Shri Rahul

(For the Assessment Year 2019-20)

Winning from Betting	
Winning from Horse Race	4...
Winning from Assam State Lottery $\left(84,000 \times \frac{100}{70}\right)$	1,20...
Winning from Bihar State Lottery	
$28,000 - [28,000 \times 20\%] = 22,400$ $\left(22,400 \times \frac{100}{70}\right)$	32,0...
Income from Other Sources	1,9...

अन्य प्रकारों से ब्याज की आय प्राप्त होना (Interest Income other than from Securities)

प्रतिभूतियों के अतिरिक्त एक करदाता अन्य संस्थाओं में निवेश करता है जैसे—बैंक में स्थायी जमा, डाकखाने में ... जमा या सावधि जमा इन पर ब्याज भी अन्य साधनों की आय शीर्षक में कर-योग्य होता है। डाकखाने में बचत खाते ... राशि पर ब्याज **₹ 3,500 से कम होने पर कर-मुक्त होता है।** बैंक के बचत खाते के ब्याज को सकल नहीं बनाया जा...

यदि करदाता किसी कम्पनी, निगम आदि में स्थायी रूप से धन जमा करके ब्याज प्राप्त करता है तथा ऐसा ब्या... ₹ 5,000 (स्थायी जमा की दशा में ₹ 10,000) से अधिक है, तो उस पर 10% कर प्राप्त ब्याज को निम्न प्रकार सक... बनायेंगे।

$$\text{सकल ब्याज} = \text{प्राप्त ब्याज} \times \frac{100}{90} \quad \text{(बिना अधिभार के)}$$

यदि बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज ₹ 10,000 से अधिक है तो उसे सकल बनाया जायेगा।

स्रोत पर कर की कटौती

(DEDUCTION OF TAX AT SOURCE) (TDS)

आयकर अधिनियम की धारा 193 के अनुसार, एक व्यक्ति जो एक निवासी व्यक्ति को प्रतिभूतियों पर कर-योग्य ब्याज का भुगतान करता है, भुगतान के समय ब्याज की राशि में से निर्धारित दर से आय कर काटेगा। यह कटौती स्रोत पर कर की कटौती कहलाती है। यह काटा गया कर ब्याज प्राप्तकर्ता की ओर से सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है। जब ब्याज प्राप्तकर्ता का कर दायित्व निर्धारित हो जाता है तो उसमें से इस काटे गये कर की राशि को घटा दिया जाता है। ब्याज की राशि पर आयकर काटने वाला व्यक्ति करदाता को आयकर का प्रमाण-पत्र देता है ताकि करदाता प्रमाण-पत्र के आधार पर इस कर की कटौती ले सके।

निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर देय ब्याज की राशि में से कर की कटौती नहीं की जायेगी—

(Tax shall not be deducted at sources for interest payable on following securities) :

1. 7-वर्षीय सेविंग्स सर्टीफिकेट निर्गम;
2. सहकारी समिति द्वारा निर्गमित ऋण-पत्र;
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी, सत्ता या किसी संस्था द्वारा निर्गमित ऋण-पत्र;

4. $6\frac{1}{2}\%$ गोल्ड बॉण्ड्स, 1977;
5. 7% गोल्ड बॉण्ड्स, 1980;
6. नेशनल डिवेलपमेंट बॉण्ड्स;
7. $4\frac{1}{4}\%$ नेशनल डिफेंस बॉण्ड्स, 1972;
8. $4\frac{1}{4}\%$ नेशनल डिफेंस लोन, 1968;
9. जनता के सारवान हित वाली कम्पनी द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज बशर्ते कि ये ऋणपत्र भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि पर सूचीकृत हों, इनके ब्याज का भुगतान A/c Payee चेक द्वारा किया गया हो तथा ब्याज की देय राशि ₹ 5,000 से अधिक नहीं हो।
10. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति।

एक निवासी करदाता व्यक्ति के सम्बन्ध में विभिन्न आयों पर स्रोत पर आय कर की कटौती की दरें

(Rates of Deduction of tax at source (TDS) on Various Incomes in relation to resident assessee)

आय का विवरण	कर कटौती की दर
1. फर्म, कम्पनी या किसी वित्तीय संस्थान से प्राप्त ब्याज (₹ 5,000 से अधिक) बैंक स्थाई जमा पर प्राप्त ब्याज (₹ 10,000 से अधिक)	10%
2. निगम, पोर्ट ट्रस्ट, नगरपालिका की प्रतिभूतियों का ब्याज	10%
3. सूचीकृत ऋणपत्रों का ब्याज ₹ 5,000 से अधिक	10%
4. असूचीकृत ऋणपत्रों का ब्याज	10%
5. बीमा कमीशन से आय (₹ 15,000 से अधिक)	5%
6. लॉटरी टिकट बेचने से प्राप्त कमीशन से आय (₹ 1,000 से अधिक)	10%
7. अन्य कमीशन या दलाली से आय (₹ 15,000 से अधिक)	5%
8. प्रतिभूतियों के ब्याज के अतिरिक्त अन्य आय	10%
9. लॉटरी एवं क्रासवर्ड पजिल्स से जीत (₹ 10,000 से अधिक)	30%
10. घुड़दौड़ से जीत (₹ 10,000 से अधिक)	30%

निम्न दशाओं में उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती (Tax not deducted at Source the following Cases)

निम्न दशाओं में ब्याज को सकल नहीं बनाया जायेगा यदि—

1. किसी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा ब्याज का भुगतान।
2. फर्म द्वारा अपने साझेदार को किया गया भुगतान।
3. सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्य को ब्याज का भुगतान।
4. केन्द्रीय सरकार या आय-कर विभाग द्वारा देय ब्याज।
5. यदि ब्याज पाने वाला व्यक्ति, ब्याज देने वाले को लिखित रूप में घोषणा करे कि कर-निर्धारण वर्ष में उसकी आय पर कर की देय राशि शून्य होगी।

छोटे करदाताओं तथा कम्पनियों को लाभ प्रदान करने हेतु **धारा 193** में 1.7.2012 से संशोधन किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी भी ऋणपत्र पर प्राप्त ब्याज की रकम पर उद्गम के स्थान पर कर की कटौती अग्र दशाओं में नहीं की जायेगी—

1. यदि वित्तीय वर्ष में भुगतान की जाने वाली या की गई ऋणपत्र के ब्याज की राशि ₹ 5,000 से अधिक
2. और ब्याज की राशि का भुगतान Account Payee Cheque द्वारा किया गया है।

(IV) बीमा एजेण्ट को कमीशन से आय (धारा 194D)
(INCOME OF INSURANCE AGENT BY WAY OF COMMISSION)

$$\text{सकल कमीशन} = \text{कमीशन की प्राप्त राशि} \times \frac{100}{95}$$

किसी ऐसे व्यक्ति की आय जो किसी कम्पनी या निगम से कमीशन के रूप में प्राप्त हुई हो तो यह इस अन्य साधनों की आय शीर्षक में कर योग्य होगी किन्तु यह पेशे में नहीं होनी चाहिए। ऐसे कमीशन पर कर तभी काटा जायेगा जब ऐसी आय ₹ 15,000 से अधिक हो। ऐसे कमीशन पर 5% कर की कटौती की जाएगी।

(V) अन्य कमीशन एवं दलाली (धारा 194H)
(OTHER COMMISSION AND BROKERAGE)

यदि किसी व्यक्ति को बीमा कमीशन को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का कमीशन या दलाली (गत वर्ष में) प्राप्त है तो ऐसी आय अन्य साधनों के शीर्षक में कर-योग्य होगी। ऐसे कमीशन पर स्रोत की कटौती तभी की जायेगी जब आय ₹ 15,000 से अधिक हो। ऐसे कमीशन पर 5% कर की कटौती की जायेगी।

(VI) पारिवारिक पेंशन से प्राप्ति
(INCOME FROM FAMILY PENSION)

पारिवारिक पेंशन की प्राप्त राशि में से वैधानिक कटौती घटाने के बाद शेष राशि अन्य स्रोतों की आय शीर्षक में कर-योग्य होती है।

कर-योग्य राशि = पारिवारिक पेंशन से प्राप्त राशि–
($33\frac{1}{3}$% प्राप्त रकम का या ₹ 15,000 जो भी कम हो)

Example 3.

एक मृतक कर्मचारी की विधवा को प्रति माह ₹ 5,000 पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती है। कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 में कितनी राशि अन्य साधनों की आय में शामिल होगी।

Widow of a deceased employee receives family pension of ₹ 5,000 per month. What amount will be taxable under the head 'Income from Other Sources' for the Assessment Year 2019-20?

Solution :

		₹
Family Pension (5,000 × 12)		60,000
Less : $33\frac{1}{3}$% of ₹ 60,000 = ₹ 20,000 or ₹ 15,000	(whichever is less)	
Maximum Limit of Statutory Deduction is		15,000
Taxable Amount of Family Pension		₹ 45,000

(VII) सहकारी समिति का ब्याज एवं लाभांश
(INCOME FROM INTEREST AND DIVIDEND OF CO-OPERATIVE SOCIETY)

करदाता को इस स्रोत से ब्याज एवं लाभांश की पूरी रकम प्राप्त होती है। ऐसी राशि में से कर की कटौती नहीं होती है सहकारी समिति के ब्याज या लाभांश को सकल नहीं बनाया जाता है।

(VIII) उप-किरायेदार से आय
(INCOME FROM SUB-LETTING OF PREMISES)

जब कोई व्यक्ति किराये के मकान में रहता है तथा उस मकान के किसी भाग को उप किराये पर उठा देता है तो उप किराये से होने वाली आय अन्य स्रोतों की आय में शामिल की जाती है। ऐसी राशि में से पुनः किराये पर उठे हुए भाग का किराया तथा अन्य व्यय को घटाकर शेष राशि कर योग्य होती है।

(IX) मशीन, प्लाण्ट, फर्नीचर को किराये पर देने से आय [धारा 56(2)(ii)]
(INCOME FROM LETTING ON HIRE MACHINERY, PLANT AND FURNITURE)

यदि करदाता किसी मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर को किराये पर उठाता है और इससे उसे आय प्राप्त होती है किन्तु करदाता का व्यवसाय ऐसी मशीनों, संयन्त्र आदि को किराये पर उठाने का नहीं होना चाहिए। ऐसी प्राप्ति अन्य साधनों की आय में शामिल होती है।

(X) मशीन, प्लाण्ट, फर्नीचर सहित भवन को किराये पर देने से आय
(INCOME FROM LETTING ON HIRE BUILDING ALONGWITH MACHINERY, PLANT AND FURNITURE) [धारा 56(2)(iii)]

जब मशीन, संयन्त्र, फर्नीचर आदि को भवन से अलग नहीं किया जा सकता हो तो ऐसे भवन को किराये पर उठाने से जो आय प्राप्त होती है वह अन्य साधनों की आय में शामिल की जायेगी। जैसे–सिनेमा घर, होटल आदि। किन्तु ऐसा कार्य करदाता का व्यवसाय नहीं होना चाहिए।

(XI) नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्तियों से पारिश्रमिक
(REMUNERATIONS RECEIVED FROM PERSONS OTHER THAN EMPLOYER)

नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से प्राप्त पारिश्रमिक इस शीर्षक में कर योग्य होता है। किसी अध्यापक को परीक्षाओं से प्राप्त पारिश्रमिक, अन्य संस्थानों में व्याख्यान देने से प्राप्त पारिश्रमिक, अखबार एवं पत्रिका में लेख से आय आदि अन्य साधनों की आय में शामिल किया जाता है।

(XII) घुड़दौड़ के घोड़े रखने से आय
(INCOME FROM KEEPING HORSES FOR HORSE RACE)

घुड़दौड़ से प्राप्त आय इस शीर्षक में कर-योग्य होती है। ऐसे घोड़ों से प्राप्त होने वाली आय भी इस शीर्षक में कर-योग्य होगी।

(XIII) रिश्तेदारों के अलावा बिना प्रतिफल के प्राप्त नकद रकम
(AMOUNT RECEIVED WITHOUT CONSIDERATION FROM A PERSON OTHER THAN A RELATIVE)

यदि कोई करदाता रिश्तेदारों के अलावा अन्य किसी से बिना प्रतिफल के ₹ 50,000 से अधिक की नकद राशि प्राप्त करता है तो ऐसी पूरी रकम अन्य साधनों की आय में शामिल होगी। ऐसी राशि 1.04.2006 या उसके बाद प्राप्त होनी चाहिए तथा गैर-मौद्रिक प्राप्ति जैसे–चल या अचल सम्पत्ति भी यदि ₹ 50,000 से अधिक प्राप्त हो रही है तो वह कर योग्य होगी ऐसी राशि तब आय नहीं मानी जाती जब–

1. ऐसी राशि 1.4.2006 से पहले प्राप्त हुई है।
2. प्राप्त करने वाला व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं हो।
3. प्राप्त राशि नकद के अतिरिक्त वस्तु के रूप में हो।
4. यदि वस्तु में उपहार ₹ 50,000 से अधिक नहीं हो।
5. ऐसी राशि किसी प्रतिफल के बदले में प्राप्त हुई हो।
6. विवाह के अवसर पर प्राप्त हुई हो।
7. वसीयत या उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हो।
8. ₹ 50,000 से कम राशि प्राप्त होना।
9. करदाता की मृत्यु की शंका में भुगतान।
10. स्थानीय सत्ता से धन प्राप्त होने पर।

14

मानी गयी आयें एवं आय का संकलन

DEEMED INCOMES AND AGGREGATION OF INCOME

प्रत्येक करदाता चाहता है कि उसे कम-से-कम आय-कर देना पड़े। इसके लिए करदाता अपनी सम्पत्तियों एवं आय को अपने परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों को हस्तान्तरित करते हैं तथा कुछ विनियोगों को छुपा लेते हैं। इन छुपाये गये विनियोगों का प्रमाण भी नहीं रखते हैं। इस प्रकार करदाता आय-कर की चोरी करते हैं। वर्तमान में आय-कर खण्ड पद्धति (Slab System) के आधार पर लगाया जाता है। आय के आधार पर कर की दरें निर्धारित की जाती हैं जो कि खण्ड पद्धति पर आधारित है। फलस्वरूप अधिक आय प्राप्त करने वालों को अधिक आय-कर चुकाना पड़ता है। प्रत्येक करदाता अपनी आय पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है, किन्तु कभी-कभी कुछ करदाताओं को दूसरों की आय पर भी कर चुकाना पड़ता है। ऐसी आयें करदाता की आय में जोड़ दी जाती हैं। जिन्हें मानी गई आयें कहते हैं। कर की चोरी को रोकने के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम की धाराएँ 60 से 65 तक निम्न प्रकार हैं–

(1) बिना सम्पत्ति हस्तान्तरित किये आय हस्तान्तरित करना (Transfer of Income without Transfer of Assets) **(धारा 60)**

यदि कोई करदाता अपनी सम्पत्ति को हस्तान्तरित किये बगैर स्वामित्व की सम्पत्ति से कमाई गई आय को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देता है तो ऐसी आय सम्पत्ति के स्वामी (हस्तान्तरणकर्ता) की आय मानी जायेगी तथा ऐसी आय को करदाता की आय में जोड़कर ही कर लगाया जायेगा।

(2) सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तान्तरण (Revocable transfer of Assets) **(धारा 61)**

किसी व्यक्ति द्वारा कमाई जाने वाली ऐसी आय को जो उसे सम्पत्ति के खण्डनीय हस्तान्तरण के द्वारा प्राप्त हुई हो, हस्तान्तरणकर्ता की आय माना जायेगा तथा उसे उसकी आय में जोड़कर उस पर कर लगाया जायेगा।

खण्डनीय हस्तान्तरण से आशय ऐसे खण्डनीय हस्तान्तरण से है–

(i) जिसमें ऐसा कोई भी प्रावधान जिसके द्वारा सम्पत्ति या उसके किसी भाग को हस्तान्तरणकर्ता को वापस हस्तान्तरित किया जा सकता हो।

(ii) जिसमें जब सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने वाले को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग को वापस प्राप्त कर सकता हो।

ऐसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण में कोई भी बन्दोबस्त, ट्रस्ट, प्रसंविदा (Contract) ठहराव शामिल होता है।

[धारा 63 (b)]

अपवाद (Exception)

निम्नलिखित दशाओं में सम्पति के खण्डनीय हस्तान्तरण की दशा में सम्पत्ति से प्राप्त आय हस्तान्तरणकर्ता की आय में नहीं जोड़ी जायेगी–

(i) जब सम्पत्ति का हस्तान्तरण ट्रस्ट के अन्तर्गत किया गया हो तथा लाभ प्राप्तकर्ता के जीवनकाल में अखण्डनीय हो। या

(ii) अन्य हस्तान्तरण की दशा में हस्तान्तरी (हस्तान्तरण पाने वाले) के जीवनकाल में अखण्डनीय हो। या

(iii) 1.4.1961 से पहले किये गये हस्तान्तरण तथा जिन्हें 6 वर्ष या अधिक अवधि के लिए खण्डनीय नहीं किया जा सकता हो।

किन्तु हस्तान्तरण करने वाले को इससे कोई लाभ या आय प्राप्त न हुई हो।

(3) एक व्यक्ति की आय में जीवन साथी, पुत्रवधु तथा अवयस्क की आय जोड़ना (Addition of the Income of Spouse, Daughter-in-Law and Minor in the Income of an Individual) [Sec. 64]

एक व्यक्ति की आय में निम्न को शामिल किया जाता है–

(i) जीवन साथी का पारिश्रमिक (Remuneration to the spouse)—किसी व्यक्ति के जीवन साथी को प्राप्त पारिश्रमिक (वेतन, कमीशन आदि) जिस संस्था से प्राप्त होता है यदि उस संस्था में व्यक्ति का सारवान हित है तो ऐसे पारिश्रमिक को उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ दिया जायेगा।

यदि जीवन साथी को प्राप्त पारिश्रमिक उसकी योग्यताओं के कारण प्राप्त होता है तो ऐसा पारिश्रमिक जीवन साथी की निजी आय होगी और ऐसी आय को व्यक्ति की कुल आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

यदि पति एवं पत्नी दोनों एक ही संस्था से पारिश्रमिक प्राप्त करते हों तो जिसका (पति अथवा पत्नी) भी पारिश्रमिक अधिक होगा उसकी आय में दूसरे का पारिश्रमिक जोड़ दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में कम्पनी में दोनों का सारवान हित होना चाहिए।

नोट–यदि किसी जीवन साथी की आय दूसरे जीवन साथी की आय में जोड़ दी जाती है तो यह सदैव ऐसे ही जोड़ी जायेगी जब तक कि आय-कर अधिकारी की सम्मति से इनमें परिवर्तन अपेक्षित न हो।

सारवान हित का आशय (Meaning of Substantial Interest)

(a) कम्पनी की दशा में–व्यक्ति 20% या उससे अधिक (स्वयं या उसके रिश्तेदारों को मिलाकर) समता अंशों का स्वामी हो।

(b) अन्य संस्थाओं की दशा में वह (स्वयं या रिश्तेदारों को मिलाकर) संस्था में 20% या उससे अधिक लाभों को प्राप्त कर रहा हो।

उदाहरण एक दृष्टि में (EXAMPLES AT A GLANCE)

कुल आय/सकल कुल आय की गणना (Computation of Total Income/Gross Total Income)	—	1,2,3
कर चुकाने के लिए उत्तरदायी (Liable to Pay Tax)	—	4
अवयस्क की आय (Income of Minor)	—	5, 6, 7

Example 1

श्री नरेश एक कम्पनी में 25% अंशों के स्वामी हैं। श्री नरेश की पत्नी श्रीमती पूनम इस कम्पनी में ₹ 5,000 प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। श्री नरेश की अन्य कुल आयें ₹ 1,20,000 हैं। श्रीमती पूनम की कुल आय वेतन को छोड़कर ₹ 60,000 है। श्री नरेश एवं श्रीमती पूनम की कुल आय के मिलान के प्रावधानों को ध्यान में रखकर कुल आय ज्ञात कीजिए। वे आयकर विवरणी जमा करते हैं।

Mr. Naresh holds 25% shares in a company. His wife Mrs. Poonam is employed in the company on a salary of ₹ 5,000 per month. The total of Mr. Naresh's other incomes is ₹ 1,20,000.

Mrs. Poonam's total income excluding her salary income is ₹ 60,000. Ascertain the total income of Mr. Naresh and Mrs. Poonam applying the clubbing provisions. He files Income Tax return.

Solution :

Computation of Total Income of Mr. Naresh

	₹	₹
Other Incomes		1,20,000
Income from salary of Mrs. Poonam (5,000 × 12)	60,000	
Less : Deduction	40,000	20,000
Total Income		1,40,000

Computation of Total Income of Mrs. Poonam

	₹
Total income of Mrs. Poonam	60,000
Total Income	60,000

नोट–यहाँ यह माना गया है कि प्राप्त पारिश्रमिक श्रीमती पूनम की योग्यता के कारण नहीं मिल रहा है।

(ii) **बिना प्रतिफल जीवनसाथी को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय** (Income from assets transferred to the spouse without consideration) Sec. 64(1)(iv)—मकान सम्पत्ति को छोड़कर, कोई सम्पत्ति पति द्वारा पत्नी को अपनी पत्नी द्वारा पति को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तरित कर दी जाती है तो ऐसी सम्पत्ति की आय उस जीवनसाथी की आय में जोड़ी जायेगी जिसने सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया है।

(iii) **बिना या उचित प्रतिफल के पुत्रवधू को हस्तान्तरित सम्पत्तियों से आय** (Income from assets transferred to son's wife without fair consideration) **धारा 64(1) (vi)**—किसी करदाता द्वारा अपनी कोई सम्पत्ति बिना या उचित प्रतिफल के 1.6.1973 को या इसके बाद अपनी पुत्रवधू को हस्तान्तरित कर दी है तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय करदाता की कुल आय में जोड़ दी जाती है।

किन्तु यदि ऐसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण 31.5.1973 को या इससे पहले हुआ है, तो ऐसी आय को करदाता की आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

(iv) **जीवनसाथी के प्रयोगार्थ, किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुदाय को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय** (Income from an asset transferred to a person or association of persons without consideration for the benefit of spouse) **धारा 64(1) (vii)**—यदि कोई करदाता अपनी किसी सम्पत्ति को बिना प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय को हस्तान्तरित कर देता है, जिससे कि जीवनसाथी के कामों में उसे प्रयोग किया जा सके, तो ऐसी सम्पत्ति की आय का वह भाग, जो जीवन साथी के काम में लाया गया है, करदाता की कुल आय में जोड़ा जायेगा।

(v) **पुत्रवधू के प्रयोगार्थ किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय** (Income from an asset transferred to a person or association of persons with adequate consideration for the benefit of son's wife) **धारा 64(1) (viii)**—यदि कोई करदाता अपनी सम्पत्ति को बिना प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय को हस्तान्तरित करता है, तो ऐसी सम्पत्ति की आय का वह हिस्सा, जो पुत्रवधू के हित के लिए है, करदाता की कुल आय में जोड़ा जायेगा।

(vi) **जीवन साथी या पुत्रवधू को हस्तान्तरित सम्पत्ति के विनियोग से आय** (Income from an asset transferred to spouse or son's wife)—यदि किसी करदाता ने कोई सम्पत्ति जीवन साथी या पुत्रवधू को हस्तान्तरित कर दी है, तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय करदाता की आय में जोड़ दी जायेगी।

तो ऐसी राशि की गणना निम्न प्रकार की जायेगी–

×

(vii) **नाबालिग (अवयस्क) बच्चे की आय** (Income of a Minor Child) **धारा 64 (1A)**—एक नाबालिग बच्चे की आय यदि ₹ 1,500 से अधिक हो, तो उसे नाबालिग बच्चे के माता-पिता की आय में जोड़ दिया जाता है, दोनों

में जिसकी आय अधिक होगी यदि माता-पिता में वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो गये हैं तो उसे माता/पिता की आय में जोड़ा जायेगा जिसने गत वर्ष में नाबालिग बच्चे का पालन-पोषण किया है।

नाबालिग बच्चे की आय माता तथा पिता (दोनों में से जिसकी आय अधिक हो) की आय में ही जोड़ी जायेगी।

कर मुक्ति (Exemptions from tax)

एक नाबालिग बच्चे की कुल आय अथवा ₹ 1,500 (जो भी दोनों में से कम हो) को कर-मुक्ति प्रदान की जाती है। अवयस्क की आय को निम्न दशाओं में माता-पिता की आय में शामिल नहीं किया जायेगा–

(i) यदि अवयस्क की आय ₹ 1,500 से कम है।

(ii) यदि अवयस्क ने व्यक्तिगत परिश्रम एवं योग्यता से आय कमाई या प्राप्त की है।

(iii) अवयस्क जिन्हें धारा 80U में निर्दिष्ट किया गया है।

यदि अवयस्क बच्चा धारा 80U में विनिर्दिष्ट बीमारी या विकलांगता से पीड़ित है तो ऐसे प्रावधान में धारा 64(1A) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

कब मिलान के नियम लागू नहीं होंगे

धारा 64(1)(iv) के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में आय मानी गयी आयें शामिल नहीं होंगी–

- यदि सम्पत्तियों का हस्तान्तरण विवाह से पूर्व किया गया हो।
- यदि सम्पत्तियों का हस्तान्तरण अलग रहने के किसी समझौते के अन्तर्गत किया गया हो।
- यदि सम्पत्तियों का हस्तान्तरण पर्याप्त प्रतिफल लेकर किया गया हो।
- यदि आय की प्राप्ति की तिथि को हस्तान्तरणकर्ता हस्तान्तरिती का पति/पत्नी नहीं है।
- यदि पति-पत्नी ने सम्पत्ति अपने जेब खर्च के उद्देश्य के लिए दी गयी हो।

(4) HUF के सदस्य द्वारा अपनी सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में परिवर्तित करने से आय धारा 64(2)
(Transfer of Asset Owned by Assessee to HUF of which he is a Member)

जब हिन्दू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य अपनी स्वयं की सम्पत्ति को बिना उचित प्रतिफल के परिवार की सम्पत्ति में परिवर्तित कर देता है यदि ऐसी सम्पत्ति 31.12.1969 के बाद परिवार को हस्तान्तरित की गई हो तो ऐसी सम्पत्ति से होने वाली आय हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य की ही आय मानी जायेगी।

दूसरे व्यक्ति की आय में शामिल आय के सम्बन्ध में व्यक्ति का दायित्व (धारा 65) (Liability of Person the Transfree in Respect of Income Included in the Income of Another Person (Sec. 65)

ऐसी आय पर कर के सम्बन्ध में धारा 65 के अनुसार माँग का नोटिस उस व्यक्ति को दिया जायेगा जिसे वह सम्पत्ति मिली हो।

हानियों का मिलाना (Clubbing of Losses)

जिस प्रकार आयों का मिलान किया जाता है उसी प्रकार हानियों का भी मिलान किया जाता है। इन पर वही प्रावधान लागू होंगे जो आयों के सम्बन्ध में हैं।

Example 2

एक व्यापारिक संस्था में श्री विष्णु का सारवान हित है। वे उसके लाभों में 60% भाग पाने के अधिकारी हैं। गत वर्ष में संस्था में ₹ 1,20,000 की हानि हुई। जिसमें श्री विष्णु का भाग ₹ 60,000 है। श्री विष्णु की पत्नी श्रीमती रानी को भी संस्था से ₹ 20,000 कमीशन मिलता है। श्री विष्णु एवं श्रीमती रानी की अन्य आयें ₹ 80,000 एवं ₹ 32,000 हैं। श्री विष्णु एवं श्रीमती रानी की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Mr. Vishnu has substantial interest in a business undertaking. He is entitled to 60% of profits. There was a loss of ₹ 1,20,000 in the previous year in which Mr. Vishnu's share is

₹ 60,000. Mr. Vishnu's wife Mrs. Rani gets commission of ₹ 20,000 from the institution. Other incomes of Mr. Vishnu and Mrs. Rani are ₹ 80,000 and ₹ 32,000 respectively. Compute taxable income of Mr. Vishnu and Mrs. Rani.

Solution :

Computation of Mr. Vishun's Taxable Income

		₹
Income from Business & Profession (Loss)		−60,000
Income from Other sources	₹	
Other Incomes	80,000	
Add : Wife's Commission	20,000	1,00,000
Taxable Income		40,000

Computation of Mrs. Rani's Taxable Income

	₹
Income from Other sources	32,000
Taxable Income	32,000

हस्तान्तरित सम्पत्ति में वृद्धि होने से आय (Income from accretion to transferred assets)—यदि जीवन साथी को (बिना प्रतिफल) हस्तान्तरित सम्पत्ति से कोई आय होती है, तो इसे हस्तान्तरण करने वाले की आय माना जाता है। यदि सम्पत्ति में वृद्धि होने से कोई आय होती है, तो इसे हस्तान्तरणकर्ता की आय नहीं माना जायेगा किन्तु सम्पत्ति में वृद्धि हस्तान्तरणकर्ता की सम्पत्ति में वृद्धि मानी जायेगी।

(5) अन्य मानी गयी आयें (Other Deemed Incomes)

कुछ अन्य ऐसी आयें हैं जिन्हें करदाता की आय माना जाता है। ये निम्न प्रकार हैं–

(i) **व्यक्तियों के संघ के सदस्य को प्राप्त वेतन, बोनस आदि (धारा 67-A)** (Salaries, Bonus etc., to a Member of Association of Persons)—व्यक्तियों के संघ के सदस्य को देय वेतन, कमीशन आदि व्यक्तियों के संघ के स्वीकृत व्यय नहीं हैं। अत: ऐसी राशियों को व्यक्तियों के संघ की आय ज्ञात करते समय उसमें जोड़ दिया जाता है।

(ii) **नकद साख (धारा 68)** (Cash Credit)—जब करदाता कर-निर्धारण के समय किसी व्यय या खर्चे के बारे में कर निर्धारण अधिकारी को सन्तुष्ट नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसी आय को करदाता की आय में जोड़ दिया जाता है।

(iii) **स्पष्ट न किये गये विनियोग (धारा 69)** (Unrecorded Investment)—यदि करदाता कर निर्धारण अधिकारी को किसी विनियोग के बारे में सन्तुष्ट नहीं कर पाता है और न ही ऐसे विनियोग की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि होती है तो ऐसी आय को करदाता की आय मान लिया जाता है।

(iv) **स्पष्ट न किया गया धन या मुद्रा (धारा 69A)** (Unexplained Money)—यदि करदाता सोना, चाँदी, जेवर या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का स्वामी है किन्तु कर-निर्धारण अधिकारी को इनके बारे में सन्तुष्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसी वस्तुओं के बाजार मूल्य को करदाता की आय माना जायेगा।

(v) **पुस्तकों में दिखाये गये अपूर्ण विनियोग (धारा 69B)** (Investment not fully disclosed in the Books of Accounts)—यदि करदाता ने कुछ विनियोग किये हैं, किन्तु ऐसे विनियोगों की राशि पुस्तकों में कम दिखायी गई है तथा इसके बारे में कर निर्धारण अधिकारी को सन्तुष्ट नहीं कर पाता है तो ऐसी राशियाँ करदाता की आय मानकर उसकी कुल आय में जोड़ दी जाती हैं।

(vi) **अप्रदर्शित व्यय (धारा 69C)** (Undisclosed Expenditure)—यदि करदाता ने कुछ व्यय ऐसे किये हैं जिन्हें पुस्तकों में नहीं दिखाया गया हो तथा न ही उसके बारे में कर निर्धारण अधिकारी को सन्तुष्ट किया गया हो, तो ऐसे व्ययों की राशि करदाता की कुल आय में जोड़ दी जाती है।

15

हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाना

SET OFF AND CARRY FORWARD OF LOSSES

करदाता की कर-योग्य आय ज्ञात करने के लिये, आय के पाँचों शीर्षकों की कर-योग्य आय अलग-अलग ज्ञात की जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि करदाता को पाँचों शीर्षकों से आय प्राप्त हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शीर्षकों से आय तथा कुछ शीर्षकों से हानि हुई हो। इसलिए करदाता की शुद्ध कर-योग्य आय ज्ञात करने के लिए ऐसी हानि का समायोजन आवश्यक होता है। इन हानियों के समायोजन के लिये आय-कर अधिनियम में प्रावधान दिये हैं–

आय के साधन (Sources of Income)

किसी भी करदाता के अनेकों आय के साधन हो सकते हैं। जैसे, किसी करदाता के पास पाँच मकान हैं। प्रत्येक मकान करदाता के लिये आय का स्रोत अथवा साधन होगा। इस प्रकार इस करदाता के पास आय के पाँच स्रोत हुए। अतः आय का स्रोत वह स्थान है जहाँ से आय उत्पन्न होती है अथवा प्राप्त होती है।

आय के शीर्षक (Heads of Income)

आय के पाँच शीर्षक होते हैं जैसे–

1. वेतन से आय
2. मकान-सम्पत्ति से आय
3. व्यापार अथवा पेशे से आय
4. पूँजी लाभ
5. अन्य साधनों से आय

किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत आय के अनेकों स्रोत या साधन हो सकते हैं। जब आय के अनेकों स्रोत एक ही शीर्षक से सम्बन्धित हों, तो उसे आय का शीर्षक कहते हैं। जैसे–माना किसी करदाता को लॉटरी से आय, अधिकार शुल्क से आय, उप किरायेदारी से आय, परामर्श देने से आय होती है, तो इन्हें आय के अलग-अलग स्रोत कहा जायेगा। किन्तु ये चारों स्रोत अन्य साधनों की आय से सम्बन्धित हैं। अत: इन आय के स्रोतों का शीर्षक अन्य साधनों की आय होगा। इस प्रकार आय का शीर्षक आय के स्रोतों का समूह होता है।

हानियों की पूर्ति (Set-off of Losses)

एक करदाता से किसी आय के शीर्षक के अन्तर्गत अनेक आय के स्रोत हो सकते हैं। किन्तु यह आवश्यक नहीं कि आय के सभी स्रोतों से लाभ हो। कभी-कभी आय के किसी स्रोत से हानि भी हो सकती है। अत: जब एक ही शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न स्रोतों से लाभ तथा हानि हुई हो तो लाभों में से ऐसी हानियों को पूरा कर लिया जाता है। इसे शीर्षक के अन्तर्गत हानियों की पूर्ति कहते हैं।

जब करदाता को किसी शीर्षक से लाभ तथा किसी शीर्षक से हानि हुई हो, तो ऐसी हानियों की पूर्ति को विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत हानियों की पूर्ति कहते हैं।

हानियों की पूर्ति से सम्बन्धित प्रावधान
(PROVISIONS REGARDING SET OFF OF LOSSES)

इसके सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रावधान निम्न प्रकार हैं–

1. किसी एक शीर्षक के एक स्रोत की हानि, दूसरे स्रोत के लाभ से पूरी करना (धारा 70) (Set-off of loss from one source, against profit from another source under any one head)

जब आय के किसी एक शीर्षक में एक स्रोत से आय तथा दूसरे स्रोत से हानि होती है, तो ऐसी हानि को उसी शीर्षक के दूसरे स्रोत से पूरा किया जा सकता है। इसे अन्तर स्रोत पूर्ति या अन्तर स्रोत समायोजन भी कहते हैं।

उदाहरण–

माना किसी व्यक्ति के पास चार मकान हैं। पहले मकान से ₹ 20,000 की आय तथा दूसरे मकान से ₹ 30,000 की आय, तीसरे मकान से ₹ 10,000 की आय तथा चौथे मकान से ₹ 40,000 की हानि हो तो मकान-सम्पत्ति शीर्षक की आय ₹ 20,000 की होगी। अर्थात् ऐसी हानि को मकान-सम्पत्ति की अन्य आयों में से घटा दिया जायेगा। क्योंकि सभी आयें तथा हानि एक शीर्षक से सम्बन्धित हैं।

उपर्युक्त नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं–

अपवाद (Exceptions)

(A) **सट्टे के व्यापार की हानियाँ** (Losses from Speculative Business)—सट्टे के व्यापार की हानियों को केवल सट्टे के व्यापार के लाभों में से ही पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी से नहीं। किन्तु सामान्य व्यापार की हानियों को सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरा किया जा सकता है।
सट्टे के व्यापार का आशय एक ऐसे अनुबन्ध से है जिसमें वास्तविक लेन-देन के बिना (बिना हस्तान्तरण किये) क्रय-विक्रय किया जाता हो। इसमें कोई भी वस्तु (स्कन्ध तथा अंश) शामिल हैं।

(B) **घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने से हानि** (Losses from Maintaining Race Horses)—यदि किसी करदाता को ऐसे घोड़ों की देखभाल से कोई हानि होती है, जिनका प्रयोग घुड़दौड़ में किया जाता है तो ऐसी हानि को घोड़ों के रखने से हुए लाभों से ही पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी से नहीं। घोड़ों की देखभाल से हानि का आशय उनके रखने के व्ययों से है।

(C) **लॉटरी, शर्त आदि की हानि** (Losses from Lottery, Betting etc.)—ऐसी आकस्मिक आयों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के व्यय नहीं घटाये जाते। इसलिए ऐसी हानियों की पूर्ति नहीं की जा सकती।

(D) **कर-मुक्त आयों से हानि** (Losses from Exempt Incomes)—कर-मुक्त आय के स्रोत या साधन से कोई हानि होने पर इसकी पूर्ति किसी अन्य स्रोत से नहीं की जा सकती है। जैसे–कृषि हानि।

(E) **अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूँजी हानियाँ** (Short-term Capital Losses and Long-term Capital Losses)—अल्पकालीन पूँजी हानियों को अल्पकालीन लाभों अथवा दीर्घकालीन पूँजी लाभों में से किया जा सकता है। किन्तु कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से दीर्घकालीन पूँजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभों में से ही पूर्ति किया जा सकता है।

(F) **धारा 35AD में संदर्भित निर्दिष्ट व्यापार हानि** (Loss of a Specified Business reffered to in Section 35 AD)—धारा 73A के अनुसार धारा 35AD में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारोबार के सम्बन्ध में संगठित किसी हानि का किसी अन्य विनिर्दिष्ट कारोबार के लाभों और अभिलाभों से ही, यदि कोई हो समायोजन किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

2. एक शीर्षक की हानि, दूसरे शीर्षक की आय से करना (धारा 71) (Set off of losses under one head against income under another head)

जब किसी एक शीर्षक के अन्तर्गत हानि होती है तथा ऐसी हानि को इसी शीर्षक के किसी अन्य स्रोत से पूरा नहीं किया जा सकता हो तो ऐसे शीर्षक की हानि को दूसरे शीर्षक की कर-योग्य आय से पूरा किया जा सकता है।

कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से व्यवसाय अथवा पेशे की हानि को वेतन से आय शीर्षक से पूरा नहीं किया ज
उपर्युक्त नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं–

अपवाद (Exceptions)

(i) सट्टे के व्यापार की हानियों को, अन्य शीर्षक की आयों से पूरा नहीं किया जा सकता है।

(ii) दौड़ में दौड़ने वाले घोड़ों को रखने सम्बन्धी कार्य से हुई हानि को आय के अन्य शीर्षकों से पूरा नहीं कि
सकता है।

(iii) आकस्मिक हानियाँ (लॉटरी, वर्ग पहेली, शर्त, जुआ, दौड़, ताश के खेल आदि) की पूर्ति अन्य शीर्षकों
से नहीं की जा सकती है। ऐसी हानियों की पूर्ति उसी शीर्षक के अन्य स्रोत से भी नहीं की जा सकती है।

(iv) कर-मुक्त आय वाले साधनों की हानि अन्य शीर्षकों की आय से नहीं की जा सकती है।

(v) अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूँजी हानियों को अन्य शीर्षकों की आय से पूरा नहीं किया जा सकता है।

मकान सम्पत्ति की हानि को किसी अन्य शीर्षक की आय से पूर्ति करने पर प्रतिबन्ध–धारा 71(3A) (w.e.f.A.Y. 2018-19)

यदि किसी मकान सम्पत्ति से हानि होती है और ऐसी हानि की पूर्ति किसी अन्य मकान सम्पत्ति की आय से
करने के बाद भी ऐसी हानि शेष रहती है तब ऐसी शेष हानि को अन्य शीर्षक की आय में से ₹ 2,00,000 तक ही
किया जा सकता है। शेष हानि को अगले 8 वर्षों तक मकान सम्पत्ति की आय में से ही पूरा किया जायेगा।

3. सामान्य व्यापार की हानि (धारा 72) (Set off of Losses of General Business)

ऐसे व्यापार की हानि को सट्टे के व्यापार की आय सहित किसी भी शीर्षक की आय से वेतन शीर्षक को छोड़
पूरा किया जा सकता है। किन्तु ऐसे व्यापार में सट्टे के व्यापार शामिल नहीं होते हैं।

4. सट्टे के व्यापार की हानियाँ [धारा 73(1)] (Losses of Speculation Business)

ऐसी हानियों को केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है। अन्य किसी भी शीर्षक व अ
स्रोत से पूरा नहीं किया जा सकता है।

5. दौड़ के घोड़ों को रखने से हानि [धारा 74A(3)] (Losses from Maintaining Race Horses)

दौड़ के घोड़ों को रखने से हुई हानि को केवल इन्हीं क्रियाओं से पूरा किया जा सकता है।

6. लॉटरी, शर्त, ताश के खेल आदि की हानि (Losses from Lottery, Betting, Playing Cards etc.)

लॉटरी, शर्त, जुआ, वर्ग पहेली, ताश के खेल आदि से हुई हानि को किसी भी आय से पूरा नहीं किया जा सकता है।

7. व्यक्तियों के समुदाय/संघ की हानि (Losses from A.O.P./B.O.I.) (Association of Persons/Body of Individuals)

ऐसी हानियों को इन्हीं की आय से किसी के शीर्षक से पूरा किया जा सकता है किन्तु व्यक्तिगत या निजी आय से
पूरा नहीं किया जा सकता।

8. पूँजी लाभ शीर्षक की हानि (धारा 74) (Losses from Head of Capital Gain)

अल्पकालीन पूँजी हानि को अल्पकालीन पूँजी लाभ या दीर्घकालीन पूँजी लाभ से पूरा किया जा सकता है किन्तु दीर्घ
कालीन पूँजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभ से ही पूरा किया जा सकता है।

9. साझेदारी फर्म की हानियाँ (धारा 75) (Losses from Partnership Firm)

ऐसी हानियों को कोई भी साझेदार अपनी निजी आय से पूरा नहीं कर सकता है। ऐसी हानियों के सम्बन्ध में सामान्य
व्यापार की हानियों की पूर्ति के नियम लागू होते हैं।

हानियों की विवरणी अनिवार्य रूप से दाखिल करना (धारा 80) [Compulsory filing of Losses returns (Sec. 80)]

करदाता की हानियों को आगे ले जाने की अनुमति है। किन्तु यह तभी किया जा सकता है। जब करदाता ने हानियों
की विवरणी को दाखिल (निर्धारित समय तक) कर दिया हो।

हानियों की पूर्ति का क्रम

1. चालू वर्ष की हानियों की पूर्ति समान शीर्षक से या नियमानुसार हो तो अन्य शीर्षक से पूरी की जायेगी।
2. करदाता को पिछले वर्ष की विभिन्न हानियों की पूर्ति करनी हो, तो ऐसी स्थिति में निम्न क्रम से पूर्ति की जायेगी–
   (i) चालू वर्ष के पूँजीगत वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय एवं परिवार नियोजन पर पूँजीगत व्यय।
   (ii) चालू वर्ष का ह्रास
   (iii) पिछली व्यापारिक हानियां (आगे लाई गई)
   (iv) परिवार नियोजन प्रोत्साहन हेतु अशोधित पूँजीगत व्यय
   (v) अशोधित ह्रास
   (vi) अशोधित वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय।

हानियों की पूर्ति
(SETOFF OF LOSSES)

हानियाँ	हानियों की पूर्ति
1. मकान सम्पत्ति की हानि	(i) अन्य मकान सम्पत्ति से आय से या (ii) किसी अन्य आय के शीर्षक की आय से (केवल ₹2,00,000 तक)
2. व्यापार अथवा पेशे से की हानि	(i) अन्य व्यापार अथवा पेशे की आय से या (ii) वेतन शीर्षक के अतिरिक्त किसी अन्य आय के शीर्षक की आय से
3. सट्टे के व्यापार की हानि	सट्टे के व्यापार के लाभ से
4. निर्दिष्ट व्यापार से हानि	अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से
5. अल्पकालीन पूँजी हानि	(i) अल्पकालीन पूँजी लाभ से या (ii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ से
6. दीर्घकालीन पूँजी हानि	दीर्घकालीन पूँजी लाभ से
7. घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व तथा रखरखाव से हानि	घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख रखाव की आय से
8. लॉटरी, वर्गपहेली, जुआ आदि की हानि	किसी भी आय से नहीं।

उदाहरण एक दृष्टि में (EXAMPLES AT A GLANCE)

सकल कुल आय की गणना (Computation of Gross Total Income)	—	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15
कुल आय/कर-योग्य आय की गणना (Computation of Total/Taxable Income)	—	6, 9, 10, 13
हानियों की पूर्ति एवं उनके आगे ले जाने के सम्बन्ध में निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी से सम्बन्धित (Set off and Carry forward Losses regarding resident, not-ordinarily resident, non resident)	—	12, 16

4. पूँजी लाभ शीर्षक की हानियाँ

5. दौड़ के घोड़े को रखने से हुई हानियाँ

इसके अलावा अन्य किसी भी शीर्षक की हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। केवल उस करदाता को हानि को आगे ले जाने का अधिकार है, जिस करदाता को हानियाँ हुई हैं। करदाता के अलावा उसके उत्तराधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को ऐसी हानियों को आगे ले जाने का अधिकार नहीं है।

1. मकान सम्पत्ति से हानि (धारा 71 B) (Loss from House Property)

इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान हैं–

(i) जिस गतवर्ष में करदाता को मकान सम्पत्ति से हानि हुई है, उस गत वर्ष में ऐसी हानि की पूर्ति उसी शीर्षक के अन्य स्रोत या अन्य शीर्षकों के विभिन्न स्रोतों से उसी गत वर्ष में की जा सकती है।

(ii) यदि ऐसी हानि की पूर्ति नहीं हो पाती है तो इसे अगले 8 वर्षों तक केवल मकान सम्पत्ति की आय शीर्षक अथवा उसके विभिन्न स्रोतों से ही पूरा किया जा सकता है। अन्य किसी शीर्षक की आय से अगले वर्षों में पूरा नहीं किया जा सकता।

Example 4.

श्री आशीष की निम्नलिखित सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2019-20 की सकल कुल आय की गणना कीजिए–

	₹
कर-योग्य वेतन से आय	1,50,000
भारतीय कम्पनी से लाभांश	20,000
मकान को ₹ 5,000 प्रतिमाह किराये पर उठाया	
मकान के कर चुकाये ₹ 5,000	
गत वर्ष में मकान 2 माह खाली रहा	
मकान के निर्माण के लिये लिये गये ऋण पर ब्याज ₹ 5,000।	
मकान सम्पत्ति की ₹ 30,000 की हानि (कर निर्धारण वर्ष 2013-14) आगे लाई गई। ये आयकर विवरणी जमा करते हैं।	

From the following informations of Mr. Ashish compute his Gross Total Income for the Assessment Year 2019-20 :

	₹
Income from Taxable Salary	1,50,000
Dividend from Indian Company	20,000
House Let Out @ ₹ 5,000 p.m.	
House Tax Paid ₹ 5,000	
House Remained Vacant for Two Months	
Interest on Loan for Construction of House ₹ 5,000	
Loss from House Property of assessment year 2013-14 brought forward	30,000
He files Income Tax return.	

Solution :

Computation of Gross Total Income of Mr. Ashish

(for the Assessment Year 2019-20)

	₹		₹
Income from Taxable Salary	1,50,000		1,50,000
Income from House Property			
Rent received for 10 Months	50,000		
Less : Municipal Tax paid by owner during the year	5,000		
NAV	45,000		
Less : S.D. 30% of NAV	13,500		
Interest on Loan	5,000	18,500	
		26,500	
Less : B/F Loss from House Property (maximum) (30,000 – 26,500 = ₹ 3,500 Carried Forward up to assessment year 2020-21)		26,500	NIL
Gross Total Income			1,50,000

2. सामान्य व्यापार की हानि (धारा 72) (Loss of General Business)—यदि सामान्य व्यापार की हानि को किसी गत वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता है तो इसे अगले 8 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है इसके सम्बन्ध में प्रावधान निम्न हैं–

(i) ऐसी हानि को अगले 8 वर्षों में व्यापार एवं पेशे की आय से ही पूरा किया जा सकता है।

(ii) व्यवसाय की हानि को आगे ले जाने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि व्यवसाय चालू रहे। यदि व्यवसाय बन्द भी हो जाता है, तो भी ऐसी हानि को आगे ले जाया जा सकता है।

(iii) ऐसी हानि को आगे वही करदाता ले जा सकता है, जो उस समय (जब हानि हुई हो) व्यवसाय का स्वामी था यदि ऐसा स्वामी किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय को हस्तान्तरित कर देता है तो नये स्वामी को ऐसी हानि आगे ले जाने का अधिकार नहीं होगा।

(iv) व्यवसाय की हानियों के अतिरिक्त कोई अन्य हानि जैसे–अशोधित ह्रास, अशोधित पूँजीगत व्यय, परिवार नियोजन पर अशोधित व्यय, इनको आगे ले जाया जा सकता है। जबकि ये व्यापारिक हानि नहीं हैं। इनकी पूर्ति वेतन की आय को छोड़कर अन्य किसी भी शीर्षक से निम्न क्रमानुसार की जायेगी–

(a) चालू वर्ष का ह्रास

(b) वैज्ञानिक अनुसंधान एवं परिवार नियोजन पर पूँजीगत व्यय (चालू वर्ष)

(c) आगे लायी गई व्यापारिक हानियाँ

(d) अशोधित ह्रास

(e) वैज्ञानिक अनुसन्धान पर अशोधित पूँजीगत व्यय

(f) परिवार नियोजन पर आगे लाये गये व्यय

ऐसी हानियों का विवरण अनिवार्य रूप से जमा किया जाता है। विवरण जमा न करने पर इनकी पूर्ति नहीं की जा सकती।

3. एकीकरण की दशा में गैर सट्टा व्यापार की संचित हानि तथा अशोधित ह्रास—धारा 72 A(1)

(i) किसी बैंक का किसी विनिर्दिष्ट बैंक से एकीकरण होता है या

(ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी (वायुयान प्रचालन में संलग्न) का किसी दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी (वायुयान प्रचालन में संलग्न) के साथ एकीकरण होता है या

(iii) यदि किसी औद्योगिक उपक्रम या समुद्री जहाज या होटल की स्वामी कम्पनी का किसी अन्य कम्पनी के साथ एकीकरण होता है।

ऐसी दशा में एकीकरण होने वाली कम्पनी की संचित हानि तथा अशोधित ह्रास एकीकरण करने वाली कम्पनी की उस गत वर्ष की हानि तथा ह्रास मानी जायेगी जिस गतवर्ष में एकीकरण किया गया है। ऐसी हानियों तथा ह्रास को आगे ले जाकर पूर्ति करने का अधिकार होगा।

अग्रलिखित शर्तें पूरी होने पर ही उपरोक्त सुविधा प्रदान की जायेगी–

(अ) एकीकरण होने वाली कम्पनी या समामेलक कम्पनी (Amalgemating Company) को निम्नलि... शर्तें पूरी करनी होगी–

1. एकीकरण होने वाली कम्पनी कम-से-कम तीन वर्षों से उस व्यवसाय में लगी हो जिसमें ऐसी हानि... संचय हुआ है या ह्रास की कटौती नहीं मिली है।
2. एकीकरण की तिथि को एकीकरण की तिथि के पूर्व दो वर्ष तक पुस्तक मूल्य की कम-से-कम 75%... स्थायी सम्पत्तियाँ इसके पास हों।

(ब) एकीकरण करने वाली कम्पनी या समामेलित कम्पनी (Amalgamated Company) को निम्नलिखि... शर्तें पूरी करनी होगी–

1. एकीकरण करने वाली कम्पनी को एकीकरण होने वाली कम्पनी की स्थायी सम्पत्तियों के पुस्तक मूल्य... में 75% मूल्य की सम्पत्तियाँ 5 वर्ष तक रखनी होगी।
2. एकीकरण करने वाली कम्पनी को एकीकरण होने वाली कम्पनी के व्यवसाय को कम-से-कम 5 वर्ष... तक चालू रखना होगा।

4. **विभक्तिकरण (संविलयन) की दशा में एकत्रित हानियों एवं अशोधित ह्रास की पूर्ति तथा आगे ले जाना [धारा 72 A(4)]** (Carry forward and Set off of accumulated losses and unabsorbed depreciation in case of Demerger)—परिणामी कम्पनी द्वारा अशोधित ह्रास एवं एकत्रित हानियों को आगे ले जाया जा सकता है एवं उनकी पूर्ति की जा सकती है, किन्तु ऐसा अशोधित ह्रास एवं एकत्रित हानि उस उपक्रम से सम्बन्धित होनी चाहिए जिस उपक्रम को हस्तान्तरित किया गया है।

5. **स्वामित्व परिवर्तन होने पर व्यापार की संचित हानि एवं अशोधित ह्रास [धारा 72 A(6)]** (Accumulated Losses and Unabsorbed Depreciation is case of change in ownership)—जब किसी कम्पनी द्वारा किसी फर्म या एकाकी व्यक्ति का व्यवसाय ले लिया जाता है तब ऐसी दशा में स्वामित्व परिवर्तन होने पर सट्टा व्यापार की हानि तथा अशोधित ह्रास कम्पनी की उस वर्ष की संचित हानि एवं अशोधित ह्रास मानी जायेगी जिस वर्ष कम्पनी ने व्यवसाय लिया है तथा कम्पनी को इनकी पूर्ति का अधिकार सामान्य नियमों के अनुसार होगा।

* किसी निजी कम्पनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी का सीमित दायित्व वाली भागीदारी में परिवर्तन की दशा में उपरोक्त प्रावधान लागू होगा।

6. **एकीकरण की दशा में बैंकिंग कम्पनी के अशोधित ह्रास एवं एकत्रित हानियों की पूर्ति करना एवं उन्हें आगे ले जाना (धारा 72 AA)** (Set-off of losses and unabsorbed depreciation in case of Amalgamation of a Banking Company)—जब किसी बैंकिंग कम्पनी को किसी अन्य बैंकिंग संस्था से मिलाया जाता है या उसका एकीकरण किया जाता है, तो ऐसी बैंकिंग संस्था के लिए एकत्रित हानि तथा अशोधित ह्रास (बैंकिंग कम्पनी का) उस गत वर्ष का माना जायेगा, जिस वर्ष में एकीकरण हुआ हो।

7. **सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की दशा में एकत्रित हानि एवं अशोधित ह्रास (धारा 72 AB)** (Carry Forward and Set off of Losses and Unabsorbed Depreciation in Re-organisation of Co-operative Banks)—यदि दो सहकारी बैंकों का एकीकरण हुआ है तो पहले सहकारी बैंक की एकत्रित हानि एवं अशोधित ह्रास को दूसरे सहकारी बैंक द्वारा आगे ले जाया जा सकता है। इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए–

(1) पहले सहकारी बैंक की एकत्रित हानि एवं अशोधित ह्रास उस संस्था से सम्बन्धित हो, जिसका हस्तान्तरण दूसरे सहकारी बैंक को किया गया है।

(2) दूसरा सहकारी बैंक ऐसे व्यवसाय को कम-से-कम 5 वर्षों तक चालू रखेगा।

8. **सट्टे के व्यापार की हानि (धारा 73) (2)** (Loss of Speculative Business)—यदि सट्टे के व्यापार की हानि को उसी वर्ष पूरा नहीं किया जा सकता है तो ऐसी हानि को अगले 4 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।

किन्तु ऐसी हानि केवल सट्टे के व्यापार की आय से ही पूरी की जा सकती है किसी अन्य शीर्षक स्रोत की आय से नहीं।

9. **पूँजी हानि** (Capital Loss) **(धारा 74)**—यदि किसी वर्ष की पूँजी हानियों को पूरा नहीं किया जा सकता तो इन्हें अगले 8 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। पूँजी हानि में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूँजी हानि शामिल है। आगे ले जाई गई अल्पकालीन पूँजी हानि को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूँजी लाभ से पूरा किया जा सकता है। किन्तु दीर्घकालीन पूँजी हानि (आगे ले जायी गई) को केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभ से ही पूरा किया जा सकता है।

10. **दौड़ के घोड़ों को रखने से हानि (धारा 74 A)** (Loss from maintaining Race Horses)—यदि करदाता के पास दौड़ में दौड़ने वाले घोड़े हैं तथा वह उनका रख-रखाव करता है तथा इनके रख-रखाव से करदाता को कोई हानि होती है, जिसे उसी वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी हानि को अगले 4 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। इसके लिये करदाता का ऐसा कार्य चालू रहना चाहिए। यदि वह आगे घोड़ों को नहीं रखता है तो हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता।

11. **फर्म की हानियाँ (धारा 75)** (Losses of Firm)—यदि किसी फर्म को कोई व्यापारिक हानि होती है तथा उस हानि को उसी वर्ष पूरा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी हानि को अगले 8 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। किन्तु इन्हें व्यापारिक लाभों में से ही पूरा किया जायेगा। यदि फर्म का अशोधित ह्रास भी है तो ऐसे ह्रास को भी आगे ले जाया जा सकता है। अशोधित ह्रास को फर्म की किसी भी आय से पूरा किया जा सकता है।

12. **फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर हुई हानि [धारा 78(1)]** (Loss in Case of Change in Constitution of Firm)—फर्म के संगठन में ऐसा परिवर्तन साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या किसी साझेदार की मृत्यु होने पर भी हो सकता है। ऐसे साझेदार की हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। कोई भी फर्म किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृतक साझेदार की हानि को आगे नहीं ले जा सकती।

13. **फर्म के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर हुई हानि [धारा 78(2)]** (Loss in Case of Change in Ownership of Firm)—यदि किसी व्यापार एवं पेशे के स्वामित्व में परिवर्तन हो जाता है जो कि वंशानुगत नहीं है तो नये मालिक द्वारा पुराने मालिक की हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

फर्म के स्वामित्व का परिवर्तन एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को स्वामित्व का हस्तान्तरण करने से है। किन्तु इसमें पिता के स्थान पर उसका पुत्र व्यवसाय का स्वामी बन जाता है तो ऐसी दशा में उपरोक्त नियम लागू नहीं होगा।

14. **कुछ अन्य कम्पनियों की दशा में हानि (धारा 79)** (Loss in the Case of Some Other Companies)—यदि किसी कम्पनी के अंशधारियों में गत वर्ष में परिवर्तन हो जाता है तथा ऐसी कम्पनी में जनता का सारवान हित नहीं है तो ऐसे परिवर्तन से हुई हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता जब तक कि निम्न शर्तें पूरी न हों–

(1) वर्ष के अन्तिम दिन 51% मत का अधिकार रखने वाले अंशधारी पुराने अंशधारी ही होने चाहिए।

(2) अंशधारियों में परिवर्तन, अंशधारियों की मृत्यु के कारण हुआ हो या अंशधारी द्वारा अपने किसी रिश्तेदारों को अंशों का हस्तान्तरण करने से हुआ हो।

15. **लॉटरी, शर्त, ताश के खेल आदि की हानियाँ** (Losses Relating to Lottery, Betting, Playing Cards etc.)—आय के ऐसे स्रोत से होने वाली हानि के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम में ऐसी हानि को आगे ले जाने का प्रावधान नहीं है और न ही ऐसी आयों के सम्बन्ध में कोई व्यय कटौती के लिये स्वीकार किये जाते हैं। ऐसे स्रोत की आयों पर 30.9% की दर से आय-कर लगाया जाता है।

16. **व्यक्तियों के समुदाय अथवा व्यक्तियों के संघ की हानि** (Loss of Association of Persons (A.O.P.) or Body of Individuals (B.O.I.)—ऐसी हानियों को यदि उसी वर्ष पूरा नहीं किया जा सकता हो तो अगले 8 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।

हानियों की पूर्ति तथा आगे ले जाने के नियम

(RULE OF CARRY FORWARD OF LOSSES)

धारा 139(1) के अन्तर्गत रिटर्न फाइल समय से करना आवश्यक है।

हानियाँ जिनको आगे ले जाया जा सकता हो	आय जिससे हानि आगे के वर्षों में पूरी की जा सकती हो	कितने वर्षों तक हानि आगे ले जाया जा सकता
मकान सम्पत्ति की हानि (कर निर्धारण वर्ष 1999-2000)	मकान सम्पत्ति की आय	8 वर्ष
सट्टे की हानि	सट्टे के लाभ	4 वर्ष
गैर सट्टे व्यवसाय की हानि अशोधित ह्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय, परिवार नियोजन पर व्यय	वेतन की आय को छोड़कर अन्य सभी आयों से	अनिश्चित काल
धारा 35AD के अन्तर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि	धारा 35AD के अन्तर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से	अनिश्चित काल
अन्य सभी व्यवसायिक हानियाँ	सभी व्यवसायिक लाभों से	8 वर्ष
अल्पकालीन पूँजी हानि	पूँजी लाभ शीर्षक की आय से	8 वर्ष
दीर्घकालीन पूँजी हानि	केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभ से	8 वर्ष
घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने व स्वामित्व की गतिविधि से हानि	इसी स्रोत की आय से	4 वर्ष

16

सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ

DEDUCTIONS ALLOWED FROM GROSS TOTAL INCOME

किसी भी करदाता की विभिन्न पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत कर-योग्य आयों के योग में से हानियों की पूर्ति करने के पश्चात् (जिन हानियों को नियमानुसार पूरा किया जा सकता है) जो कर-योग्य आय शेष रहती है उस कर-योग्य आय को सकल कुल आय कहते हैं। इसके बाद इसमें से आय-कर अधिनियम के अनुसार कुछ भुगतानों तथा आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ दी जाती हैं। जिन्हें सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ कहते हैं। ऐसी कटौतियाँ धारा 80 C से 80 U तक हो सकती हैं। जो करदाता द्वारा किये गये भुगतानों या विनियोगों एवं अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इनका वर्णन निम्नलिखित है–

सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ

(DEDUCTION ALLOWED FROM GROSS TOTAL INCOME)

सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ घटाने के बाद जो शेष आय बचती है उसे कुल आय कहते हैं।

कटौतियाँ घटाने के उद्देश्य (Objects of Allowing Deductions)–

1. कर-योग्य आय की गणना
2. बचतों को प्रोत्साहन देना
3. कर दायित्व में कमी
4. बीमारी में आर्थिक सहायता
5. विदेशी मुद्रा को प्राप्त करना
6. कर नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति

धारा 80 के अन्तर्गत कोई करदाता एक से अधिक कटौती पाने का अधिकार रखता है तो ऐसी कटौतियों का योग किसी भी दशा में सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकता। अतः उसे सकल कुल आय के बराबर ही कटौती प्रदान की जायेगी उससे अधिक नहीं। ऐसी स्थिति में करदाता की कर-योग्य आय शून्य होगी तथा ऐसी आय पर कर नहीं लगाया जायेगा।

कटौतियों के सामान्य नियम

(GENERAL RULES OF DEDUCTIONS)

1. किसी भी दशा में कटौतियों की राशि सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती।
2. करदाता द्वारा कटौतियों की माँग की जानी चाहिए।
3. कटौतियाँ सकल कुल आय में से घटायी जानी चाहिए।

4. व्यक्तियों के संघ/समुदाय को कटौतियाँ दे दी गई हो तो उनके सदस्यों को कटौतियाँ नहीं दी जायेंगी।
5. प्रत्येक करदाता का कर्तव्य है कि वह कटौतियों के बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करें।

धारा 80 AC के अनुसार यदि कोई करदाता गत वित्तीय वर्ष 2005-06 या इसके बाद के वर्षों की कुल आय की गणना करते समय आय-कर विवरण निर्धारित तिथि या इससे पूर्व जमा नहीं करता है तो उसे धारा 80IA, 80IAB, 80IB, 80IC, 80ID, 80IE की कटौतियाँ प्रदान नहीं की जायेगी।

धारा 80 की स्वीकृत कटौतियाँ

(DEDUCTIONS ALLOWED UNDER SECTION 80)

इसके अन्तर्गत दो प्रकार से कटौतियाँ दी जा सकती हैं–

I. भुगतानों के सम्बन्ध में कटौतियाँ (Deductions in respect of certain Payments)

II. आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ (Ded. in Respect of Incomes)

I. कुछ भुगतानों के सम्बन्ध में कटौतियाँ

(DEDUCTIONS IN RESPECT OF CERTAIN PAYMENTS)

(A) जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि तथा अन्य विनियोगों की दशा में कर से छूट (Deduction for Life Insurance Premium, Provident Fund and Certain Investments etc.) (धारा 80 C)

1. इस धारा की कटौती केवल व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार को ही दी जाती है।
2. इस कटौती की अधिकतम सीमा ₹ 1,50,000 है।
3. यह कटौती भुगतान आधार पर दी जाती है।
4. स्थगित वार्षिकी (Deferred Annuity) में वार्षिकी के स्थान पर नकद राशि प्राप्त करने की छूट नहीं होनी चाहिए अन्यथा कटौती नहीं मिलेगी।

व्यक्ति करदाता की दशा में धारा 80 C की मदें (Items of Section 80 C in case of an Individual Assessee)–

1. **जीवन बीमा प्रीमियम**–एक व्यक्ति को अपने तथा अपने जीवन साथी एवं अपने बच्चों (चाहे विवाहित हो या अविवाहित/निर्भर हो अथवा न हो) के जीवन का बीमा कराने पर भुगतान की गई प्रीमियम की राशि, सरकारी कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान, सामूहिक बीमा योजना में अंशदान की राशि पर धारा 80 C की कटौती दी जायेगी। बीमा प्रीमियम की राशि बीमित धन के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1-04-2013 या इसके पश्चात् जारी जीवन बीमा पॉलिसी उस व्यक्ति के लिए जो–

   (i) धारा 80U में उल्लेखित व्यक्ति है या

   (ii) धारा 80 DDB में उल्लेखित व्यक्ति जो बीमारी से पीड़ित है

   उसको कटौती 15% बीमित राशि की मिलेगी।

नोट–1-04-2012 से पूर्व जीवन बीमा पॉलिसी लेने पर प्रीमियम की राशि बीमा पॉलिसी के 20% से अधिक नहीं होगी।

2. **स्थगित वार्षिकी**–एक व्यक्ति को स्थगित वार्षिकी (Deferred Annuity) चालू रखने के लिए भुगतान की गई राशि।
3. वैधानिक भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान।
4. प्रमाणित भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान।
5. सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान (कम-से-कम ₹ 500 तथा अधिकतम ₹ 1,50,000 वार्षिक तक)
6. यूनिट लिंक इन्श्योरेन्स प्लान (यू. टी. आई.) 1971 के अन्तर्गत भुगतान।
7. भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोगी फण्ड (म्युचुअल फण्ड) के अन्तर्गत अधिसूचित यूनिट लिंक्ड इन्श्योरेन्स प्लान में अंशदान।
8. अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में अंशदान।
9. केन्द्रीय सरकार की अधिसूचित प्रतिभूतियों में अंशदान।
10. राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गम तथा राष्ट्रीय बचत योजना 1992 में अंशदान।

11. राष्ट्रीय बचत योजना (VIII निर्गम) पर अर्जित ब्याज।
12. राष्ट्रीय आवास बैंक तथा पेंशन फण्ड में अंशदान।
13. धारा 10(23D) के अन्तर्गत अधिसूचित किसी पेंशन फण्ड में अंशदान।
14. ट्यूशन फीस के लिए भुगतान की गई राशि (विश्वविद्यालय, कॉलेज आदि) कॉलेज, विश्वविद्यालय ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य कोई फीस शामिल नहीं होगी। (केवल दो बच्चों के लिए)
15. नाबार्ड (NABARD) के अधिसूचित बाण्ड्स में अंशदान।
16. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अन्तर्गत जमा राशि।
17. ऐसे समता अंशों एवं ऋणपत्रों में अंशदान जो सार्वजनिक कम्पनियाँ सार्वजनिक वित्तीय संस्था के पूँजी निर्गम के भाग हों।
18. धारा 10(23D) के अन्तर्गत स्थापित एक सहयोगी फण्ड (mutual fund) के यूनिट्स में अंशदान।
19. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी योजना के अन्तर्गत बैंक में कम-से-कम (₹ 100 के गुणक में) लिए स्थायी जमा।
20. डाकघर समयावधि जमा नियम 1981 के अन्तर्गत कम-से-कम 5 वर्षीय जमा खाते में जमा धनराशि
21. नये आवासीय मकान के क्रय अथवा निर्माण की लागत।
22. धारा 10(23D) के अन्तर्गत अधिसूचित आधारभूत क्षेत्र के यूनिट्स में अंशदान।
23. सुकन्या समृद्धि खाता जमा योजना।

कटौती की राशि (Amount of Deduction)

सकल कटौती योग्य राशि (1) से (23) तक की राशियों का योग

5. नये आवासीय मकान को खरीदने अथवा उसका निर्माण करने पर किये गये व्ययों में धारा 80C की कटौती के लिए निम्न व्ययों को शामिल करते हैं–

(a) क्रय किये गये मकान की किस्त का भुगतान जो विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण बोर्ड आदि को देय हो,

(b) निम्न में से किसी से लिए गये ऋण की वापसी

 (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार
 (ii) बैंक (सहकारी बैंकों सहित)
 (iii) भारतीय जीवन बीमा निगम
 (iv) राष्ट्रीय आवासीय बैंक
 (v) सहकारी समिति जो मकानों के निर्माण में संलग्न हो।
 (vi) सार्वजनिक कम्पनी जो मकानों के निर्माण के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हो।
 (vii) केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कोई प्राधिकरण, बोर्ड या निगम जो करदाता का नियोक्ता हो।

(c) मकान के क्रय एवं विक्रय के सम्बन्ध में दी गई स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, दलाली एवं अन्य व्यय

6. **जमाओं से राशियों का आहरण**–यदि कोई करदाता अपने डाकघर सावधि जमा खाते या वरिष्ठ नागरिक खाते से जमा राशि का आहरण करता है तथा ऐसा आहरण 5 वर्ष पहले ही कर लिया जाता है (जिस राशि को जमा किये हुए 5 वर्ष पूरे न हुए हों) तो ऐसी राशि करदाता की आय मानी जाती है। ऐसी राशि पर करदाता के उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति का कर चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं है।

7. धारा 80C के लिए किसी सार्वजनिक कम्पनी के समता अंशों ऋणपत्रों या धारा 10(23D) के अधिसूचित पूँजी में विनियोग की गई राशि, आय मानी जाती है।

ऐसी विनियोग की गई राशि पूँजी के वांछनीय निर्गम का भाग होनी चाहिए तथा ऐसा निर्गम प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए एवं ऐसे अंशों तथा ऋणपत्रों को इनकी प्राप्ति की तिथि से तीन वर्ष तक किसी को विक्रय या हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिए।

यदि पूर्व में इसके सम्बन्ध में कटौती मिल चुकी है तो दोबारा इसकी कटौती नहीं दी जायेगी।

(B) पेन्शन कोष में अंशदान की कटौती (Deduction of contribution to pension fund) **(धारा 80 CCC)**

यह कटौती केवल निवासी, अनिवासी तथा विदेशी नागरिकों को ही दी जाती है। करदाता द्वारा वार्षिकी योजना में अंशदान या विनियोग किया जाना चाहिए तथा अंशदान में चुकायी गई राशि करदाता की कर-योग्य आय में से होना आवश्यक है। ऐसा अंशदान पेंशन योजना के लिए बनाये गये फण्ड में से पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया होना चाहिए। इस कटौती की अधिकतम सीमा ₹ 1,50,000 अथवा अंशदान की राशि जो भी दोनों में से कम है।

(C) केन्द्रीय सरकार की पेन्शन योजना में अंशदान (Contribution to the Central Government Pension Scheme) **(धारा 80 CCD)**

यह योजना 1.1.2004 या इसके बाद प्रारम्भ/आरम्भ की गई सेवा वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना में कर्मचारी अपने वेतन का 10% (अन्य व्यक्ति की दशा में 20% w.e.f. F.Y. 2017-18) अनिवार्य रूप से पेंशन खाते में जमा करेगा इतना ही अंशदान सरकार को करना होगा। सरकार द्वारा पेंशन योजना में किया गया अंशदान वेतन शीर्षक में करयोग्य वेतन में जोड़ा जायेगा। बाद में इस अंशदान पर तथा कर्मचारी के अंशदान पर जो प्रत्येक के लिए वेतन के 10% से अधिक नहीं हो सकती है। धारा 80 CCD की छूट प्रदान की जायेगी।

इस उद्देश्य के लिए वेतन में महँगाई भत्ता (सेवा की शर्तों के अन्तर्गत) को भी शामिल किया जायेगा।

धारा 80 CCD (1B) के अन्तर्गत ₹ 50,000 की अतिरिक्त कटौती मिलेगी जिसे 80 CCE में निर्दिष्ट ₹ 1,50,000 में शामिल नहीं किया जायेगा।

यदि करदाता की मृत्यु हो जाती है तथा करदाता का उत्तराधिकारी या नामित व्यक्ति पेन्शन खाता बन्द कर देता है तो प्राप्ति राशि कर मुक्त होगी। (w.e.f. A.Y. 2017-18)

(D) धारा 80CCE की कटौती (Deduction under Section 80CCE) **(धारा 80CCE)**

इसके अन्तर्गत धारा 80C, 80CCC, तथा 80CCD की कटौती प्रदान की जाती है। जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 1,50,000 निर्धारित की गई है।

Example 2

श्री चरण सिंह जादौन ने 1 मार्च, 2018 को केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय में ₹ 12,000 प्रतिमाह वेतन तथा मूल वेतन का 50% महँगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अन्तर्गत) पर सेवा शुरू की। वह अपने वेतन का 10% अधिसूचित पेंशन योजना के अन्तर्गत अंशदान करते हैं। केन्द्रीय सरकार भी इतनी ही राशि अंशदान करती है। श्री जादौन ने ₹ 50,000 सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा किये तथा ₹ 20,000 अपनी जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के चुकाये। इनकी कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए। ये आयकर विवरणी जमा करते हैं।

Mr. Charan Singh Jadaun joined the service of the Central Government in a Ministry on 1 March, 2018 on a Basic Salary of ₹ 12,000 p.m. plus dearness allowance @ 50% of the basic pay being under the terms of employment. He contributes 10% of his salary towards notified pension scheme. The Central Government contributes the same amount. Mr. Jadaun Contributes ₹ 50,000 to Public Provident Fund and paid ₹ 20,000 as premium on his Life Insurance Policy. Compute taxable income of Mr. Jadaun for the AssessmentYear 2019-20. He files Income Tax return.

Solution :

Computation of Mr. Charan Singh Jadaun's Taxable Income
(for the Assessment Year 2019-20)

Particulars		*Amount (₹)*
Basic Salary @ ₹ 12,000 p.m.		1,44,000
Dearness Allowance @ 50%		72,000
Contribution by the Government 10% of ₹ 2,16,000		21,600
Gross Salary		2,37,600
Less : Deduction u/s 16		40,000
Taxable Salary		1,97,600
Less : Deductions u/s 80	₹	
u/s 80 C (LIP & PPF) 50,000 + 20,000	70,000	
u/s 80CCD Contribution in Pension Fund by Mr. Jadaun	21,600	
Contribution by the Government	21,600	
	1,13,200	
Amount Deductable u/s 80C, 80CCC and 80CCD cannot exceed ₹ 1,50,000		1,13,200
Taxable Income		84,400

(E) स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की कटौती (Deduction of Health Insurance Premium) (धारा ...

यह कटौती व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार को दी जाती है। स्वास्थ बीमा स्वयं करदाता का, अथवा जीव... का या आश्रित बच्चों का हो तो कुल प्रीमियम की वास्तविक राशि या ₹ 25,000 (जो दोनों में कम हो) की छूट प्राप्त... यदि बीमा प्रीमियम करदाता के माता-पिता के लिए हो तब भी अधिकतम छूट ₹ 25,000 ही होगी। परन्तु यदि करदा... उसके जीवनसाथी की उम्र 60 वर्ष या अधिक है तो यह छूट बढ़कर ₹ 50,000 होगी। करदाता के माता-पिता में से किसी... उम्र 60 वर्ष या अधिक है तो भी यह छूट ₹ 50,000 होगी। इस कटौती के लिए आवश्यक है कि-

1. प्रीमियम का भुगतान मुद्रा के अतिरिक्त किसी प्रकार से हो।
2. प्रीमियम का भुगतान करदाता की कर-योग्य आय में से हो।
3. प्रीमियम का भुगतान सामान्य बीमा निगम या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी बीमा कम्पनी को किया गया...

कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 से स्वास्थ्य की निवारक जाँच पड़ताल के सम्बन्ध में धारा 80D में शामिल किया ग... जिसके अन्तर्गत यदि एक व्यक्ति करदाता अपने जीवनसाथी, आश्रित बच्चे एवं माता-पिता के स्वास्थ्य की निवारक... पड़ताल पर गत वर्ष में कोई राशि व्यय करता है तो इस राशि पर ₹ 5,000 तक की अधिकतम कटौती स्वीकृत होगी... पड़ताल की राशि का भुगतान किसी भी तरीके से या रोकड़ से किया जा सकता है। इस राशि की मान्य कटौती 80D... मान्य कटौती ₹ 25,000/₹ 50,000 में शामिल होगी।

(F) आश्रित व्यक्तियों की शारीरिक अयोग्यता के सम्बन्ध में चिकित्सकीय उपचार (Medical Treatment of Disable Dependent Person) (धारा 80DD)

यह कटौती व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार को दी जाती है। इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए-

1. करदाता द्वारा शारीरिक रूप से अयोग्य आश्रित व्यक्ति की चिकित्सा पर व्यय करना।
2. प्रत्यक्ष कर बोर्ड की योजना के अन्तर्गत आश्रितों के भरण-पोषण के लिए जीवन बीमा निगम या प्रशासक द्वारा बनाई गई योजना में निवेश किया गया हो।
3. ऐसा भुगतान करदाता की कर-योग्य आय में से किया गया हो।
4. करदाता की मृत्यु के पश्चात् शारीरिक रूप से अयोग्य आश्रित को जमा धन का भुगतान एक मुश्त या वार्षिकी के रूप में किया जायेगा।
5. करदाता ने ऐसे भुगतान को प्राप्त करने के लिए अयोग्य आश्रित या उसके लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित किया हो।
6. चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र जमा करना।

इस कटौती की स्थिर रकम ₹ 75,000 है चाहे करदाता ने इससे कम व्यय किया हो या इससे अधिक व्यय किया... तथा गम्भीर रूप से असमर्थ व्यक्तियों के लिए इसकी राशि ₹ 1,25,000 स्थिर है।

करदाता पर आश्रित पत्नी/पति, बच्चे, भाई, बहिन, माता-पिता हो सकते हैं।

शारीरिक रूप से व्यक्ति की अयोग्यताएँ निम्नलिखित हैं-

(i) अन्धापन

(ii) मन्द बुद्धि

(iii) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(iv) कुष्ठ रोगी

तथा उस पर ब्याज ₹ 7,500 दिया। इसके अतिरिक्त उसने ₹ 15,000 जीवन बीमा प्रीमियम तथा ₹ 8,000 स्वास्थ्य बीमा प्री के भी क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान किये। कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए।

Gross Total Income of Mr. Pradeep for the previous year 2018-19 was ₹ 3,00,000. He h taken a loan of ₹ 5,00,000 in 2014-15 from a bank to pursue MBA course at IIM Bangalo During the previous year 2018-19 he repaid the 1st instalment of the loan of ₹ 60,000 a interest there on ₹ 7,500. He also paid ₹ 15,000 for life insurance premium and ₹ 8,000 f medical insurance premium by credit card. Compute his Total income for the Assessment Ye 2019-20.

Solution : **Computation of Mr. Pradeep's Total Income**

(for the Assessment Year 2019-20)

	₹	₹
Gross Total Income		3,00,00
Less : Deduction u/s 80 C (Life insurance premium)	15,000	
Deduction u/s 80 D (Medical insurance premium)	8,000	
Deduction u/s 80 E (Interest on education loan)	7,500	30,50
Taxable/Total Income		2,69,50

(J) पुण्यार्थ संस्थाओं को दिये गये दान (Donation Given to Charitable Institutions, Certai Funds etc.) (धारा 80 G

यह कटौती दान के सम्बन्ध में सभी करदाताओं को प्रदान की जाती है। इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए-

1. दान का नकद भुगतान हो, न कि वस्तु के रूप में।
2. दान वास्तव में दिया गया हो।
3. दान पुण्यार्थ संस्थाओं अथवा विशिष्ट कोषों को दिये गये हों।
4. दान के भुगतान का प्रमाण देना।
5. केवल दान के सम्बन्ध में कटौती मिलना।
6. नकद में चेक, ड्राफ्ट शामिल है।

करदाता द्वारा दिये गये दान (Donations given by the assessee)—इन्हें दो श्रेणियों में बाँटा जाता है-

(I) सीमा रहित दान की राशि
- 100% कटौती मिलती है।
- 50% कटौती मिलती है।

(II) सीमा सहित दान की राशि
- 100% कटौती मिलती है।
- 50% कटौती मिलती है।

कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 से ₹ 10,000 से अधिक नकद दान की राशि पर (धारा 80G और 80GGA के अन्तर्गत) रोक लगा दी गई है। इस संशोधन के अन्तर्गत ₹ 2,000 से अधिक किसी नकद राशि के दान के सम्बन्ध में धारा 80G के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

नोट—यदि दान नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से किया है तो कटौती मान्य रहेगी।

(1) सीमा रहित दान (No Limit Donations)—

(A) इसके अन्तर्गत वे दान आते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती है तथा इन दान राशियों पर 100% कटौती प्राप्त होती है। ये यदि अग्र कोषों या फण्डों में दिये गये हैं—

1. राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (NDF)
2. प्रधानमन्त्री सहायता कोष (PMNRF)
3. प्रधानमन्त्री आर्मीनिया भूकम्प राहत कोष (PMAERF)
4. अफ्रीका कोष (सार्वजनिक अंशदान-भारत) (AF)
5. सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउण्डेशन
6. कोई विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्था जिसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हो
7. मुख्यमन्त्री (महाराष्ट्र) भूकम्प सहायता कोष
8. जिला साक्षरता समिति
9. गुजरात सरकार भूकम्प सहायता कोष
10. राष्ट्रीय रक्त अन्तरण परिषद
11. चिकित्सा सम्बन्धी राहत हेतु राज्य सरकार को दान
12. थल सेना केन्द्रीय कल्याण कोष
13. राष्ट्रीय खेलकूद कोष
14. राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष
15. लैफ्टीनैन्ट गवर्नर्स राहत कोष
16. प्रौद्योगिक विकास कोष एवं अनुप्रयोग कोष
17. मानसिक कमजोरी, बहुसंख्यक असमर्थता के कल्याण हेतु ट्रस्ट में दान
18. राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष
19. मुख्यमन्त्री तूफान राहत कोष आन्ध्र प्रदेश
20. राष्ट्रीय बाल कोष
21. स्वच्छ भारत कोष (Setup by Central Government)
22. स्वच्छ गंगा कोष
23. मुख्यमन्त्री राहत कोष

(B) इसके अन्तर्गत वे दान आते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती तथा इन पर 50% कटौती प्राप्त होती है।

1. जवाहर लाल नेहरू स्मृति कोष
2. इन्दिरा गाँधी स्मृति न्यास
3. प्रधानमन्त्री अकाल सहायता कोष
4. राजीव गाँधी फाउण्डेशन

(2) सीमा सहित दान (With Limit Donations)—

(A) इसके अन्तर्गत वे दान आते हैं जिनकी सीमा निर्धारित होती है और उन पर 100% कटौती प्राप्त होती है—

1. परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार या अनुमोदित स्थानीय सत्ता या ऐसी संस्था अथवा संघ को दान जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो।
2. खेलकूदों के प्रोत्साहन तथा विकास के लिए कम्पनी करदाता द्वारा भारतीय ओलम्पिक संघ या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी संस्था अथवा संघ को दिया गया दान।

(B) वे दान जिनकी सीमा निर्धारित है तथा उन पर 50% कटौती प्राप्त होती है—

1. पुण्यार्थ संस्था को दान जो पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त हो।
2. परिवार नियोजनों के दानों के अतिरिक्त सरकार या स्थानीय सत्ता को पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए दिये गये दान।
3. आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने या नगरों अथवा गाँवों के विकास के लिए अधिसूचित संस्थाओं को दान।
4. अल्पसंख्यकों के हितों के लिए केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम को दान।

= ₹ 4,000

कटौती की राशि 50% of ₹ 4,000 = ₹ 2,000

कुल कटौती u/s 80 G = (A) ₹ 5,000 + (B) ₹ 2,000 + (C) ₹ 2,000 = ₹ 9,000

नोट–उच्च शिक्षा हेतु निर्धन छात्र को दान के सम्बन्ध में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(K) किराये का भुगतान (Payment of House Rent) (धारा 80GG)

यह कटौती उन करदाताओं को मिलती है जिन्हें अपने मालिक से मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है या जो करदाता गैर-वेतनभोगी है तथा किराये के मकान में रहता हो। इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए–

(i) करदाता एक व्यक्ति हो।

(ii) करदाता अपनी कर-योग्य आय में से ऐसे किराये का भुगतान करता हो।

(iii) करदाता का स्वयं का व्यापार हो या करदाता वेतन पाने की दशा में मालिक से मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं करता हो।

(iv) फार्म 10 BA के अन्तर्गत किराये के भुगतान के सम्बन्ध में घोषणा पत्र जमा किया हो।

(v) करदाता का या पत्नी/पति या अव्यस्क बच्चे/बच्चों का मकान ऐसे स्थान पर न हो जहाँ वह नौकरी करता हो या जहाँ उसका व्यापार हो।

इसकी कटौती की राशि निम्न में से (जो भी कम हो) वह होगी–

(a) समायोजित कुल आय का 10% से अधिक भुगतान किया गया किराया। (Rent Paid –10% of Adjusted Total Income)

(b) समायोजित आय का 25%

(c) ₹ 5,000 प्रति माह

समायोजित कुल आय ऐसी आय होगी जिसमें से दीर्घकालीन पूँजी लाभ तथा धारा 80C से 80U तक (80GG को छोड़कर) तथा धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभ तथा धारा (115 A to 115 D) में वर्णित कटौतियाँ घटा दी गई हो।

2. 25% of Adjusted Income

$25\% \, [5,00,000 - (50,000 - .1x) = 1,25,000 - 12,500 - .025x$

$= 1,12,500 - .025x$

3. ₹ 5,000 per month or ₹ 60,000

उपर्युक्त तीनों में (A) की राशि कम है। जबकि इसे x माना है।

$$\therefore \quad x = 15,000 - .01x$$
$$x + .01x = 15,000$$
$$1.01x = 15,000$$
$$x = \frac{15,000}{1.01} = ₹14,851$$

x का मान $(50,000 - .1x)$ में रखने पर

$(50,000 - .1 \times 14,851)$

$50,000 - 1,485 = ₹\, 48,515$

अत: धारा 80G की कटौती ₹ 48,515

तथा धारा 80 GG की कटौती ₹ 14,851 होगी।

(L) वैज्ञानिक अनुसन्धान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान (Donation for Scientific Research or Rural Development) (धारा 80GGA)

केवल उन करदाताओं को दी जाती है जिन्होंने अपनी सकल कुल आय व्यापार एवं पेशे की आय के अतिरिक्त प्राप्त की हो। इन दानों पर 100% कटौती प्राप्त होती है।

ऐसे व्यय अथवा भुगतान निम्न प्रकार हैं जिनके सम्बन्ध में यह कटौती दी जाती है–

1. अनुमोदित विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए दी गई धनराशि।
2. सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकी अनुसन्धान के लिए अनुमोदित विश्वविद्यालय या कॉलेज को दी गई धनराशि।
3. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को संचालित या प्रशिक्षित करने के लिए किसी संघ या संस्था को दिया गया दान। इसके लिए धारा 35 CCA की उपधारा 2(A) का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय नगर गरीबी उन्मूलन कोष में दी गई धनराशि।
5. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित (वनारोपण) कोष में दी गई धनराशि।
6. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित ग्रामीण विकास फण्ड में दी गयी राशि।
7. वांछनीय कार्यक्रम या योजना चलाने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी संस्था या संघ को दी गई राशि।
8. किसी योजना को चलाने के लिए राष्ट्रीय कमेटी द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी या अनुमोदित संघ या संस्था को सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए कोई राशि भुगतान की गई हो तब निर्धारिती को धारा 35AC के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट–यदि ₹ 2,000 से ज्यादा राशि नकद दी गई है, तो कटौती नहीं मिलेगी।

(M) कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को अंशदान (Contribution to Political Parties by Companies) (धारा 80 GGB)

यह कटौती भारतीय कम्पनी को दी जाती है। कम्पनी जितनी राशि राजनैतिक दलों को अंशदान देगी उसकी 100% कटौती कम्पनी को प्राप्त होगी। नकद दान देने पर कटौती नहीं मिलेगी।

नोट–अंशदान में चन्दा एवं दान शामिल है।

(N) व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों को अंशदान (Contribution to Political Parties by any Person) (धारा 80 GGC)

यह कटौती ऐसे कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति एवं स्थानीय सत्ता जिसे सरकार से सहायता प्राप्त होती है एवं कम्पनी को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है। राजनैतिक दलों को दिये गये दान पर 100% कटौती प्राप्त होती है।

नोट–नकद दिया हुआ दान कटौती योग्य नहीं है।

(II) आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ

(DEDUCTIONS IN RESPECT OF CERTAIN INCOME)

(A) बुनियादी या ढाँचागत विकास कार्य में संलग्न उपक्रमों से प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80-IA] (Deduction in respect of Profits from Industrial Undertaking or enterprise engaged in infrastructure Development)

यह कटौती उन करदाताओं को दी जाती है जिनकी आय में उपक्रम के निम्न व्यापारों के लाभ सम्मिलित हों–

(i) बुनियादी या ढाँचागत सुविधाएँ
(ii) दूरसंचार सेवाएँ
(iii) औद्योगिक पार्क
(iv) विद्युत् उत्पादन एवं वितरण

1. **बुनियादी या ढाँचागत सुविधाएँ**–ऐसे उपक्रम जो मूलभूत सुविधाओं के विकास, अनुरक्षण, संचालन एवं विकास कार्यों में संलग्न हैं। इनमें जल आपूर्ति, सिंचाई परियोजना आदि विकास सुविधाएँ शामिल हैं। ऐसे उपक्रम द्वारा बुनियादी सुविधाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य 1.4.95 को या उसके बाद शुरू किया गया हो। ऐसे उपक्रम का स्वामित्व भारत में रजिस्टर्ड किसी कम्पनी के पास होना चाहिए। ऐसे उपक्रम ने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता से इन सुविधाओं के संचालन व अनुरक्षण का अनुबन्ध किया गया हो।

आधारभूत सुविधाओं में निम्नलिखित उपक्रम शामिल हैं–

(a) सड़क, पुल, रेल आदि।
(b) हाइवे परियोजना।
(c) जल आपूर्ति, सिंचाई परियोजना, जल उपचार आदि।
(d) बन्दरगाह, हवाई अड्डा, तथा आन्तरिक जल मार्ग।

2. **दूरसंचार सेवाएँ**–ऐसा उपक्रम जो दूरसंचार सेवाओं के कार्यों में संलग्न हो। दूरसंचार सेवाओं में रेडियो, पेजिंग, नेटवर्क, इन्टरनेट शामिल हैं। ऐसी सेवाएँ 1.4.1995 को तथा 31.03.2005 तक प्रारम्भ हो जानी चाहिए। ऐसा उपक्रम पुरानी मशीनों के हस्तान्तरण द्वारा स्थापित न हुआ हो अर्थात् यह नया उपक्रम होना चाहिए।
3. **औद्योगिक पार्क**–इनमें ऐसे उपक्रम शामिल हैं जिन्होंने 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि में औद्योगिक पार्क को विकसित एवं अनुरक्षण करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। ऐसे उपक्रम भारत में विद्युत् के उत्पादन एवं वितरण के लिए स्थापित किये गये हों। विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) की स्थिति में 1.4.2001 को या इसके बाद की अवधि में विकसित तथा संचालित किये गये हों।
4. **विद्युत् उत्पादन एवं वितरण हेतु स्थापित उपक्रम**–ऐसे उपक्रम का स्वामित्व भारतीय कम्पनी के पास होना चाहिए तथा ऐसे उपक्रम ने मूलभूत सुविधाओं का रख-रखाव आरम्भ किया हो। ऐसा उपक्रम विद्युत् उत्पादन के कार्यों को सम्पादित करता हो तथा उसने 1.4.1993 को या इसके बाद किन्तु 31.3.2017 से पहले कार्य प्रारम्भ कर दिया हो।

यदि उपक्रम 31.3.1999 के बाद किन्तु 1.4.2017 से पूर्व नई वितरण लाइनों का नेटवर्क लगाता है।

यदि उपक्रम 31.3.2004 के बाद किन्तु 1.4.2017 से पूर्व वितरण लाइनों के नेटवर्क का नवीनीकरण या आधुनिकीकरण करता है।

(a) ऐसे उपक्रम का पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए।
(b) ऐसा उपक्रम पुरानी मशीनों एवं प्लाण्ट के हस्तान्तरण द्वारा स्थापित नहीं हुआ हो।
(c) उपक्रम पूर्ण रूप से नवीन (नया) होना चाहिए।

कटौती की राशि (दूरसंचार सेवाओं वाले उपक्रम को छोड़कर)

(i) पहले 10 कर निर्धारण वर्षों तक लाभों का 100%
(ii) पहले 5 कर निर्धारण वर्षों तक लाभों का 100% (दूरसंचार वाले उपक्रमों के लिए) अगले 5 वर्षों तक लाभों का 30% (कम्पनियों की दशा में), 25% (अन्य करदाताओं की दशा में)

(B) विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास कार्यों में लगे उपक्रम–(धारा 80-IAB) (Deduction in respect of Enterprises in development of Special Economic Zone)—यह कटौती उन करदाताओं को प्राप्त होती है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास कार्यों में लगे होते हैं। निम्न शर्तें पूरी होने पर कटौती दी जाती है।

(i) करदाता का विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकास कार्यों में संलग्न होना चाहिए।

(ii) सकल कुल आय में विशेष आर्थिक क्षेत्र के लाभ शामिल हों।

(iii) ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र 1.4.2005 को या इसके बाद अधिसूचित किया गया हो।

लगातार कटौती की राशि 10 कर निर्धारण वर्षों तक लाभों का 100%।

यह कटौती 15 वर्षों में से कभी भी लगातार 10 वर्षों तक ली जा सकती है।

(Begining from the year inwhich Sec. notified by C.G.)

(C) धारा 80 IAC की निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ के सम्बन्ध में कटौती (W.e.f.A.Y. 2017-18) Deduction in respect of Profits of Specified Business of Section 80IAC)

पात्र स्टार्ट अप–कोई कम्पनी या सीमित दायित्व साझेदारी जो पात्र व्यवसाय में लगी हो तथा निम्न शर्तें पूरी करती हो–

1. ऐसी कम्पनी 31.3.2016 के पश्चात किन्तु 31.3.2019 तक प्रारम्भ की गई हो।
2. 1.4.2016 से 31.3.2021 तक किसी भी वर्ष में कुल आवर्त ₹25 करोड़ से अधिक न हो।
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा पात्र व्यवसाय का प्रमाण-पत्र हो।

पात्र व्यवसाय–विकास, नये उत्पाद विकास, नव प्रवर्तन आदि से सम्बन्धित प्रक्रिया या सेवाओं से है।

कटौती–ऐसी कटौती लगातार तीन कर-निर्धारण वर्षों तक लाभों का 100% होगी

कटौती की शर्तें–(i) व्यवसाय पुनर्गठन या विभाजन से नहीं बनाया हो।

(ii) ऐसे व्यवसाय में पुरानी मशीनें 20% से अधिक न हो। किन्तु विदेश से आयात की गई मशीनों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

(D) अन्य उपक्रमों (आधारभूत सुविधाओं वाले उपक्रमों के अतिरिक्त) के लाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा (80 IB)] (Deduction in Respect of Profits of Undertakings Other than those engaged in Infrastructure Development)—यह कटौती उन करदाताओं को प्राप्त होती है जिनकी कुल आय में निम्न प्रकार के व्यवसायों की आयें शामिल होती हैं–

1. समुद्री जहाज संचालन का व्यापार
2. होटल व्यवसाय
3. वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक शोध एवं विकास
4. खनिज तेलों का उत्पादन एवं शोधन
5. सभागार अथवा सम्मेलन केन्द्र
6. ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का संचालन
7. खाद्यान्नों के संग्रहण एवं प्रबन्ध
8. किसी भी व्यापार में संलग्न औद्योगिक उपक्रम
9. भवन निर्माण एवं विकास
10. बहुविध या बहुमंजिले सिनेमाघर (multiplex)
11. भारत में कहीं भी अस्पताल।

1. समुद्री जहाज संचालन व्यापार–इस कटौती को तभी प्रदान किया जायेगा जब निम्न शर्तें पूरी हों–

(i) ऐसे व्यापार का स्वामित्व भारतीय कम्पनी के पास हो।

(ii) कम्पनी द्वारा संचालन किये गये व्यापार के लिए जहाज का पूर्ण रूप से प्रयोग।

(iii) कम्पनी द्वारा इसका प्रयोग 1.4.1991 को या इसके बाद किन्तु 31.3.1995 तक शुरू कर दिया गया हो।

(iv) प्रथम 10 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत लाभ कटौती योग्य होगा।

2. होटल व्यवसाय–यह कटौती तभी प्रदान की जायेगी जब निम्न शर्तें पूरी हों–

(i) ऐसा होटल किसी व्यापार के पुनर्निर्माण या पुनर्गठन से न बना हो।

(ii) यह व्यवसाय एक ऐसी भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में हो जिसकी दत्त पूँजी ₹ 5 लाख से कम न हो।

(iii) ऐसा व्यवसाय निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। 01.04.1999 से पहले।

(iv) ऐसे व्यवसाय ने अपना कार्य 1.4.1997 को या इसे बाद किन्तु 01.04.2001 से पहले शुरू कर दिया हो।

(v) ऐसे व्यवसाय को सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र अथवा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होना चाहिए।

(vi) होटल भारत सरकार के पर्यटन महानिदेशालय के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया हो।

(vii) धारा 80 IB(7)(a) के अन्तर्गत पर्वतीय स्थान, ग्रामीण क्षेत्र या तीर्थस्थान या अधिसूचित स्थान पर स्थित होटल की दशा में प्रथम 10 वर्षों तक छूट 50% लाभ के बराबर होगी। अन्य स्थान पर स्थित होने की दशा में प्रथम 10 वर्षों तक छूट 30% लाभ के बराबर होगी।

3. वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक शोध एवं विकास–निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर यह कटौती प्रदान की जायेगी–

(i) ऐसा व्यवसाय भारतीय कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा हो।

(ii) ऐसे व्यवसाय को चलाने का उद्देश्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध एवं विकास कार्य करना हो।

(iii) ऐसा व्यवसाय निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

(iv) यदि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन 1.4.2000 से 31.3.2007 तक प्राप्त हुआ हो तो छूट लाभ का 100% होगी जो प्रथम कर निर्धारण से 10 वर्षों तक मिलेगी।

4. खनिज तेलों का उत्पादन एवं शोधन–निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर यह कटौती दी जाती है–

(i) ऐसा व्यापार नया उपक्रम हो।

(ii) ऐसा व्यापार पुरानी मशीनों एवं प्लाण्ट के हस्तान्तरण से स्थापित नहीं हुआ हो।

(iii) ऐसे व्यापार ने खनिज तेलों का उत्पादन 31.3.1997 के बाद शुरू किया हो।

(iv) खनिज तेलों के शोधन में लगे व्यवसाय को कटौती तभी प्राप्त होती है जब उसने शोधन कार्य 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2012 से पहले प्रारम्भ कर दिया हो।

(v) जिस वर्ष से उत्पादन या शोधन प्रारम्भ हुआ है को मिलाकर कुल 7 वर्षों तक लाभ के 100% के बराबर कटौती प्रदान की जायेगी।

5. सभागार एवं सम्मेलन केन्द्र—सभागार एवं सम्मेलन केन्द्र (Convention Centre) का आशय ऐसे भवन से है जिसमें सभा या सम्मेलन किये जा सकते हैं। ऐसा केन्द्र हालनुमा होता है। इसकी कटौती तभी प्रदान की जायेगी जब निम्न शर्तें पूरी हों–

(i) ऐसे केन्द्र का निर्माण 1.4.2002 से 31.3.2005 तक की अवधि में हुआ हो।

(ii) इसके सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कटौती की माँग की सही प्रमाणित कराना होगा।

(iii) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आयकर विवरणी के साथ निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(iv) इसका निर्माण नया होना चाहिए।

(v) इन पर प्रथम पाँच वर्षों के लिए 50% लाभ तक छूट प्रदान की जायेगी।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का संचालन–निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर इसकी कटौती दी जायेगी–

(i) ऐसे अस्पताल में कम-से-कम 100 मरीजों की व्यवस्था हो।

(ii) ऐसा अस्पताल 1.10.2004 से 31.3.2008 तक की अवधि में बना हो।

(iii) आयकर विवरणी के साथ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट की अंकेक्षण रिपोर्ट आवश्यक है।

7. खाद्यान्नों के संग्रहण एवं प्रबन्ध–निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर, कटौती दी जायेगी–

(i) ऐसा व्यापार करदाता (कम्पनी अथवा गैर कम्पनी) द्वारा संचालित हो।

(ii) इसका उद्देश्य सब्जी, फल आदि खाद्यान्न वस्तुओं का प्रबन्ध, संग्रहण एवं परिवहन सम्बन्धी होना चाहिए।

(iii) ऐसा उपक्रम 1.4.1999–31.3.2003 या इसके बाद शुरू किया गया हो।

8. किसी भी व्यापार में संलग्न औद्योगिक उपक्रम–निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर यह कटौती दी जायेगी–

(i) उपक्रम नया स्थापित हुआ हो।

(ii) ऐसा उपक्रम पुरानी प्लाण्ट एवं मशीनों के हस्तान्तरण से नहीं बना हो।

(iii) उपक्रम जो ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित न होने तथा वस्तु के निर्माण एवं उत्पादन कार्य में लगे हों लघु स्तरीय औद्योगिक उद्यम तथा पिछड़े राज्य में स्थापित उद्यम इस धारा की कटौती पाने के अधिकारी

(iv) ऐसे उपक्रम द्वारा वस्तु का उत्पादन, निर्माण कार्य निम्न अवधि में शुरू किया गया हो–

(a) आठवीं अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक उपक्रम जो 1.4.1993 से 31.3.2002 तक पिछड़े क्षेत्र स्थापित हुआ हो।

(b) उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में ऐसा उपक्रम 1.4.1995 से 31.3.2004 तक स्थापित किया गया हो।

(c) लघु उद्योग क्षेत्र के उपक्रम जिनकी स्थापना 1.4.1995 से 31.3.2002 तक की गई हो।

(d) अन्य कोई उपक्रम जो 1.4.1991 से 31.3.1995 तक स्थापित किया गया हो।

कुछ दशाओं में पुराने आयात किये गये प्लाण्ट एवं मशीन का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु निम्न शर्तें पूरी होने

(a) पुराने प्लाण्ट एवं मशीन को विदेश से मँगवाया हो।

(b) ऐसे प्लाण्ट एवं मशीन को इससे पहले कभी भी भारत में प्रयोग न किया गया हो।

(c) ऐसे प्लाण्ट एवं मशीन पर ह्रास की कटौती स्वीकृत न की गई हो।

9. भवन निर्माण एवं विकास–ऐसी कटौती तभी दी जायेगी जब निम्न शर्तें पूरी हों–

(i) परियोजनाएँ 31.3.2008 से पहले अनुमोदित कर दी गई हों।

(ii) भूखण्ड का आकार 1 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए।

(iii) इसके सम्बन्ध में निर्माण कार्य 1.10.1998 को या इसके बाद किन्तु 31.3.2008 तक पूरा कर लिया हो

(iv) यदि परियोजना 1.4.2004 को या इसके बाद अनुमोदित हुई है तो इसे उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 4 वर्ष के अन्दर पूरा कर लेना चाहिए।

(v) रिहायशी इकाइयों की निर्मित क्षेत्र 1,000 वर्ग फीट से अधिक न हो (दिल्ली या मुम्बई अथवा इन शहरों की नगरपालिका सीमा से 25 किमी. के अन्तर्गत हो)

(vi) अन्य शहरों के लिए निर्मित क्षेत्र 1,500 वर्ग फीट से अधिक न हो।

(vii) छूट की राशि लाभों के 100% के बराबर सभी कर निर्धारण वर्षों के लिए होगी।

10. सिनेमा घर–निम्न शर्तें पूरी होने पर कटौती प्रदान की जायेगी–

(i) ऐसे सिनेमाघरों का निर्माण 31.3.2002 से 31.3.2005 तक पूरा हो गया हो।

(ii) ऐसे सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण न हुआ हो।

(iii) ऐसा व्यवसाय पुरानी प्लाण्ट एवं मशीनों के हस्तान्तरण से न हुआ हो।

(iv) ऐसा व्यवसाय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, एवं मुम्बई के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित न हो।

(v) कटौती की सही माँग के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट आय-कर विवरणी के साथ संलग्न हो।

इसकी कटौती 5 कर निर्धारण वर्षों तक 50% लाभों के बराबर दी जायेगी।

11. भारत में अपवर्जित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर अस्पताल–इसके सम्बन्ध में होने वाले लाभों का पहले पाँच कर-निर्धारण वर्षों में 100% कटौती मिलेगी यदि निम्न शर्तें पूरी हों–

(i) इसका निर्माण 1.4.2003 को या इसके बाद किन्तु 31.3.2008 तक होना चाहिए।

(ii) अस्पताल में कम-से-कम 100 बिस्तर की व्यवस्था हो।

(iii) आयकर विवरणी के साथ सी. ए. की रिपोर्ट संलग्न हो।

(iv) ऐसा व्यवसाय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, एवं मुम्बई के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित न हो।

(E) आवास निर्माण परियोजना के लाभ के सम्बन्ध में कटौती [धारा (80 IBA)] (W.e.f. A.Y. 2017-18) Deduction in Respect of Profits of Residential Construction Project)–यह कोई संस्था आवास निर्माण परियोजना में संलग्न हैं तब ऐसी संस्था को ऐसे व्यवसाय से होने वाले लाभ के 100% के बराबर कटौती मिलेगी। ऐसी कटौती तब मिलेगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी–

1. आवासीय परियोजना केन्द्रीय सरकार द्वारा 1.6.2016 के बाद किन्तु 1.4.2019 से पहले अनुमोदित होनी चाहिए।

2. परियोजना तीन वर्ष के अन्दर पूर्ण होनी चाहिए।

जहाँ किसी आवास निर्माण परियोजना के सम्बन्ध में एक-से अधिक बार अनुमोदन प्राप्त किया गया हो वहाँ परियोजना उस तिथि को अनुमोदित समझी जायेगी जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा पहली बार अनुमोदित किया गया हो।

स्थान	भूखण्ड का क्षेत्रफल	उपयोग	आवासीय इकाई का आकार
1. चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुम्बई	कम से कम 1000 वर्ग मीटर	कम से कम 90%	अधिकतम 30 वर्गमीटर
2. अन्य सभी स्थानों के लिए	कम से कम 1500 वर्ग मीटर	कम से कम 80%	अधिकतम 60 वर्गमीटर

विभिन्न उद्यमों के लिए कटौती की दरें–(धारा 80IB)

(RATE OF DEDUCTION FOR VARIOUS UNDERTAKINGS) [Sec. 80IB]

	उद्यम या कटौती पाने वाले करदाता	कम्पनी	सहकारी समिति	अन्य करदाता
1.	पिछड़े राज्यों में स्थापित औद्योगिक उद्यम (वर्ग A) (कोल्ड स्टोरेज सहित)	प्रारम्भिक 5 वर्ष तक 100% अगले 5 वर्ष तक 30%	प्रारम्भिक 5 वर्ष तक 100% अगले 5 वर्ष तक 25%	प्रारम्भिक 5 वर्ष तक 100% अगले 5 वर्ष तक 25%
2.	उत्तरपूर्वी क्षेत्र (पिछड़े राज्य) में औद्योगिक प्रतिष्ठान	प्रारम्भिक 10 वर्षों तक 100%	प्रारम्भिक 10 वर्षों तक 100%	प्रारम्भिक 10 वर्षों तक 100%
3.	पिछड़े जिलों (वर्ग B) में औद्योगिक प्रतिष्ठान	प्रथम 3 वर्षों तक 100% अगले 5 वर्ष 30%	प्रथम 3 वर्षों तक 100% अगले 9 वर्ष तक 25%	प्रथम 3 वर्षों तक 100% अगले 5 वर्ष तक 25%
4.	लघु उद्योग (ग्यारहवीं अनुसूची सहित)	प्रथम 10 वर्षों तक 30%	प्रथम 12 वर्षों तक 25%	प्रथम 10 वर्षों तक 25%
5.	होटल व्यवसाय (पर्वतीय, ग्रामीण तथा तीर्थ स्थान पर स्थित)	प्रथम 10 वर्षों तक 50%	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	वैज्ञानिक या औद्योगिक शोध एवं विकास	प्रथम 10 वर्षों में 100%	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	खनिज तेल का उत्पादन	प्रथम 7 वर्ष तक 100%	प्रथम 7 वर्ष तक 100%	प्रथम 7 वर्ष तक 100%
8.	आवासीय परियोजनाएँ	असीमित समय तक 100%	असीमित समय तक 100%	असीमित समय तक 100%
9.	खाद्यान्नों के संग्रहण एवं परिवहन	प्रथम 5 वर्ष तक 100% अगले 5 वर्ष तक 30%	प्रथम 5 वर्ष तक 100% अगले 7 वर्ष तक 25%	प्रथम 5 वर्ष तक 100% अगले 5 वर्ष तक 25%
10.	सभागार	प्रथम 5 वर्षों तक 50%	प्रथम 5 वर्षों तक 50%	प्रथम 5 वर्षों तक 50%
11.	सिनेमाघर (बहुमंजिले)	प्रथम 5 वर्षों तक 50%	प्रथम 5 वर्षों तक 50%	प्रथम 5 वर्षों तक 50%
12.	भारत के किसी भी क्षेत्र में अस्पताल	प्रथम 5 वर्षों तक 100%	प्रथम 5 वर्षों तक 100%	प्रथम 5 वर्षों तक 100%
13.	समुद्री जहाजों का संचालन	प्रथम 10 वर्षों तक 30%	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल (100 मरीजों की व्यवस्था)			

(F) विशेष राज्यों में स्थापित उपक्रम—(धारा 80 IC) (Enterprises Established in Special States) जिस करदाता की सकल कुल आय में ऐसे प्रतिष्ठानों की आयें शामिल हों जो निम्न शर्तें पूरी करते हों, उन्हें ... दी जायेगी—

1. उपक्रम नया होना चाहिए।
2. उपक्रम पुराने प्लाण्ट एवं मशीनों के हस्तान्तरण से नहीं बना होना चाहिए।
3. विशेष राज्यों में स्थापित हो—जैसे—(उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम) उत्तर पूर्वी राज्य (असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा।)
4. चौदहवीं सूची में उल्लेखित वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन कार्य करता हो।
5. निम्न अवधि में उत्पादन कार्य शुरू किया हो।

सिक्किम 23.12.2002 से 1.4.2012 से पहले समाप्त

हिमाचल तथा उत्तराखण्ड 7.1.2003 के बाद किन्तु 1.4.2012 से पहले समाप्त

उत्तरपूर्वी राज्य 24.12.1997 के बाद किन्तु 1.4.2007 से पहले समाप्त।

धारा 80 IC की कटौती एक नजर में

(DEDUCTION AVAILABLE U/S 80 IC AT A GLANCE)

राज्य	अवधि	कम्पनी	अन्य
सिक्किम	23.12.2002 से 1.4.2012	प्रथम 10 वर्षों के लिए 100%	प्रथम 10 वर्षों के लिए 100%
उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश	7.1.2003 से 31.3.2012	प्रथम 5 वर्षों के लिए 100% अगले 5 वर्षों के लिए 30%	प्रथम 5 वर्षों के लिए 100% अगले 5 वर्षों के लिए 25%
उत्तरपूर्वी राज्य	24.12.1997 से 31.3.2007	प्रथम 10 वर्षों तक 100%	प्रथम 10 वर्षों तक 100%

(G) विशेष क्षेत्रों में होटल और अधिवेशन केन्द्र (धारा (80 ID) (Hotel and Convention Centre in Special or Specified Area)—(W.E.F. 2008-09) विशिष्ट या विशेष क्षेत्रों में स्थापित होटलों या अधिवेशन केन्द्रों को यह कटौती कर निर्धारण वर्ष 2008-09 से प्रदान की जायेगी इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए—

1. ऐसा व्यवसाय विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित हो।
2. ऐसे व्यवसाय का निर्माण 1.4.2007 से 31.3.2010 की अवधि में पूरा हो गया हो, अथवा
3. अधिवेशन केन्द्र का निर्माण 1.4.2007 से 31.3.2010 की अवधि में हुआ हो।
4. ऐसा व्यवसाय नया हो।
5. ऐसा व्यवसाय पहले से प्रयोग किये गये भवन को हस्तान्तरित करके नहीं बना हो।
6. अंकेक्षक की रिपोर्ट आय-कर विवरणी के साथ जमा की हो।
7. ऐसा व्यवसाय पुराने प्लाण्ट एवं मशीन के हस्तान्तरण से नहीं बना हो।
8. आय-कर विवरणी धारा 139 के अन्तर्गत देय तिथि तक जमा कर दी गई हो।

विशिष्ट या विशेष क्षेत्र—राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली क्षेत्र में स्थित फरीदाबाद, गुड़गाँव, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) एवं गाजियाबाद जिलों से है।

अधिवेशन या सभागार या सम्मेलन केन्द्र—इनके अन्तर्गत वे भवन आते हैं जिसमें सभाएँ या सम्मेलन करने के लिए हाल तथा अन्य सुविधाएँ हों।

कटौती—लाभों का 100% प्रथम वर्ष से लगातार 5 वर्षों तक।

होटल—होटलों का आशय केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दो सितारा (टू स्टार), तीन सितारा (थ्री स्टार) या चार सितारा (फोर स्टार) होटल से है।

(H) उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थापित उद्यम (धारा (80 IE) (Undertakings Established in Noth East States) 1.4.2007 से 31.3.2017 के बीच किसी उत्तर पूर्वी राज्य में अपना व्यापार प्रारम्भ करने वाले उपक्रमों के ...

अथवा प्राप्तियाँ, जिस करदाता की सकल कुल आय में शामिल होंगे उस करदाता को यह कटौती तभी दी जायेगी जब वह उपक्रम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो—

1. जो किसी पात्र (Eligible) वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन करता हो।
2. जिस उपक्रम ने पात्र वस्तुओं के उत्पादन कार्य हेतु वास्तविक या पर्याप्त विस्तार किया हो।
3. जो पात्र या वांछनीय वस्तुओं का व्यापार करता हो।

कटौती के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए—

(i) ऐसे व्यापार का पुनर्निर्माण अथवा पुनर्गठन न किया हो।
(ii) ऐसा व्यापार पुरानी प्लाण्ट एवं मशीनों के हस्तान्तरण से प्रारम्भ नहीं किया गया हो।
(iii) आयकर विवरणी के साथ अंकेक्षण रिपोर्ट लगी हो।

कटौती—अगले 10 वर्षों तक लाभों की 100% कटौती।

उत्तर पूर्वी राज्य—अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम व त्रिपुरा।

वास्तविक या पर्याप्त विस्तार (Substantial Expansion)—प्लाण्ट एवं मशीन के पुस्तक मूल्य में कम-से-कम 25% वृद्धि।

पात्र व्यापार या वांछनीय व्यापार (Eligible Business)—

(i) होटल (टू स्टार से कम नहीं होना चाहिए)
(ii) नर्सिंग होम (जिसमें कम-से-कम 25 मरीजों की व्यवस्था हो) जिनमें चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जाती हो।
(iii) वृद्धावस्था में निवास के लिए।
(iv) जैव प्रौद्योगिकी।
(v) सूचना या सन्देश तकनीक हार्डवियर का निर्माण।
(vi) सूचना अथवा सन्देश तकनीक केन्द्र को संचालित करना।
(vii) होटल मैनेजमेण्ट, कैटरिंग, नर्सिंग पैरा मेडिकल, फैशन डिजाइनिंग एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, वायुयान चालन प्रशिक्षण आदि वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान का संचालन।
(vii) एडवेंचर्स खेलकूद (रोप वे सहित)।

पात्र वस्तुएँ या वांछनीय वस्तुएँ (Eligible Article or thing)—

निम्नलिखित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु या उत्पाद

(i) तम्बाकू के उत्पाद
(ii) पान मसाला
(iii) प्लास्टिक बैग (20 माइक्रोन से कम)
(iv) पैट्रोलियम तेल एवं गैस रिफाइनरी से उत्पादित माल।

(I) जैव श्रेणी करणीय अवशिष्ट (कूड़ा करकट) को एकत्रित करके एवं प्रसंस्करण करने के व्यापार के लाभ—(धारा 80 JJA) (Profit from Business collecting and processing of Bio Degradable Waste)—ऐसे व्यवसाय या पेशे के लाभ (जो कूड़ा करकट एकत्र करके, उसको प्रसंस्करण करके विद्युत, बायो खाद, बायो कीटनाशक अथवा रासायनिक खाद आदि के उत्पादन कार्यों में संलग्न है), जिस करदाता की सकल कुल आय में शामिल होंगे उन्हें यह कटौती प्रदान की जाती है।

कटौती—लगातार 5 वर्षों तक व्यापार के लाभों का 100%।

(J) नये कामगारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of emloyment of new workmen) [धारा 80 JJAA]

इस कटौती के लिए निम्न शर्तें पूरी हों—

1. केवल भारतीय कम्पनी को ही कटौती मिलेगी।
2. ऐसा व्यापार पुनर्निर्माण तथा एकीकरण करके स्थापित नहीं किया गया हो।
3. कर्मचारी नियमित हों।

4. अतिरिक्त नये मजदूरों को दी गई मजदूरी के 30% के बराबर कटौती मिलेगी।
5. ऐसी कटौती अगले 3 वर्षों तक स्वीकृत होगी।

(K) दूर अथवा समुद्र तट स्थित शाखा बैंकिंग इकाई की आय के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of certain incomes of off-shore Banking units) **(धारा 80 LA)**—निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर करदाता को कटौती दी जायेगी–

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र में (समुद्र तट पर) इस अधिसूचित बैंक की बैंकिंग इकाई स्थित हो, या
2. विशेष आर्थिक क्षेत्र में (समुद्र तट पर) इस विदेशी बैंक की बैंकिंग इकाई स्थित हो, या
3. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई हो।
4. करदाता की सकल कुल आय में समुद्र तट पर स्थित बैंकिंग इकाई की आय शामिल हो।
5. करदाता की सकल कुल आय में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की किसी अधिसूचित इकाई की आय शामिल हो।
6. करदाता की सकल कुल आय में किसी ऐसे व्यापार की आय शामिल हो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है अथवा इस क्षेत्र का विकास तथा संचालन करता हो।
7. कटौती की सही माँग का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

कटौती—लगातार प्रथम पाँच वर्ष तक आय का 100%।
लगातार अगले 5 वर्ष तक आय का 50%।

(L) सहकारी समिति की आय—(धारा 80P) (Income of Co-operative Society)—सहकारी समिति करदाता की आय में कुछ विशेष क्रियाओं की आयें शामिल होने पर, सहकारी समिति की कुल आय की गणना करते समय ऐसी क्रियाओं में से कुछ कटौतियाँ दी जाती हैं–

1. कुछ विशेष क्रियाओं से प्राप्त आय का (100%)—ऐसी क्रियाएँ निम्नलिखित हैं–
(i) बैंकिंग व्यापार या अपने सदस्यों को साख सुविधाएँ देने पर होने वाली आय,
(ii) कुटीर उद्योग से आय,
(iii) कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय से आय (सहकारी समिति के सदस्यों के लिए),
(iv) कृषि उत्पादन के प्रसंस्करण (बिना शक्ति प्रयोग) से प्राप्त आय (सहकारी समिति के सदस्यों के लिए),
(v) अपने सदस्यों को श्रमिकों की पूर्ति,
(vi) मछली पालन तथा उससे सम्बन्धित क्रियाएँ,
(vii) कृषि कार्य के लिए अपने सदस्यों को यन्त्र, बीज, पशु तथा अन्य वस्तुओं की पूर्ति करती हो।

2. प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा फल, सब्जियों आदि की क्रियाओं से आय—ऐसी समिति अपने सदस्यों द्वारा दूध, फल, या सब्जियाँ–
(i) किसी संयुक्त सहकारी समिति को, या
(ii) सरकार अथवा स्थानीय सत्ता को, या
(iii) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम या सहकारी कम्पनी को देने का कार्य करती हो तो ऐसे व्यापार का सम्पूर्ण लाभ उसकी सकल कुल आय में से घटा दिया जायेगा।

3. गोदाम या भण्डार गृहों को किराये पर देने से आय—प्रत्येक सहकारी समिति की सम्पूर्ण आय जो वस्तुओं को रखने, प्रसंस्करण अथवा विपणन करने में सहायक गोदाम या भण्डार गृहों को किराये पर देकर आय प्राप्त करती हो उससे प्राप्त आय सकल कुल आय में से घटा दी जायेगी।

4. अन्य कार्यों से आय—सहकारी समिति द्वारा अन्य कार्यों के लिए कटौती निम्न प्रकार है–
उपभोक्ता सहकारी समिति की दशा में ₹ 1,00,000
अन्य किसी सहकारी समिति की दशा में ₹ 50,000

5. प्रतिभूतियों पर ब्याज एवं मकान सम्पत्ति से आय—कटौती निम्न शर्तें पूरी होने पर दी जायेगी–
(i) सकल कुल आय ₹ 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(ii) सहकारी समिति मकान के निर्माण करने की समिति न हो।

(iii) सहकारी समिति यातायात का व्यापार न करती हो।
(iv) सहकारी समिति शक्ति का प्रयोग करके वस्तुएँ न बनाती हो।

यह कटौती प्राथमिक कृषि साख समिति अथवा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को दी जाती है।

(M) लेखकों को प्राप्त रायल्टी (अधिकार शुल्क) से आय (धारा 80QQB) (Income from Royalty received by Authors)—यह कटौती भारत में निवासी लेखक तथा सह लेखकों को प्रदान की जायेगी। जिन्हें इसके सम्बन्ध में भुगतान प्राप्त होता है–

1. अधिकार शुल्क 15% से अधिक हो तो यह कटौती प्राप्त नहीं होगी अथवा एकमुश्त प्राप्त होने पर कटौती प्राप्त नहीं होगी।
2. करदाता भारत का निवासी हो।
3. करदाता पुस्तक का लेखक या संयुक्त लेखक हो।
4. पुस्तक साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कार्य की प्रकृति की हो।
5. करदाता की सकल कुल आय में ऐसी अधिकार शुल्क की राशि शामिल हो।
6. करदाता ने धारा 10CCD 10H में एक प्रमाण-पत्र आय-कर विवरणी के साथ जमा किया हो।
7. पुस्तक में निम्न को शामिल नहीं किया जायेगा–

पत्रिका, जर्नल, डायरी, समाचार पत्र, स्कूलों के कोर्स की पुस्तकें, निर्देशिका, मार्गदर्शिका समीक्षा, ट्रैक्ट (tract) अथवा इसी प्रकृति का अन्य प्रकाशन चाहे उसका नाम कुछ और भी हो आदि।

कटौती–
सम्पूर्ण आय या ₹ 3,00,000 (जो भी कम हो)

(N) एकस्व (Patent) पर अधिकार शुल्क के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80RRB) (Deduction in Connection with Royalty on Patent)—निम्न शर्तें पूरी होने पर कटौती दी जायेगी–

1. करदाता भारत का निवासी हो।
2. करदाता का नाम एकस्व रजिस्टर में लिखा होना चाहिए तथा उसे मूल आविष्कारकर्ता होना चाहिए।
3. करदाता की सकल कुल आय में रायल्टी की आय शामिल होनी चाहिए।
4. निर्धारित फार्म न. 10CCE का प्रमाण-पत्र आय-कर विवरणी के साथ जमा होना चाहिए।

कटौती–
सम्पूर्ण राशि या ₹ 3,00,000 (जो भी कम हो)

(O) बचत खाते में जमा पर ब्याज के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of Interest on Deposits in Savings Accounts—Section 80TTA (w.e.f.AY. 2013-14)—यदि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को बचत खाते में (किन्तु समय जमा नहीं या आवर्ती जमा नहीं) जमा पर ब्याज प्राप्त होता है तो ऐसे ब्याज की कटौती अधिकतम ₹ 10,000 तक प्राप्त होगी।

ऐसे ब्याज में निम्नलिखित से प्राप्त ब्याज शामिल होगा –

1. बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसार बैंकिंग कम्पनी (धारा 51 के अन्तर्गत कोई बैंक या बैंकिंग संस्थान)।
2. बैंकिंग व्यवसाय चलाने या उसमें संलग्न होने वाली सहकारी समितियाँ (सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित)
3. डाक कार्यालय
(भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम, 1898 की धारा 2 के वाक्य (K) में परिभाषित हो।)

(P) वरिष्ठ नागरिक को जमा पर ब्याज के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80TTB) (w.e.f. A.Y. 2019-20) (Deduction related to Interest on Deposit to Senior Citizen)—यह कटौती वरिष्ठ नागरिकों (गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक) को ब्याज के सम्बन्ध में प्राप्त होती है, यदि खाता बैंक में या बैंक का व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति में या डाकघर में खोला गया हो तब अधिकतम ₹ 50,000 (ब्याज की राशियों का योग) तक की कटौती मिलेगी।